राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 34वां दिवस [संख्या 26

शनिवार

31 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर शहर में पीने के पानी में कीड़े

729. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में पिछले कुछ समय से पीने के पानी में कीड़े आदि पाने की शिकायतें आ रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पानी के पीने से शहर के कई लोग गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो उनके

उपचार की राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(3) क्या यह आम शिकायत है कि जयपुर का पानी पीने से लोगों के पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने पानी को शुद्ध करने हेतु क्या क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो मानी हुई बात है कि जयपुर में पानीसे कीड़े बहुत होते हैं और आपके पेट में भी कीड़े हुए होंगे लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं, जी नहीं। क्या यह मन्त्री पद का पराक्रम है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : कीड़े तो बहुत हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे होंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सीधा प्रश्न था कि क्या जयपुर में कुछ दिनों से पीने के पानी में कीड़ों की शिकायत आ रही है ? माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि जी नहीं। मैंने खुद पिछले सत्र में प्रश्न उठाया था और यह कहा था कि पीने के पानी के अन्दर कीड़े आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के पेट में कीड़े पड़ते हैं। उस समय जब समुचित उत्तर नहीं आया तो मैंने फिर यह प्रश्न किया है और मैं कहना चाहती हूं कि क्या आपने प्रयोग कराया था ?

श्री अयूब खां (तिजारा) : माननीय सदस्या आपने तो इनको कीड़े मारने की दवा दे दी थी इसलिए इनके कीड़े तो मर गये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? मैं स्वयं चिकित्सक हूं और मैं जानती हूं कि जयपुर के लोगों के पेट में कीड़े हैं और वे पानी के माध्यम से आते हैं।

श्री अयूब खां : मन्त्री महोदय के पेट के कीड़े तो आपने दवाई देकर खतम कर दिये। फिर उनको, कैसे पता हो कि कीड़े हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया है कि जी नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है। जयपुर के अन्दर पीने के पानी के अन्दर इस प्रकार के कीड़े हैं और जयपुर की 90 पर्सेन्ट आबादी इन कीड़ों से परेशान है। फिर भी आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने यह जांच कब करवाई, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि जी नहीं। यह जांच कब करवाई जिससे यह पता लगा कि पीने के पानी में कीड़े नहीं हैं ?

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर शहर में डेकारस नाम की दवाई की सेल हिन्दुस्तान के बराबर होती है, ऐसा क्यों है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो जवाब दिया है कि पीने के पानी में कीड़े नहीं हैं, इसका क्या आधार है ? जबकि एग्जामिनेशन करवाने पर 99 पर्सेन्ट लोगों के पेट में कीड़े होते हैं। इसका कारण यही है कि जमुनारामगढ़ बांध से जयपुर शहर को पीने का जो पानी दिया जाता है, वह बांध पीने के पानी के लिए ही नहीं बनाया गया था वरन् यह बांध सिंचाई के पर्पज के लिए बनाया था जिसको संस्कार

(श्री मूलचन्द सामरिया)

की अकर्मण्यता, अक्षमता के कारण पीने के काम में लिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : आपने परीक्षण कब कराया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कृपया उत्तर तो सुनें मन्त्री महोदय का।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को पीने के पानी के अन्दर कीड़ों की समस्या के बारे में बड़ी चिन्ता है, यह बिल्कुल सही है। यह हो सकता है कि जयपुर के अन्दर पेट की बीमारी बहुत है लेकिन इसको जयपुर की पेयजल व्यवस्था के साथ लिंक कर देना अनसाइन्टिफिक होगा। यहां पर जो पानी दिया जाता है उसके लिए लक्ष्मण डूंगरी पर फिल्टर प्लाण्ट लगा हुआ है। उसमें सभी तरह के साइंटिफिक प्रिकॉशन्स लिए जाते हैं और उसके बाद ही शहर में पानी सप्लाई किया जाता है। जहां तक अन्य प्रकार की जांच का सम्बन्ध है, जैसा माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया, यह तो वाटर सप्लाई का अंग है, हर दस-बारह दिनों के अन्दर हमेशा उसका एनेलेसिस होता रहता है और उसके अनुसार पानी के अन्दर कोई कीड़े नहीं हैं।

पेट में जहां तक कीड़े होने का सम्बन्ध है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। किस-किस कारण से पेट में कीड़े होते हैं, उसमें पीने का पानी ही एक कारण हो ऐसी बात नहीं है…

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : इसकी जांच करवाई जा सकती है। इसका दूसरा कोई कारण नहीं होता सिवाय इसके कि जमुवा रामगढ़ बांध का पानी पीने के योग्य नहीं है…

(व्यवधान)

आप इस प्रकार का पानी पिलाते हैं जिसके अलावा कोई कारण नहीं है।

श्री नूरा (मसूदा) : पानी पीने की वजह से पेट में कीड़े पैदा होते हैं। बात यह नहीं है कि पानी के साथ कीड़े जाते हैं बल्कि पानी के साथ कीड़ों के अण्डे जाते हैं जिसकी वजह से पेट में कीड़े पैदा होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है कि फिल्टर्ड पानी है। फिल्टर्ड पानी में कीड़े नहीं होते।

श्री नूरा : कीड़े नहीं, कीड़ों के अण्डे जाते हैं पेट में····

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न किया था कि इसका परीक्षण कब कराया, कौन सी तारीख को कराया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात कहना चाहूंगी कि अपने यहां पर गटर लाइन के पैरेलल पानी की लाइन जाती है और गटर लाइन बहुत पहले डाली गई थी वह बहुत पुरानी हो चुकी है, जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है जिसको बदलने की जरूरत है। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इस काम के लिए कितनी धन राशि वित्त विभाग ने नई पैरेलल लाइन डालने के लिए, पुरानी लाइनों को बदलने के लिए दी थी और उसमें से कितना काम किया गया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गटर लाइन है उसके पैरेलल वाटर लाइन जाती है और उसके कारण कीड़े मिक्स हो जाते हैं। आपकी लेबोरेटरी इतनी सक्षम नहीं है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।····

माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नलों में कीड़े आ रहे हैं, मेरे घर पर नल में कीड़े आ रहे हैं, मैंने यहां पर बताया कि कितना गन्दा पानी आ रहा है। छः महीने से इस तरह का गन्दा पानी आ रहा है। मन्त्री महोदय बतायें कि इसके बारे में क्या करना चाहते हैं और क्या करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह कोई शराब का प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर जन-स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

माननीय सदस्या भाषण न दें। स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं, डा. हरिसिंह, मन्त्री जन स्वास्थ्य विभाग से पूछना चाहूंगा कि राज्य मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है क्या उससे वे सहमत हैं ? जयपुर में यह आम समस्या है। आप मन्त्री बन गये हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि इस समस्या को गौण मानें। आप कृपा कर सही उत्तर दीजिये।

श्री अब्दुल खां : पेट में जो कीड़े पड़ते हैं वह पानी से नहीं होते हैं और दूसरे

(श्री अयूब खां)

कारण से होते हैं तो मन्त्री महोदय वह कारण बतावें ?

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं दस दिन सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती रहा था। वहां पर डा० सैठी ने बताया कि आपके पेट में बीमारी है वह यहां जयपुर के पानी की खराबी से है। पानी की खराबी के कारण यह बीमारी पैदा हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) : मैं बहुत देर से खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने दो सप्लीमेन्ट्री पूछ ली हैं। एक और पूछ लीजिये। पहले श्री टीकमचन्द और फिर आप।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे····

श्री अध्यक्ष : वे सुन रहे हैं, आप तो कहिये········

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं····

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : ये आपस में परामर्श कर रहे हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कीड़े और जीवाणु में क्या अन्तर वे करते हैं ? अगर वे कीड़े और जीवाणु में अन्तर करते हैं तो इस जयपुर के पानी में दोनों में से पर्सेन्टेज किसका अधिक है ? नम्बर दो, आप डाक्टर हैं और जानते होंगे कि जयपुर शहर में एन्टी डायरिया और एन्टी डिसेन्टरी की दवाई क्या सबसे अधिक बिकती है या नहीं ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि प्रश्न के खण्ड एक में यह कहा गया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या इतने विधायक हैं, उनमें से 5-10 विधायक अब भी मिल जायेंगे, जिन्होंने यह शिकायत की है कि जयपुर के पानी के अन्दर कीड़े हैं। इसलिए प्रश्न के खंड एक के उत्तर को स्पष्ट किया जाए कि शिकायत प्राप्त हुई है या नहीं। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण दास गुप्ता। अन्तिम सप्लीमेन्ट्री।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि आपने अपने विभाग के अधिकारियों के द्वारा····

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय श्री बजरंग लाल जी खड़े हैं।

आप खड़े नहीं हो सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : आपका कहना मानूं या इतने विधायक, भाई कह रहे हैं कि खड़े रहूं। मान-

(6)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

नीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि रामकृष्ण दास जी पहले प्रश्न करेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अपने अधिकारियों से प्राप्त करने के बाद या पहले, जयपुर में स्थित मेडिकल कालेज के जो अनुभवी डाक्टर हैं, उनकी राय ली है या नहीं ली है। क्योंकि कीड़ों का इलाज चीफ इन्जीनियर के आफिस में नहीं होता है, एस. एम. एस. अस्पताल में होता है।

दूसरा, क्या यह सत्य नहीं है कि भारत में सबसे अधिक दवाई, कीड़ों के मारने की, जयपुर में बिकती है।

तीसरा, क्या यह सही नहीं है कि माननीय राज्य मन्त्री स्वयं एम्ब्योबाइसिस हेपाटाइटिस से पीड़ित हैं और उनका भी यह कहना है कि यह जयपुर के पानी से हुआ है ?

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि पानी की खराबी से पेट की बीमारी नहीं होती है, पानी को पेट की बीमारी से जोड़ना अनसाइन्टिफिक है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर पेट की बीमारी किन कारणों से होती है और क्या आपने इस पानी की जांच किसी डाक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट से कराई है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि पेट के कीड़े पानी की खराबी से नहीं है तो वे स्वयं अपने तजुर्बे से बता दें ?

श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी दृष्टि मेरी ओर भी पड़ेगी ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : मन्त्री महोदय, आपके पेट में कीड़े हैं। आप यहां पर बताना नहीं चाहें तो बात अलग है। यह सही है कि गटर लाइन का पानी वाटर लाइन में मिल जाता है ...

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जयपुर के लोगों के पेट में कीड़े हैं, यह सही बात है। मैं यह मानता हूं ...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर के पानी में जो कीड़े हैं, यह ठीक है, लेकिन यह मैंने देखा है कि जयपुर के लोगों को यहां का, जयपुर का, घेवर विशेष पसन्द है और इस वजह से यह कीड़े हैं। आयुर्वेद में कहा गया है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

"अजीर्ण भोजी मधुराम्यं नित्यं
विरुद्ध भुक् संभलते क्रिमोस्तु ।"

जो अजीर्ण भोगी है, वह शाम को मदिरापान करे····

(व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय की ओर से माननीय जोशी जी ने उत्तर दे दिया है । वह पर्याप्त है ।

श्री गुल मोहम्मद : क्या यह सही नहीं है कि जयपुर में कई जगह वाटर लाइन का सम्बन्ध गटर लाइन से हो गया है । जिसकी वजह से पानी के अन्दर गटर लाइन का पानी मिल जाता है और वह लोगों को पीने के लिए दिया जाता है । यह फेक्ट है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि गटर लाइन का पानी वाटर लाइन में मिल जाता है और वह पानी मैं भी पीता हूं, अध्यक्ष महोदय आप भी और मन्त्री महोदय आप भी पीते हैं । मन्त्री महोदय इस प्रकार सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या इसका जवाब आने के लिए आमरण अनशन की घोषणा करें····

श्री अध्यक्ष : अब कोई प्रश्न नहीं होगा । मन्त्री महोदय का उत्तर सुनें ।

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय महबूब जी ने प्रश्न का जवाब दिया है वह शत-प्रतिशत सही है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या पानी के कीड़े ···

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्यों ने कहा । यह सम्भव नहीं है इसलिए मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय डा० उजला अरोड़ा ने यह सवाल पूछा है क्योंकि वे समझती हैं कि वे मैडिकल प्रेक्टिस नहीं करती फिर भी जो डिग्री उनके पास है ······

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का उत्तर आना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी डिग्री भी इससे जाहिर होती है····

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी डिग्री फर्जी जाहिर हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ बता देना चाहता हूं। बीमारी के मामलों में और पानी के सम्बन्ध में आम जनता में और माननीय सदस्यों में यह धारणा उभरी हुई है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि नल से पानी निकलता है तब तक कोई कीड़े नहीं होते। बाद में जो एमीबाएसिस की बीमारी है, कीड़ों की बीमारी है, मैं इसलिए हाउस को बता देना चाहता हूं...

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह मेडिकल का मामला है। माननीय सदस्यों को इस मामले में अपना मानस स्पष्ट कर लेना चाहिये। नहीं तो यह भ्रम जायगा नहीं जयपुर की पब्लिक के दिमाग से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिये। श्री लालचन्द।

आयुर्वेद चिकित्सकों व एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतनमानों में असमानता

730. **श्री लालचन्द (मादरा), श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़), श्री बहादुरसिंह (नोहर), श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद के चिकित्सकों और एलोपैथी चिकित्सकों के वेतनमानों में असमानता का क्या आधार है?

(2) क्या राज्य सरकार इनके वेतनमानों में असमानता को दूर करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मन्त्री आयुर्वेद (श्री भैरवलाल काला बादल) : (1) आयुर्वेद एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतनमानों में असमानता का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। यह विसंगति प्रारम्भ से ही चली आ रही है।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला कब से राज्य सरकार के विचाराधीन है? जिस सरकार ने वैद्यों के वेतनमानों में सुधार किया था और सुधारने के बाद जिनको इन्क्रीमेंट मिल गया था और मिलने के बाद बढ़े हुए वेतनमान वापिस ले लिए गए और स्थायीकरण करने के बाद

(9)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

भी हमारी सरकार वैद्यों के वेतनमानों को टाल रही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक एलोपैथी के डाक्टर की बजाय डेढ़ साल अधिक व्यतीत करके भी, समकक्ष योग्यता के आधार पर प्रवेश देने पर वैद्य को 450 और जो चार साल में डाक्टर निकल जाते हैं उनको 750) रुपये वेतन देते हैं। यह असमनता बड़ी भारी है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : मन्त्री महोदय ने फर्माया।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अन्तर का कोई आधार नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री नवल राय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, यह वेतन मानों में असमानता कब तक समाप्त कर दी जायेगी, यह स्पष्ट कर दिया जाय ?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह अन्तर प्रारम्भ से ही चला आ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं 20 साल से यह अन्याय चला आ रहा है। इस अन्याय को आप कब तक रोक देंगे ?

श्री नवल राय बच्चाणी : अध्यक्ष महोदय, इस बात की आज ही घोषणा करनी चाहिए कि यह अन्याय कब तक चलेगा ? इसकी घोषणा होनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि असमानता किन कारणों से चली आ रही है ? इसके आधारभूत कारण बताइए।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कल की तारीख में 40 लाख रुपये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 40 लाख रुपयों में से 14 लाख रुपये वैद्यों को दिये जायं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 14 लाख वैद्यों को दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता लालचन्द।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रश्न करना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये, कृपया।

श्री लालचन्द : मन्त्री महोदय के बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री नवलराय बच्चानी : मन्त्री महोदय घोषणा कर देंगे तो सब ठीक हो जायगा।

श्री लालचन्द : इसी सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या एलोपैथी के डाक्टर्स और आयुर्वेद के वैद्यों के बीच में जो अन्तर है सरकार उस अन्तर को सही समझती है, होना चाहिए ऐसा समझती है क्या ? अगर वह नहीं समझती है, तो इस अन्तर को मिटाने के बारे, जैसा आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार के विचाराधीन है, उसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स की जा सकती है जिसमें इस पे के अन्तर को मिटा देंगे ? यह दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिनका मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : आपकी अनुमति हो, अध्यक्ष महोदय, तो मैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप उत्तर सुनने के इच्छुक नहीं है ?

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : आयुर्वेद विभाग में जो 90 वैद्य पास किए हुए बैठे हैं उनको कोई पोस्ट नहीं दी जा रही है और वह बेकार बैठे हुए हैं। और आयुर्वेद विभाग नये वैद्यों को नहीं ले रहा है लेकिन राज्य के बाहर के वैद्यों को ले रहा है। क्या मन्त्री महोदय इस सदन को विश्वास दिलायेंगे कि जब तक राजस्थान के वैद्य मिलेंगे उनको लेंगे और उसके बाद बाहर वालों को लगायेंगे ?

दूसरा मेरा, प्रश्न है कि वेतनमानों में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए पिछले वर्ष आयुर्वेद के लड़कों ने जो सत्याग्रह किया था और हमारी सरकार ने केस चला रखा है तो क्या सरकार उन लड़कों पर से केसेज उठायेगी ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मन्त्रीजी बोलिये।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्य एक साथ बोले तो उसमें मैं यह नहीं समझा कि कौन सा जरूरी क्वेश्चन है जिसका जवाब दूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय मन्त्री महोदय, यह जरूरी है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य एक एक पूछते तो मेरी समझ में आता कि इस प्रश्न का जवाब दूं। यह बिल्कुल घोटाला हो गया कि जवाब क्या दूं ?

श्री कौशल किशोर जैन : मन्त्री महोदय सब समझते हैं और बरगलाना चाहते हैं माननीय सदस्यों को। एक ही बात का उत्तर दें; आप सीधा उत्तर दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या 50 लाख रुपये आयुर्वेद विभाग के वेस्ट हो रहे हैं उसमें 16 लाख रुपये ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 साल से कांग्रेस सर-

(श्री कौशल किशोर जैन)

कार मूक बनाती रही और मन्त्री महोदय कहते हैं कि समझे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, प्रश्न के दूसरे खण्ड में यह कहा गया है क्या राज्य सरकार इनके वेतनमानों में असमानता को दूर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आपका विचार है कि नहीं ?

श्री भैरवलाल काला बादल : रखती है और यह सरकार के विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : 30 साल से तो यह कांग्रेस सरकार के विचाराधीन था और दो साल से आपके विचाराधीन है जनता सरकार के, आप घोषणा कराए ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): कब से यह विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री रावत राम ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें कि इस प्रश्न को टाला नहीं जाय । मन्त्री जी कोई विचार नहीं करते हैं और फाइल दो साल से पड़ी हुई है इनकी टेबल पर ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, यह महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष आयुर्वेद मंत्रीजी और मैं, दोनों आयुर्वेद कालेज में गये थे और मन्त्री महोदय ने लड़कों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों के....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या 731

श्री रावत राम ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 732

श्री सुभाषचन्द्र आर्य ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री शिवकरण बुहाड़िया ।

श्री नवलराय बच्चाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की सहानुभूति दिखाई दे रही है वह उत्तर देना चाहते हैं। उनको उत्तर देने दें।

जयपुर केकड़ी बस रूट

733. **श्री शिवकरण बुहाड़िया** (फागी): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर केकड़ी सम्बन्धित रूट पर वर्ष 1973 में कितनी बस सर्विस थी ? राष्ट्रीयकरण के समय इस रूट पर वर्ष 1974 में कितनी बस सर्विस राजस्थान परिवहन निगम द्वारा चालू की गई ? इस समय इस रूट पर कितनी बस चलती हैं। यदि पहले से कम चल रही है तो क्यों ?

(2) मौजूदा बस सेवायें क्या यात्रियों की आवश्यकतानुसार पर्याप्त हैं यदि नहीं, तो इस रूट पर यात्री बस सेवाओं की संख्या बढ़ाने हेतु राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(3) क्या इस रूट पर चलने वाले ट्रक सवारियां उठाते हैं और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिसिंह) : (1) जयपुर केकड़ी (सम्बन्धित) रूट पर वर्ष 1973 में 198 एकल बस सेवाएं निम्नानुसार चलती थीं :—

1. जयपुर—ब्यावर	8
2. जयपुर—केकड़ी	10
3. जयपुर—सांगानेर	128
4. जयपुर रेनवाल	4
5. जयपुर—फागी	8
6. जयपुर—निम्बाहेड़ा	2
7. जयपुर मालपुरा	14
8. मालपुरा—केकड़ी	4
9. डिग्गी—मालपुरा	20
कुल मिलाकर	198

वर्ष 1974 में इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण के बाद उक्त मार्ग पर 12 अप व 12 डाउन परिचक्र संचालित किये गये। वर्तमान में 24 दैनिक परिचक्र निर्धारित हैं, जो यात्री उपलब्धता की दृष्टि से निजी वाहन स्वामियों की तुलना में पर्याप्त हैं ?

(2) जी हां। ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में चार परिचक्रों की वृद्धि प्रस्तावित है।

(3) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवचरण बुहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने नम्बर बताया कि इतनी बसें चल रही हैं लेकिन एक भी बस नहीं चल रही है। वह गलत कह रहे हैं। वहां पर बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से। वहां पर पर्याप्त बसें होनी चाहिए। उसके नहीं होने से प्राइवेट बस

(श्री शिवचरण बुहाड़िया)

वाले भेड़ बकरी की तरह से मुसाफिरों को भरते हैं। मैं मन्त्री महोदय को बताऊं कि आपने कहा कि इतनी बसें लगी हुई हैं। लेकिन रेनवाल के लिए एक भी बस नहीं है।

श्री अयूब खां : क्या मन्त्री जी आवश्यकता के अनुसार बसों की और संख्या बढ़ायेंगे ?

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री महोदय, आपने पहले का जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि 198 बसें चलती थी और बाद में कहा है कि 12 अप और 12 डाउन बसें चलती हैं। पहले तो संख्या आपने 198 बताई है और अब 12 अप और 12 डाउन तो टोटल संख्या कितनी है ? यह क्या मामला है ? पहले अप और डाउन की कितनी गाड़ियां थीं ? पहले क्या संख्या दे दी और अब क्या बता रहे हैं ? जिस प्रकार पहले [illegible] दी उसी प्रकार बतायें कि कितनी गाड़ियां अब चल रही हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : 12 अप और 12 डाउन तो कुल 24 हुई।

श्री गुल मोहम्मद : 198 के बाद 24 हैं या 22 हैं ?

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बसों की सुविधा इस तरह से होगी कि कोई लाइनों की चैकिंग न हो और सवारियां बुरी तरह से भरी जाती हैं। क्या सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है ?

श्री अयूब खां : क्या जो बस सेवाएं हैं उनको बढ़ायेंगे ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है रोडवेज के बारे में। क्या माननीय मन्त्री महोदय यह मानते हैं कि राजस्थान रोडवेज की बसें मोटर व्हीकल्स एक्ट का डेली वायोलेशन करती है और एक्ट का वायोलेशन एक अपराध होने से आपने आज तक कितने चालान होने दिये ? क्या यह भी सही है कि आपने एक गुप्त सर्क्युलर इस तरह का ट्रान्सपोर्ट आथोरिटीज और पुलिस को दिया है कि रोडवेज की बसें और मोटर व्हीकल्स एक्ट का वायोलेशन करें तो कानूनी कार्यवाही नहीं की जाय ? अगर यह बात सही है तो रोडवेज ही स्टेट के लॉ को ब्रेक करती है तो आप दूसरों से रूल आफ लॉ को कैसे मेन्टेन करा सकते हैं ? यह आप स्पष्ट करें।

एक माननीय सदस्य : इतनी बसें चलती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मन्त्री महोदय का जवाब आने दें।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे....

(व्यवधान)

(14)

श्री मूलचन्द डागा : इस सवाल का उत्तर दिलाया जावे।

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के कोई सक्यूंलर निकाले हैं कि पुलिस चालान नहीं करे? अगर यह सत्य है तो जो टिकटों की चोरी होती है, लोग ऊपर बैठ जाते हैं, तो वह राजस्थान सरकार जान बूझकर कानून तोड़ने की कार्यवाही कर रही है। भ्रष्टाचार को पनपा रही है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाये।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे ...

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : इसका उत्तर दिलावें, मेरा निवेदन है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई उत्तर नहीं आयेगा तो यह माना जाएगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसे सक्यूंलर निकाले हैं। पुलिस को हिदायतें हैं कि ऊपर सवारियां बैठावें तो चालान नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : विधायक नगर बस चली तो उसकी हवा निकल गई हम को पैदल चलकर आना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं?

श्री किशनसिंह भाटी : क्या राजस्थान सरकार रूल्स का वायोलेशन करती है? इसका उत्तर दिलावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। एक तो आपस में बातें बहुत हो रही हैं। सप्लीमेण्ट्री की बिल्कुल बौछार हो रही है। मन्त्री महोदय को संकेत किया जाता है। वह उत्तर दें तो उसको सुनने की चेष्टा नहीं करते हैं। यह प्रश्नकाल का महत्व क्यों कम करते हैं। बड़े खेद का विषय है। माननीय मन्त्री महोदय, यदि उत्तर देना चाहें....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्ट्री किसी प्रश्न पर पूछा जाता है, जो कि मुख्य प्रश्न के स्कोप में होना चाहिए। इस प्रकार से सप्लीमेण्ट्री से इन्फार्मेशन सीक करना है। यह व्यवस्था कितनी खराब हो गई है। प्रश्न कुछ पूछा गया है। सप्लीमेण्ट्री कुछ पूछे जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस जनता पार्टी में अनुशासन नाम की कोई

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चीज नहीं है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। इनको सिखाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदय, उत्तर दें।

श्री अल्लाराम (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो कहा है, वह सच नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता ने जो कुछ कहा है, वह शत प्रतिशत सही है। यह प्रश्न जयपुर-केकड़ी बस रूट का है। अगर ट्रेजरी बैंचेज ही उसको निम्बाहेड़ा पहुंचा दे तो मैं क्या करूं। इर्रेलेवेन्ट सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन को ट्रेजरी बेंचेज से ही प्रोत्साहन दिया जाये तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं स्थगित प्रश्न लूं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : पहले तो माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि 192 बसें चलती हैं।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, उत्तर दें कृपया, अगर चाहें तो।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि राउण्ड डाउन होते हैं। पब्लिक को कन्विनेंस है। परिवर्तन होते हैं। यों तो कहा जाये तो जयपुर में ही 50 राउण्ड काट सकती है।

श्री गुल मोहम्मद : वह ग्यारह अप ग्यारह डाउन क्या होता है? इसकी कुल संख्या कितनी हुई स्पष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि भेद खुल जावेगा।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो डेली वायोलेशन करते हैं, उसका उत्तर दिलायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन में बसों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई बार चर्चा हुई है। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

राज्य के विश्व विद्यालयों में बढ़ता हुआ छात्र असन्तोष

734. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले एक साल में राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में पहले के मुकाबले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

छात्रों में असन्तोष बहुत ज्यादा बढ़ने के क्या कारण हैं तथा इन कारणों को दूर करने का सरकार क्या उपाय करेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में छात्रों में लड़ाई झगड़े एवं हड़तालें पिछले एक साल से बहुत अधिक हुए हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं उन कारणों को दूर करने का सरकार कब तक क्या उपाय करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों का प्रशासन पिछले एक साल में बहुत बिगड़ गया है ? अगर हां, तो प्रशासन ठीक करने के लिए सरकार कब तक क्या क्या कार्यवाही करेगी ? अब तक प्रशासन सुधार के लिए सरकार ने कब कब, क्या क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कर्मचारियों द्वारा इतने दिनों तक अपनी मांगों के संबंध में हड़ताल एवं सत्याग्रह करने के क्या क्या कारण थे ? सरकार ने उनका समझौता करवाने के बारे में क्या क्या प्रयत्न किये ?

(5) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के शिक्षक एवं प्राध्यापकों में बड़ा भारी असन्तोष व्याप्त है ? अगर हां, तो उनके असन्तोष को दूर करने के लिए सरकार कब तक क्या क्या कार्यवाही करेगी ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री महबूब अली): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित किये जाने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर रोज डिस्कशन होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: क्यों स्थगित करना चाहते हैं ? मैं पूछ रहा हूं अब तक कितनी हड़तालें हुई हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास: माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करें तो स्पेसिफिक कार्यवाही के साथ स्थगित करें। इसका कल जवाब आयेगा, या परसों जवाब आयेगा, या कब आयेगा ? इसकी तारीख निश्चित कर दें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: यह सरकार प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस पर चर्चा उठाना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद जहूर।

(व्यवधान)

राजस्थान में क्या हो रहा है। अब मैं क्या कहूं। स्थगन प्रस्तावों में बार बार चर्चा उठाई गई है। उसका अन्त ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार ही जाने ।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज सरकार के शिक्षा जगत की क्या स्थिति है ? सरकार उसको रोकने में सक्षम है या नहीं ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं, आप भी देख रहे हैं और हम भी दुखी हैं, सरकार महत्वपूर्ण प्रश्न को टालना चाहती है और जवाब नहीं देना चाहती, सदन को कॉन्फीडेन्स में नहीं लेना चाहती। यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है और आपसे प्रार्थना है कि सरकार से कई बार कहा है, आपने भी कहा है

(व्यवधान)

लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार,

(व्यवधान)

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप हमारे हकों की रक्षा करें। सरकार जान बूझकर जवाब नहीं देना चाहती है। मैंने जितने भी प्रश्न आज तक पूछे, एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भी जवाब नहीं आया ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध केवल तीनों विश्वविद्यालयों से है, पूरे शिक्षा जगत से नहीं है। इसकी जो कमेटी है उसके शिक्षा मन्त्री चेयरमैन हैं। वाइस चान्सलर्स और शिक्षा मन्त्री जी की मीटिंग होती रहती है, इससे इनका डाइरेक्ट सम्बन्ध है। इन्होंने इस पर विचार किया होगा। इन्फार्मेशन नहीं आई है, यह बात तो तब हो सकती है जबकि राजस्थान के सुदूर गांवों से जानकारी लेनी हो, न इस चान्सलर्स से इन्फार्मेशन नहीं आई है या कहां से नहीं आई है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसी सत्र में जवाब दिलवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रयास करूंगा माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार की पराकाष्ठा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गई पराकाष्ठा, स्थान ग्रहण करें ।

स्थगित प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 451

माननीय श्री मोहम्मद जहूर ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(18)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 452

माननीय श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 735

माननीय श्री रामदेव सिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माननीय श्री अजीत सिंह

बच्चों को चतुर्थ कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं करने का निर्णय

736. **श्री अजीतसिंह** (टोंक): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चौथी कक्षा तक कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री महबूब अली): जी हां । इस सम्बन्ध में दिनांक 16-10-78 को आदेश प्रसारित किये गये हैं । आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री अजीतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह निर्णय गार्जियन्स की राय लेकर किया गया है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या इससे शिक्षा का स्टेण्डर्ड नहीं गिरेगा, आप इस पर क्या विशेष ध्यान देंगे, अलग से कोई क्लासेज लगायेंगे या क्या करेंगे ? हमें ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं और ग्रामीण स्कूलों का स्टेण्डर्ड गिर जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपरदा) : पिछले कुछ सालों से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इससे यह होगा कि अध्यापक स्कूल में पढायेंगे नहीं, इसलिए यह परीक्षायें होनी चाहिए ।

श्री लालचन्द (भादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मैं भी हाउस में अर्ज करना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुझे सरकार का शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ षड्यन्त्र नजर आ रहा है । ये चाहते हैं कि गांवों के लोग शहरों के मुकाबले में नहीं आ जायं, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा इस प्रकार के कदम उठाना इस बात को साबित करता है । आज यूनिवर्सिटी की हालत क्या हो रही है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री लालचन्द : शिक्षा क्षेत्र में आर. एस एस. के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह कुछ लोगों का षड़यन्त्र है जिससे ग्रामीण जनता इनके मुकाबले में नहीं आ सके । इसलिए मेरा अनुरोध है कि शिक्षा की नीति पर सदन में आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि षड्यन्त्र रचा गया है ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चौथी कक्षा तक तो कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा लेकिन आगे इस स्तर को बनाये रखने के लिए क्या आप पांचवीं कक्ष में कोई सामूहिक परीक्षा लेने वाली एजेन्सी या बोर्ड की व्यवस्था करेंगे जो सारे विद्यालयों की परीक्षा लेकर छठी कक्षा में बिठाये ?

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने संजय गांधी की रेल चलाई, जो उनके भक्त थे और उनकी अंगुलियां धोई, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आज वे आर. एस. एस. पर उंगलियां उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारे विचार मैं भी दोहराता हूं, मैंने तो संजय गांधी के पांव नहीं धोये, फिर भी कहता हूं कि शिक्षा नीति में आर. एस.एस. की धुन लगी है, आर. एस. एस. की टी.बी. लगी है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन में क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 737

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण लाल

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नवरंग सिंह।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अजीत सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब आना चाहिये।

श्री अजीत सिंह : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) 736.

श्री परसराम मदेरणा (विरोधी दल के नेता) : जब आपने नया प्रश्न काल कर लिया है तो उसका उत्तर आना चाहिए। शिक्षा मन्त्री को उत्तर देने नहीं दिया जाएगा।

श्री गुल मोहम्मद : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार बताए कि इससे शिक्षा का स्तर गिरेगा या नहीं ? क्योंकि बच्चों को पास होने की फिक्र नहीं रहेगी। क्या यह नीति विधायक दल की मीटिंग करके तय की गई थी या आपने थोप दी ?

श्री अध्यक्ष : मेरी यह अनुभूति है आपसे लेकिन मैंने प्रश्न संख्या 738 पुकारा है। अगर ट्रेजरी बेंचेज प्राम्प्ट उत्तर नहीं देते हैं तो वे इसका खामियाजा भुगतें।

प्रश्न संख्या 738

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : शिक्षा मन्त्री जवाब देना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न था शिक्षा नीति के सम्बन्ध में। गांव में चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सब नालायकों की जमात बन जाएगी जैसे लालचन्द जी ने कहा, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं, ऐसी पालिसी किस ने निर्धारित की है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस निकम्मी सरकार ने।

मेजर श्री फतहसिंह : मूर्खों ने यह पालिसी तय की है ?

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल (जैतारण) : इस निर्णय का क्या औचित्य है ? चौथी कक्षा तक किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाए, इसका आधार क्या है ? यह नीति का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी इच्छा के प्रतिकूल कोई व्यवस्था नहीं देना चाहता। शिक्षा मन्त्रीजी आप माननीय श्री अजीत सिंहजी के प्रश्न का उत्तर दें, यदि दे सकें तो, यदि सन्तुष्ट कर सकें तो।

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि मैं सदन को संतुष्ट कर सकूं। विरोधी दल के नेता ने जो सुझाव दिया था कि जो प्रश्न है उसके दायरे में ही जवाब दूं। जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि हर वर्ष शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों की ओर शिक्षाविदों की गोष्ठी करता है, उसमें विचार-विमर्श किया जाता है। इसी प्रकार पिछले वर्ष आबू में संगोष्ठी हुई थी उसमें निर्णय लिया गया। इस प्रश्न पर चर्चा की गई। समस्या यह थी कि हमारे राज्य में ड्राप-आउट्स की संख्या बहुत होती है बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल में जाना बंद कर देते हैं। इनके कारणों पर चर्चा हुई, इस पर यह बात सामने आई कि हमारे बालक आज परिवार की आर्थिक इकाई है, वह परिवार के भरण-पोषण और लालन-पालन के लिए, निर्वाह के लिए, जो काम करते हैं, उसमें व्यवधान आता है। उनके लिए पढ़ाई अधिक महत्व की न होकर वे घरेलू कार्य में जुटे रहते हैं। ऐसी हालत में स्कूल आने के बाद यदि किसी छोटी कक्षा में उनको अनुत्तीर्ण कर देते हैं तो पढ़ाई, जिसमें उनकी रुचि पहले ही कम है, परिवार वालों की रुचि कम है, उसमें बाधा उपस्थित होती है। इस कारण से वे आगे नहीं पढ़ पाते। फिर इन ड्रापआउट्स की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि बाद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लेकर उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं।

हमारा ऐसा विचार नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी। हमारे आदेश हैं, वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आबू संगोष्ठी में निर्णय के अनुसार निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं—

"कक्षा चार तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा, इसका स्वरूप यह होगा कि परीक्षा यथावत् प्रतिवर्ष होगी व कक्षा विभाजन भी यथावत् रहेगा, किन्तु परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी छात्र व छात्रा को अनुत्तीर्ण घोषित कर रोका नहीं जाएगा, उसे अगली कक्षा में आने दिया जाएगा। जिस विषय में छात्र कमजोर हो उसमें अगली कक्षा में विशेष ध्यान देकर विशेष प्रबंध करके कमजोरी दूर करा दी जाएगी।"

इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि परीक्षायें तो होगी, मूल्यांकन तो होगा कि छात्र कितना पढ़ा है कितनी कमजोरी है। अध्यापक पर दायित्व होगा कि पिछले वर्ष जो बच्चे की कमजोरी रही है उस कमजोरी को वह निकालें ताकि हमारे विद्यार्थी की जो पढ़ने में प्रेरणा कम है, उत्साह कम है एवं कुण्ठा है यह दूर की जा सके। बजट के समय भी मैंने यही निवेदन किया था। ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे हमारे बच्चे अधिक संख्या में स्कूल आयें, उनको छात्रवृत्ति देनी है तो देंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया है।

श्री मूलचंद डागा : यह निर्णय केबिनेट ने अप्रूव कर दिया ?

(व्यवधान)

श्री लालचंद : मंत्री के जवाब से दो बातें सामने आती हैं।

श्री मूलचंद डागा : क्या मंत्री मंडल ने इस निर्णय को अप्रूव कर दिया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार ग्रामीण बच्चों को कमजोर रखना चाहती है।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। अगर वास्तव में इस शिक्षा स्तर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जैसे दसवीं की परीक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाती है उसी प्रकार पांचवी कक्षा की परीक्षा भी जिला स्तर पर परीक्षा व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) : प्राइमेरी स्कूलों के अध्यापक तो वैसे भी देरी से आते है व जल्दी जाते हैं। जब परीक्षा नहीं होगी तो फिर तो मास्टर बिल्कुल गैर हाजिर रहेंगे, इस सिलसिले में आपने कुछ सोचा है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री मूलचंद सामरिया : जो आपने लिखित में उत्तर पढ़ा कि ग्रामीण जीवन में बच्चा परिवार के लिए आर्थिक सहायता का साधन होता है तो जो बच्चा चौथी क्लास में वह मुश्किल से 10-12 साल का होगा, वह कमाई कर रहा है तो जब वह पांचवीं की परीक्षा देगा तो उस समय उसकी कमाई

(श्री मूलचन्द सामरिया)

का क्या होगा ? यह आपकी दलील समझ में नहीं आई कि चौथी, पांचवी क्लास का बच्चा कमाई करने जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल।

श्री ओंकारलाल चौहान (ग्रटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री महोदय ने शिक्षा की नीति बताई 5वीं तक की, तो क्या इस नीति से शिक्षा का स्तर ठीक होगा ? क्या आने वाली पीढ़ी द्वारा राष्ट्र के निर्माण में ठीक तरह से योगदान दिया जा सकेगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि अध्यापकों का दायित्व होगा कि जिस विषय में बच्चा कमजोर होगा उस पर वह विशेष ध्यान देगा। वह अपना दायित्व तो अच्छी तरह से निभायेंगे लेकिन पहली से चौथी क्लास तक गरीब का बालक फेल नहीं किया जायेगा। इसके अलावा जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वह तो अच्छी से अच्छी शिक्षा लेंगे। गरीब लोगों के बच्चे चौथी क्लास तक पास कर दिये जायेंगे। पांचवीं में वह क्या फेल नहीं होंगे ? तो उन गरीब के बच्चों का पढ़ाई का स्तर नीचे ले जाने का, उनको ऊपर नहीं आने देने का षड़यंत्र है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा फर्माया, यह शिक्षा जाति के लिए कलंक है। इतना बड़ा निर्णय शिक्षा जगत में मंत्री महोदय ले लें। सदन को कान्फीडेन्स में नहीं लें। न पार्टी में नीति संबंधी मामले को डिसकस करें। कुछ अधिकारी बैठकर शिक्षा जगत की नीति बदल लें जो कि देश को रसातल में ले जाये। ऐसी नीतियों का मंत्री महोदय पालन करायें तो यह शिक्षा मंत्री जी का घर नहीं है जो बैठकर कुछ भी फैसला कर लें। इसके लिए हम लोग बैठ सकते हैं, पार्टी के सब लोग बैठ सकते हैं। नीति संबंधी मामला है। यह निश्चित है कि गरीब का बच्चा आयेगा और जाकर कम्पीटीशन में फेल होगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : नौकरी नहीं मिलेगी। उच्च परीक्षाओं में पास नहीं हो सकेंगे। यह उनके लिए षड़यंत्र है। उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति को आप वापिस लें। आप निर्देश दें। मैं मांग करता हूं कि इसके ऊपर पुनः विचार करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संबंधी जो नीति की घोषणा की है वह बहुत ही आधुनिक नीति है। यह नीति सभी बड़े-बड़े मुल्कों में किंडर-गार्डन और प्राइमेरी एजूकेशन में अपनाई जाती है। हम इस नीति का तो स्वागत करते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बच्चों का इम्तिहान पांचवीं या चौथी तक नहीं होता लेकिन उसके साथ ही वहां पर करीब-करीब 90 पर्सेन्ट अटेन्डेन्स बच्चों की लाजिमी कर देते हैं। अगर बच्चे इम्तिहान नहीं दें, स्कूलों में अटेन्डेन्स भी 25-30 पर्सेन्ट ही हो तो फिर वह पढ़ाई नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो शिक्षा शास्त्रियों ने सलाह दी है और निर्णय लिया है आपने वह निर्णय तो आधुनिक है लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चे बराबर स्कूलों में छुट्टियों को छोड़कर रेगुलर रहें इसकी भी व्यवस्था करें। उसके साथ ही साथ पढ़ाई का तरीका भी दूसरा होता है····

श्री अयूब खां : यह अटेन्डेन्स की जिम्मेदारी तो माता-पिता की है।

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : ग्रामीण इलाकों के बच्चे पीछे रह जायें और शहरी इलाकों के आगे बढ़ें इसके पीछे यह नीति है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि आपका जो फार्मूला और पालिसी है यह देहात के लोगों पर ही नहीं बल्कि यह शहर के लोगों पर भी लागू की जाये। सब इन्सटीट्यूशन्स में की जाये। माडर्न एजूकेशन में बच्चों के ऊपर इम्तिहान का बोझ नहीं डालते हैं। यह साइकाट्रिस्ट का भी कहना है कि अटेन्डेन्स पर जोर देकर सिस्टम आफ एजूकेशन को ठीक करें तो आपकी नीति ठीक होगी वरना यह देहातों में किया जाये और शहरों में नहीं किया जाये यह नहीं हो सकता। शहरों में भी बहुत से मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं। बच्चे चाहे स्कूलों में रोजाना जायें और नियमित रूप से उपस्थित रहें लेकिन अपने भाई, बहिन या पिता की मदद से रोजाना का होमवर्क भी ठीक तरह से कर लें, इस सब के बावजूद परीक्षा ऐसी कसौटी है जिससे कहा जा सकता है कि यह बच्चा इस विषय में कमजोर है। डे टू डे होम वर्क से मालूम नहीं होता है। यदि परीक्षा होगी ही नहीं तो मालूम कैसे होगा कि बच्चा होशियार है या कमजोर है?

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : मेरा भी एक प्रश्न है····

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय किया कि चौथी तक परीक्षा नहीं लेंगे आगे इसके साथ में मंत्री महोदय को

(श्री लालचन्द)

क्या यह नहीं कर देना चाहिए था कि ऐसे गांवों के स्कूलों के बच्चों के लिए मेडिकल कालेज में, इन्जीनियरिंग कालेज में और पोलीटेक्नीक कालेज में 75 पर्सेन्ट सीट रिजर्व होंगी ?

(दर्शक दीर्घा से दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना)

श्री लालचन्द : अगर आप यह बात करते हैं कि चौथी कक्षा तक किसी लड़के को फेल नहीं किया जायेगा तो उन स्कूल से निकले हुए लड़कों का मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज और पोलीटेक्नीक कालेजों में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन होगा तब तो माना जा सकता है कि गांवों के लड़कों को आप बढ़ाना चाहते हैं वरना गांव के लड़के पढ़ नहीं जाये इसके खिलाफ यह आपका षड्यंत्र है। इससे बचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री बूलाराम (रायसिंह नगर) : मेरा भी छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम प्रश्न होगा।

श्री बूलाराम : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने यह निर्णय आर. एस. एस. के दबाव में आकर लिया है ? नम्बर दो, सवाल यह है कि यह निर्णय आपने इसलिए लिया है कि गरीब तबका जो गांवों में रहता है वह आगे नहीं बढ़ सके ? इन दो प्रश्नों का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सारे आरोप लगाये गये और विचार रखे गये। यह आरोप मुख्य रूप से लगाया गया कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले विद्यार्थियों को पीछे धकेलने की है। उनको अशिक्षित रखने का एक षड्यंत्र है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो बच्चे केवल पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में असफल होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया है उसको किस प्रकार से षड्यंत्र बताते हैं ? मैं इसको नहीं समझ पाया।

श्री बूलाराम : आप नहीं समझ सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा आपसे निवेदन यह है कि एक ऐसा निर्णय है जो वास्तव में सम्पूर्ण प्रदेश की उन्नति के लिए है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह क्वश्चन महत्वपूर्ण है। आधा घंटे की चर्चा रखी जाये।

श्री ग्योपत सिंह मकासर : यह व्यवस्था पब्लिक स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में और सब जगह लागू करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नोत्तरकाल समाप्त करने की घोषणा मुझे करने दीजिए और मंत्री महोदय उत्तर दें उसके बाद दस माननीय सदस्य और खड़े हो जायेंगे। इसका अन्त ही नहीं आना है, इनका

(श्री अध्यक्ष)

कृपया उत्तर हो जाये फिर आप मुझे सहयोग दें. प्रश्नोत्तर काल समाप्त करने की घोषणा करने के लिये आप मुझे सहयोग दें ताकि सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि अगर आप कोई सुझाव देंगे तो परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम समझते हैं इससे लाभ होगा, हानि नहीं होगी तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी ··

श्री मूलचन्द डागा : आधे घंटे की चर्चा के लिये आप रखा दीजिये।

श्री अध्यक्ष प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हरीश शर्मा : मामला गम्भीर है, आधे घंटे की चर्चा के लिये रख लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे इस संबंध में मेरे कक्ष में आकर मिलिये।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर जिले के गांवों की पेयजल व्यवस्था

731. **श्री रावतराम** (सुजानगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के पेयजल समस्यामूलक गांवों में पीने का पानी पहुंचाने हेतु राजस्थान मुख्य कैनाल एवं लिफ्ट कैनाल से पानी देने हेतु (पाइपों द्वारा) राजस्थान सरकार ने योजना तैयार करवाई थी और उसे भारत सरकार ने फरवरी 1975 में ही स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा तथा अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

जी हां। भारत सरकार द्वारा योजना का तकनीकी अनुमोदन 20-1-75 को किया गया था किन्तु वित्तीय अभाव के कारण राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारी

732. **श्री सुभाष चन्द आर्य** (सूरजगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा हरिजनों को सरकारी सेवा में नियुक्ति सीमा के अन्तर्गत कौन-कौन कर्मचारी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में नियुक्त किये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार ने निर्धारित सीमा में कर्मचारियों की नियुक्ति की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) निगम की नौ इकाइयों से संबंधित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष इकाइयों की सूचना संकलित की जा रही है।

(2) जी नहीं। निर्धारित सीमा में कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने के निम्न कारण हैं :—

1. राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप प्राइवेट वाहनों के बेरोजगार कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करना।

2. विभिन्न पदों की योग्यता के अनुरूप अभ्यार्थियों का उपलब्ध नहीं होना।

3. तकनीकी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति का उपलब्ध नहीं होना।

4. निगम एक जनोपयोगी यातायात सेवा संचालन करने वाली संस्था है। कर्मचारियों के अभाव में संचालन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः आवश्यकतानुसार कर्मचारी हर समय उपलब्ध रखना आवश्यक है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली निगम की बसें

735. श्री रामदेव सिंह (धोंद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

निगम द्वारा जिन मार्गों पर निगम की बसें चालू कर दी जाती हैं उसके उपरान्त आगार के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से बिना निगम के उच्चाधिकारियों को सूचना दिये व इजाजत लिये ही क्या बसें बन्द कर दी जाती हैं? ऐसे मामलों में निगम के उच्चाधिकारियों को नागरिकों द्वारा सूचना करने पर उनके द्वारा आगार के अधिकारियों को दुबारा आदेश-पत्र बसों को चालू करने के देने के बावजूद भी नहीं चलाई जाती हैं जिससे जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है? क्या राज्य सरकार या निगम द्वारा ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

किसी मार्ग की सेवा अनार्थिक हो, पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने या असामाजिक तत्वों द्वारा वाहन के चालक परिचालकों के साथ टिकट न लेने के मामले पर झगड़ा फसाद हो जाने के कारण किसी मार्ग विशेष की वाहन सेवा को स्थानीय आगार के अधिकारी द्वारा बन्द कर दिया जाता है जो निर्धारित नीति के अनुसार उचित है। उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा यदि कोई अधीनस्थ अधिकारी किसी मार्ग विशेष की सेवायें बन्द कर देता है तो उसके कारणों पर अधिकारियों की मासिक बैठक में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लिया जाता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-79)

कस्बा तिजारा में वक्फ की जायदाद (कब्रिस्तान) पर नाजायज कब्जा

451. श्री मुहम्मद जहूर (कांमा) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहम्मद जहूर)

क्या यह सही है कि कस्बा तिजारा में कब्रिस्तान वक्फ की जायदाद है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा तिजारा में वक्फ की कुछ जायदाद पर लोगों का अनाधिकृत अधिकार है ? यदि हां, तो कितनी पर तथा यह अनाधिकृत कब्जा कब तक हटा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। 36 बीघा 11 बिस्वा भूमि तिजारा में है जो कब्रिस्तानों की भूमि हैं।

(2) जी हां। दो बीघा 19 बिस्वा कब्रिस्तान की भूमि पर चार व्यक्तियों का कब्जा है। अनाधिकृत कब्जा हटाने का क्षेत्राधिकार वक्फ बोर्ड का है, इसलिए उनके द्वारा ही कानूनी कार्यवाही संभव है। फिर भी तहसीलदार तिजारा के यहां कार्यवाही चल रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-79)

राज्य में नये आयुर्वेद विद्यालय एवं औषधालय

492. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नये आयुर्वेद विद्यालय खोलने आवश्यक हैं ? यदि हां तो कितने विद्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा पुराने औषधालयों की मरम्मत के लिए धन राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने औषधालयों की मरम्मत हुई है तथा कितनी राशि स्वीकृत करके व्यय की गई है ?

(3) क्या आयुर्वेद औषधालयों में फर्नीचर की व्यवस्था समुचित नहीं है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्यों नहीं फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है ?

(4) क्या विभाग द्वारा इस वर्ष फर्नीचर खरीदने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी राशि का फर्नीचर खरीदा है ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलना आवश्यक है। इस वर्ष 1979-80 में राजस्थान में कुल 66 औषधालय खोलना प्रस्तावित है। जहां तक विद्यालय खोलने का प्रश्न है अजमेर में धात्री कल्पद प्रशिक्षण हेतु एक विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी हां। इस वर्ष (1978-79) में 209 औषधालयों की मरम्मत विभाग द्वारा कराई गई है जिसके लिए एक लाख (1-00 लाख) की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 62,500 रुपये व्यय हो चुके हैं।

(3) आयुर्वेद औषधालयों में प्रायः फर्नीचर का अभाव है जिसकी पूर्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

२४

(आयुर्वेद मन्त्री)

(4) जी हां । इस वर्ष स्वीकृत राशि एक लाख रुपये का फर्नीचर खरीदने हेतु क्रय आदेश दिये जा चुके हैं ।

हिण्डौन आगार की बसें

737. **श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन आगार में चलने वाली गाड़ियों की हालत बहुत खराब है और इनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर्मचारीगण गाड़ियों की सही रूप से मरम्मत नहीं करते हैं जिससे असुविधा होती है ?

(2) क्या यह सही है कि हिण्डौन आगार में गाड़ियां सही समय से नहीं चलती हैं तथा कई-कई घण्टे विलम्ब से आती-जाती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि हिण्डौन बस स्टेण्ड (रोडवेज) की हालत बहुत खराब है और रोडवेज विभाग द्वारा यात्रियों के बैठने एवं मूत्रालयों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो सरकार इस असुविधा को ठीक करने का क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । हिण्डौन आगार कार्यशाला के कार्य में दक्षता लाने के प्रयास जारी हैं ।

(2) हिण्डौन आगार में वाहन संचालन की नियमितता पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । सुधार के प्रयास जारी हैं तथा माह फरवरी, 1979 में पिछले महीनों की अपेक्षा सुधार था ।

(3) हिण्डौन बस स्टैण्ड की जमीन नगरपालिका की है । निगम ने उक्त जमीन पर एक यात्री शैड व एक बुकिंग केबिन लगा रखा है । इस जमीन के मामले में हिण्डौन नगरपालिका तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुछ विवाद चल रहा है, जिसके कारण अन्य यात्री सुविधायें उपलब्ध कराना संभव नहीं हुआ है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

माउन्ट आबू सेन्ट मेरी स्कूल के सेप्टिक टैंक का गन्दा पानी

887. **श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर):** क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबू सेन्ट-मेरी हाईस्कूल के सेप्टिक टैंक का गन्दा पानी पिछले दो वर्षों से लोवर कोदरा डेम में जा रहा है और वही पानी माउन्ट आबू की जनता को पेयजल के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है ।

(2) क्या इस विषय में जनता की शिकायतें राज्य सरकार को बार-बार की गई हैं ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सत्य है कि आबू सेन्ट-मेरी हाईस्कूल सेप्टिक टैंक का पानी लोवर

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

कोदरा डेम में आता है लेकिन जनता को पानी पीने के लिए पानी फिल्टर होने के पश्चात् तथा क्लोरीनेट करने के पश्चात् ही वितरण किया जाता है एवं समय समय पर फिल्टर पानी का परीक्षण करवाया जाता है प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वितरण किया जाने वाला पानी पेय योग्य एवं स्वास्थ्यप्रद है ।

(2) जी हां, समस्या के समाधान हेतु नया सेप्टिक टैंक बना दिया गया है ।

सरदार शहर की जलदाय योजना

888. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरदार शहर तहसील की चालू जलदाय योजनाओं मे घोर अव्यवस्था के कारण लोगों को नियमित पानी नहीं मिलने की शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों व राज्य सरकार को की गई हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ? शिकायतें किन-किन के द्वारा, कब-कब की गईं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या अब भी कुछ जलदाय योजनाओं में शामिल गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो वे कौन से गांव हैं तथा उन गांवों को पानी न देने का क्या कारण है और उन गांवों को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

(3) क्या तहसील की वर्तमान जलदाय योजनाओं की अव्यवस्था दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई सुधार किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सरदार शहर तहसील को चालू जल योजनाओं के बारे मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) गोखोण जलप्रदाय योजना बिल्लू बोगेरा के अन्तर्गत पांच गांव, मेहरासर, निमरासर, रातसर, रायपुरा, माज्वाला में जल कम पहुंचता है जल सप्लाई सुचारु रूप से चलाने के लिए भू-जल विभाग को बिल्लू में नलकूप निर्माण हेतु धनराशि जमा कराई जा चुकी है । नलकूप निर्माण के पश्चात् बिल्लू गांव की जल योजना में सुधार आ सकेगा ।

(3) जो जल योजनायें जेनरेटर अथवा डीजल इंजन द्वारा चलाई जाती हैं उन योजनाओं पर जल वितरण में व्यवधान इन्जनों की खराबी या टूट–फूट के कारण रहता है ऐसी योजनाओं पर विद्युत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जालौर शहर को मिल रहा पेयजल

889. श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(1) क्या जालौर क्षेत्र के ग्राम बाघरा को उपलब्ध करवाया जा रहा पेय जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ?

(2) क्या जालौर शहर को जो पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो बाघरा व जालौर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु क्या योजना है और वह कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) बाघरा ग्राम को जो पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें फ्लोराइड की मात्रा 2.5 पी. पी. एम. से 4.00 पी. पी. एम. है।

(2) जी नहीं। बाघरा गांव के जल स्रोत के लिए धन की उपलब्धि के अनुसार विचार किया जाएगा।

सोजत-बिलाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण

890. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार सोजत-बिलाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ? यदि हां, तो इस बाबत किस तारीख को नोटिस दिया गया, किस-किस व्यक्ति ने आपत्तियां पेश कीं, इसका फैसला किस तारीख को, तथा क्या हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि फैसला राज्य सरकार (निगम) के हित में हुआ ?

(3) क्या उक्त फैसला होने के बावजूद आज तक निगम की बसें इस रूट पर नहीं लगाई गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या निगम के पास बसों की कमी के कारण, निगम निजी बस कान्ट्रेक्ट पर लेती है ? यदि हां, तो 1 फरवरी, 1979 को कितनी निजी बसें किन-किन रूट पर चल रही हैं ?

(5) क्या उपरोक्त रूट का निगम के हित में फैसला हो जाने के बाद भी, निगम द्वारा बस नहीं लगाने से जनता में भारी रोष है तथा निगम की बसें अब कब तक लगा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सिघरी-गोधव वाया गुढ़ा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना जिसका सोजत-बिलाड़ा मार्ग भी एक भाग है दिनांक 30-11-76 को प्रकाशित की गई थी। इस योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्तिपत्रों की सुनवाई करने के बाद संयुक्त विधि परामर्श ने इस योजना को अनुमोदित दिनांक 8-12-78 को कर दिया था। किन्तु इस योजना का अन्तिम प्रकाशन मोटरयान अधिनियम की धारा 68-घ (3) के अन्तर्गत अभी नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

(यातायात मन्त्री)

(3) जी हां। निगम के पास बसों व अन्य साधनों की कमी के कारण अभी तक इस योजना का अन्तिम रूप से प्रकाशन नहीं किया गया है। जैसे ही यह योजना अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी। योजनान्तर्गत मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(4) जी हां। फरवरी, 1979 को 94 निजी वाहनें विभिन्न राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित की जा रही थी। मार्गवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जैसे ही योजना का अन्तिम रूप से प्रकाशन हो जाएगा, निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

निगम की बिना परमिट अन्य राज्यों में रोकी गई गाड़ियां

892. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को बिना परमिट के कारण सितम्बर व अक्टूबर, 1978 में अन्य राज्यों में रोका गया था ? यदि हां, तो इसमें किसकी गलती थी ?

(2) क्या यात्रियों की परेशानी के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मामले की जांच कराई जाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दे दिया गया है।

तहसील शेरगढ़ की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

893. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले चार माह से सोमेसर, सोलकियातला-सुवालिया जल योजना ठीक प्रकार से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो इसे ठीक करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

(2) क्या जुड़िया-मान्डू-जाटी-सियाधा जल योजना का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या बस्तवा-मेटिया योजना की स्वीकृति इस वर्ष दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस वर्ष 31 मार्च से पूर्व तहसील शेरगढ़ में किसी ग्रामीण जल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

योजना को स्वीकृत किया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन सी और कितनी धनराशि की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या दो हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में इस वर्ष नये बजट में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु रेगिस्तानी क्षेत्र में विशेष प्रावधान रखा जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करीब चार माह पूर्व सोमेसर सुवालिया जलप्रदाय योजना पर लगे दोनों जनरेटिंग सैट के एक साथ खराब हो जाने के कारण जल व्यवस्था में व्यवधान रहा। तत्पश्चात् एक जनरेटिंग सैट चला कर सुवालिया ग्राम के अतिरिक्त सभी अन्य ग्रामों में आंशिक रूप से जल वितरण किया गया। वर्तमान में सभी गांवों को सुचारू-रूप से जल वितरण किया जा रहा है।

(2) उचित स्रोत का चयन न होने के कारण योजना विचाराधीन है।

(3) आयोजना समिति के प्रस्तावों, धन की उपलब्धी एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार नई योजनाओं का चयन किया जा सकेगा।

(4) जी। हां वर्ष 1978-79 में 31 मार्च से पूर्व शेरगढ़ तहसील की पम्प एवं टैंक जलप्रदाय योजना हेतु स्वीकृत की गई जिसकी लागत 2.17 लाख रु० है।

(5) नई योजनाओं का चयन जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार धन की उपलब्धी तथा तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार की जा सकेगी।

जवाई हेमावास से जोधपुर को मिल रहा पानी

894. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्तमान समय में प्रतिदिन जवाई हेमावास कैनाल के द्वारा जोधपुर को कितना गैलन पानी प्राप्त हो रहा है ?

(2) भविष्य में उसकी आवक कैसे बढ़ाई जा सकती है ?

(3) प्रति वर्ष, 1971 से 1978 तक कैनाल की देखरेख एवं मरम्मत पर कितना खर्च किया जाता रहा है ?

(4) कैनाल की जगह पाईप लाईन लगाने की योजना कब स्वीकृत की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या पानी की कमी के कारण जोधपुर में औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी ? यदि नहीं, तो किस प्रकार प्रतिवर्ष बढ़ती मांग पानी की, पूरी की जावेगी ?

(6) क्या यह सही है कि कुड़ी होद पर प्रायः पानी का "ओवर फ्लो" होता रहा है और हजारों गैलन कीमती पानी

(श्री माधोसिंह कछवाह)

बर्बाद होता रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम गत कई वर्षों से क्यों नहीं होने पाई ? क्या यह अधीक्षण अभियन्ता की सूझबूझ नहीं होने का परिणाम है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जवाई हेमावास कैनाल द्वारा जोधपुर को 20 से 26 क्यूसेक पानी प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है।

(2) क्षतिग्रस्त नहर को मरम्मत कर एवं क्षमता बढ़ा कर पानी की अधिक बढ़ाई जा सकती है।

(3) खर्चे का विवरण संलग्न है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में उद्योगों को पानी उनकी मांग पर दिया जा रहा है, भविष्य की मांग को पूरी करने हेतु जोधपुर योजना के विस्तार हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) कुड़ी होद पर ओवर फ्लो तभी होता है जब विद्युत का अभाव हो अथवा पम्प्स आदि में कुछ खराबी आ जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

निगम की जयपुर-अजमेर मार्ग पर चलने वाली बसें

895 श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राष्ट्रीयकृत जयपुर-अजमेर मार्ग पर प्रतिदिन कुल कितनी बसें चलती हैं ? इनमें से कितनी गाड़ियां किशनगढ़ ठहरती तथा कितनी नहीं ठहरती हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर में भी समस्त एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं ठहरती हैं जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों की दुविधा को देखते हुए इस मार्ग से गुजरने वाली समस्त गाड़ियों को किशनगढ़ नगर में ठहराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा जयपुर-अजमेर मार्ग पर प्रतिदिन 44 सेवाओं का संचालन निर्धारित हैं। इनमें से 26 सेवायें किशनगढ़ ठहरती हैं तथा 18 सेवायें नहीं ठहरती हैं।

(2) जी नहीं। नोन स्टोपेज सेवाओं के अतिरिक्त अन्य द्रुतगामी एवं साधारण वाहनें किशनगढ़ ठहरती हैं। नोन

(54)

(यातायात मन्त्री)

स्टोपेज सेवायें जयपुर से अजमेर के सीधे यात्रियों की सुविधा हेतु संचालन की जा रही है। ऐसी वाहनों को किशनगढ़ ठहरना उचित नहीं है। किशनगढ़ की जनता को पर्याप्त रूप से यात्रा सुविधा उपलब्ध है।

मनोहर बस सर्विस, कोटा की बसें

896. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1977 से 31 जनवरी 1979 तक कोटा डेम से, कोटा व वापसी के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलती थी? यदि हां, तो वह अब चल रही है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) मनोहर बस सर्विस की बसें कोटा डिवीजन में किस-किस रूट पर, किस-किस नम्बर की, कितनी-कितनी बार के लिए चलती हैं? समय सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस फर्म की बसें उक्त रूट पर वर्तमान में चल रही हैं? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

जी हां। निगम द्वारा माह अप्रैल, 1977 से माह जनवरी, 1979 तक कोटा से कोटा डेम मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ किया गया था। उक्त मार्ग की आय कम प्राप्त होने के कारण माह फरवरी, 1979 से इस मार्ग पर निगम ने संचालन बन्द कर दिया। यह मार्ग अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं है।

(2 व 3) "मनोहर बस सर्विस" नाम से कोई बस कोटा में पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई परमिट इस नाम से जारी किया गया है।

परिवहन निगम में बिना टिकिट यात्रा करने वाले यात्री

897. श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में 22 जून, 1977 से 10 फरवरी 1979 तक रोडवेज बसेज में कितने यात्री बिना टिकिट यात्रा करते पकड़े गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश रोडवेज कर्मचारी व उनके परिवार राजकीय बसेज में बिना टिकिट अबाध यात्रा करते हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) राज्य में जून, 1977 से 31 जनवरी, 79 तक निगम की वाहनों में 58478

(परिवहन मन्त्री)

यात्री बिना टिकिट यात्रा करते हुए पाये गये। उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। बिना टिकिट निगम कर्मचारियों अथवा उनके परिवारजनों द्वारा यात्रा की जाती है तो उनके विरुद्ध बिना टिकिट यात्रा निवारण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

दांतारामगढ़ के ग्रामों की नलदाय योजनाएं

898. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या देहातों में नल योजना प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कोई क्राईटेरिया फिक्स कर रखा है ? यदि हां, तो फिर जिले की दांतारामगढ़ तहसील के भारीजा ग्राम को आज तक सरकार ने नल योजना से वंचित क्यों रखा जब कि इस पंचायत क्षेत्र की आबादी वर्तमान में 5,000 व मवेशी संख्या 20,000 से ज्यादा है ?

(2) क्या यह सही है कि सूरेरा (दांता रामगढ़), खांचरियावास, मन्ढा कुली और श्यामपुरा जहां कि जल की सतह 20 फुट से 50 फुट तक की गहराई पर उपलब्ध है वहां पर राज्य सरकार द्वारा नल योजनायें प्रारम्भ कर दी हैं तथा भारीजा में जहां 200 फुट से 250 फुट तक गहरा पानी है वहां नल योजना क्यों नहीं क्रियान्वित की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम भारीजा को 1971 की जनगणना के अनुसार आबादी 1561 है एवं यह ग्राम जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 1977-78 में जल योजना हेतु 34 वां वरीयता पर प्रस्तावित किया गया था। नई योजनाएं जिला आयोजना समिति की सिफारिश, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धी के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(2) जी नहीं। पानी की सतह 30 फीट से 100 फीट तक गहरी है ग्राम भारीजा निर्धारित मापदण्डों में न आने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका।

सीकर जिले में चालू सत्र में अध्यापकों के स्थानान्तरण

900. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में, चालू सत्र में द्वितीय वेतन शृंखला, तृतीय वेतन शृंखला के किन किन अध्यापकों के स्थानान्तरण कब कब हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

36

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(2) उपरोक्त जिले में उक्त स्थानान्तरण में किस किस में स्टे आदेश व किस किस के आदेश से, कब कब निरस्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त, स्थानान्तरण नीति संगत थे इनमें शिकायतन स्थानान्तरण किस किस के थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त स्थानान्तरणों में किन किन अध्यापकों को यात्रा भत्ता टी० ए० डी० ए० दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में चालू सत्र में द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के जो स्थानान्तरण किये गये उनकी सूची संलग्न है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण में दिये गये स्टे आदेश व निरस्त किये गये आदेशों की सूची संलग्न हैं।

(3) जी हां। शिकायतन कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(4) प्रश्न संख्या एक में दी गयी सूची में उन अध्यापकों को, जिन्हें यात्रा भत्ता दिया गया है अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

पोद्दार कालेज नवलगढ़ के छात्र का रोका गया परीक्षा परिणाम

901. **श्री जगदीश चन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सेठ जी. बी. पोद्दार कालेज, नवलगढ़ के तृतीय वर्ष वाणिज्य के एक छात्र श्री अशोक कुमार ने 1977 में परीक्षा दी थी और उसका परीक्षा का परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(2) क्या उक्त छात्र को 1977–78 व 78-79 में प्राचार्य ने कालेज में अध्ययन हेतु प्रवेश नहो दिया और किसी अन्य कालेज में एडमीशन लेने के लिए टी. सी. मांगने पर भी उसे टी. सी. नहीं दी गयी ? यदि हां, तो कारण और नियम बताने की कृपा करें।

(3) क्या एक्स स्टूडेन्ट की हैसियत से परीक्षा में बैठने का प्रार्थना-पत्र भी विश्वविद्यालय ने स्वीकार नहीं किया और फीस भी नहीं लौटाई ? कारण और नियम बताने की कृपा करें।

(4) क्या निरन्तर तीन वर्षों से इस छात्र की परीक्षा एवं अध्ययन से वंचित रखना अपराधिक कार्य नहीं है ? इसके लिए

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

कौन जिम्मेदार है, और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हाँ। श्री अशोक कुमार ने 1977 में वाणिज्य तृतीय वर्ष परीक्षा दी थी। इनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाकर अंक तालिका 28-3-79 को प्राचार्य सेठ जी० बी० पोद्दार कालेज, नवलगढ़ को विश्वविद्यालय द्वारा भेज दी गयी है।

(2) जी हां। जब तक पिछली कक्षा का परिणाम प्राप्त न हो जावें अगली कक्षा में प्रवेश देने के नियम नहीं हैं। अतः इसी कारण प्रवेश नहीं दिया गया। छात्र को मांग करने पर टी० सी० दे दिया गया है।

(3) छात्र को 1978 की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति देना संभव नहीं था क्योंकि इनके विरुद्ध अनुशासन-हीनता के मामले विश्वविद्यालय में विचाराधीन थे।

(4) जी नहीं। कोई दोषी नहीं है।

सांचौर तहसील के स्कूलों में स्टाफ की पूर्ति

902. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर तहसील में उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में अभी तक पूरे शिक्षक नहीं लगाए गए हैं? अगर हां, तो सब मिलाकर कुल कितने रिक्त स्थान अभी तक कितने एवं कब से पड़े हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त शालाओं में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला सांचौर में शिक्षकों की कमी है ? अगर हां तो, कितनी एवं कब से ? उक्त कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शालाओं के भवनों की बड़ी कमी है ? अगर हां, तो सरकार उक्त शालाओं के भवनों की कमी कब तक पूरी कर सकेगी ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवन निर्माण करने में, अनुदान देने में शहरों की तुलना में पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रही है? अगर नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार स्कूल भवन निर्माण में अनुदान देकर भवन पूरा क्यों नहीं करवाती ? भविष्य में इस बारे में सरकार क्या नीति निर्धारण करना उचित समझेगी।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में छात्रावासों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की व्यवस्था के बारे में सरकार कोई विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) कमी पूरी की जा चुकी है।

(3) जी नहीं।

(4) हां। भवनों का अभाव है, उच्च माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो दो कमरे बन रहे हैं जिस से कुछ कमी पूरी हो जायेगी।

(5) जी नहीं। धनराशि उपलब्ध होने पर राज्य सरकार स्कूल भवनों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखेगी।

(6) अभी कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

सुगम शिक्षा समिति, जयपुर की मान्यता व अनुदान का मामला

903. श्री ईश्वर चन्द्र (चिड़ावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत निदेशक द्वारा सुगम शिक्षा समिति, जयपुर के अनुदान रोके जाने के विरुद्ध संस्था की अपील स्वीकार करके संस्था को अनुदान रिलीज करने का निर्णय राज्य सरकार ने दे दिया है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि संस्था का अनुदान निदेशक ने फिर भी अब तक रिलीज नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या संस्कृत निदेशालय द्वारा मान्यता निलम्बित करने सम्बन्धी कारण बताओ नोटिस दिनांक 1-3-78 का सन्तोषप्रद उत्तर संस्था अध्यक्ष ने दिनांक 6-3-1978 को दे दिया था ? यदि हां, तो अपील पर निर्णय से पूर्व क्या उत्तर उक्त जांच अधिकारी के ध्यान में निदेशालय द्वारा लाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि संस्कृत निदेशालय ने सुगम शिक्षा समिति, जयपुर का पुनः निरीक्षण प्राचार्य राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय महापुरा द्वारा दिनांक 4-10-78 को कराया ? यदि हां, तो निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विभाग के कारण बताओ नोटिस दिनांक 1-3-78 में लगाये गये संस्था के विरुद्ध अनियमितता के सभी आरोप स्वयं खंडित हो जाते हैं ? यदि हां, तो संस्था का अनुदान रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्था की अपील केवल इस सीमा तक स्वीकार की गई थी कि यह विभाग के पत्र दिनांक 1-3-78 में वर्णित अनियमितताओं को संतोषप्रद तरीके से दूर करे और तब ही संस्था को अनुदान देने की कार्यवाही की जावे।

प्रतिलिपि राज्यादेश का 13 दिसम्बर 1978 परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) जी हां। कारण बताओ नोटिस का उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है।

(3) जी नहीं। उत्तर सन्तोषजनक नहीं था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी थी अतः उधर जांच अधिकारी को बताना आवश्यक नहीं था।

(4) जी हां, प्रतिलिपि परिशिष्ट संख्या दो पर संलग्न हैं।

(5) कारण बताओ नोटिस जांच शिक्षा सत्र 1977-78 के आधार पर दिया गया था जबकि 4-10-78 का निरीक्षण शिक्षा सत्र 1978-79 से सम्बन्धित था। अतः जांच के आरोपों का इस निरीक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं था।

(राज्यादेश के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नगरपालिकाओं में कर्मचारियों के चयन के मापदण्ड

904. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका सेवा के कर्मचारी जिनका चयन सेवा चयन आयोग से नहीं हुआ है को सेवा में रखने का क्या मापदण्ड निर्धारित किया है ?

(2) क्या निर्धारित योग्यता से कम योग्यता वाले कर्मचारियों को भी सेवा में रखने के निर्देश राज्य सरकार ने दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या नगरपालिका सरदार शहर जिला चूरू व नगरपरिषद् बीकानेर में ऐसे कर्मचारी सेवारत थे जिनकी योग्यता निर्धारित योग्यता से कम थी फिर भी सरकार ने उनको सेवा में बने रहने का आदेश दिया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या नगरपालिका सुजानगढ़ जिला चुरू में भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी योग्यता निर्धारित योग्यता से कम है और इन्होंने सेवा में बने रहने के लिए सरकार से नोटिस चाहे हैं यदि हां, तो उनको आदेश क्यों नहीं दिया गया जबकि अन्य पालिकाओं में दे दिया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका (प्रतिस्पद एवं मन्त्रालयिक) सेवा नियम 1963

(श्री हरजीराम बुरड़क)

के लिए नियम 27 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्ति का प्रावधान है। राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त सचिवालय सेवा सदन आयोग के समक्ष ऐसे मामले रखे जाते हैं। और आयोग की राय अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी हां राजस्थान नगरपालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियम 1963) के नियम 13(2) के तहत समय-समय पर चिकित्सा प्रदान की गई।

(4) ये मामले परिवर्तनशील हैं।

बारह मोरी दरवाजा (ब्रह्मपुरी), जयपुर की लाईट व्यवस्था

905. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शहर चार दीवारी के बारह मोरी दरवाजा (ब्रह्मपुरी) जयपुर से ग्राम कागदीवाड़ा-छीपीवाड़ा तक के रास्ते में कोई लाईट नहीं है, जबकि यह जगह (बारह मोरी दरवाजा) इन ग्रामों के ग्राम रास्ते में है तथा काफी सुनसान, भयावह, उबड़ खाबड़ व पथरीली है जिसके कारण दरवाजे के पास आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं? क्या राज्य सरकार बारह मोरी दरवाजे (ब्रह्मपुरी) से ग्राम कागदी वाड़ा तक तीन चार रोड़ लाईट्स लगवाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

'ब्रह्मपुरी' जयपुर में ग्राम कागदीवाड़ा व छीपावाड़ा तक के रास्ते में सार्वजनिक रोड़ लाईट्स नहीं है। परन्तु ग्राम कागदीवाड़ा व छीपावाड़ा में सार्वजनिक लाईट्स 'बल्व' लगे हुये हैं। बारह मोरी दरवाजे से ग्राम कागदीवाड़ा तक वर्ष 1979-80 में रोड़ लाईट्स लगाने की व्यवस्था परिषद द्वारा यथा शीघ्र की जायेगी।

जिला गंगानगर की नगरपालिकाओं द्वारा अखबारों को दिये गये विज्ञापन

906. **श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले की नगरपालिकाओं द्वारा सन् 1970 से दिसम्बर 1978 तक किन-किन अखबारों को कितना-कितना रुपया एडवरटाइजमेंट के लिए दिया गया है? सालवार की सूची प्रत्येक अखबार की मय दी गई रकम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या किसी अखबार की बिक्री सीमा एडवरटाइजमेंट हासिल करने की सीमा है?

(श्री हरचंद सिंह)

(3) क्या बिना एडवरटाइजमेंट आर्डर दिये स्वतः अन्य अखबारों के एडवरटाइजमेंट को देखकर छापे गये एडवरटाइजमेंट पर भी भुगतान किया जा सकता है ?

(4) क्या बिना आर्डर दिये एडवरटाइजमेंट अन्य अखबारों को देखकर छापने पर किसी अखबार को कोई भुगतान किसी नगरपालिका ने किया है ? ऐसी नगरपालिकाओं की सूची मय अखबार सालवार मय दी जाने वाली रकम की सदन की मेज पर रखने की व्यवस्था करें ।

(5) क्या भविष्य में ऐसी गैर कानूनी प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) जी नहीं ।

(3) सामान्यतः नहीं किया जा सकता ।

(4) उपलब्ध सूचना के आधार पर सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(5) इसके लिए संबंधित नगरपालिकाओं को आदेश दिये जा रहे हैं कि यदि इस तरह से अनियमित शुल्क की बाबत वसूली संबंधित अधिकारी से की जावेगी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । अब तक की गई अधियमितताओं की जांच कराई जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर शहर की विभिन्न सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था

907. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की निम्न प्रमुख सड़कों पर रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है :—

1. सूर सागर से मसूरीया (आखलिया) ।

2. बोम्बे मोटर से पूर्ण रेजीडेन्सी रोड़ ।

3. सिवांणची गेट से सरदारपुरा पांचवीं रोड़ चौराया ।

4. महा मन्दिर से मन्डोर ।

5. महा मन्दिर से नागौरी गेट ।

6. मोहनपुरा ब्रिज से हवाई अड्डा सड़क इत्यादि ।

(2) क्या यह सही है कि सड़कों पर रोशनी के अभाव से दुर्घटनाएं अधिक होती

(श्री सूरजपाल सिंह)

हैं ? अगर हां, तो रोशनी की उचित व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

राजकीय कन्या विद्यालय सूरतगढ़ का भवन

908. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सूरतगढ़ राजकीय कन्या विद्यालय भवन की छतें सन् 1978 में गिरी थीं ?

(2) क्या भवन असुरक्षित घोषित करा दिया गया था ?

(3) यदि भवन असुरक्षित घोषित कर दिया गया है तो छात्राएं कहां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर राज्य के अधीनस्थ सेवा के अध्यापकों की बकाया राशि

909. **श्री चिरंजी लाल गर्ग** (पुष्कर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण के क्रम में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 6(सी) (41) ईडीयूसी 11-66 दिनांक 20-9-67 के द्वारा अजमेर राज्य के अधीनस्थ सेवा के अध्यापकों को किस-किस वर्ग में स्थायी घोषित किया है ? यदि किन्हीं पदों पर अध्यापकों को स्थाई घोषित नहीं किया, तो क्यों ?

(2) इस प्रकार घोषित स्थायी अध्यापकों में से कितने अध्यापकों को 1-1-56 से सम्बन्धित वेतन श्रृंखला व वेतन के साथ एवं बकाया राशि का भुगतान दिनांक 1-11-56, 1-4-66, 1-9-68 और 1-9-76 को दिया गया और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के एस. बी. सिविल रिट याचिका नम्बर 1688।69 विजय शंकर सिंघल विरुद्ध सरकार के निर्णय अनुसार श्री विजय शंकर सिंघल को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

(4) यदि नहीं, तो निर्णय सम्बन्धित तदानुकूल मामलों में अविलम्ब प्रभावी क्यों नहीं किया गया ? क्या इसी संदर्भ में सुश्री द्रोपदा बनाम राज्य सरकार आर. एल. डब्लू. 1977 रिपोर्टेड दिसम्बर, 1977 का निर्णय भी हुआ है।

(श्री चिरंजी लाल गर्ग)

(5) इस नीति के आधार पर लाभ नहीं दिये जाने वाले व बकाया राशि का भुगतान 1-11-56 से आज तक नहीं किये जाने वाले मामलों से सम्बन्धित शिक्षकों को क्या राज्य सरकार अब तक नहीं दिये गये बकाया राशि का भुगतान पर आज की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या भूतपूर्व अजमेर राज्य के भाषा शिक्षकों को 120-300 की अजमेर राज्य की प्रशिक्षित स्नातक वेतन शृंखला में संस्थाई घोषित करके आज की अवधि की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो फिर भूतपूर्व अजमेर की 120-300 की प्रशिक्षित स्नातक वेतन शृंखला में पूर्व से कार्यरत अध्यापक जिन्हें संस्थाई घोषित किया गया है उन्हें इस लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्र स. एफ. 6 (ई) (41) शिक्षा/ग्रुप/सी-2/60 दिनांक 20-9-67 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या इंडीवी/इएसटीटी/वी./के-5/11913/स्पे/67 दिनांक 25-9-67 के द्वारा भूतपूर्व अजमेर राज्य के निम्नांकित वर्ग के अध्यापकों को संस्थाई घोषित किया गया था।

(1) सामान्य अध्यापक

क-स्केल 180-350 समीकृत प्रशिक्षित स्नातक वे. श्र. 110:225।

ख-स्केल 120-250 समीकृत प्रशिक्षित स्नातक वे. श्र.....

(2) सिन्धी अध्यापक

क-स्केल 120-380 समीकृत प्रशिक्षित स्नातक वे. श्र. 110-225।

(3) सुपरवाईजर फिजीकल ऐज्यूकेशन स्केल 180-350)

(4) व्यायाम शिक्षक 120-300 समीकृत 110-225।

(6) चित्रकला अध्यापक 120-300 समीकृत 110-225।

(6) भाषा अध्यापक 120-300 समीकृत 90-140।

(7) भाषा अध्यापक 80-220 समीकृत 90-140।

(8) सामान्य अध्यापक 80-220 समीकृत 90-140।

(9) उद्योग अध्यापक 80-220 समीकृत 90-140।

(10) चित्रकला अध्यापक 80-220 समीकृत 90-140।

विभागीय आदेश सं. शिविरा/संस्था/के-5/11913/स्पे/78 दिनांक 27-3-7० द्वारा उपरोक्त आदेश को स्पष्ट करते हुए यह भी आदेश दिया गया था कि उक्त आदेश के द्वारा उसमें वर्णित अध्यापकों को 31-10-

(शिक्षा मंत्री)

70 पर केवल वरिष्ठता के लिए संस्थाई मानने के आदेश दिये गये हैं। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20-9-67 के आदेश केवल राजस्थान तथा अजमेर राज्य के प्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला तथा अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला के अध्यापकों की संप्रषित वरिष्ठता सूची को तैयार करने के सम्बन्ध में ही प्राप्त किये गये थे। वह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

संस्थाईकरण पूर्व से ही घोषित अ.	संस्थाई होने से समस्त प्रकार का भुगतान किया गया	20-9-67 के तहत स्थाईकरण पुर 1-11-56 से वेतन निर्धा- पर देय भुगतान	जिन्हें 1-1-15 56 को कोई भुगतान नहीं किया गया।
1	2	3	4
96	170	12 (12 को 1-9-61 से आगे तक कोई भुगतान नहीं हुआ)	114

(3) जी हां।

(4) खण्ड 3 के सन्दर्भ से प्रश्न नहीं उठता सुश्री द्रोपदा का मामला इससे भिन्न है।

(5) यह विचाराधीन है।

(6) भूतपूर्व अजमेर राज्य से चयनित भाषा अध्यापकों को राज्य सरकार के आदेश एफ. 6 (सी) ईडीयू सी/11/66 दिनांक 28-9-67 के द्वारा वेतन श्रृंखला संशोधित हो जाने के कारण इन्हें पुरानी वेतन श्रृंखला में चयनित/संस्थाई होने के कारण संशोधित वेतन श्रृंखला 120-300 में संस्थाई माना गया। यह प्रक्रिया चयनित सामान्य अध्यापकों पर लागू नहीं होती है।

आर्य कन्या विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के पद

910. श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आबू रोड़ में आर्य कन्या विद्यालय है? यदि हां, तो उसमें कितने अध्यापक व अध्यापिकाएं कार्य करती हैं और कौन-कौन सी श्रेणी में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कन्या विद्यालय में कार्यरत समस्त स्थाई और अस्थाई कर्मचारी व अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की सूची मय वेतन दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) आबूरोड़ में वैदिक कन्या मा. वि. नाम की संस्था है जो आर्य समाज आबू रोड़ द्वारा संचालित है। अध्यापक, अध्यापिकाओं की सूची श्रेणी अनुसार संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

नोट :—अध्यापक, अध्यापिकाओं का वेतन नवीन वेतनमान में अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

पी. टी. आई., अलवर की सेवा निवृत्ति

911. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुग्रीव सिह चौहान, पी. टी. आई. सैनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलवर में 19 वर्ष से सेवारत थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पी. टी. आई. को राज्य सरकार से अनुमति लिये बिना ही सेवा निवृत्त कर दिया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सन्दर्भ में अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अनुदान नियम के अंतर्गत श्री सुग्रीवसिह पी. टी. आई. ने सक्षम अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर) के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। यदि श्री सुग्रीव सिह चौहान के साथ संस्था के प्रबंधकों ने अन्याय किया है तो उसे निश्चित रूप से न्याय दिलाने का प्रयास राज्य सरकार करेगी।

जालौर जिले के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

912. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जालौर जिले में कहां पर कब-कब खोले गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अब तक कितने-कितने प्रौढ़, किस-किस केन्द्र में भर्ती किए गए हैं एवं किस समय से किस समय तक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जालौर जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोल कर चलाने के बारे में अब तक क्या योजना कब मंजूर की गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिले जालौर में प्रौढ़ शिक्षा दिलाने की योजना के बारे में अब तक जिला स्तर पर कोई जिला प्रौढ़ शिक्षा प्लानिंग कमेटी, का गठन

(५६)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं किया गया है एवं न कोई जिला स्तर पर कमेटी बुलाकर इस प्रौढ़ शिक्षा प्रसार के लिए विचार-विमर्श किया गया है? अगर हां, तो क्यों? क्या सरकार इस प्रकार कोई जिला सलाहकार कमेटियां गठन करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य स्तर पर भी प्रौढ़ शिक्षा प्रसार के लिए सलाह देने हेतु उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड का भी अभी तक गठन नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो किस प्रकार का सलाहकार बोर्ड कब बनाया गया है एवं उनके सदस्य कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कहां-कहां खोले जावेंगे एवं उन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन कौन करेगा?

उत्तर

(1) जालौर जिले में अब तक 90 केन्द्र भीनमाल पंचायत समिति में खोले गये। 33 केन्द्र 2 अक्टूबर, 1978 से तथा अन्य केन्द्र अनुदेशकों के प्रशिक्षण के बाद 15 जनवरी से खोले गये। सूची संलग्न है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में अब तक जितने-जितने प्रौढ़ जिस-जिस केन्द्रों में भर्ती किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। केन्द्र रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक चलाये जा रहे हैं।

(3) जालौर जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलकर चलाने के बारे में योजना के अनुसार 460 केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें से केन्द्र खोलने के लिए स्वीकृत एवं बजट 100 केन्द्रों के लिए नवम्बर, 1978 को तथा 100 केन्द्रों के लिए फरवरी, 1978 में प्राप्त हुआ है।

(4) जालौर जिले में प्रौढ़ शिक्षा दिलाने की योजना के बारे में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है जिसकी बैठक तीन बार बुलाई जा चुकी है।

(5) राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का गठन कर दिया गया है। सम्बन्धित परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(6) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के साथ-साथ सभी स्थानों पर आवश्यकतानुसार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जावेंगे।

(सूची व परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य में ललित कला सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र

913. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में ललित कला सम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण देने के कितने स्कूल या कालेज चल

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
रहे हैं ? वे कहां-कहां हैं और उन पर राज्य कोष से कितना-कितना धन व्यय किया जा रहा है ? सूची मय उक्त सूचनाओं के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में केवल एक ही प्रमुख आर्ट्स स्कूल है, जो जयपुर नगर में स्थित है।

वित्त वर्ष 78-79 में इस स्कूल हेतु 1,67.100/- रुपये के बजट की राशि स्वीकृत है।

पंचायत समितियों के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालायें

914. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं की प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आती हैं, पंचायत समितियों के अन्तर्गत नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रींगस सन् 1975 में नगरपालिका बन गयी थी लेकिन आज तक उसके अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामपंचायत रींगस के साथ ही अन्य जो भी ग्राम पंचायतें नगरपालिका घोषित की गई थीं उनकी प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आ गयीं ?

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका श्री माधोपुर में ग्राम पंचायत जालपाली क्षेत्र मिलाया गया ? यदि हां, तो कब और उसमें कौन-कौन सी प्राथमिक शालायें आती थीं ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जालपालीका क्षेत्र नगरपालिका श्री माधोपुर में आने के बावजूद भी उसकी प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग में नहीं ली गयीं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस बारे में जांच की जा रही है।

(3) जी हां। रींगस पंचायत नगरपालिका घोषित की गई। उसकी प्राथमिक शालायें विभाग में आ गयी हैं।

(4) जी हाँ। जालपाली क्षेत्र 1975-76 में मिलाया गया। उसमें कोई प्राथमिक शालायें नगरपालिका में नहीं आई हैं।

(5) यह सही है कि ग्राम पंचायत जालपालीका क्षेत्र श्री माधोपुर में शामिल किया गया किन्तु उस क्षेत्र में कोई प्राथमिक शाला स्थित न होने से विभाग में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

उदयपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पद

915. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

(श्री मधर्मसिंह दीवन)
क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या उदयपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा नये उपकुलपति की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। नये उपकुलपति की नियुक्ति का मामला कुलाधिपति महोदय के विचाराधीन है।

उपनिवेशन क्षेत्रों में भू-आवंटन

916. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपनिवेशन क्षेत्र में सन् 1960 से पूर्व के कितने ऐसे टी. .सी. अलाटीज हैं जिनको सन् 1955 से पूर्व के राजस्थान के निवासी न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सकने के कारण पुख्ता आवंटन नहीं किया गया और इस कारण अब तक कितने लोगों को भूमि से बेदखल किया जा चुका है ?

(2) क्या राज्य सरकार एक तरफ अन्त्योदय में नये परिवारों को बसाने व दूसरी तरफ लगातार 20-20 वर्षों से भूमि पर काश्तकार अपने परिवार का भरण-पोषण करने वालों को बेदखल कर उजाड़ना न्याय व तर्क संगत समझती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार सन् 1955 से पूर्व के सबूतों के बजाय सन् 1960 से लगातार कब्जे को आधार मान कर अलाटमेन्ट करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) उपनिवेशन क्षेत्र में सन् 1968 से पूर्व के 335 टी. सी. अलाटीज को सन् 1955 से पूर्व के राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर पुख्ता आवंटन नहीं किया है। 335 में से 76 को बेदखल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 288 व्यक्ति अब भी काबिज हैं।

(2) अन्त्योदय परिवारों को भू-आवटन तथा ऐसे भूमिहीन जो राजस्थान के निवासी प्रमाणित नहीं हुये, के आवेदन अस्वीकार किया जाना दो भिन्न मामले हैं। नियमान्तर्गत पात्र नहीं होने पर आवंटन किया जाना सम्भव नहीं होता।

तहसील कुशलगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय

917. श्री जिथिंग भाई (कुशलगढ़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील कुशलगढ़ में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं तथा ये किन-किन पंचायत मुख्यालय पर हैं ? कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय कब तक खोले जाने की सम्भावना है तथा अभी क्यों नहीं खोले गये ?

(2) क्या ग्राम पंचायत मुख्यालय

(श्री जिथिंग भाई)
पाटन, कुशलपाडा, कीमडी, ठुम्मठ व मुंदड़ी में भी कोई औषधालय खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ तहसील में 9 औषधालय कार्यरत हैं। औषधालयों की सूची पंचायत मुख्यालय सहित निम्न है :—

पंचायत समिति कुशलगढ़

1.	राज. आयु. औष.		लोहारिया	पंचायत मुख्यालय पर।
2.	,,	,,	कलिंजरा	,,
3.	,,	,,	मोहकमपुरा	,,
4.	,,	,,	बड़वासछोटी (एडपोस्ट)	,,

पंचायत समिति सज्जनगढ़

1.	राज. आयु. औष.		तामेसरा	पंचायत मुख्यालय पर
2.	,,	,,	सज्जनगढ़	,,
3.	,,	,,	कसारवाडी	—
4.	,,	,,	डूंगर	—
5.	,,	,,	विडल (एडपोस्ट)	पंचायत मुख्यालय पर

छठी पंचवर्षीय योजना काल में औषधालय खोलने के प्रस्ताव है। अन्य चिकित्सा सुविधा (एलोपैथिक) होने से अब तक आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक पंचायत समिति पर 10 औषधालय करने की नीति है। चूंकि कुशलगढ़ पंचायत समिति में वर्तमान में 4 औषधालय हैं, अतः बाकी 6 औषधालय खोलने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

सेवानिवृत्त वैद्य का वेतन निर्धारण

918. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31-8- 8 को वैद्य गंगा नारायण (ए-श्रेणी) राजकीय औषधालय, मेतालो जिला डूंगरपुर से सेवा निवृत्त हुए है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्य को वर्ष 1975 में प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया था। यदि हां, तो पदोन्नति आदेश जारी होने के पश्चात आज तक भी इनका प्रथम श्रेणी वेतन शृंखला में वेतन निर्धारण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक इनका प्रथम श्रेणी में वेतन निर्धारण किया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रथम श्रेणी में वेतन निर्धारण न होने के कारण से उक्त सेवानिवृत्त वैद्य का पेन्शन केस भी तय नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इनका पेन्शन केस कब तक तय कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं। वैद्य श्री गंगानारायण की पदोन्नति आदेश दिनांक 7-12-76 द्वारा किये गये हैं। यह सत्य है कि वैद्य जी का अभी तक प्रथम श्रेणी वेतन दाखला में वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। पदोन्नति आदेश जारी होने के समय वैद्य जी निलम्बित थे एवं पदोन्नति आदेश वैद्य जी को नहीं दिये गये हैं। पदोन्नति आदेश राज्य सरकार के अधीन पुनः विचाराधीन हैं। पदोन्नति के अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जा सकेगा।

(3) वैध जी का पेंशन केस महालेखाकार कार्यालय जयपुर के अधीन विचाराधीन है। वैसे इनकी प्राविजनल पेंशन ग्रेचुइटी दिनांक 3-3-79 को स्वीकृत की जा चुकी है।

पुलिस कांस्टेबल्स को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त

919. श्री मदनसिंह दांता (रामगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान पुलिस की समस्त शाखाओं में सिपाही को कहीं कनिष्ठ लिपिक पिछले दो वर्ष में बनाया गया है ? यदि हाँ, तो किस किस शाखा में किस आधार पर बनाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जो पुलिस कांस्टेबल कार्य क्लर्क का करते हैं किन्तु उन्हें वेतन सिपाही का दिया जाता है ? यदि हां, तो आज की तारीख में ऐसे कितने सिपाही हैं ? उन सभी की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें क्योंकि उनकी योग्यता व अनुभव का उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए उन्हें भी एल. डी. सी. का वेतन या अलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता है ? क्या यह शोषण नहीं है ?

(3) क्या नये व्यक्तियों को एल. डी. सी. बनाने में एस. पी., डी. आई. जी. पी. अपनी मर्जी से चयन करके पुराने कार्यरत सिपाहियों का हक व मनोबल क्षीण करते हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा किस आधार पर करते हैं ?

(4) क्या सिपाही नं. 929 भागीरथ सिंह को एल. डी. सी. बनाने की सिफारिश डी. आई. जी. पी., बीकानेर ने की है ? यदि हां, तो उसे क्यों नहीं चयनित किया गया जब कि बीकानेर रेन्ज में पोस्ट खाली पड़ी है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। वान्छित सूची सलंग्न है।

(गृह मन्त्री)

राज० मन्त्रालयिक कर्मचारी (स्टाफ) अधीनस्थ सेवा नियम में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें पूर्ण करने पर ही इच्छुक सिपाहियों को अस्थाई कनिष्ठ लिपिक बनाया गया है।

(2) जी नहीं। अतः अन्य सूचनाओं का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। अतः चयनित करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

ग्राम रतुड़ में चोरी का मामला

920. **श्री मदनसिंह दांता(दांतारामगढ़):** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रतुड़ तहसील दांतारामगढ़ के पूर्णमल लाठा के घर पर चोरी हो गई थी? अगर हां, तो कब तथा चोरों का पता कब कितने दिन बाद में चला? उनकी सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या यह सही है कि थाना खाटू श्यामजी में भी कई दिन से पेन्डिंग रहने पर अन्य थानेदार एवं हैड कांस्टेबल भी लगाया गया था? पेन्डिंग रहने के क्या क्या कारण हैं?

(3) थाना खाटूश्यामजी में दिनांक 1-1-78 से 31-12-78तक चोरी के लड़ाई, झगड़ों के कितने मुकदमे आये? उन पर कब क्या कार्यवाही की तथा कितनी चोरियां बरामद की गईं, कितनों का चालान कब किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। चोरी की रिपोर्ट दिनांक 18-10- 8 को थाना लोसल में की गई थी। अभी चोरी का पता लगाया जा रहा है। अतः सूची संलग्न करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। अन्वेषण जारी है। अतः मुकदमा अभी पेंडिंग है।

(3) इस अवधि में चोरी के समय लड़ाई झगड़ों के कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए। चोरी के मुकदमों के बारे में वांछित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

थाना केशो राय पाटन में दर्ज रपटें

921. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) थाना केशोराय पाटन जिला बून्दी में माह दिसम्बर 19?8 में कुल कितनी रिपोर्ट दर्ज हुईं और किन किन द्वारा किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई? मय पूर्ण जानकारी के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) (i) क्या श्री मांगीलाल आत्मज घासी बैरवा (ii) रामा आत्मज छोट्या मेघवाल (iii) हरनाथ आत्मज गोकुल बैरवा,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(iv) लाल्या ग्रात्मज देवा बैरवा निवासी लेसरदा तहसील केशोराय पाटन द्वारा भी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा किसके लिए तथा किस सम्बन्ध में यह रिपोर्ट कराई गई ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इन चारों व्यक्तियों ने दिनांक 11-12-78 को श्री भैरूलाल पुत्र रामनारायण ब्राह्मण एवं श्री बाबूलाल पुत्र भैरूलाल ब्राह्मण साकिन लेसरदा के खिलाफ उनकी जमीन पर जबरन दाखिल होकर गेहूं की फसल बो देने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

बूंदी जिले में चोरी, नकबजनी व डकैती की घटनाएं

923. श्री माणक लाल ठाकौर (नैनवा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में सन् 1978 में कितनी चोरियां, नकबजनी अथवा डकैती की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई? कृपया प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर कितनी कितनी रिपोर्ट हुई उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1977 व 1976 में उक्त प्रकार के कितने मुकदमे दर्ज हुए ?

(3) सन् 1978 में जितनी चोरियों की रिपोर्ट हुई उनमें कृषकों के कुए स्थित मोटर अथवा उनके किसी हिस्से की कितनी चोरियों की रिपोर्ट हुई ?

(4) सन् 1976, 77 व 78 में कितनी कितनी किस किस पुलिस स्टेशन में चोरियां बरामद हुई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची में अंकित है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) सूची में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सदन पटल पर रखा गया पत्र प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री सम्पत राम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आपातकालीन ज्यादतियां तथ्यान्वेषण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत अलवर काण्ड के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री प्रद्युम्न सिंह: जो अधिकारियों की समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट के बारे में आप क्या कर रहे है? जब तक वह रिपोर्ट नहीं आयेगी, वह रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखेंगे, तब तक यह डिस्कशन यूजफुल नहीं हो सकेगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उस रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। कानसिंह रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही करे इसके लिए वह समिति बैठी हुई है। उसको इस सदन से कोई मतलब नहीं। कानसिंह रिपोर्ट की ही सदन में आवश्यकता है।

श्री कौशल किशोर जैन : इसकी प्रति प्रत्येक माननीय सदस्य को मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस प्रतिवेदन को टेबल पर आ जाने दीजिये। मैं व्यवस्था करूंगा कि यह सबको सर्क्यूलेट हो जाये। मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन के अनुसार सोमवार या मंगलवार का दिन इस सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए रखूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालौर एवं बाड़मेर के टीकाकार संघ द्वारा हड़ताल, भूख हड़ताल तथा सत्याग्रह करने की सूचना के विषय में।

(2) श्री समरथलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील राजगढ़, जिला अलवर की कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों से अनुचित तरीके से की जा रही कुर्की व वसूली आदि के विषय में।

(3) श्री दुलाराम, सदस्य, विधानसभा की ओर से गंगानगर जिले के 21,000 भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन न किये जाने के विषय में।

(4) श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 अक्टूबर की रात को कुछ पुलिस के अधिकारियों द्वारा श्री जोधाराम व श्री चुन्नीलाल को थाने में ले जाकर उनकी पिटाई करने व उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने के विषय में।

(5) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में जागीरदारी और माफीदारी प्रथा समाप्त होने के बावजूद भी कुओं की नालवट के अधिकार अभी तक भूतपूर्व जागीरदारों और माफीदारों के नाम पर ही हैं, इस विषय में।

(6) श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गांव फूलवाल तहसील जैतारण के एयर फोर्स में कार्यरत व्यक्तियों व अन्य कई व्यक्तियों को सीलिंग से प्राप्त भूमि के आवंटन को रद्द करने के नोटिस के विषय में।

(7) सर्व श्री अब्दुल अजीज व नूरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 27 मार्च को कोटा में यू.आई.टी द्वारा कब्रिस्तान को नीलाम करने की घटना के विषय में।

(8) श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में पीने के पानी की कमी के विषय में।

(9) सर्व श्री श्योपतसिंह मकासर, व रामकृष्ण दास, सदस्य, विधानसभा की ओर से जयपुर जिले की तहसील आमेर के राजदा

(श्री अध्यक्ष)

ग्राम के अनुसूचित जाति व जन जाति के किसानों से जयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा 1974 में माफ किये गये कर्ज वापस वसूल करने के विषय में।

(10) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला मुख्यालयों पर शिक्षित व अर्द्ध शिक्षित बेकार व्यक्तियों के प्रदर्शन के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार को सूचनार्थ भेज रहा हूं और इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस ओर दिलाना चाहता हूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले एक तो राजस्व मन्त्री जी ने और दूसरा शिक्षा मन्त्री जी ने वक्तव्य देने के लिए कहा था ..

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहना हो तो आप मेरे कक्ष में मिलें।

श्री पुरुषोतम मन्त्री (राजस्व मंत्री) : रिकार्ड मंगाया है, सोमवार या मंगलवार को दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : परीक्षा के अन्दर जो नकल चली है, शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि इस पर स्टेटमेंट दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगर शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था स्टेटमेंट देने के लिए तो आप मुझ से मेरे कक्ष में मिलें।

श्री मूलचन्द डागा : मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने आश्वासन दिया था आज वक्तव्य देंगे सरकार की ओर से। मुख्य मन्त्री जी के द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा। कब दिया जायेगा ?

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने कानसिंह आयोग का प्रतिवेदन भूतपूर्व युवराज, अलवर की मौत के सम्बन्ध में सदन की मेज पर रखवाया। राज्य सरकार की नीति क्या है, वह क्या करने जा रही है उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में, वह इसके साथ में नहीं आया। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है, यह सदन को अवगत कराना चाहिए। शाह आयोग की रिपोर्ट जब लोक सभा में प्रस्तुत हुई थी उस समय भी सरकार से यह मांग की गई थी कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रुख है ? सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? अगर सरकार का निर्णय नहीं आता है तो वह प्रतिवेदन कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि इस प्रतिवेदन पर जो कुछ करना है, सरकार को करना है। इसलिए सरकार का दृष्टिकोण सामने आये। यदि नहीं आता है तो इसका मूल्य नहीं रहेगा। डिस्कस हो जायगी लेकिन कोई मन्तव्य हासिल नहीं होगा। मान्यवर, जो उत्तर दिलवायें वह सरकार के पक्ष के साथ में ही दिलवाये कि वह क्या करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रतिवेदन आ चुका है सदन के समक्ष। माननीय मुख्य

(श्री अध्यक्ष)

मन्त्री जी ने जो कल आश्वासन दिया था उसके अनुसार आप इस प्रतिवेदन का अध्ययन कर लें, चर्चा कर लें कि प्रतिवेदन में क्या कमी है, क्या खामियां है फिर आपके विचार व्यक्त करें। अब सरकार का इस रिपोर्ट पर क्या अभिमत है, यह ज्ञात हो जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री राम नारायण चौधरी: शाह आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार से यही मांग की थी। कमीशन यहां है नहीं, आपसे कुछ उस विषय में कह नहीं सकते है, कान्तिसिंह आयोग यहां उपस्थित नहीं हो सकता है फिर इससे फायदा क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे मोशन की हमेशा परम्परा रही है यह मोशन सदन के समक्ष आयेगा और चर्चा हो लेगी।

श्री राम नारायण चौधरी : शाह आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की वह भी साथ में पेश हुई थी। जब तक वह नहीं आयेगी, तब तक कोई मन्तव्य हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा के समय प्रश्न उठा सकते हैं। अभी यह प्रश्न नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

श्री अध्यक्ष : वह क्या है?

श्री जेठमल बरबड़ : लाखों रुपये की जमीन का कुचामन सिटी में गलत अलाटमेंट करके सुन्दरता को बिगाड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करके व्यवस्था दूंगा, अभी तैयार नहीं है, सूचना भी नहीं है। आपका जो मुद्दा है वह मैंने नहीं लिया है और उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री जेठमल बरबड़ : लाखों रुपयों की जमीन गलत ढंग से बेच कर कुचामन सिटी की सुन्दरता को नष्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : जो आपका मुद्दा है, उसको समझने का प्रयास करूंगा। आप बाद में मुझसे मिल लेना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि रिपोर्ट पर सरकार क्या एक्शन लेगी यह मालूम न हो जाय तब तक वाद-विवाद किस मुद्दे पर करेंगे?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह किस नियम के तहत करें?

श्री रामनारायण चौधरी : आप यह व्यवस्था कर दीजिए। उसके मैरिट्स और डि-मैरिट्स पर क्या डिस्कस करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जो प्रश्न है उस पर व्यवस्था देने के लिए मैं अभी सक्षम नहीं हूं। क्या मुद्दा है मुझे इसका पता नहीं है। रिपोर्ट आ गई है, उसको देख लें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिना सरकारी एक्शन के हम क्या चर्चा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट एज सच डाक्यूमेंट है, उसको देख लें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला जालौर और बाड़मेर में टीकाकारों का संघ हड़ताल करने जा रहा है। पूरे राजस्थान में पहले टीकाकारों ने हड़ताल अपनी मांगें लेकर की थी और वहां भी उन्होंने तीन महीने तक धरना दिया था। उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ आश्वासन दिए थे। बाड़मेर और जालौर का जो स्थानीय टीकाकार संघ है उसकी कुछ मांगें हैं, 18, 19 के करीब और बिलकुल वाजिब मांगें हैं। माननीय मन्त्री जी ने समय-समय जो सरक्यूलर्स निकाले हैं, उनके यात्रा भत्ते के बारे में, उनकी पे-फिक्सेशन के बारे में। मेरा निवेदन है कि कई महीनों से हैल्थ आफिस जालौर में उनके बिल्स पेन्डिंग हैं। वहां की विजिलेन्स कमेटी में कई बार यह मामला आया था। विजिलेन्स कमेटी को हैल्थ आफिस जालौर के सी. एम. एच.ओ. ने लिख कर सूचित किया है कि उनमें से कुछ बातें टीकाकारों की तो हम मानने को तैयार हैं बाकी हमारे बस का रोग नहीं है और उनके लिए सरकार को लिख रहे हैं। करीब दो महीने पहले स्ट्राइक होने वाली थी। हमने बीच में पड़ कर, विधायकों ने और कलेक्टर साहब ने मिलकर आश्वासन दिया था कि अभी इस मामले को टेक-अप नहीं करें और भूख हड़ताल पर नहीं बैठें। वाजिब जो बातें हैं, ऐरियर्स बिल्स, टी.ए.डी.ए. के भुगतान वगैरह की वे उनका तो हम भुगतान करवा देंगे। उसके बावजूद भी उनकी मांगें अभी तक मन्जूर नहीं की गई। इसलिए, माननीय मन्त्री जी, जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैल्थ विभाग के जालौर में हैं और जो टीका लगाने का कार्य दो जिलों में कर रहे हैं उनके असन्तोष का मेन कारण है कि जिला जालौर में जो हैल्थ आफिस में यू. डी. सी., एल. डी सी. अथवा जो बिल्स के भुगतान से सम्बन्धित कर्मचारी है और जो वहां का हैल्थ इन्सपेक्टर हुक्मचन्द्र है, उसको लेकर खींचतान चल रही है। विजिलेन्स कमेटी ने भी डाइरेक्टर को लिखा है और वे कन्विन्स हो गए कि वहां पहले के जो कर्मचारी 10 साल से एक जगह बैठे हैं वे ही घूम फिर कर वापस वहीं आ गये हैं। उन्होंने आफिस को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रखा है। वह कहते हैं जो पैसा देगा उसके बिल बनायेंगे नहीं तो बिल नहीं बनायेंगे। यह स्पष्ट है और यही उनके असन्तोष का मुख्य कारण है। तो आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौर की सिफारिश के अनुसार उनको शीघ्र बदल दें तो अच्छा होगा।

आफिसर्स जो वहां आते हैं वे बराबर लिख कर देते हैं लेकिन उनके आदेशों की पालना नहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट आथोरिटीज ने भी लिखा है कि 10–10 साल से वहां वे ही एल. डी सी., यू. डी. सी. एक जगह बैठे हैं। मैं पूछता हूं क्या उन्होने एक जिले का ठेका ले रखा है ? छोटे छोटे कर्मचारियों को बिल बनाने में परेशान करते हैं और अगर कोई बोलता है तो उनको सस्पेन्ड करा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

देते हैं। टीकाकार के जो डाइरेक्टर हैं उनसे आप सारे फैक्ट्स और कागज मंगवा कर स्वय देख लें कि उनकी वाजिब मांगें हैं या नहीं हैं। इसलिये महरबानी करके जो लोकल जिला आफिसर है, कलेक्टर है विजिलेन्स कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है उसकी भी जानकारी उनसे कर लें। इसे प्रेस्टिज इश्यू मत बनाइये। भ्रष्टाचार के जो अड्डे हैं; उनको आप समाप्त करना चाहते हैं, यह आपकी नीति है। तो मेरा निवेदन है कि जो एक ही जगह 3-4-5 साल राज्य कर्मचारी रह जाते हैं उनको ट्रांसफर कर दीजिये। ऐसे सरकार के नियम भी हैं। आपने घोषणाए भी की हैं। मैं चाहूंगा जो उनकी बिलकुल वाजिब मांगें हैं उनको शीघ्र मान लें। जिला प्रशासन की कोशिश के आधार पर हमने उसको दो महीने से अवाइड किया है। अब आखिर उनको हार कर यह स्टेप लेना पड़ रहा है। मैंने पूर्व में ही आपका ध्यान आकर्षित कर दिया है और इसलिए किया है कि जो दो जिलों में टीके लगाने का काम चल रहा है वह कहीं खतम न हो जाय, चेचक की बीमारी फैल न जाय और कहीं यह प्रोग्राम ठप्प न हो जाय। नागौर में पहले ही चिकिन पाक्स के केसेज बहुत हुए हैं। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत अगर स्ट्राइक हो गई और टीकों का काम नहीं चला तो गंभीर समस्या उपस्थित हो जायगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से चाहूंगा आप फेक्ट्स मंगा कर, जो मंजूर शुदा मांगें हैं वह तो कम से कम उनकी इम्पलीमेन्ट करवा दीजिये। दो महीने से स्ट्राइक टालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यह स्थिति नहीं आवे। मैं समझता हूं सही एक्शन समय पर अगर आप ले लेंगे तो यह स्थिति नहीं आयेगी। आपको उनकी मांग मंजूर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज 31 तारीख हो गई, जो भुगतान हुआ होगा वह हो जायगा और जो बाकी रहेगा वह आप मंजूर करा कर करवा दें। जितने छोटे वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको तो कम से कम एरियर का भुगतान करवा दीजिये ताकि उनका असन्तोष समाप्त हो जाय। इसलिए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा सही आश्वासन देकर और आप शीघ्र इन्टरफियर करके इस हड़ताल को रुकवायें। अभी तक तो हमने हड़ताल को रुकवाया है अब आप जिला लेवल पर बात करके उनके समझौते को इम्पलीमेंट करा दें। यह आपके इन्ट्रेस्ट की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप कृपया इसमें शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करवा कर, टीकाकारों की वाजिब मांगें मन्जूर करवाकर होने वाली हड़ताल को एवाइड करवा दें।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय रघुनाथ जी विश्नोई ने टीकाकार संघ के बारे में बताया है, यह उन्हीं की सूचना से मुझे सूचना मिली है कि बाड़मेर या जालौर में इस प्रकार की कोई भूख हड़ताल या आन्दोलन हो रहा है। यह आपने सूचना दी है। अभी तक हम लोगों को, राज्य सरकार की कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीकाकार संघ के साथ में बातचीत होती रही है और जो सी. एम. एच ओ. के लेवल की समस्यायें हैं उनको वहीं पर निपटाने के लिए आदेश

(श्री त्रिलोकचंद जैन)

प्रसारित किये जा चुके हैं। डायरेक्टर के लेवल, निदेशक स्तर पर जो कदम उठाये जाने चाहिए वे भी उठाए गए हैं। किन्तु कुछ ऐसी समस्यायें हैं जो राज्य सरकार के निर्णय से सम्बन्धित हैं, जिनमें आर्थिक प्रावधान होना है, वे विचाराधीन हैं। जल्दी ही उनके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। उनके साथ हमारी सहानुभूतिपूर्ण और सद्भावना के साथ वातें होती रही हैं और अभी भी चल रही हैं। इसलिए भूख हड़ताल और आन्दोलन या सत्याग्रह करने जैसी कोई बात नहीं है।

इसके अलावा आपने जानकारी दी कि सी. एम. एच. ओ. कार्यालय में भ्रष्टाचार चल रहा है। इस प्रकार की कोई सूचना पहले प्राप्त नहीं हुई। जो सूचना आपने दी है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास डायरेक्टली पहले देते रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : आप जितनी सूचना देते रहे हैं, माननीय सदस्य, मैं उन पर जांच के आदेश देता रहा हूं। आपने अभी जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उनके बारे में भी जांच करवा कर आपको आश्वस्त करवा दूंगा।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सहकारिता मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजगढ़ तहसील के अन्दर कुछ को-आपरेटिव सोसायटीज ऐसी हैं जिनमें पिछले अर्से से भयंकर रूप से भ्रष्टाचार चला आ रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले कुछ चन्द लोग हैं। उन चन्द लोगों से वसूली न की जाकर जो सहकारी समितियों के दूसरे सदस्य हैं, जिन्होंने कभी ऋण नहीं लिया, उन लोगों से वसूली की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान ग्राम सेवा सहकारी समिति ईशवाण पाड़ा, लापाड़ा, आड़पुर, गढीसवाईराम बहादुरपुर, परवैणी, रामपुरा, बाहड़को, फारोठ, की तरफ दिलाना चाहूंगा। इन सोसायटीज के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है और उसके केसेज भी चल रहे हैं। केसेज चलते वक्त इन सोसायटीज की कार्यकारिणी के जो मैम्बरान थे, जो अध्यक्ष या मन्त्री थे, इन लोगों ने धन तो लिया बैंकों से और गांव वालों को वितरण नहीं किया। वितरण न करके वे लोग सारा का सारा जो धन था उसको खा गए और जब उगाई हो रही है, वसूली हो रही है तो उस वसूली के द्वारा उन लोगों को जो सोसायटीज के मैम्बर हैं, जिन्होंने कभी भी पैसा नहीं लिया, ऋण नहीं लिया, बुरी तरह से राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और अनाप शनाप वसूली की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इन सोसायटीज से सम्बन्धित जो धन है वह करीब 25 लाख रुपया है। 25 लाख रुपयों का सोसायटीज के सदस्यों में वितरण न होकर के केवल 35 लोग ही जो उस धन को उठा कर लाए थे गांव में वितरण करने के लिए, वही लोग खा गए और खाने के बाद उन लोगों पर केसेज भी चले लेकिन केसेज चलने के उपरान्त भी यह वसूली उन लोगों से की जा रही है जिन्होंने इस धन को नहीं लिया। इसके अन्दर दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, को-आपरटिव सोसायटीज के सदस्यों से वसूली की जाय

(श्री समरथलाल)

वहां तक तो ठीक है लेकिन इन सोसायटीज के कुछ ऐसे लोग हैं इन गांवों के अन्दर ऐसे लोग हैं जो कभी सोसायटी के सदस्य भी नहीं रहे। न पहले सदस्य थे और न आज ही सदस्य हैं। उन लोगों से यह वसूली की जा रही है। उन सोसायटीज के अन्दर ऐसे लोग करीब डेढ़ सौ हैं जो कभी सोसायटीज के सदस्य थे ही नहीं, उनसे इस प्रकार की वसूली की जा रही है। इस तरह के 25 लाख के ऋण के घोटाले के संदर्भ में मैंने पहले भी आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के घोटालों की तरफ इस सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, यह समझ में नहीं आता।

इसी तरह से क्रय विक्रय संघ में भी करीब सात लाख का घाटाला है। इसके बारे में भी मैंने माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था पिछले सत्र के अन्दर लेकिन इस संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। इसी तरह से फारोठ को-आपरेटिव सोसायटी के अन्दर एक बहुत बड़े आदमी ने घोटाला किया है, जो इस सदन का सदस्य भी रहा है और जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। उसकी तरफ 80 हजार रुपये बकाया हैं। इसी प्रकार से मोतीवाड़ा को-आपरेटिव सोसायटी की हालत है। मोतीवाड़ा कोआपरेटिव सोसायटी का जो पूरा का पूरा पैसा है, जो करीब 57 हजार है....

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) नाम बतायें।

श्री समरथलाल : वह 57 हजार रुपया भी ....

श्री नत्थी सिंह : सदस्य महोदय का नाम बताइये जिसकी तरफ इतना रुपया बकाया है।

श्री समरथलाल : उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनका नाम श्री हरिकिशन जी है। उनको आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आपके मित्र हैं।

श्री नत्थी सिंह : आप भी मेरे मित्र हैं।

श्री समरथलाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक और प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उनकी तरफ भी 57 हजार रुपया बकाया है।

श्री नत्थीसिंह : उनके बारे में आपके पास क्या रिकार्ड है····

(व्यवधान)

श्री समरथलाल : उनका नाम लक्ष्मीनारायण है। यह रिकार्ड मेरे पास नहीं, सरकार के पास मौजूद है।

श्री नत्थीसिंह : अगर आपके पास रिकार्ड नहीं है तो आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं ?

श्री समरथलाल : मैं भी उसी रिकार्ड के आधार पर बोल रहा हूं। अगर मैं उनके बारे में कहता हूं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है ? क्या आपका भी उसमें हिस्सा है ? मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी हिस्सा है।

श्री नत्थीसिंह : मेरा नहीं, आपका हिस्सा होगा।

श्री समरथलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रभावशाली लोगों ने इस धन को अपनी जेब में रख लिया, अपने पर फिजूल खर्चा कर दिया, अपने निहित स्वार्थों पर खर्च कर दिया और यह सारा का सारा पैसा कोआपरेटिव सोसायटीज के जो सदस्य हैं उनसे वसूल किया जा रहा है। एतराज की यह बात है। इसलिए मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जावे और जांच करके जो दोषी व्यक्ति हैं, उनको दोषी करार....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

देकर उनसे वसूल किया जावे और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनसे वसूली बन्द कर दी जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक समरथलाल जी ने पिछले दिनों में भी ऐसे भ्रष्टाचारों की, ऐसे घोटालों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनको सूचित कर देना चाहता हूं कि जांच जारी है और जांच होगी। कानूनी प्रक्रिया में जांच होने से, क्वासी जुडिशियल की तरह से जांच चलती है जिसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कि द्वारा जांच निश्चित रूप से होगी। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, घोटाले और गबन का जहां तक प्रश्न है, उसमें राजनैतिक पार्टियों की सदस्यता किसी भी रूप में आड़े नहीं आएगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हों, चाहे वे जनता पार्टी के सदस्य हों, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, अगर उसने घोटाला किया है और हमारे कानून के अन्तर्गत अपराधी है तो अपराधी ही होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार, कानून के अनुसार जो भी कार्यवाही की जानी चाहिए, वह भी जाएगी। उसमें राजनैतिक आधार पर किसी भी तरह की रियायत या पक्षपात नहीं किया जाएगा। अभी माननीय विधायक महोदय ने कुछ सहकारी समिति की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की मोडस-आपरेन्डी रही है। ये केन्द्रीय सहकारी बैंक से पैसा ले आए गांव के नाम पर और उस पैसे को लोगों के नाम लिख कर उनके फर्जी अंगूठे लगा कर या दस्तखत करके हजम कर गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी ध्यान आकर्षित किया है उसके सम्बन्ध में देख लूंगा, असेम्बली के अन्दर जो सूचना है वह भी देख लूंगा, मेरे पास जो सूचना आई है वह भी देख लूंगा, मैं आपसे मिल कर और भी जो तथ्य होंगे वे ले लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी स्थिति सामने आती है कि जिस व्यक्ति ने कर्जा नहीं लिया उसके नाम पर फर्जी लिख लिया गया है तो उससे निश्चित रूप से वसूली बन्द कर दी जाएगी। लेकिन जो दूसरी वसूलियां चल रही हैं उसमें दूसरी स्थिति है। वसूली होनी चाहिए, आप भी चाहते हैं कि वसूली हो। अभी जो अस्सी हजार, और सत्तर हजार की जो कुछ भी जानकारी आपने दी है, माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सारी जानकारी मुझे उपलब्ध करा दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नियमानुसार और कानून के अन्तर्गत, देश की दण्ड संहिता के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही हो सकती है वह निश्चित रूप से की जाएगी।

श्री रणजीत सिंह (ओसिया) : ऐसी सोसायटीज मे भी बकाया है जो राइट आफ कर दी गई है।

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी बता दीजिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा के कब्रिस्तान की जमीन का यू. आई. टी. द्वारा अनधिकृत नीलामी की जा रही है, उसके संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो मन्त्री महोदय इससे सम्बन्धित हैं वे भी कृपा करके सदन में पधारें। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में भी आप कुछ व्यवस्था दीजिए कि मंत्री जी हमें सुनें। जब आपने हमको परमिट किया है बोलने के लिए तो इस वक्त इससे सम्बन्धित मन्त्री जी को भी काल करें। यू. आई. टी. के मन्त्री महोदय को अनुरोध कर रहा हूं। वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस समय मन्त्री महोदय को सदन में उपस्थित होने के लिए कहें।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मन्त्री) : आप बोलें। हम सुन रहे हैं।

श्री दुलाराम : बोल कर क्या करेंगे? मन्त्री महोदय नहीं हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपको जवाब मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री निर्दोष है। आपका नम्बर पांचवां है। आपका टर्न आएगा तब तक वे आ जाएंगे।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आप क्रम बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री दुलाराम। मन्त्री छोटो नहीं हो सकता। उनको काम भी है।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले के करीब 21,000 भूमिहीन परिवारों, काश्तकारों, मजदूरों, जिनकी दरख्वास्तें राजस्थान सरकार के पास सक्षम शुदा पड़ी हैं, को इस जनता सरकार के बनने के बाद लगातार इन्तजार करना पड़ रहा है कि हमारा नम्बर कब आयेगा? अब उनके सब्र का अन्त हो गया है। उनमें बड़ा असन्तोष पैदा हो रहा है। आज स्थिति यह है, मान्यवर, माननीय उपनिवेशन मन्त्री महोदय गंग नगर में नहीं जा सकते हैं। वे वहां पर जाकर भूमिहीन किसान, मजदूर से बात नहीं कर सकते हैं। वे उनका घेराव करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी वे वहां पर जाते हैं तो तुरन्त ही वे वापस आ जाते हैं। वे किसी भूमिहीन मजदूर से बात नहीं कर सकते है। उनमें बड़ा असन्तोष है। करीब 21,000 भूमिहीन काश्तकार, मजदूरों अपने पेट पर गांठ लगा कर एक करोड़ रुपये के करीब इस पर

(श्री दूलाराम)

खर्च कर दिया है। एक करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। यह सरकार उनके प्रार्थना पत्रों को इसलिए पेंडिंग रखे हुए हैं क्योंकि यह कार्यवाही भूतपूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। कांग्रेसी सरकार द्वारा यह सक्षम शुदा प्रार्थना पत्र लिये गये थे, इसलिए उन्हें यह जनता सरकार मन्जूर नहीं कर रही है। अन्त्योदय योजना आपने शुरू की है। इस योजना के अधीन भी ये भूमिहीन जमीन प्राप्त करने के लिए सक्षम है। इसमें तो खर्चा और भी कम करवाया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन गरीब हरिजन किसानों और मजदूरों को क्यों उत्पीड़ित किया जा रहा है, क्यों उनका उत्पीड़न किया जा रहा है? यह सक्षम शुदा दरख्वास्तें आपके पास पड़ी हैं। आप उनको भूमि देना चाहते हैं या नहीं? आप घोषणा करते हैं, घोषणा में यह कहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी। गंगानगर में जब भी आप पधारे हैं, जब भी लोग आपसे मिले हैं, आपने उन लोगों को आश्वासन दिया है, मैं भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने के आदेश दूंगा। करीब 21 महीने हो गये, जनता शासन के इसके बाद भी आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से हाथ में नहीं लिया गया है जिसके तहत उन भूमिहीनों को भूमि का आवंटन हो सके। वे भूमिहीन आतुर हैं, आज परेशान हैं। आज यहां पर उनके बारे में दुबारा प्रश्न उठाना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में 5 लाख 66 हजार बीघा भूमि पर दूसरे जिले के लोग, भूतपूर्व फौजी, भूतपूर्व जागीरदार, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स काबिज हैं उन लोगों को गंगानगर में 5 लाख 66 हजार बीघा जमीन आवंटित की गई है और हमारे 21,000 भूमिहीन किसान, मजदूर उनकी वजह से भूमिहीन रह गये हैं। अगर उन लोगों को वहां पर भूमि नहीं दी जाती तो आज गंगानगर में यह परेशानी नहीं आती। सभी इस समस्या पर चिल्लाते हैं परन्तु, अध्यक्ष महोदय, कोई ध्यान देने वाला इस सरकार के अन्दर नहीं है। घोषणाएं की जाती हैं परन्तु वे घोषणाएं कार्यान्वित नहीं होती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, माननीय मंत्रीजी इस विधान सभा के अन्दर या तो यह स्पष्ट घोषणा कर दें कि वहां जो 21,000 भूमिहीन हैं, जिनकी दरख्वास्तें सक्षम है उनको आश्वासन दिया जाएगा कि उनको भूमि आवंटित की जाएगी और अगर भूमि आवंटित नहीं करते हैं तो घोषणा कर दे कि उन्हें भूमि नहीं दी जाएगी। अन्त्योदय के अन्तर्गत आप देना चाहते हैं तो वैसा कीजिए। ये सब दुबारा चुन कर आ जायेंगे। कान चाहे यूं पकड़ो या यूं पकड़ो ये लोग गरीब हरिजन हैं, भूमिहीन है, गरीब मजदूर हैं। इसकी घोषणा की जाए कि उनको भूमि मिलेगी या नहीं मिलेगी और वे अपना धंधा शुरू करें। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सारे अधिकारियों के दरवाजे खटखटाये हैं, वे मन्त्री महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय के दरवाजे पर भी गये हैं। उनका डेपूटेशन भी आया है राजस्थान सरकार के पास में किन्तु आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इससे उनमें बड़ा असन्तोष है। इसलिए कृपा करके मंत्री महोदय

(श्री दुलाराम)

घोषणा करें, आश्वासन देंगे कि वे इन भूमिहीनों को भूमि देंगे या नहीं देंगे।

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय मैं भी इस समस्या पर दो शब्द कहना चाहता हूं। गंगानगर से सम्बन्धित होने की वजह से....

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं भी कहना चाहूंगा।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी यहां पर बताया है कि गंगानगर जिले में जो सरप्लस जमीन थी, उसको यह कह कर कि राजस्थान नहर के नीचे जमीन आयेगी इस पर जो पैसा लगाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर लगाया जा रहा है, इसलिए वहां पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती है कि केवल गंगानगर जिले के भूमिहीनों को ही वह भूमि दी जाएगी, अध्यक्ष महोदय, वह जमीन कृषि स्नातकों को राजस्थान कैनाल एरिया में आवंटित कर दी गई। यही नहीं कई भूतपूर्व जागीरदारों को भी वहां पर जमीन अलाट की गई है। फौजियों को भी यह जमीन दी गई है और वहां पर केन्द्रीय सरकार बड़े बड़े फार्म लगाये हैं। इस प्रकार काफी बड़ी जमीन गंगानगर जिले में इन लोगों के लिए रिजर्व की गई। इसलिए आज गंगानगर के अन्दर यह स्थिति है कि वहां के भूमिहीनों को भूमि अलाट नहीं हो रही है। उन्होंने जमीन अलाटमेंट के लिए कई साल तक दरख्वास्तें दी थीं। उनको भूमिहीन मान लिया गया है, वे रिकार्डेड भूमिहीन है लेकिन आज तक उनको जमीन नहीं मिली है। इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जिनको सरकार ने भूमिहीन मान लिया है और जो वास्तव में आज भी भूमिहीन हैं, बहुत सालों से हैं और बहुत साल से वे इस बात का इन्तजार कररहे हैं कि उन्हें जमीन दी जाएगी, उन व्यक्तियों को मैं चाहूंगा कि चाहे राजस्थान कैनाल के एरिया में, चाहे बीकानेर में चाहे जैसलमेर जिले में, जहां भी भूमि अवेलेबल हो, भूमि दिलाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उनके हकों पर कुठाराघात हुआ है। जो जमीन उनको अपने घर के पास, अपनी तहसील में, अपने जिले में मिल सकती थी, वह जमीन उनसे छीन कर, उनको न देकर दूसरी एजेन्सीज को दे दी जिसकी वजह से वे भूमि पाने से वंचित रह गये। अगर आपने जमीन नहीं दी तो वे भूमिहीन किसान बर्बाद हो जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन भूमिहीनों को जल्दी से जल्दी दूसरे क्षेत्र में भूमि दिलाई जाए ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, कुछ व्यक्तियों ने सदन में पर्चे फेंके थे, आवाज आई थी, वे पकड़े नहीं गये हैं, भाग गये हैं। यह एक गम्भीर बात है। सदन में अव्यवस्था फैलावें....

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में दरयाफ्त करूंगा कि आपका कथन कहां तक सही है। तथ्य सही है या नहीं है, जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा माननीय डागा जी ने उठायी है, आज पुलिस में भारी असन्तोष है। ऐसा महसूस होता है कि पुलिस में राज्य सरकार

(श्री रामनारायण चौधरी)

के प्रति आक्रोश है। पुलिस में असन्तोष है। उसी का परिणाम है कि यहां पर सदन में पर्चे फेंके गये हैं। सदन का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। पर्चे फेंक कर उन्होंने अपना असन्तोष प्रकट किया है। आपका ध्यान आकर्षित किया है।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मन्त्री) : आप कोई व्यवस्था हो तो कहें ..

श्री मूलचन्द डागा : यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप लाइटली कैसे ले रहे हैं? बैठे बैठे कैसे बोल रहे हैं। किन लोगों ने यह काम किया, यह तो मालूम पड़े। जनता में कैसे असन्तोष है, आक्रोश है। आपके सरकारी कर्मचारी आपका सहयोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार निकम्मी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में पूरी छानबीन की चेष्टा करूंगा। मार्शल जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं और मुझे अवगत करायेंगे। अगर कोई ऐसी बात हुई है, व्यवधान इस सदन में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया है और वे हाथ नहीं आये हैं, इस बारे में जो कुछ भी तथ्य होंगे, मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के भूमिहीन लोगों को जमीन अलाट करने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है। इसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन बातें पैदा हो रही हैं। एक तरफ तो यह स्थिति है कि आज राजस्थान केनाल एरिया, बीकानेर एरिया में जितने लोगों को जमीन अलाट की गई है और जो लोग गंगानगर से बाहर के हैं उनको रिपीटेडली नोटिसेज देने के बावजूद भी वे काबिज नहीं हो रहे हैं, जमीनों को सम्भाल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को खेती करने का एक्सपिरियेंस नहीं है, वे अच्छी तरह से जमीन कल्टीवेट नहीं कर सकते और उनका जो पशु पालन का धंधा है उसको छोड़ नहीं सकते।

दूसरी बात, गंगानगर जिले में जो जमीन थी, नाली की, बढ़िया जमीन, राजस्थान कैनाल में आई हुई जमीन, उस जमीन को गंगानगर के बाहर के जो लोग हैं, जिनको जमीन अलाट की गई, सीकर, झुन्झुनूं, जयपुर जिलों के जागीरदार, जिनको मुआवजा दिया गया, को जमीन गंगानगर जिले में दी गई, किसी खिलाड़ी को इनाम दिया गया उसको भी जमीन गंगानगर जिले में दी गई, पोंग बांध के विस्थापितों, बड़े बड़े कोलोनाइजेशन के अधिकारियों को, बड़े बड़े पुलिस आफिसर्स, को इधर उधर के धन्धे से जमीन अलाट करवाई। सब ने गंगानगर में अलाट करवाई। तो बाहर के लोगों को जमीन दी गई जब कि गंगानगर के खुद के 21 हजार लोगों, जिनकी एप्लीकेशंस बाकी हैं, को महरूम रखा गया। यह उनके हकों पर कुठाराघात किया गया है।

दूसरी बात मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को ओर बता देना चाहता हूं कि खेती का धन्धा ऐसा है,

(श्री लालचन्द)

इसको जो किसान करते हैं, जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है वे ही पैदावार बढ़ाते हैं।

जिस वक्त गंगानगर में गंग नहर आई उस समय वहां नहरी खेती करने वाले नहीं थे। इसलिये तत्कालीन महाराजा गंगासिंह जी ने पटियाला जाकर रिक्वेस्ट की थी कि नहर आ गई लेकिन लोगों को नहरी खेती करने का अनुभव नहीं है। आप आदमी दीजिये ताकि वे नहरी जमीन की काश्त कर सकें और पैदावार बढ़ा सकें। उन्होंने इसके साथ शर्तें रखीं कि हम उन लोगों को जमीन देंगे, रहने के लिए मकान देंगे, लगान माफ कर देंगे, सब साधन देंगे। पटियाला व पंजाब से लोगों को इनवाइट किया आज भारतवर्ष का सबसे होशियार किसान है उसको जमीन न दी जाय, इस प्रकार वा सरकार कानून बनाये, इस गंगानगर जिले के आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय, जैसे कि वह राजस्थान का नागरिक नहीं है, भारतवर्ष का नागरिक नहीं है, उसको राजस्थान की जमीन लेने का हक नहीं है ऐसा सलूक किया जाय, यह बहुत बुरी बात है। आज गंगानगर का किसान आपकी इस पालिसी से परेशान है। उसको जमीन अलाट नहीं की जाय, राजस्थान कैनाल में जो जमीन है उसकी निलामी की जाय, आपकी इस पालिसी से गंगानगर का किसान आन्दोलन के कगार पर खड़ा हो गया है। उसके दिल में बैठ गया है कि राजस्थान सरकार गंगानगर के किसान को उजाड़ने पर उतारू है। मैं प्रार्थना करूंगा, यह आग न फैले, लोग आन्दोलन पर उतारू न हो जायं। पहले भी गंगानगर के किसानों ने आन्दोलन किया। वह भारतवर्ष के इतिहास में पहला आन्दोलन था जो गंगानगर के किसानों ने किया। अगर आज भी किसानों को जमीन से महरूम किया गया, अगर सिंचाई के चार्जेज बिना सोचे समझे डाल दिये गये और उनकी 8 किलोमीटर जमीन की नीलामी की गई तो गंगानगर का किसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं कोलोनाइजेशन मन्त्री जी को आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं। आप रोज घोषणायें करते हैं कि गंगानगर के किसानों को जमीनें दी जायेगी। आप इसकी क्रियान्विति कीजिए ताकि वहां के किसान शांत हो सकें वरना हाल बड़ा खराब हो जायेगा। इसलिये गंगानगर के 21 हजार किसानों को जमीन अलाटमेंट के जो नियम हैं, उनके अनुसार जमीन अलाट कर दी जाय। इस पर सरकार कुछ सोचे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ध्यान दिलाना चाहता हूं जो फिगर्स दिये गये हैं कि 21 हजार भूमिहीन हैं, ये गलत हैं। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। 23045 किसान हैं।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। आप मन्त्री महोदय से जवाब दिलावें। यह मेरा स्थगन प्रस्ताव है। अगर इनके पास कोई सूचना है तो रखें अपने पास। मैंने कहा है करीब 31 हजार हैं। 25 हजार भी हो सकते हैं। 26 हजार भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय।

(66)

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें रोड़ा अटका रहा हूं क्या? मैं तो सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के प्रतिकूल है। श्री दुलाराम जी ने 31 हजार के करीब बताई है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरा अधिकार है। किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी देने के लिए खड़ा हो सकता हूं। मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। what is the definition of Bhumiheen kisan ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह से कोई भी बोल सकता है तो पार ही नहीं रहेगा। सदन का समय नष्ट न करें। नियमों का ध्यान रखें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : गंगानगर जिले में 60 हजार भूमिहीन किसान हैं जो 55 के बाद के लोग है, जिनको भूमिहीन किसान राज्य ने नहीं माना है।

श्री दुलाराम : 70-71 तक के भूमिहीन किसान हैं। आपको पूरा ध्यान तो है नहीं।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मन्त्री) : रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है उसका बड़ा सीमित स्कोप है, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। जो 70-71 में भूमिहीन सक्षम डिक्लेयर कर दिये गये, जमीन पाने के हकदार डिक्लेयर किये गये, जो एलिजिबल थे उनको आज तक जमीन नहीं दी है....

श्री श्योपत सिंह मकासर : What is the definition of Bhoomiheen ?

श्री केदारनाथ : 70-71 में जिन लोगों की दरख्वास्तें आई हैं उनकी कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने जांच की है उसके बाद उनको भूमि पाने का हकदार घोषित किया है, उनके बारे में यह स्थगन प्रस्ताव है। बाकी ठीक है, उस इलाके में और भी भूमिहीन है। वह अलग बात है। मैं यह मानता हूं कि उनको आज तक जमीन नहीं दी गई है। मैं यह भी मानता हूं कि उन्होंने काफी पैसा खर्च किया है, काफी समय भी दिया है और कम से कम 3 साल इसके वेनिफिशियेशन में लगाये हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि वह जमीन के लिए बड़े बेचैन हैं। मैं यह भी मानता हूं कि उनमें असन्तोष है। सन् 1976 में इसी हाउस ने कोलोनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि आयन्दा राजस्थान केनाल में अलाटमेंट उन इलाकों में लोगों का किया जाय जो भूमिहीन है जहाँ मेजर इरिगेशन स्कीम्स नहीं है। यह जमीन उन लोगों को अब तक नहीं मिल पाई है। वह किस इन्टेंशन से किया गया उसके मेरिट पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसका एक मकसद यह था कि राजस्थान केनाल पर सारी राजस्थान की जनता का पैसा लगता है, सारे लोगों का पैसा लगता है, इसलिए राजस्थान केनाल पर अलाटमेंट केवल गंगानगर के भूमिहीनों को ही नहीं दिया जाय और दूसरे आस-पास जिलों के जो भूमिहीन है उनको भी एलाटमेंट किया जाय। इसके नाते जो पूगल का इलाका है, चूरू, नागौर और जोधपुर के 8 हजार भूमिहीनों

(श्री केदारनाथ)

को जमीनों का अलाटमेंट किया गया है। यह ठीक है कि वह जमीन काबिले काश्त नहीं थी, वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, और उन भूमिहीनों की आर्थिक हालत भी काश्त करने जैसी नहीं है। इसलिए उस स्टेज पर लोग नहीं जा पाये। 8 हजार में से कुल 1500 ही जा पाये। लगातार कोशिश करने के बाद आज स्थिति यह है कि 5 हजार आदमी वहां पर बस गये हैं। वह अपनी जमीनों पर चले गये हैं। फर्स्ट स्टेज पर अलाटमेंट समाप्त हो गया। वहां पर अब कोई जमीन नहीं है जो कि भूमिहीनों को दी जाय।

अभी माननीय सदस्य, जो भाखरा और नोहर से आये हैं, यह बात कही है कि राजस्थान कैनाल पर काफी जमीन रिजर्वेशन में रखी गई है जब कि प्रार्थना पत्र उन जमीनों के दिये गये हैं। मैं यह मानता हूं कि पोंग डैम के आउस्टीज को जमीनें दी गई हैं, जागीरदारों को अलाटमेंट किया गया है, मैं यह मानता हूं कि बी. एस. एफ. के लोगों को जमीनें दी गई हैं। मैं यह मानता हूं कि फार्म बनाये गये हैं। इसके अलावा भाखरा के भूमिहीनों को जमीनें दी गई हैं, अन्य लोगों को जमीनों का अलाटमेंट किया गया है। काफी बातें हैं जो अलाटमेंट भूमिहीनों के नाम से होने चाहिए थे वह अलाटमेंट रिजर्वेशन में चले गये, इस बात को मैं मानता हूं।

अब कैसी इसकी नीति हो, सैकण्ड स्टेज के लिए कालोनाइजेशन पालिसी क्या हो, रूल्स और एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया जाय वहां की ज्योग्राफीकल कन्डीशन्स को देखते हुए, इन 5-10 सालों में राजस्थान कैनाल में जितने अलाटमेंट किये गये हैं उनमें क्या कमियां रही है, भूमिहीन क्यों नहीं बस पाये हैं, काश्त नहीं कर पाये हैं, इन सारे इन्सीडेन्स को लिया जाएगा और आयन्दा के लिए एक्ट में क्या अमेंडमेंट करें, इसके लिए माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट के बाद पालिसी के बारे में डिस्कशन होगा, अमेंडमेंट मूव करेंगे, उस पर हाउस का मत लेंगे। आयन्दा सैकण्ड स्टेज में कम से कम जिन भूमिहीनों को सक्षम भूमिहीन करार दे दिया है जिनमें से वन-थर्ड तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के है, उन 23 हजार में से करीब 11-12 हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, मैं मानता हूं कि उनको पहले देनी चाहिए। मैं खुद इस सिद्धान्त को मानता हूं। मेरा ख्याल है कि नई कालोनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आयेगी सैकण्ड स्टेज के बारे में माननीय सदस्यों का समर्थन करूंगा जो उन्होंने चिंता व्यक्त की उसके सम्बन्ध में। मैं इस बात को मानता हूं कि यह अहम सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 76 के बाद पड़ोसी जिलों की दरख्वास्तें आने की वजह से गंगानगर के भूमिहीनों को भूमि आवंटित फर्स्ट स्टेज पर राजस्थान केनाल में नहीं हो सकी। मिसाल के तौर पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पोंग डेम के आउस्टीज कण्डीशन्स को वायोलेट किया है तो वायोलेट करने से जमीनें खारिज हुई हैं। वह 3 हजार मुरब्बे के आसपास होगी। वह करीब साढ़े तीन हजार

(श्री परसराम मदेरणा)

से ज्यादा होगी। उसको गंगानगर के भूमिहीनों को न देकर आपने दूसरे लोगों के लिए जमीनें रिजर्व की है, एक बात।

दूसरी बात यह है, यह ठीक है कि जो भी कस्बे या शहर आये हुए हैं गंग कैनाल या राजस्थान कैनाल के एरिया में, उनके 8 मील की रेडियस के अन्दर आपने भूमि को आक्शन करने का निर्णय लिया है। अगर आक्शन करने का निर्णय नहीं लेते हैं तो उन भूमिहीनों को वहां पर भूमि आवंटित हो सकती है।

तीसरा प्रश्न यह है कि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्त में इस बात का उल्लेख किया है कि 175 का बजट में घाटा है उसको मीट आउट करने के लिए राज० कैनाल के अन्दर सैकण्ड स्टेज में भूमि को आक्शन करेंगे। उस आक्शन होने की बात के बाद क्या कालोनाइजेशन मिनिस्टर यह महसूस करते हैं कि गरीब भूमिहीन आदमियों को प्रायोरिटी बेसिस पर आक्शन के अन्दर,जमीन मिल सकेगी ? उनकी आर्थिक हालत इतनी गिरी हुई है कि अन्त्योदय के अन्दर हैं, क्या सैकण्ड स्टेज पर उनको जमीन मिल सकेगी? अभी आपने तो कह दिया लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर साहब दूसरा इरादा रखते हैं। कालोनाइजेशन मिनिस्टर साहब कुछ भी इरादा रखते हों तो क्यों नहीं फ्लोर आफ दी हाउस पर कहना चाहते हैं ? आपने अभी फ्लोर आफ दी हाउस पर कहा है कि सैकण्ड स्टेज में गंगानगर के इन 21 हजार आदमियों को भूमिहीन करार दिया गया है कमिश्नर को दरख्वास्त देने के बाद। क्या उनको भूमि मिल जायेगी ?

श्री केदारनाथ : अध्यक्षजी, विरोधी पक्ष के नेता ने इस तरह का क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि पौंग डेम के आउस्टीज के लिए जो जमीन रिजर्व की गई थी वहां पर आकर वह लोग बसे नहीं हैं और कुछ कन्डीशन्स को पूरा नहीं किया इसलिए जमीन कैन्सिल करके आक्शन से अलाटमेंट करेंगे। 9 हजार परिवारों के लिए वह जमीन रिजर्व की गई उनमें से 6 हजार परिवार आये और जो तीन हजार परिवार जमीन पर बस नहीं पाये, वह जमीन कैंसिल कर दी। सैन्टर दबाव दे रहा है कि उनकी जमीन रेस्टोर की जाय और कैन्सिल नहीं की जाय। इसमें शक नहीं है कि एक हजार बीघा जमीन का जो सिन्ध से आये थे उन लोगों को अलाटमेंट कर दिया। मैं यह मानता हूं कि कैबिनेट के विचाराधीन था कि आयन्दा पौंग डेम के आउस्टीज की जमीन उन भूमिहीनों को, जो सक्षम थे, एलिजिबल करार दिये गये थे, जो डिक्लेयर कर दिये गये थे, अलाटमेंट कर दें....

श्री परसराम मदेरणा : आपने बताया कि 10 हजार की आबादी के कस्बे जो कॉलोनी में हैं उनके आसपास 8 मील एरिया है उसमें जमीनें पड़ी हुई हैं, राजस्थान सरकार उन वेकेन्ट जमीनों को आक्शन करने जा रहे हैं, यह फैसला किसने किया है ? यह हमने नहीं किया। आपने कहा है और आपकी सरकार ने इस आक्शन का फैसला किया था। हमने उसको रोक दिया था। हमने तय किया था कि आलरेडी रिजर्व...

श्री केदारनाथ : दुगुना टाइम लेकर अलाटमेंट कर दिया जाय। मैं मानता हूं कि चार हजार दरख्वास्त गरीब आदमियों की

(श्री केदारनाथ)

आई हैं तो फोर टाइम्स वह नहीं दे सकता है। दूसरी बात जमीन की सैकण्ड स्टेज को कर रहे हैं उसमें आवंशन की बात आपने कही। जैसा कि बजट स्पीच में है कि राजस्थान कैनाल की सैकण्ड स्टेज की जमीन को आवशन कर रहे हैं वह 50 पर्सेन्ट है। मैं मानता हूं कि आक्शन में भूमिहीन जमीन नहीं ले सकता है। लेकिन रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन के लिए फण्ड कैसे क्रियेट हो राजस्थान कैनाल 84 - 85 में कम्पलीट हो जाय, पहले वाली स्टेज में 15-20 साल लग गये कम्पलीट होने में और सैकण्ड स्टेज में 5 साल लग जायं कम्पलीट होने में तो मेरा यह कहना है कि There are many slips between the cup and the lip. इस एक्ट को आप देखिये क्या हालत होती है ? जो भूमिहीनों का दुलारामजी ने प्रश्न रखा है कि 23 हजार नाम होंगे उनको सैकण्ड स्टेज में देंगे। मैं अभी इतना ही आपके सामने कह दूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, जनता पार्टी में स्वर्गीय जिन्ना साहब वाली बीमारी बहुत गहरी चली गई है। जिन्ना साहब जब भी स्टेटमेंट देते थे और जितनी दफा बोलते थे तो कहते थे कि सरदार पटेल ने किया। तीन स्टेज में बोले और तीनों में उस प्रक्रिया को दोहराया और चौथी स्टेज पर नहीं कहा तो प्रेस वाले ने उनसे पूछा कि आपने अपनी प्रतिक्रिया का इजहार नहीं किया तो उन्होंने कहा कि The disease, Mr. Jinnah said. has gone to deep and it is in no way curable and I am not going to make any comments on it. इसी तरह से यह लोग भी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कोलोनाइजेशन मिनिस्टर काफी योग्य व्यक्ति हैं। अभी रेट्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट के निर्णय लेने के बाद में इसका केबिनेट मीमो बनता है, केबिनेट मीमो तो जानते हैं आप, अब तो प्रोमीजर समझते हैं तो केबिनेट मीमो में कोलोनाइजेशन मिनिस्टर की रिपोर्ट है इन्वर्टेड कोमाज में और वह सर्क्यूलेट होकर हर मिनिस्टर के पास जाती है और उसकी कापी, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी है। मैं चाहूंगा, आप फैसला करें। मन्त्री जी कह रहे हैं, निर्णय ले लिया है। उसके ऊपर तो निर्णय करने को अलाउ कर दिया है। कापियां हमारे पास हैं। हमेशा मेरा मत यह रहा है कि इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन नहीं मिल सकेगी। आपको मालूम होगा कि मैंने कई रिजोल्यूशन दिये थे जो फाइल पर हैं। हिन्दुस्तान के काश्तकार की सिक्योरिटी होगी। लेकिन जब हमारी असेम्बली को डिजाल्व कर दिया।

एक माननीय सदस्य । चिन्ता नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यह कापी मेरे पास रखी थी। मैं यह अध्यक्ष महोदय के सामने रखना चाहता हूं जिससे कि यह मालूम हो जाये कि मेरा क्या विचार रहा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी(उद्योग मन्त्री) : आपके विचारों ने सरकार का निर्णय किया है।

(70)

श्री केदारनाथ : मैं मानता हूं कि यह आपके नोट पर हुआ है। आवंटन पिछली सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था। लागू नहीं किया। यह ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : केबिनेट ने मेरे निर्णय पर रोक दिया। आपने निर्णय ले लिया कि आवंटन होगा। बजट भाषण में यह कहा है. आपने कल निकाल दिया था। इसलिए मैंने अभी कहा था। यह पालिसी का सवाल है। यह राजस्थान की जनता सरकार बड़े-बड़े भूमिपतियों को देना चाहती है, गरीबों को नहीं।

श्री दुलाराम : माननीय मन्त्री महोदय, ने 8 मील का बता दिया। हमारे नेता महोदय ने भी बता दिया कि यह निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। मगर इसके बाद भी आपने 8 मील की परिधि के अन्दर का रखा है।

(व्यवधान)

आपने 1 लाख 24 हजार गज का किया है। बारानी भूमि का 60 हजार कर दिया है। क्या यह सही है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता । अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं यह पूछता हूं कि उन्होंने सैकण्ड फेज की बात कही है। उन्होंने गंगानगर जिले का नाम लिया है। मेरा निवेदन है कि सैकण्ड फैज में गंगानगर जिला नहीं है, बीकानेर जिला है और चूरू जिला है।

श्री केदारनाथ : ये 70-71 के लोग हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये पुराने हैं। आपने कहा है, हमें पता नहीं। परन्तु नहरी पानी चलते चलते जब हमारे जिले में आयगा तो not at the cost of our right.

श्री केदारनाथ : चूरू, नागौर और जोधपुर के लोगों को अलाटमेंट किए गए हैं। इसमें इन्कारी नहीं है। अब जो सवाल पूछा है, क्या यह सही है कि 8 मील के रेडियस में 25 बीघे का 90 लाख कर दिया है। आपने सुना नहीं है. भूमिहीन फोर टाइम्स कीमत नहीं दे सकता है। चार हजार दरखास्त आई हैं। यह भी आया है कि गरीब इस कीमत पर लेने को तैयार नहीं है।

श्री दुलाराम : अगर यह भी सही है कि सरकार 91 की कार्यवाही कर रही है ?

श्री केदारनाथ : 91 की कार्यवाही का सवाल नहीं है।

श्री दुलाराम : एक नही सैंकड़ों मिसालें दे सकता हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब 70 के अन्दर कांग्रेस सरकार ने नीलामी शुरू की तो हमने उसका विरोध किया सरकार को वह विथड्रा करना पड़ा। तो आप क्यों नही कर रहे हैं? यह तो कांग्रेस सरकार भी कहती थी। हमारी सरकार भी दुबारा उसको रिपीट कर रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानते हैं।

श्री केदारनाथ : अभी तो कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मैं दुलाराम जी को यह कहना चाहता हूं कि जिनको पहले कर दिया है, उनको पहले रेगूलराइज कर रहे हैं। आज तक, माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी ने भूमि का एनक्रोचमेंट कर लिया है और हमने एग्जामिन कर लिया है कि राजस्थान में उसके पास कोई जमीन नहीं है, तो हमने किसी को बेदखल नहीं होने दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम : 70 में जब तत्कालीन मुख्य मन्त्री मोहन लाल सुखाड़िया थे तब तत्कालीन मन्त्री शोभाराम जी ने एक कमेटी बनाई। वह कमेटी राजस्थान कैनाल में हो रहे नाजायज अलाटमेंट के बारे में जांच करने के लिए बनी थी। आप भी उसके माननीय सदस्य थे। तो क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस निर्णय के खिलाफ आप जा रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : उन्होंने जो फाइण्डिंग्स दी है, जिन जिन लोगों ने नाजायज ट्रांजेक्शन किये हैं, वह सारे बेरी कमीशन को दे दिये गये हैं।

श्री दुलाराम : आपने नहीं किया है, आपकी सरकार ने किया है। जिनको जागीरदार माना था, उनको किया है।

श्री केदारनाथ : जिस किसी के बारे में यह कहा गया है कि यह गलत अलाटमेंट हुए हैं, वे सारे केसेज बेरी कमीशन के सुपुर्द कर दिये गए हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो आपने बताया था।

श्री मथुरादास माथुर : वित्त मन्त्री जी ने बजट के घाटे की पूर्ति करने के लिए कहा है कि राजस्थान कैनाल में अलाटमेंट करके पूर्ति करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, वित्त मन्त्री जी का बजट स्टेटमेंट है, कैबिनेट और सरकार का डिसीजन है ? आपने यह बात ही है, आपने जनरल बात कही है।

श्री केदारनाथ : यह नहीं कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : आक्शन होगा ?

श्री केदारनाथ : 25% जमीन आक्शन की जाएगी। मगर गवर्नमेंट यह कर सकती है कि जमीन का अलाटमेंट करके भी पैसा काफी मिल जाये तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले। कोलोनाइजेशन में जो पालिसी बनेगी वह हाउस के सामने आएगी। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह बात कही है कि There are many a slip between the cup and the lip. वह इसी सन्दर्भ में कही है। आपका अभिप्राय डेफिनेटली यही था कि अभी तो कप और लिप के बीच में बैठा हूं। आप थोड़ा जागरुक और सतर्क रहें, मुझे यह पूरी आशंका है कि वित्त मन्त्री से निद्रा के अन्दर इस तरह से कहलवाया जायगा, आपको बलि का बकरा भी बनायेंगे। लोगों को एजीटेशन भी करना पड़ेगा, यह आप पर बहुत भार आ रहा है। इसलिए आप रेसिस्ट कीजिये।

श्री केदारनाथ : मैंने निवेदन किया यह केवल रिसोर्सेज मोबिल इज करने के लिए है। अगर रिसोर्सेज हो गए तो आक्शन की नौबत नहीं आएगी। मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि पहले आपने

(श्री केदारनाथ)

भी ग्रांवशन किया था और एजीटेशन हुआ तो वापिस लेना पड़ा । इसलिए मैंने कहा है कि कर एण्ड लिप के बीच में अन्तर है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उस समय तो आन्दोलन करना पड़ा था जब उसको वापस लिया था ।

श्री डूंगरराम पंवार (टी बी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपनिवेशन मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में मण्डी में आठ मील का क्षेत्र है । जो कीमत इस जमीन को बढ़ाई गई है वह कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई भी भूमिहीन इसको नहीं ले पाएगा । वह भूमि सरकारी भूमि है, छोटे-छोटे भूखण्डों में है, वह उबड़-खाबड़ है और उसकी स्थिति यह है कि वह अनकमाण्ड के बराबर है । जो बढ़िया जमीन थी वह तो अलाट कर दी गई, यह घटिया किस्म की जमीन है, कागजों में कमाण्ड लिस्ट में जरूर है लेकिन मौके पर नाकाबिल काश्त जमीन है, उसकी कीमत सरकार ने किस आधार पर बढ़ाई ? क्या उसका क्लासिफिकेशन करवा दिया गया था ? यदि नहीं तो, जो अलाटमेंट किया गया पहले, उससे बढ़िया जमीन कैसे हो गई ? यह इसमें कुछ नहीं देखा गया । यह जो निर्णय आपने कीमत बढ़ाने का लिया है यह गलत लिया है, यह अन्धानुकरण किया गया है, इसमें कुछ भी नहीं सोचा गया कि भूमि की किस्म क्या है । मेरा निवेदन यह है कि क्या सरकार इस भूमि की कीमत कम करने का विचार रखती है ? सरकार इसकी कीमत कम करे तो ओरिजनल अलाटमेंट जो काश्तकारों के पास है उससे अगर कम करे तब तो वाजिब है, अन्यथा यह काश्तकारों के साथ ज्यादती होगी । इस भूमि को कोई गरीब नहीं ले सकेगा, दो नम्बर पैसे वाले जरूर ले सकेंगे । यदि ऐसा है तो सरकार पूंजीपतियों को सीधे दरवाजे से लाना चाहती है ।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी के चेम्बर में यह बात हो चुकी है ।

(व्यवधान)

यह कीमत ज्यादा है । यह केबिनेट के विचाराधीन है, यह मैं निवेदन कर चुका हूं, माननीय सदस्य आप थे नहीं ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में देश के प्रधान मन्त्री जी ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी है—

"प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत को सुझाव दिया है कि राजस्थान नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र में कृषि भूमि का आवंटन करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जमीन देने के मामले में ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता दी जाय जो कृषि कार्य में कुशल हैं, साथ ही विकसित कृषि करने के लिए धन खर्च करने की सामथ्र्य रखते हों ."

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह लैटर कहां से आया ? न केबिनेट में पेश हुआ·········

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : देश के प्रधान मन्त्री ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री को लिखा और आपको सूचना नहीं, यह दुःख की बात है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधान मन्त्री जी को चिट्ठी का हवाला दिया गया और हिन्दुस्तान के दैनिक पत्र नवभारत टाइम्स में आया है, इसलिए यह निश्चित है कि चिट्ठी लिखी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उस चिट्ठी के आने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमि का आक्शन किया जायगा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है यह चिट्ठी कालोनाइजेशन मिनिस्टर को नहीं बताई होगी। यह एड-मिनिस्ट्रेटिव इम्प्रोप्राइटी है आन दी पार्ट आफ दी चीफ मिनिस्टर। कालोनाइजेशन मिनिस्टर को कान्फीडेन्स में नहीं लिया जब कि उनसे डाइरेक्ट सम्बन्ध रखता है। भूमि का अलाटमेंट। कि आक्शन की जाय या आवंटन किया जाय, भूमिहीनों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाय यह कालोनाइजेशन का काम नहीं है तो क्या डिग्गी का काम है ? आपके काम के सम्बन्ध में चिट्ठी लिखी गई, आपको यह बताया नहीं गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात की जानकारी लें कि क्या इस प्रकार की चिट्ठी आई है ? वित्त मन्त्रीजी ने उसके बाद बजट भाषण के आखिरी अनुच्छेद में राजस्थान कैनाल की 17 करोड़ की भूमि का आक्शन करने का निर्णय लिया है। आपसे पूछा भी नहीं, आप कालोनाइजेशन मिनिस्टर है। गंगानगर के तीस हजार आदमियों का, अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, क्या होगा ? क्या आपके हाथ में कुछ नहीं रहा ? मोरारजी गांधीवादी आदमी हैं, वे अड़े रहते हैं, चाहे मद्य निषेध हो या और कुछ हो, पूरी जनता पार्टी एक तरफ और वे दूसरी तरफ। ये सफेद टोपी वाले आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। आपको फिर जाना पड़ेगा। आप जल्दी से चिट्ठी लेकर निर्णय कीजिये। अब यह सीरीयस मैटर हो गया है। प्रधान मन्त्रीजी की चिट्ठी है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : काफी हाई-लाइट हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : आप मौलिक चिन्तन करें, नहीं तो सोशलिस्टों का भगवान ही मालिक है। यह अहमियत रखने वाली चिट्ठी है। इस में जो इबारत है, पढ़कर निर्णय लिया जाए नहीं तो बीच वह में रह जाओगे।

श्री मथुरादास माथुर : पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रधान मन्त्री की चिट्ठी पेश हुई है उसका कोई कान्ट्रे-डिक्शन नहीं निकला है ? यह चिट्ठी सदन की मेज पर रखी जाए। यह स्टेट

(74)

(श्री मथुरादास माथुर)

सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर का इन्टरवेंशन अनडिजायरेबल और अनवारंटेड है, मोरार जी भैरोसिंह के कान में कुछ भी कह दे, मगर प्रधान मन्त्री की हैसियत से वह चिट्ठी लिखे और उसके बाद में एग्रीमेंट हो गया। वित्त मन्त्री ने भाषण में कह दिया कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन सेकेन्ड फेज में करेंगे, बीकानेर व जैसलमेर की जमीन में हम लोग आक्शन करके रिसोर्सेज बढ़ायेंगे। आक्शन में कौन होंगे? उसमें कौन आ सकेगा? चिट्ठी में लिखा है कुशल और पैसे वाले। तो सरकार चाहती है कि वहाँ के खेती करने वाले और अन्त्योदय परिवारों को बाहर कर दिया जाए चाहे पंजाब का हो चाहे गंगानगर का जमींदार, जागीरदार हो वह आक्शन में जमीन लेगें और जो पीढ़ियों से बैठे हुए हैं और इन्तजार में है कि पानी बरसेगा और केनाल आ रही है आप उस इलाके के उन भूमिहीनों को नहीं देंगे इस स्थिति के बारे में आपने कहा था कि कप एण्ड लिप में गेप होता है, कप में रखा है वह तो गले उतर गया और बजट में बोला गया। वित्त मन्त्री ने कह दिया, बजट में लिखवा दिया कि हम तो आक्शन करेंगे और आमदनी पैदा करेंगे।

तो मैं इस चिट्ठी को हमारी स्टेट की आटोनोमी और स्टेट के कान्सटीट्यूशन में हस्तक्षेप मानता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको सदन की मेज पर रखा जाए, उसके बाद चर्चा करेंगे वरना यह राज्य सरकार की नीति है कि वह जमीन किसको दे। आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाम पर वहां के अन्त्योदय परिवारों को दूर डालेंगे और फिर कहेंगे कि भेड़ ले जाओ, भैंस ले जाओ और फिर कहेंगे कि इतने लाख आदमी बसा दिए। जो मार्जिनल फार्मर्स बैठे हुए हैं, गरीब बैठे हैं उनको हटाया जाएगा। इसलिए आज उत्तर दें नहीं तो मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री व केबीनेट से पूछ कर सदन में साफ बतायें कि आपकी नीति क्या रहेगी ताकि उस इलाके के लोगों से हम कह दें। यह गंगानगर का ही सवाल नहीं है। अब जैसलमेर के लोगों का भी सवाल है, वे आंदोलन करना जानते नहीं.......

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम तैयार हैं। बाड़मेर और जैसलमेर का एक-एक किसान एक-एक इंच भूमि के लिए लड़ेगा, पहला अधिकार हमारा है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये जो व्यूज सदन में रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें। बीकानेर का एम. एल. ए., जैसलमेर का एम. एल. ए. हो सबकी एक ही समस्या है।

श्री किशनसिंह भाटी : विरोधी दल के नेता और भूतपूर्व वित्त मन्त्री द्वारा जो विचार रखे गए मैं उनको एन्डोर्स करता हूं। जैसलमेर और कोलायत के गरीबों और अन्त्योदय परिवारों की कास्ट पर प्रोस्परस स्टेट्स के लोग आकर इस तरह से बसें, यह ठीक नहीं है जो आपने घुटने टेके हैं, ठीक है.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां गंगानगर, कहां आप ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आपका स्पष्ट रूप से कहना है। राजस्थान कैनाल आयी, जो विस्थापित लोग थे उन सारे लोगों के लिए जमीन रिजर्व रख कर गंगानगर जिले में बसाया गया तो क्या सारा का सारा कैनाल का जो उत्तरदायित्व था गंगानगर जिले के साथ, सारे का सारा दायित्व हमारा था तो फिर कैनाल के कारण……

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गंगानगर जिला, राजस्थान नहर, भाखरा नहर में भी पश्चिमी हिस्से के सारे……

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : जितने एक्स जागीरदार थे, एक्स मिलिट्रीमैन थे उनको हमारे क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया तो इनको भी हमेशा के लिए बसाया जाए। जो गरीब भूमिहीन किसान हैं उनको बसाने के लिए राज्य सरकार जो कार्यवाही कर रही है मैं निश्चित रूप से उसका स्वागत करूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान कैनाल से गाड़नेर लिफ्ट कैनाल निकालनी थी वह सरकार ने छोड़ दी। उस इलाके को पानी नहीं देना चाहते। Do you want that they should not get the land?

श्री रामनारायण चौधरी : सारे मामले को ट्विस्ट कर दिया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री महोदय ने कहा था कि सर्कन्ड स्टेज की नीति बना रहे हैं जिसमें 21 हजार लोगों को जमीन देने की बात की है। It is challence do your colle- tive wrisdon.

आज सदन में मैं उस इलाके की वोइस रेज करना चाहता हूं। प्राइवेट जमीन पर पहले आदी लोगों का हक है। सर्कन्ड फेज में लिफ्ट कैनाल एरिया को इन्क्रीज करें तो क्या दिक्कत है? इरिगेटेड एरिया और बढ़ती है तो आदी लोगों को जमीन अलाट कर सकते हैं। आपने हमारे इरिग्रेटेड एरिया को वन थर्ड कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : विरोधी दल के नेता और कांग्रेस दल के नेता ने जिस प्रश्न को उठाया उस प्रश्न का अब तक जो विषय प्रकाश में आए हैं उनमें दूसरा नम्बर है। पहले प्रधान मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री को चिनापल्ली के राजा की 4 हजार बीघा जमीन को सीलिंग से मुक्त करने के लिए लिखा। वहां चूंकि कांग्रेस का शासन था इसलिए वह लैटर आउट हो गया। वहां के मुख्य मन्त्री ने इसको रेसिस्ट किया यह पत्र उसके बाद देश के सामने प्रकाश में आया है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह को लिखने का मामला है यह इसलिए प्रकाश में नहीं आया चूंकि मुख्य मंत्री दबाव बैठे हुए हैं। यह कालोनाइजेशन मन्त्री, वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री के बीच का मामला है। तीनों ने मिल कर राजस्थान कैनाल की भूमि को नीलाम करके लोगों को तबाह करने की

(श्री रामनारायण चौधरी)

योजना बजट में बनाई है । यह उस पत्र के बाद किया है, मैं मांग करूंगा कि यह ऐसा अहम प्रश्न है, आंध्र के बाद राजस्थान का मामला आया है । यह एक षड़यन्त्र है कि किस प्रकार पैसे वाले कुशलता के नाम पर साधनों के नाम पर राजस्थान की खाली भूमि को दबाने जा रहे हैं । जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं उनके लिए कुशलता का प्रश्न उठाया गया है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आप कोलोनाइजेशन मंत्री को आदेश दें कि उस पत्र को सदन के सामने पढ कर सुनायें और स्थिति स्पष्ट करें । राजस्थान में हलचल मची हुई है, केन्द्र से हस्तक्षेप हो रहा है ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री के लैटर के नाम से माथुर साहब और विरोधी दल के नेता ने जो अपनी कलेक्टिव विस्डम का परिचय दिया और कहा कि वे नीलामी के खिलाफ हैं, मेरा निवेदन है कि लाठी चार्ज हुआ, नीलामी हुई, वह स्टेज तो आयी नहीं । श्योपतसिंह जी के लिए कह सकते हैं ......

श्री मथुरादास माथुर : आप लाठी चार्ज चाहते हैं क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : 15 लोगों को मारा है नीलामी के नाम पर ।

श्री केदारनाथ : दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि यह स्कोप से बाहर है ।

श्री दुलाराम : हम भूमिहीन थे ......

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : नीलाम नहीं होने देंगे ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप चोर थे उस समय ......

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप भी चोर हैं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तुम्हारे मिनिस्टर चोर थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेसी जमीन नीलाम करने वाले हैं और अब भी यह सरकार नीलाम करेगी तो हम नीलामी नहीं होने देंगे ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पहले भी नीलामी करने का प्रयत्न किया गया उस समय भी लाठी चार्ज हुआ और हमने नीलामी को रुकवाया । वकालात कर रहे हैं, श्योपत सिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त कीजिए।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में यह कहा था कि जमीन नीलाम की जायेगी। बजट भाषण में कही गयी और चिट्ठी में कही गयी बात है तो क्या आप नीलामी करेंगे ? और नीलामी करेंगे तो भूमि हीनों को कैसे जमीन देंगे ?

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य, लेट आये।

श्री लालचन्द : मुद्दे की बात तो प्रयोपतसिंहजी ने कही। पहले भी आदमियों को गोली से मार दिया गया था। वही की वही हालत अब होगी। वही नीलामी फिर शुरू होगी तो क्या जनता सरकार फिर आदमियों को मारेगी ?

नीलामी होगी तो आन्दोलन चलेगा। इसी बात पर कांग्रेस सरकार ने पहले आदमियों को भून दिया था और लोग जेल में गये थे, क्या उसी तरह से गोली काण्ड नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था.......

श्री अध्यक्ष : पहले वृद्धिचंद जी जैन, फिर आप और फिर श्री अब्दुल अजीज।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री जोधाराम पुत्र नोलाराम जाट निवासी बायतु के मकान में 30-10-78 व 29-10-78 को रात में मकान में श्री हीरसिंह पुरोहित हैड कान्सटेबल बुरी नीयत से आया था। जब जोधाराम और उसकी पत्नी रात को 11 बजे पहुंचे तो उन्होंने उनके मकान में हीरसिंह पुरोहित को देखा। वह बुरी नीयत से आया था। उसको पकड़ा और उसको पकड़ने पर हीरसिंह के साथ एक आदमी था उसने इसकी सूचना दी। सूचना देने पर चार कांसटेबल आये। चार कांसटेबलों और हीरसिंह पुरोहित ने जोधाराम और चुन्नीलाल दोनों को पकड़ा और पकड़कर पुलिस थाने में ले गए। उनकी थाने में मारपीट की और वहां रोके रखा। जबरदस्ती उनको शराब पिलाई और शराब पिला कर उनको हथकड़ियां लगाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस पर मैंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा। एडजोर्नमेंट मोशन रखने पर गृह मन्त्री जी ने सी. आई. डी. पुलिस के जरिये जांच करवाई। सी. आई. डी. पुलिस के जरिये जो जांच करवाई और जिस आफिसर के द्वारा करवाई वह बहुत ही निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी था। उन्होंने मौके पर जाकर जांच की और जांच से यह पाया गया कि मुकदमा बिलकुल झूठा किया गया था। इस प्रकार का झूठा मुकदमा करना, जबरदस्ती शराब पिला कर प्राहिबिशन एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा करना और हथकड़ियां लगा कर प्रस्तुत करना यह सब चीजें जांच के दौरान सही पाई गयीं। हैड कान्सटेबल हीरसिंह का बुरी नीयत से आना कि उनके घर पर लड़की है। बुरी दृष्टि से आया, वहां लड़की का नहीं होना

(श्री वृद्धीचन्द जैन)

इस संबंध में जांच की गयी पुलिस द्वारा।

मैं गृह मंत्री जी की इस सम्बन्ध में तारीफ करूंगा कि उन्होंने उसी समय निष्पक्ष अधिकारी को भेजा। उस अधिकारी पर पुलिस के लोगों द्वारा दबाव भी डाला गया लेकिन वह बहुत ही निष्पक्ष अधिकारी थे। पहले भी उनका रेपुटेशन इस मामले में अच्छी है। उन्होंने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दी और झूठा मुकदमा साबित किया। उसके बाद में अभी तक पुलिस सब इन्सपेक्टर, जिसने मुकदमा दर्ज किया जो कि उसे दर्ज नहीं करना चाहिए था और हीरसिंह हैड कान्सटेबल, जिसने मारपीट कराई, और हथकड़ियां लगाकर कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया और 4 कान्सटेबल जिनके नाम मैंने स्थान प्रस्ताव में लिखे हैं। जांच में भी आये हैं, उन्होंने मार-पीट करके निर्दयता का व्यवहार किया है, इसके सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तुरन्त से तुरन्त की जाये और उनको सस्पेन्ड किया जाये। गृहमन्त्री जी फाइल मगा लें, वह खुद सेटिस्फाइड हो जायेंगे मैं भी मौके पर गया हूं और मैं सेटिस्फाइड हूं और अधिकारी भी गये वह भी सेटिस्फाइड हो गये हैं। फिर उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें सस्पेन्ड किया जाये। हैड कान्सटेबल और एस. एच. ओ. ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जोधाराम और चुन्नीलाल की तोहीन हुई है। जिस आदमी ने कभी शराब नहीं पी उसको शराब पिला कर इस प्रकार की कार्यवाही की गयी। यह बिल्कुल अनुचित कार्यवाही की गयी है। मैं गृह मन्त्री जी से यह चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने पहले निष्पक्ष अधिकारी को भेजकर कार्यवाही कराई उसी प्रकार से निष्पक्ष अधिकारी को डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए नियुक्त किया जाये जिससे वह दण्डित हों। आशा है गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में अवश्य ही ध्यान देंगे।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूर्व में भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखा था और मैंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिस प्रकार की यह घटना है इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष और सही जांच होनी चाहिये। इसकी जांच हो चुकी है। जांच में जो माननीय सदस्य ने कहा वह सही है, वह कर्मचारी दोषी हैं। फाइल मेरे पास है और इसमें 19 फरवरी का लैटर है डी. आई. जी (सी. आई. डी.) का जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि दोषी पुलिस कर्मचारी को निलम्बित कर उनका पुलिस लाइन्स में पदस्थापन करने व विभागीय जांच करने हेतु निर्देश दे दिए गये हैं। यह पत्र मेरे पास है। इसके साथ ही मेरे पास 26 तारीख को पत्रावली आई है। मैं उसको देख नहीं सका कि उसमें क्या है। उनको सस्पैन्ड करने के निर्देश दे दिये गये हैं। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं हीरसिंह हैड कान्सटेबल है और उसमें 4 कान्सटेबल और हैं वह भी आइडेन्टीफाई कर लिए गए हैं। क्योंकि माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है तो मैं आज ही मालूम करूंगा कि इस हुक्म की तामील हुई या नहीं, सस्पैन्ड हुआ या नहीं और लाइन हाजिर

(श्री सम्पतराम)

हुए या नहीं। इतना ही नहीं कि उनको मोअत्तिल कर दिया गया। यह फाइल मेरे पास है यदि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनी तो वह भी फिक्स करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ हैड कांस्टेबल और चार सिपाही तो मोअत्तिल होंगे ही, मुझे संभावना दिखती है, पत्रावली को ध्यान से देखलूं, शायद एस. एच. ओ. को सस्पेण्ड करना पड़े।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाने के लिये स्थगन प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में माफीदारी और जागीरदारी जब खतम हुई तो जमीन पर जो काबिज थे जमीन उनको दे दी गई, उनके खाते खुल गये लेकिन बीच में कोई कुआं है उनके नाबरद के अधिकार जागीरदारों के नाम पर रह गये। यह एक टिनेन्सी एक्ट में भी खामी रह गई जिसकी वजह से चाहे टूटा फूटा कुआं हो, चाहे पानी हो चाहे सूखा हो, जिस किसान ने जमीन की काश्त की, अपने पास से पैसा लगाकर कुआं ठीक कर लिया है, पानी कर लिया है, ईंजिन लगा दिया है और दूसरा हर प्रकार का खर्च लगा कर उससे भूमि सिंचित कर रहा है और राज्य सरकार को लगान दे रहा है लेकिन उस कुएं का मालिकाना हक उस किसान के पास नहीं है। यह बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी माफीदार और जागीरदार किसान को धमकी देता है बीच में जाकर जमीन जोतने से रोक देता है, पिलाई बन्द कर देता है जिसकी वजह से शोषण होता है। इस बहुत बड़ी खामी जो यह आपके टिनेन्सी एक्ट में रह गई है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से कि इसी वक्त आप फर्मायें कि जो आप संशोधन रखेंगे उन संशोधनों से इसको शामिल करके किसान को राहत पहुंचायेंगे आपस के संघर्ष को मिटायेंगे यही मेरा निवेदन है।

श्री पुरुषोतम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) जयपुर जिले के बारे में कुछ सूचना आपने मांगी है। मुझे 10 बजे स्थगन प्रस्ताव मिला। यह बात सही है कि जब जागीर और माफी रिज्यूम हुई, जागीरदार ने किसी न किसी रूप में कुएं की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। यह हुआ है। जयपुर के जिलाधीश को मैंने कहा था वे आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। रहा सवाल यह कि टिनेंसी एक्ट में संशोधन किया जावे, इस बारे में विचार चल रहा है। अभी जो संशोधन किये जायेंगे, उसमें तो नहीं रखा जा सकेगा। माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि बहुत दिनों से इस सम्बन्ध में सरकार चिन्तित है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा भी है कि चारों तरफ काश्तकार की जमीन है और बीच में कुआं है, तो कुएं का अर्थ ही क्या ? कुएं की ओनरशिप भी मीनिंगलेस है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के जरिये माननीय राजस्व मन्त्री और मुख्य मन्त्री का ध्यान पाली

80

(श्री शंकरलाल)

जिले में सीलिंग में अवाप्त जो भूमि भूमिहीन कृषकों और दूसरों को आवंटित की गई वह भूतपूर्व जागीरदार और सामन्त द्वारा किसी सुनियोजित तरीके से, षड़यन्त्र करके, सरकारी अधिकारियों से मिल कर वापस हथियाई जा रही है। यह राजस्व अभियान भूमि हथियाओ अभियान के रूप में पाली जिले में किस प्रकार कार्यान्वित किया, यह मैं आपकी मार्फत राजस्व मन्त्री महोदय को उदाहरण के जरिये बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, गांव फूलवाल तहसील जैतारण के श्री के. एस. सांखला, जो डिफेन्स में है, की तरफ से पत्र आया है। राजस्व मन्त्री जी के पास भेजा, मुख्य मन्त्री जी के पास भेजा और जिलाधीश के पास भेजा और उसमें उन्होंने बताया कि जो सीलिंग की भूमि उनको सन् 67 के अन्दर आवंटित की गई थी उसको वापस लेने के लिये, आपके जिलाधीश से वहां के एस. डी. ओ. और तहसीलदार ने मिल कर नोटिस भिजवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, सीलिंग की जमीन, जो आवंटित की जाती है, और सरकारी पड़त जमीन, जो आवंटित की जाती है, के अन्दर अन्तर है। सीलिंग की जमीन का मुआवजा उससे लिया जाता है जिस आदमी को आवंटित की जाती है। सरकारी जमीन निःशुल्क आवंटित की जाती है। जब सीलिंग की भूमि आवंटित की जाकर मुआवजा लिया जाता है तो कोई एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये कैन्सिल करने का अधिकार रूल 14 (4) आज अलाटमेंट रूल्स में नहीं है। राजस्व मन्त्री जी इस बात को मानेंगे। जिस व्यक्ति में जो रकम बाकी रह गई, उसने एक चौथाई रकम पहले भर दी और 600 रुपये बाकी रह गये, तो एक तरफ उधर से तकाजा किया जाता है, 600 रुपये की कुर्की निकाली जाएगी दूसरी तरफ जो जमीन दी गई है उसको कैन्सिल करने का नोटिस जारी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि फूलमाल की जमीन भूतपूर्व जागीरदार की जमीन थी उसको सीलिंग में अवाप्त कर सन् 1967 के अन्दर इनको जमीन आवंटन की गई, खातेदारी अधिकार उनके पास हो गये ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस जमीन के खातेदारी अधिकार हो जाते हैं उसका आवंटन क्या जिलाधीश द्वारा कैन्सिल किया जा सकता है? यह बहुत गम्भीर बात है। अध्यक्ष महोदय, यह पाली जिले का ही प्रश्न नहीं है, सारे राजस्थान के ऊपर लागू होता है। भूमि आवंटन नियमों के अन्दर 14 (4) के तहत जो कलेक्टर को अधिकार कैन्सिल करने के लिये दिये गये हैं उनके अन्दर कोई लिमिट नहीं है। 5, 10 साल के बाद भी कैन्सिल किया जा सकता है। जिसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, राजस्व मन्त्री जी, किसी प्रकार से आवंटन होने के बाद उस गरीब किसान ने उस पर कुआं खोदा, हजारों रुपया इन्वेस्ट किया, उसके बाद में उसे नोटिस मिले कैन्सिल करने का, यह किस प्रकार की व्यवस्था है? अध्यक्ष महोदय, इस पार्टी का राज आने से पहले चाहे बीस सूत्री कार्यक्रम था, चाहे सीलिंग के अन्दर अवाप्त जमीन बांटी गई उसको वापस लेने के

(श्री शंकरलाल)

लिए वहां के जागीरदार सरकारी अधिकारियों की मार्फत षड़यन्त्र रच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाऊं, आपने चिन्ता व्यक्त की थी जब जैतारण के एस.डी.ओ. के द्वारा भूमि अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग में मुझ विधायक को न बुलाने पर मैंने रिकार्ड सहित अपनी बात सदन के समक्ष प्रस्तुत की, और इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन किया था और, माननीय अध्यक्ष जी, आपने बड़ी कृपा करके ऐसे एस. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करने की स्वयं चिन्ता व्यक्त की थी लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि वह सरकारी कर्मचारी अभी तक भी अपनी कार्यवाही जारी रख रहा है। एक दफा पाली जिले के अन्दर एस. डी. ओ. थे के. एल. मीणा 400 सीलिंग के केस खोले। उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स की जमीन वापस भूतपूर्व जागीरदारों को दिलाई, उनका तो वायरलैस से ट्रांसफर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल चार महीने के बाद, राजस्व मन्त्री जी, आपने के. एल. मीणा का ट्रान्सफर किया है और इसलिए किया है कि उसने सीलिंग के केस खोले। मैं निवेदन करना चाहता हूं दोनों तरफ कम्पेरिजन कीजिये। एस. डी. ओ., जैतारण भूतपूर्व जागीरदारों से मिलकर सीलिंग की जमीन वापस दिलवाने की कार्यवाही कर रहा है। उसके बारे में सदन में क्वेश्चन उठाये जाते हैं और रिकार्ड से गलती साबित होती है। दूसरे एस. डी. ओ. पाली कार्यवाही करता है, यह मेरे पास लिस्ट है। खीमा, भूरा चिमना, सु ता, चेला, ढाबा, खीमा पुत्र पदा, केसा, हीरा छोगा ये सब आदमी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए एस.डी.ओ., पाली ने धारा 183 के तहत मुकदमे दर्ज किये और उस जमीन को कुर्क कर लिया क्योंकि भूतपूर्व जागीरदार फतह सिंह हनुवन्त सिंह नाराज हो गये और यहां आकर सरकार के समक्ष एस. डी. ओ. का वायरलैस से ट्रान्सफर करा दिया। जो भूमि को हथियाने का काम करे, उसको तो सरकार रखती है। एस. डी. ओ., जैतारण का उदाहरण दूं, गांव शिमला तहसील जैतारण में कालू राम सूजा राम को मुकदमा नं. 950।94 के अन्दर 107 में वारन्ट भेज कर हथकड़ी डालकर बुलाया। एस. डी. ओ. को एक तरफ अलाटमेंट की पावर्स हैं और दूसरी तरफ दोनों का झगड़ा है। कालू सूजा गरीब किसान को डूंगरसिंह एस. डी. ओ, जैतारण ने गांव शिमला के हमीर सिंह भूमि धारक से मिलकर 107 के वारण्ट भेज कर गिरफ्तार करके हथकड़ी डाल कर बुलाया। 107 में पहले पहल हथकड़ी नहीं डाल सकते हैं इसलिए पहले नोटिस निकाला और यह तसदीक कराई, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, उस गांव में विशना नाम का कोई आदमी नहीं है लेकिन किसी तरह नोटिस को तसदीक करा लिया, बेचारे कालू को पता नहीं फिर भी एस.डी.ओ. ने वारन्ट जारी किया। उसको हथकड़ी डाल कर जैतारण में घुमाया गया। एस.डी.ओ. चले गये रायपुर क्योंकि उनको खतरा था, अध्यक्ष महोदय, उस आदमी को 107 के मुकदमे में, जमीन के मामले में हथकड़ी डाल कर घुमाया गया। इस जनता पार्टी के राज्य में आज जमीनों के मामलों में जुल्म हो रहे हैं। एक तरफ आप राजस्व अभियान की वाहवाही ले रहे हैं दूसरी तरफ गरीबें

(श्री शंकरलाल)

की जमीन को छीन रहे हैं। मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूं गांव रास में गूजरों की जमीन है। भूतपूर्व जागीरदारों की जमीन सीलिंग में आई हुई थी। जब सीलिंग के मुकदमे होते हैं तो जागीरदारों को आप्शन का अधिकार होता है। उन्होंने उस वक्त अपना आप्शन नहीं दिया लेकिन 10-15 साल बाद यह कहा कि मुझे तो वही जमीन चाहिये। मैं राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सीलिंग में जो जमीन आप दे चुके हैं, सीलिंग की जमीन को बांट चुके हैं, जिस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और लाखों रुपया लगाकर उस पर उद्योग बना लिये हैं, उस जमीन को उनसे वापस लेना चाहेंगे तो आप कहेंगे नहीं लेकिन आपके यहां ये जमीनें वापिस ली जा रही हैं। आपका पाली में इस प्रकार सुनियोजित षड़यन्त्र चल रहा है कि जागीरदारों की जो सीलिंग से जमीन ली, उनको आप वापस दिला रहे हो।

अध्यक्ष महोदय, जैतारण की इन घटनाओं पर माननीय मन्त्री महोदय का यदि सन्तोष जनक जवाब नहीं आया तो जैतारण के लोगों को यहां आकर घेराव करना पड़ेगा, आन्दोलन करना पड़ेगा। मैं उनके सब फैक्ट्स रखने को तैयार हूं। आप समाजवादी मिनिस्टर हैं और आप उस घटक से आये हैं तो हमें उम्मीद है कि आप फैक्ट्स मंगाकर जांच करवायेंगे और वहां के लोगों को न्याय दिलवायेंगे।

श्री हनवंत सिंह राणावत (बाली) : आन एप इन्ट आफ इनफार्मेशन, सर।

माननीय शंकर लाल जी ने एस. डी. ओ., जैतारण डूंगरसिंह पर दुनियां भर के आरोप लगाये हैं। जो विश्नोई हैं उस आदमी को 20 वर्षों से जानता हूं। उसमें कहीं भी जातिवाद और सामन्तवाद की बू नहीं है और आज दिन तक नियमों में चला है। वह राजपूत है इसमें कोई शक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : आपकी मिली भगत होगी।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं एक बात तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं जब से मन्त्री बना हूं तब से जितनी दरख्वास्तें माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने दी है और कहा है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है मैंने उन सबकी जांच करवाई है। उनमें से एक भी सही नहीं पाई गई है। मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने अलग फाइलें बना रखी हैं।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर अलाटमेन्ट रूल्स के मुताबिक, 70 के जो नियम हैं····

(व्यवधान)

प्लीज सुनिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बात सुन लें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सन् 1970 के आवंटन के नियमों के तहत ...

(व्यवधान)

श्री नूरा : सबको आप गिना रहे हैं, यह उचित नहीं है। जो आप कह रहे हैं वह गलत है।

श्री हनुवंत सिंह राणावत : माननीय सदस्य द्वारा यह शिकायत जो आज यहां उठाई जा रही है यह कलेक्टर, पाली के पास चली थी। कलेक्टर ने जांच करके सारी कार्यवाही की है और इन सारे तथ्यों को गलत पाया है। आपकी जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : चमारों की जमीन वापस ली है....

(व्यवधान)

और वायरलैस से आपने चार महीने में ही एस. डी. ओ., का ट्रान्सफर करवा दिया। आप यह बतायें कि 183 में ये मुकदमे हैं या नहीं ? कालूराम सूजाराम की जमीन का केस है या नहीं। देखिये मुकदमा धारा 183 (बी) असिस्टेन्ट कलेक्टर और एस. डी. ओ. बालीखोमा, बूरा पी. पदा सरगरा बि. गुड़ादेवी सिंह तहसील बाली। यह है खसरा नम्बर 52 चिमना बवा पि. मामा ओटा दोवा मलवा सा गुड़ा देवीसिंह तहसील बाली खसरा नं. 57, सुरता पुत्र मामा भूवता वरदाराम वगैरह खसरा नं. 50 इसी तरह चेला पुत्र रामा भांबी सा. बीजापुर खसरा नं. 56, दावा पुत्र गाता ममना पुत्र राजा वगैरह खसरा नं. 58 खसरा नं. 59 में खीमा पुत्र पदा सा. गुडा देवी सिंह....

(व्यवधान)

उसमें प्रतिवादी गण हैं फतेहसिंह हनुवंत सिंह ये शायद आप ही होंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

माननीय मन्त्री जी की बात सुन लीजिये।

श्री शंकर लाल : इन्ट्रप्ट किया है इसलिए पूरा चिट्ठा पढ़ने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, ये सब शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी जमीन दबाई है। अध्यक्ष महोदय, फतेहसिंह के खिलाफ 183 के मुकदमे जेर तजवीज हैं। ये भोमा बीजापुर इनका भी मुकदमा है 183 (बी) का मुकदमा एस. डी. ओ. के पास चल रहा है। ये सब खीमा, भूरा, चिमना सुरता चेला केसा हीरा सा. बीजापुर.....शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं जिनकी जमीनों को लिया जा रहा है। तहसील बाली, इनका भी जमीन का मुकदमा आपके खिलाफ था। इसी तरह से केसा. हीरा, छोगा पिता देवा सरगरा सा. बीजापुर वर्सेस

(श्री शंकरलाल)

फतेहसिह हणुवंत सिह वगैरह है। इसी तरह से एक ग्रौर केसा हीरा छोगा पि. देवा सरगरा सा. गुडा देवीसिह का है। ग्रध्यक्ष महोदय, अगर ये गलत हों, यह लिस्ट गलत हो तो ग्राप कह दीजिए। ये मुकदमे वहां पर चले हैं एस. डी. ग्रो. की कोर्ट में। एस. डी. ग्रो. ने प्राइमाफेसी केस मान कर जमीनों को कुर्क कर लिया। जमीनों को कुर्क करने पर इन्होंने ग्रपनी इज्जत का सवाल बना कर उस ग्राई. ए. एस. ग्रधिकारी जो कि बहुत ईमानदार ग्रधिकारी था, का ट्रांसफर करवा दिया। उसने तीन महीने का समय दिया, उसका ट्रांसफर ग्रापने वहां से करवा दिया ग्रौर ग्रब यहां पर ग्राकर ग्राप डूंगरसिंह जैसे भ्रष्ट ग्रधिकारी की पैरवी करते हो। आपको कोई बोलने का ग्रधिकार नहीं हैं। ये कैसे बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हनुवंत सिंह राणावत : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेरे पर एलीगेशन लगाए हैं ग्रगर उनमें से एक पर्सेन्ट भी सही पाये जाय तो जो कुछ भी हो करने को तैयार हूं।

श्री शंकर लाल : ग्राप यह कह दीजिए कि मुकदमे दर्ज हैं या ? नहीं जमीनें कुर्क हुई हैं या नहीं ?

श्री हनुवंतसिंह राणावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ग्रभी इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरी जांच हो जावे उसके बाद में जो कुछ भी स्थिति होगी वह सामने ग्रा जाएगी।

श्री शंकरलाल : जांच तो हो ही नहीं सकेगी। आपने एस. डी. ग्रो. को बदलवा दिया। गरीब भूपतियों की जमीनें दबा रखी है ग्रौर डूंगरसिंह जैसे भ्रष्ट ग्रधिकारी की पैरवी कर रहे हैं। एक तरफ तो जिसने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की जमीनें वापस दिलवाई उसका ट्रांसफर करवा दिया ग्रौर जिसने ग्रापकी जमीनें कुर्क कर लीं ..

श्री नूरा : ग्राप जो पैरवी कर रहे हैं एस. डी. ग्रो. की तो इसका मतलब है कि ग्रापका भी उसमें वेस्टेड इंट्रेस्ट है ?

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : ग्रगर ये बोलेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री हनवंत सिंह राणावत : इस सम्बन्ध में मैं····

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : ग्ररे मुझे बोलने दो। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रावंटन के नियम हैं उनमें ग्रगर कोई ग्रावंटन वायड-एब-इनीशो, बुनियादी तौर पर विधि सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है तो कलेक्टर को नियम 14 (4) के तहत उसको निरस्त करने का अधिकार है। उसमें कोई संशोधन करने का सरकार को ग्रधिकार नहीं है।

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

दूसरी बात जो अभी मुकदमों के बारे में, वही 183 के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका जिक्र माननीय शंकरलालजी ने किया है। 183 (ए) और (बी) के जितने मामले हैं उनके लिए जनता सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि मुकदमों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा क्योंकि यह आपातकाल नहीं है। अगर मुकदमों के बारे में आप यहां पर विधान सभा में कोई कमिटमेंट लेना चाहें तो सरकार इस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। यह कानून और अदालतों के तहत है।

चौथी बात माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने शिकायत की है उसमें जांच करवा कर अगर कोई सहायता दी जा सकती है, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार की ओर से कोई सहायता दी जा सकती है तो जरूर दी जाएगी, मैं यह विश्वास दिलाता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : आपने एस. डी. ओ. का ट्रान्सफर किया या नहीं ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आपको मालूम होना चाहिये कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों के ट्रांसफर का मुझ से सम्बन्ध नहीं है और न मुझे इस बारे में कोई जानकारी है।

(व्यवधान)

तुम्हारी निगाह तो सरकार पर रहती है। सरकार पर क्यों मोटिव लगाते हो ? मैं निवेदन करूंगा कि सारे देश में यह सुनियोजित षड़यन्त्र इन्दिरा कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। जनता सरकार हरिजनों पर और मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, यह आरोप बिल्कुल झूठा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मन्त्री जी को पता नहीं है कि मैं कांग्रेस का हूं। मैं इन्दिरा कांग्रेस का नहीं हूं, यह शायद इनको पता नहीं है। यहां पर कांग्रेस और इन्दिरा कांग्रेस का होने से मतलब नहीं है, जो भी सही बात होगी उसको कहना पड़ेगा। हम कहेंगे। उसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी जब आरोप लगाया गया था तो अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था, यह रिकार्ड के ऊपर मौजूद है कि मीटिंग में मुझे जानबूझ कर नहीं बुलाया जाता है और वह इसलिए नहीं बुलाया जाता है, मैं जानता हूं कि अगर मीटिंग बुलाई तो उनकी चल नहीं सकेगी, भूमिहीनों पर जुल्म नहीं कर सकेंगे। आप उस सारी बात को दबा गए, खा गए। क्या एक्शन लिया आपने उस अधिकारी के खिलाफ ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : जांच के अन्दर आपकी बातें गलत पाई जावें तो क्या करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी इन्दिरा कांग्रेस के लिए यह कहा गया कि उसका यह षडयंत्र है, जानबूझ करके हरिजनों की जमीनों के बारे में कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ये जितने भी अख-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बार निकलते हैं, चाहे नवज्योति हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, चाहे राष्ट्रदूत हो, आल इंडिया लेवल पर जितने भी पेपर निकलते हैं, रोजाना उनके अन्दर समाचार आते हैं हरिजनों पर अत्याचार के, इतने हरिजन मारे गए, इतनी हरिजन महिलाओं पर बलात्कार हुआ, इतने हरिजनों की जमीनों छीन लो, ये सारे के सारे जो समाचार रोज निकलते हैं क्या सभी इन्दिरा कांग्रेस के षडयंत्र हैं? आप आंख मींच कर मत सोइये। हम तो आगाह कर रहे हैं, अगर इसी तरह से मामले चलते रहे तो अपने आप ही आपका तख्ता पलट जाएगा।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ···

श्री केदारनाथ : स्पेशल कोर्ट के नाम से विरोध करेंगे, हरिजनों के नाम से नहीं करेंगे।

श्री शंकरलाल : मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर जांच करायेंगे या नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 14 (4) का हवाला दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की अलाटेड लैंड को कैंसिल करने का 14 (4) में है लेकिन जो सीलिंग से सम्बन्धित भूमि का सवाल है, सीलिंग के अन्दर लैंड कैंसिल करने का सवाल है, इसके रूल्स अलग बने हुए हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह सही है कि सीलिंग के लिए 14 (4) नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से मामलों में हाई कोर्ट से, रेवेन्यू बोर्ड से डिसिजन हुए हैं। जो सीलिंग के केसेज हैं उनमें सरप्लस लैंड डिक्लेयर की गई। सीलिंग की सीमा में जो मामले लिए गए हैं उनमें रेस्टोरेशन हुए हैं। उस रेस्टोरेशन के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। उसमें कोई प्रोवीजन नहीं है कि इस तरह का कि वह नोटिस दें ही। अलाटमेंट के लिए धारा 14 में कलेक्टर कार्यवाही कर सकता है लेकिन सीलिंग के मामले में अगर रेवेन्यू बोर्ड अपील मंजूर कर ले, कोई निगरानी मंजूर कर ले, हाई कोर्ट अगर रिट स्वीकार कर ले तो अधीनस्थ न्यायालय से सरप्लस डिक्लेयर की गई वह जमीन वापस दिलाई जाएगी उसमें कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री शंकरलाल : ऐसा है कि रेवेन्यू बोर्ड में रिटें हुई है वह अलग है लेकिन जो जमीन अलाट कर दी, अलाटमेंट किए हुए बारह साल हो गए, 67 में अलाटमेंट हुआ, बारह साल हो गए उसके बाद गरीबों ने कुए खोद लिए, हजारों रुपये खर्च कर दिये, उनको खातेदारी के अधिकारी दे दिए, वर्षों से जमीन को डवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको कौन सी कोर्ट कैंसिल कर सकती है।

(2.25 म. प)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जागीरदारों को वापस उनकी जमीन दिलाना चाहते हैं। उस पर कब्जा कर रखा है, यही आपकी समाजवादी नीति है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैंने तो जनरल स्थिति बताई है, आप नाराज क्यों होते हैं। आप किसी की नीयत पर शक क्यों करते हैं।

श्री शंकरलाल : जिनकी खातेदारी हो गई....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : किसी की नीयत पर क्यों शक करते हैं, शंकरलालजी ?

श्री शंकरलाल : आप बात ही ऐसी करते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शंकरलालजी, बिराजें।

श्री शंकरलाल : जनता पार्टी के घटकवाद में आपके समाजवाद की बातें तो गई। आप भी हो गए ऐसे ही।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान भीलवाड़ा की ओर खींचना चाहता हूं। भीलवाड़ा के बनेडिया में ऐसे मामलों के बारे में मंत्रीजी को लिख कर दिया था। क्या मंत्रीजी इस संबंध में कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे ?

श्री शंकरलाल : ऐसे मामले तो राजस्थान में कई क्षेत्रों में हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : यह बात सही है कि भीलवाड़ा में भी यह स्थिति आई थी। भीलवाड़ा के बारे में रिपोर्ट मंगवाई है, यह आपको भी याद है। मैंने आपको जानकारी दे दी थी।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : अब उसके बारे में कोई कदम उठायेंगे ?

श्री शंकरलाल : ये क्या कदम उठायेंगे, सारे जागीरदारों को वापस जमीनें दिलायेंगे।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बड़ी शर्मिन्दगी के साथ यह बात पेश कर रहा हूं, इसलिए कि माइनोरिटीज का नाम लेते हुए मुझे यह बात पेश करने पर मजबूर होना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता सरकार को आखिरी बार वक्फ की जायदादों और उनके ऊपर होने वाले अतिक्रमणों के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बाद सदन में वक्फ की जायदादों की वकालत नहीं करूंगा। इसलिए कि लगातार इस सरकार की योजनाएं हमारे सामने आ रही हैं उससे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसी नतीजे पर

(श्री अब्दुल अजीज)

पहुंचा हूं कि सरकार अपना मानस बना चुकी है कि माइनोरिटीज के लोगों को इस तरह से बेचैन कर दिया जाय उनके सुखचैन को और उनके दिमाग को इस तरह से उलझन में डाल दिया जाय कि वे चैन से न रह सकें। इस प्रकार की योजना है, यह इससे साबित हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सैक्रेटरी साहब को तीन फोटो कोटा के कब्रिस्तान की दी हैं। यू. आई. टी. कोटा ने और नगरपरिषद् कोटा ने इस तरह से किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वह कोटा के कब्रिस्तान की हैं। उस कब्रिस्तान के ऊपर जितने हकबहक हैं, एक तरफ तो स्कूल बना हुआ है, दो तरफ छोटे-छोटे तालाब हैं, पश्चिम की तरफ सड़क जाती है, इसके दरमियान में यह कब्रिस्तान आया हुआ है। वह आज से नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 65 में राजस्थान वक्फ एक्ट में नोटिफिकेशन हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अन्दर नम्बर 134 और 135 नम्बर पर है। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के नगर विकास न्याय और नगर परिषद् ने योजना बद्ध तरीके से, बहुत सोचे समझे तरीके से किया है, जिसमें सरकार की पोल है, सरकार के मन्त्री यह कह दें, केबिनेट का मन्त्री यह कह दे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई इंकार नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि जब तक ऊपर से शह नहीं होती है, नीचे के किसी अधिकारी को यह हिम्मत नहीं होती है कि वह इस तरह का खिलवाड़ माइनोरिटीज के साथ करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन पत्रकारों का शुक्र गुजार हूं, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, नवज्योति वगैरह-वगैरह का, जो यह समाचार प्रकाशित करते हैं, लिखते हैं, और हमारी नालेज में लाते हैं। इस तरह की साजिश योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग जिलों में माइनोरिटीज के साथ कि जा रही है। अगर ये पत्रकार, अखबार न लिखें तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमको पता ही न चले कि किस तरह से दम घोट रहे हैं। जो माइनोरिटीज के नुमाइन्दे सरकार में हैं, जो उनकी वकालात करते हैं, जो उनके हितों को देखते हैं, आखिरी दिन तक यह कहना पड़ेगा कि आप इस तरह से माइनोरिटीज के नाम पर इस पद पर नहीं रह सकते हैं। उसके आप सही नुमाइन्दे नहीं है। या तो आप उनकी सही नुमाइन्दगी करें या अपना इस्तीफा देकर इस पद से हट जाएं। इस तरह से आप मुंह क्यों छिपाते हैं? जब भी मसला उठता है, अखबारों में आता है, मन्त्री महोदय, अखबार वालों को देखते हैं। आज भी मैं देख रहा था, वे इस हाउस के सदस्यों को दबा रहे थे। उनको यह कह रहे थे, कोई सदस्य इस चर्चा में भाग न लें। वे उनको मजबूर कर रहे थे कि वे इस पर न बोलें। उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तान की जो जमीन है, उसमें कोई भी आदमी दखल नहीं कर सकता है। आदमी की जिन्दगी का अन्तिम अंजाम देने के लिए यह इस्तेमाल की जाती है। किसी कौम या सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए और न ही वह दखल दे सकती है। यह मानी हुई बात है कि कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए है। उस जगह को यू. आई. टी. लेना

(श्री अब्दुल अज़ीज)

चाहती है, क्योंकि शहर के बीच में है, आज उसकी बेशुमार कीमत है। वे यह चाहते हैं कि उस जमीन को नीलाम कर के वहां पर एक सिनेमा बना लिया जाए, एक होटल बना दी जाए। इस प्रकार वे उन करोड़पति सेठों के मुनाफे में और इजाफा करना चाहते हैं, उनकी आमदनी को और बढ़ाना चाहते हैं। यह मानी हुई चीज है, दुनियां ने इस बात को देख लिया है। पिछले इन दो सालों में देख लिया है कि मौजूदा सरकार बकायदा तौर पर पूंजीपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। चाहे वह राजस्थान नहर का मामला हो, चाहे वह मकराना की माइन्स का सवाल हो, चाहे वह कोई माइनोरिटीज की जमीन का सवाल हो, उसमें उसने हमेशा पूंजीपतियों का पक्ष लिया है। आने वाले दिनों में खोल-खोल कर यह लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से माइनोरिटीज का गला घोटा जा रहा है। चाहे सैय्यद मन्जूर अली मुसलमानों के प्रतिनिधि हों, इस जनता पार्टी ने कोटा में इस तरह की हिमाकत की है? माइनोरिटीज के नये-नये चेहरे शेखावत साहब कहां से लायेंगे? किनको वे माइनोरिटीज का नुमाइन्दा बनाएंगे? आने वाले चुनावों में मैं खोल-खोल कर पूछूंगा कि माइनोरिटीज को खतम करने की किस तरह से आपने साजिश की है। यह बात मैं मजमा आम से कहूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि नगर विकास न्यास, कोटा के खिलाफ, उपाध्यक्ष महोदय, माइनोरिटीज के लोगों ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोटा के अन्दर दरख्वास्त पेश की है। दरख्वास्त इस बात की पेश की है, यू. आई. टी. कोटा इस कब्रिस्तान से उनको बेदखल न करे....

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माइनोरिटीज के लोगों ने, उन तमाम लोगों ने यह दरख्वास्त पेश की है (व्यवधान) और उस दरख्वास्त को उन लोगों को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, कोटा से स्थगन आदेश मिला है। परन्तु उस स्थगन आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। स्थगन आदेश के बावजूद 27 तारीख को योजनाबद्ध तरीके से, अदालत के स्थगन आदेश को, कानून को न मान कर, उनके हुक्म को न मान कर लोगों के दिलों और दिमाग को ठेस न पहुंचावें। क्या प्रजातन्त्र का यही कानून है? क्या इसलिए आप यह कार्यवाही कर रहे हैं कि नगर की खूबसूरती को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए यह जमीन लेना जरूरी है? चाहे वह जयपुर शहर हो, चाहे वह जोधपुर शहर हो, कोई दूसरा शहर हो अगर आपको इन नगरों की खूबसूरती कायम रखनी है, बढ़ानी है तो आप मेहरबानी करके उन लोगों के बारे में भी सोचिए, जो दिन भर मेहनत करने के बाद सड़कों पर सोते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात का मौसम हो। क्या आपने कभी इन ठेलेवाले, गरीब लोगों की तरफ भी देखा है? क्या आपने कभी अपना दिमाग इस तरफ भी डाला है? आज हजारों, सैंकड़ों लोग बेघरबार हैं। आपके दिमाग में कभी इनके लिए भी तकलीफ पैदा हुई? आपके दिमाग में तो केवल पूंजीपति ही हैं। उनको फायदा पहुंचाने की योजना है। कभी इन लोगों के बारे में भी

(श्री अब्दुल अजीज)

सोचा है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पुरजोर शब्दों में दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रकार की जो बेजा हरकतें हैं उनको रोका जाए। जो फैसला अदालत मुन्सिफ कोटा ने दे दिया है उस फैसले के खिलाफ कार्यवाही न करें। जो कानूनी पहलू है उसको मानें। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की हरकतें हर जिले में हो रही हैं। जो हालात हम सुनते हैं, जिनको हमने पढ़ा नहीं है, जयपुर में एक मस्जिद का मसला चल रहा है। मैंने उस मसले को, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं उठाया है। यह मसला माननीय गुल मोहम्मद जी को उठाना चाहिए क्योंकि वे जयपुर शहर के नुमाइन्दे हैं। इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा इस सरकार और इसके मन्त्री महोदय को, जो यू. आई. टी. के मिनिस्टर महोदय हैं, चार मिनिस्टर कोटा जिले से हैं, क्या वे इस तरह की जो समस्या कोटा में उठी है, उस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं ? हमें यह समस्या बार-बार उठानी पड़ती है। आप किस मुंह से आगे का चुनाव लड़ने जा सकते हैं। आपकी यह हिमाकत हो····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां का रहने वाला हूं। मैं इस समस्या को जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री मूलचन्द डागा : यह कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह एक तालाब था जिसको मिट्टी से भराया गया था। आश्चर्य है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप क्यों इसमें दखल करना चाहते हैं ? इसको आप देखें, यह पर्चा है। यह अब्दुल रहीम बोर्ड के सदस्य हैं। यह पर्चा कोटा से निकला है। वक्फ बोर्ड का यह पर्चा है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं····

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं नगर परिषद का अध्यक्ष था। यह सारा मामला उठा था····

(व्यवधान)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह स्थगन प्रस्ताव है····

(व्यवधान)

आप इस बात को छिपाने के लिए कह रहे हैं। जितनी तेजी से आप बोलते हैं, उतनी ही तेजी से आपको इस समस्या का हल करना चाहिए।

श्री गुल मोहम्मद : आपको क्या मालूम है ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : इस तरह से माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिए····

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या झूंठ भी सहने के लिए तैयार रहें, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। कहां जमीन है ? मैं अध्यक्ष, नगरपरिषद था। मैंने स्वयं यह देखा है। मेरे सामने नीलामी हो रही थी। हमने मदद की है। इस तरह से सेन्टीमेन्ट्स को नहीं भड़काया जा सकता है।

श्री शंकरलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नूरा : आप बीच में न बोलें। आप बोलेंगे तो हम भी हर शब्द पर बोलेंगे। यह सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : जिस स्थान की आप चर्चा कर रहे हैं ...

श्री शंकरलाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है....

श्री नूरा : यह पर्चा मेरे हाथ में है।

श्री हीरालाल आर्य : आप वह स्थान जा कर देखें। वहां पर एक तालाब था। उसको भरवा कर....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुल मोहम्मद : आप सुनिये। ये क्या कहना चाहते हैं, बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री गुल मोहम्मद : गुमराह नहीं किया जा रहा है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, ये बराबर व्यवधान डालते हैं।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हम जो बात कहें उसको पहले माननीय सदस्य सुन लें। आप मेरी बात को छिपाने के लिए बीच में जोर से बोलते हैं, व्यवधान डालते हैं ताकि मेरी बात सदन को मालूम न हो। यह तो गलती पर पर्दा डालना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक इस जमीन के बारे में जानते हैं, इस पर मुन्सिफ कोर्ट, कोटा ने स्टे दिया है। उस स्टे के बावजूद नगर विकास

(श्री नूरा)

न्यास ने इस पर जबर्दस्ती कब्जा करने की कार्यवाही की है, कब्जा किया है। मैं कहना चाहता हूं, अभी चर्चा हुई गंगानगर की जमीन को आप नीलाम करना चाहते हैं, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वे आन्दोलन करेंगे लेकिन क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पुराने बुजुर्गों को जहां दफनाया गया है, पर नाच-घर, सिनेमा बनाने के लिए नीलाम करना चाहते हो ? मैं कहना चाहता हूं जनता पार्टी को कब्रिस्तान के सिवाय जगह नहीं मिलती क्या ? आप क्यों कब्रिस्तान की ओर जाना चाहते हैं ? क्या कब्रिस्तान आपके माफिक है ? आप उस पर कब्जा करना क्या ठीक समझते हैं ? जोधपुर से स्थगन प्रस्ताव आया, आज कोटा से फिर आ गया। मन्त्री महोदय, आप जिस प्रकार से सरकार में बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं आप इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आप लोगों की समस्या हल करने की तरफ जाना नहीं चाहते, सिर्फ राज करने से आपको मतलब है। यह समस्या का हल नहीं है। समस्या के हल के लिये साइकिल के बजाय गाड़ी पर जाइये, मुआयना कीजिए।

21 बीघा 19 बिस्वा में जो जमीन कब्रिस्तान की है, उसका नोटिफिकेशन साया किया गया है गजट में। मुंसिफ मजिस्ट्रेट, कोटा ने स्टे दिया है, अखबारों का नजारिया सामने है। मैं स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। आप उनके पास जाइये जो जागीरदार हैं, बड़े पैसे वाले हैं। काले धन से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं। आप उधर नहीं जा सकते मगर जो कमजोर हैं उनकी तरफ जायेंगे, गरीबों की जमीन की तरफ जायेंगे। तो अगर आप उस तरफ नहीं गये तो कब्रिस्तान की ओर जाने की आप सोच लीजिये, क्या कब्रिस्तान में आप पहले जाना चाहते हैं, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, 29-3 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था वह भी कोटा से सम्बन्धित था।

श्री उपाध्यक्ष : इसी विषय के लिये दिया था।

श्री गुल मोहम्मद : इसी विषय के लिए दिया। कल भी सदन में टाइम मांगा था।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जोधपुर का मसला ठंडा नहीं हुआ कि 25-3-79 को कोटा यू० आई० टी० द्वारा वक्फ की जमीन की नीलामी कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तीन फोटो हैं जो सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं जिसमें साफ लिखा हुआ है नीलामी 25-3-79 को छोटा तालाब स्कीम के लिए नगर परिषद्, कोटा द्वारा इसमें कब्रिस्तान है। ये फोटो हैं, पीछे कब्रिस्तान में काम चल रहा है, मैं फोटो को सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फोटो की कापी मैंने देख ली है।

श्री गुल मोहम्मद : मैं इसे प्रोसीडिंग का भाग बनाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य दाऊदयाल जी ने गुस्सा दिखाया है, गुस्से की बात नहीं है। हम इसे आपस में बैठ कर निपटा लें। आज नहीं निपटा पाये तो फिर कब निपटायेंगे ? 21 बीघा 19 बिस्वा रकबा है छोटा तालाब का....

श्री दाऊ दयाल जोशी : उसमें डिमार्केशन हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊ दयाल जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं उनको चर्चा करने दें। मैं आपको भी समय दे दूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, 21 बीघा 19 बिस्वा रकबा है गैर आबाद व आबाद कब्रिस्तान को जमीन आती है जो वक्फ एक्ट 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत ली हुई है और राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की गई है। वक्फ की जायदाद है जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 134 और 135 पर दर्ज है कि यह राजस्थान मुस्लिम वक्फ की संपत्ति है। वहां 21 बीघा 19 बिस्वा का रकबा कहां तक आता है या कहां तक नहीं आता है इसके अन्दर जो कब्रिस्तान की भूमि आती है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बात है इसके लिये वहां के न्यायालय ने स्टे दिया कि इसमें न तो कोई कार्यवाही की जायेगी न कोई तरमीम की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय के स्टे का उल्लंघन करते हुए 25-3-79 को इस भूमि को नीलाम किया गया 411 रुपये प्रति वर्ग गज में, 4805 वर्ग मीटर का एक खण्ड है और 5633 वर्ग मीटर का दूसरा भू-खण्ड है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में लिखा है 27 तारीख को। उसमें जो लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं, यू० आई० टी० कोटा की छोटा तालाब विकास योजना में....

श्री उपाध्यक्ष : इसे कोट करना उचित नहीं है। अखबार में लिखा गया है तो आप रेंफरेंस दे दीजिए। वही काफी है।

श्री गुल मोहम्मद : तो मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के और भी मामले हैं। पहले भी ऐसे मामले आये हैं। एक जोधपुर का आया, यह मामला कोटा का है। एक मेरे पास उदयपुर से भी आ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं वक्फ मन्त्री जी से, स्वायत्त शासन मन्त्री जी से और माननीय नेता महोदय से भी कि जितनी भी वक्फ की जायदाद राजस्थान में है उसकी नीति निर्धारित की जाय। इसके लिये उनको बाउण्डरी बनाने की इजाजत दे सकते हैं तो तुरन्त दी जाय ताकि इस प्रकार के और मामले सामने न आये। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई नीति निर्धारित की जाय जिससे जनता को राहत मिल सके व गलत खयाल जनता में पैदा न हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, गुल मोहम्मद जी का कहना है कि वहां

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कब्रें हैं जिनके नीचे लोग सो रहे हैं। यह आंख मींच कर कहने वाली बात है। मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह सैटलमेंटस का प्रश्न है। बेमतलब इसको बढ़ाइये मत। मेरा स्पष्ट शब्दों में चेलेंज है या तो तीनों रिजाइन करें या मैं करूंगा। यह जमीन जिसकी सीमा बताई गई है ...

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, जो फोटो मैंने पेश की हैं वे कब्रिस्तान की है....

श्री दाऊ दयाल जोशी : सन् 65 में आपका गजट नोटिफिकेशन हुआ ...

श्री श्योपत सिंह मकासर : अदालत में केस है तो फिर मानते क्यों नहीं।

श्री गुल मोहम्मद : सवाल यह नहीं कि भूमि के नीचे कब्र हैं या नहीं। सवाल इस बात का है कि 21 बीघा 19 बिस्वा के अन्दर कब्रिस्तान का खण्ड आता है या नहीं, यह देखने की बात है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : छोटा तालाब की योजना बनी तो जो बाउण्ड्री चली आ रही थी, वहां जो अकबर मिस्त्री है उन्होंने ही कार्य किया है वे स्वयं आये और कहा, दाऊ दयाल जी, यह हमारी सीमा बनती है। मैंने कहा जितनी सीमा बनती हो, बना लीजिए, इसके बाद जितना भी डिमार्केशन, जितनी सीमा थी उतने हिस्से को मिट्टी से भरा गया उसके बाद तालाब का 200 फीट का गड्ढा है। आज की तारीख में भी छोटे तालाब पर उनका कब्जा है। पानी भरा हुआ है और पानी के बाद ढलान है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 21 बीघा 35 बिस्वा आप बता रहे हैं। वह 21 बीघा 35 बिस्वा की बात है वह पूरा कच्चा है और आज भी पानी उसमें भरा हुआ है। गरीब मुसलमान है उनको मैंने स्वयं ने अपनी बाउन्ड्री लाइन खींचने का आदेश दिया था। उन लोगों ने डंडा खींचा।

श्री अब्दुल अजीज : कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? आप सदन में वकालात करते हैं तो मुन्सिफ कोर्ट में करते। ऊपर खर्चा करते अगर आप सच्चे होते तो। इसका जवाब दें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अगर यह सब-जुडिस मैटर है तो सबजुडिस मैटर होने के बाद यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए। स्टे कन्फर्म्ड हो जाए....

श्री अब्दुल अजीज : स्टे कन्फमर्ड है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : स्टे कन्फर्म्ड नहीं है। यह गलत है। स्टे लगा है टिल फर्दर आर्डर। यह जब सबजुडिस मैटर है तो बहस क्यों करते हैं?

श्री गुल मोहम्मद : 21 बीघा 19 बिस्वा।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष, यह गुमराह कर रहे हैं—.

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यह जो आपने कहा है गलत है....

श्री दाऊ दयाल जोशी : आप मानना नहीं चाहते हैं तो ठीक है।

श्री अब्दुल अजीज : आप सरासर झूठ बोल रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : उन गरीब मुसलमानों के पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने डंडा नहीं खींचा।

श्री गुल मोहम्मद : वह वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री अब्दुल अजीज : आप अदालत में वकालत करते। सदन में उनकी वकालत क्यों करते हैं?

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वक्फ की जमीनों पर अलग-अलग जगहों पर आदमियों ने, नगर न्यास ने और म्युनिसिपैलिटीज ने कब्जा कर रखा है। यह एक इन्तिहा गुस्से का बायस बना हुआ है। मुसलमानों के खिलाफ जैसा अब्दुलअजीज साहब ने कहा एक चौमुहा जाल बुना जा रहा है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि जनता पार्टी के माननीय सदस्य गए इस तरफ तवज्जह नहीं दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जोधपुर में कब्रिस्तान का झगड़ा था। वह कई वर्षों से पैंडिंग था। वक्फ बोर्ड को पजेशन डिलीवर करने का आर्डर था वह कांग्रेस के जमाने का था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वह पजेसन डिलीवर किया था? गवर्नमेंट ने 28 तारीख को आर्डर वेकेट कर दिया है और वक्फ बोर्ड के टाइटल को मान लिया है। मुझे यकीन है कि जनता पार्टी के माननीय सदस्य इन्शा अल्लाह ताला अपने उसूलों से नहीं हटेंगे चाहे अपनी जान दे देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह बड़ी दुःख पूर्ण बात होती है कि जब कभी भी ऐसी छोटी-मोटी बात आती है तो उसकी वास्तविकता को सामने न रख कर उसको राजनैतिक रंग देकर सदन में रखा जाता है। कब्रिस्तान को लेकर पिछली बार जोधपुर का मामला यहां आया था। यहां पर ऐसा एक वातावरण बनाया गया, ऐसी स्थिति पैदा की गई जिससे यह पता लगे कि जनता सरकार में बैठे हुए मन्त्री और यू० आई० टी० के अध्यक्ष जानबूझ कर इन कब्रिस्तानों पर कब्जा करके या मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लगाकर उनके विरुद्ध काम कर रहे हों। माननीय सदस्य मन्जूर अली जी मेरे साथ जोधपुर गये थे वह जानते हैं कि यह भूतपूर्व सरकार की कार्यवाही थी। उनके प्लाटों को रद्द किया। जुलाई 1977 में यह निर्णय

(96)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किया गया। उस समय न तो मैं मन्त्री था और न कोई जोधपुर नगर न्यास में जनता पार्टी का आदमी अध्यक्ष था। सदन में इस तरह से छेड़ा गया इस बात को जैसे कि मान लो विभाग ने उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की, वक्फ की जमीनें ले ली गयीं और उन पर शौचालय बना दिये गये। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं स्वयं जोधपुर गया था और मैंने उस जगह का निरीक्षण किया। जो वक्फ की जमीन कही जाती है। उनको किसी प्रकार से नीलाम नहीं किया गया और न कोई मूत्रालय उस पर बनाये गये। सदन में इस प्रकार की बात कही गई कि जनता पार्टी के मन्त्री और नगर न्यास के अध्यक्ष मुसलमानों की भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए शौचालय और मूत्रालय बना रहे हैं यह पूर्णतया असत्य है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा मैंने उठाया है इस सदन में। उस पर चर्चा होने के बाद में स्वयं माननीय मन्त्री जी ने जोधपुर जाने की पेशकश की। जब स्थगन प्रस्ताव दिया गया और यहां पर कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की तब इनके कानों पर जूं रेंगी।

सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है कि वहां पर यू आई. टी. पेशाबघर बनाना चाहती है। वह बनाये हैं और लोगों ने तोड़े हैं। वहां पर, मन्त्री महोदय, श्री सिंघवी साहब यह चाहते हैं कि जमीन वक्फ बोर्ड, यू. आई. टी. को दे दें। यह चीज रिकार्ड में आई हुई है। उसके बाद में मन्त्री महोदय गये। यह मन्जूर अली जी की ही ताकत थी कि इन्होंने सारा ठीक करवा दिया, वरना आपकी ताकत थी? आपने आज राजस्थान का हुलिया बिगाड़ी है। उसका आपको पश्चाताप करना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो चार्ज····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : चार्ज नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, आपके प्रति आदर रखते हुए मैं यह कहूंगा कि स्थगन प्रस्ताव कोटा का है। उस पर बात कर रहे हैं और आप जोधपुर की बात कर रहे हैं। इन्टरनली आपकी कुछ चीज हो सकती है और हमसे कहते हैं कि हम गलत हैं। मैंने बेशक गलती की कि इस बात को यहां पर उठाया अदरवाइज Let him go to the hail and you also go to hail. सवाल यह है कि 19 महीनों तक जोधपुर की समस्या को आपने हल नहीं किया। आप बैठे रहे। वह यहां पर कैम्प लगा कर विधान सभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। स्थगन प्रस्ताव आने के पहले भूख-हड़तालियों के कैम्प में गये और क्या आपने उनसे बात की? पहले भी आप जोधपुर गये या नहीं गए? नहीं गए, लेकिन जब यहां पर आवाज गूंजी तब आप लोग गये और आपने उसको ठीक किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वह जोधपुर गए और मन्जूर अली साहब को साथ ले गये । यह स्थगन प्रस्ताव हमने मूव किया था और हमने इस समस्या को आपके सामने रखा था । क्या ऐसी मजबूरी थी कि न तो विरोधी दल के नेता को ले गए और न किसी दूसरे माननीय सदस्य को जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था ? आपका यह फर्ज था और आम तौर पर हुआ यह करता है कि जब जो स्थगन प्रस्ताव मूव करे और जब आपको समस्या की गम्भीरता मालूम हो जाय तब क्या आपका यह दायित्व नहीं था कि विरोधी दल के नेता जिन्होंने स्वयं ने स्थगन प्रस्ताव को रखा है को साथ ले जाते ? आप इसलिए मन्जूर अली जी को साथ ले गये कि वहां पर जो लाख सवा लाख मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लेने के लिए मन्जूर अली जी की मार्फत अपना काम करवा देंगे । लेकिन वहां की जनता भ्रम में आने वाली नहीं है ।

दूसरा, आपने यह कहा कि जुलाई 1977 में हमारी सरकार ने किया, तो जुलाई 1977 में हमारी सरकार कहां थी ? आपका यहां पर पदार्पण हो गया था । यह आपका फर्ज था । आपने हटाया । आप महरबानी कर के ऐसी बात न करें सदन में ।

श्री किशनसिंह भाटी : भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी को साथ क्यों नहीं ले गए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ले जाना चाहिये था । तू पहली बार असेम्बली में आया है, बैठ जा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जोधपुर का मैंने निवेदन कर दिया, और मेरी बात की पुष्टि माननीय शेरसिंह जी....

एक माननीय सदस्य : शेरसिंह जी नहीं खेतसिंह जी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : खेतसिंह जी ने कर दी ।

ऐसे विषय को हमेशा राजनैतिक रंग दिया जाता है । कहा गया कि वोटों के लिए गए । आपको तकलीफ है कि आपके वोट कट गए ।

श्री मथुरादास माथुर : हमें कोई तकलीफ नहीं है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मन्त्री जी, यहां विधान सभा में जो हम आये हैं वह साधु बनने नहीं आये हैं, यहां सन्यास लेने नहीं आये हैं । हम राजनैतिक लोग हैं और राजनीति से प्रेरित होकर ही कहा जाएगा । Donn't forget

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप कोटा की जमीन के बारे में जानते हों तो बता दें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दाऊदयाल जी ने जो जानकारी दी है, उससे अधिक जो जानकारी होगी दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आप कोटा कब जाइयेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जाऊंगा तो आपको लेकर नहीं जाऊंगा। परसराम जो को लेकर जाऊंगा।

श्री मथुरादास माथुर : आप भले ही सारों को ले जाएं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह जमीन अगर कब्रिस्तान की होगी तो किसी को नीलाम नहीं की जाएगी।

श्री मथुरादास माथुर : 27 तारीख को नीलामी हुई है।

श्री मन्जूर अली : नीलामी के नोटिस जारी हो चुके हैं। वह नीलामी रोक दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला सबजूडिस है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जयपुर में घाटगेट पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर सिनेमा हाल बनाया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय, मेरा सुझाव यह है कि यह झगड़ा वक्फ प्रापर्टी और कब्रिस्तान का है। कोटा, जोधपुर, नागौर आदि के जो झगड़े हैं उनके लिए आप एक वक्फ कमीशन मुकर्रर करें जिसके सामने सारे एवीडेंस सामने आ जाये। वह ब्ल्यू प्रिण्ट बना कर फैसला कर दें। जब झगड़े होते हैं तो यह वक्फ बोर्ड का मुद्दा है। फैसला सरकार करती है। इसलिए मैं कमीशन की मांग करता हूं ताकि ये झगड़े हमेशा के लिए तय करवा दिए जायें। बार-बार सदन में क्या-क्या भावनाएं आती हैं। कभी कौमियत की भावना आ जाये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राजस्थान वक्फ का कोई मिनिस्टर नहीं है। जो मिनिस्टर है, वह पावरलैस, माइण्डलैस और विस्डमलैस मिनिस्टर है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मेरा निवेदन है कि यह नीति सम्बन्धी मामला है। आप इस प्रकार की नीति बनायें। जहां-जहां वक्फ प्रापर्टी है वहां जो यू. आई. टी. व नगर परिषद् है उनको डन्डा खींचने की तुरन्त इजाजत दे दी जाए।

(व्यवधान)

श्री नूरा : दाऊदयाल जो, आप बार-बार बेमतलब बोलते हैं। मन्त्री महोदय कुछ समझना चाहते हैं, आप सुनने नहीं देते हैं न खुद समझना चाहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य गुप्ता जी ने माइण्डलैस मिनिस्टर कहा है। माइण्डलैस यह किसको कहते हैं। एक मिनिस्टर को इस प्रकार माइण्डलैस कहते हैं। इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह मैंने कहा है कि जो मिनिस्टर है, वह पावरलैस, माइण्डलैस और विस्डमलैस मिनिस्टर हैं। यह ऐसी भाषा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गुप्ता जी ने यह कहा है, यह कभी किसी को नपुंसक कहते हैं तो कभी किसी को कुछ कहते हैं। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह असली नौकरी तो करें। It is not unparliamentary. It is very civilised language.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं अब यह कहूंगा, You are a Joker.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। आप ऐसे शब्द बोलते हैं जो पार्लियामेण्ट्री हो सकते हैं लेकिन प्रापर नहीं हो सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका माइण्डलैस, विस्डमलैस कहना एक मन्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह इस तरह के शब्द नहीं कह सकते हैं।

श्री नूरा : आपको बहुत तकलीफ होती है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय गुप्ता जी जो शब्द यूज करते हैं, वह अच्छे नहीं हैं। वह ऐसे शब्द यूज नहीं करें।

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा और जोधपुर के कब्रिस्तान को लेकर बहुत सी बातें हुई हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप मन्त्री जी को बुला लें।

श्री महबूब अली : आप हमें तो माइण्डलैस कहते हैं लेकिन आपको अपने बारे में पता है?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने आपको कहा है।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : एक आप ही सदन में बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और भी बोल सकते हैं।

श्री नूरा : माननीय मन्त्री महोदय, आपको जोश आ गया है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पर एक्शन लिया जाए। वह सदन का अपमान करते हैं। इन पर एक्शन लिया जाये।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह एक्ट 1954 का बना हुआ है। इसमें कई लेकूनाज हैं। इसमें यह नहीं है कि हम वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। वक्फ बोर्ड को एक आर्डिनरी पार्टी की हैसियत से सिविल सूट करना पड़ता है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कानून नहीं है कि वह खाली करा सके। दिल्ली में माननीय सिकन्दर बख्त के साथ में लम्बी-चौड़ी बहस चल रही है। यह कि वक्फ प्रापर्टीज को किस प्रकार से महफूज किया जाए छोटे बड़े कब्जों को। मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, कांग्रेस शासन में किस तरह से अनधिकृत कब्जे हुए। कहीं पर सरकारी दफ्तर बना हुआ है। इस तरह से जनता सरकार ने इन कब्जों को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की है। यह स्वयं इस बात का द्योतक है। अभी हाउस में वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी को लेकर जो सवालात आये हैं। मेम्बर्स ने जो-जो कहा है। इससे पहले भी वक्फ के मामले में हाउस में कई बार चर्चा हुई है। वह मुलाहिजा कर लें तो नीति के बारे में मालूम हो जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपका राज आया तो कब्जे होने लगे। हमारे राज में सवाल ही नहीं था। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं····

(व्यवधान)

जनता पार्टी की सरकार····

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इनके राज में चर्चा भी नहीं हो सकती थी।

श्री महबूब अली : किसी भी जमीन को खुर्दबुर्द नहीं होने देगी और कहीं ऐसा होगा तो सरकार उसको कानूनी संरक्षण नहीं देगी।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ यह गुजारिश कर रहा हूं, यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। मैं वक्फ मन्त्री जी का ध्यान पिछले सालों की ओर ले जाना चाहता हूं जब भैरोंसिंह जी और सतीशचन्द्र जी अग्रवाल इधर बिराजते थे। आज भी मुकदमे

(श्री अब्दुल अज़ीज)

चल रहे हैं और कहते हैं कि यह वक्फ की जमीन नहीं है....

श्री ठाकुरदयाल जोशी : आज आप बात कर रहे हैं—कांग्रेस के राज में बंगले के बंगले बने हैं....

श्री मूलचन्द डागा : चोर की दाढ़ी में तिनका।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उससे क्या फर्क पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आलम अलीजी, बिराजिये। माननीय खेतसिंह जी।

श्री आलम अली : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आलम अली जी, मैंने खेतसिंहजी का नाम पुकार लिया है। अब उस पर चर्चा समाप्त हो गई है। आपको अनुमति दूंगा तो दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे, फिर कभी बोल लेना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपना स्थगन प्रस्ताव रखूंगा क्योंकि जीरो आवर खतम हो जाना चाहिए दो बजे। कल भी 5 बज गए थे और आज भी सवा तीन बज रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर बोलना आवश्यक हो गया है। शेरगढ़ तहसील में करीब 16 पम्प योजनाएं और टैंक योजनाएं चलती हैं उन सभी में यह हालत हो गई है कि पिछले पांच दिनों से पानी बन्द हो गया है। मेरे पास वहां के सरपंच का तार आया है उसमें लिखा है कि डीजल की मन्जूरी नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। न मालूम आपके डिपार्टमेंट ने पैसा जमा नहीं कराया या जिस पैट्रोल पम्प से डीजल खरीदा जाता है उसका पैसा नहीं देने की वजह से डीजल नहीं मिल रहा है। सारी योजनाएं खतम हो गई हैं। आप स्वयं ही सोचिये, रेगिस्तान में पीने के पानी के लिए कुओं का ही एक स्रोत है, एक साधन है और उन कुओं पर पाइप लाइन और टंकी की मशीन लग जाय तो चड़स से भी पानी नहीं खींच सकते। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, मवेशी प्यासी घूम रही है। आप सोच सकते हैं कि इससे भयंकर समस्या क्या हो सकती है? मैंने माननीय मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया था और आज सवेरे भी मैं उनसे मिला हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चीफ इंजीनियर से बात करेंगे। मैंने उनसे बात करने के बाद टेलीफोन किया, तो मालूम हुआ कि अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह मसला सीरियस है, पीने के पानी का प्रश्न है। पानी और हवा आदमी और जानवर को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक होती है....

श्री महबूब अली : माननीय खेतसिंह जी, स्कीम का नाम बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शेरगढ़ तहसील में पूरी की पूरी स्कीम बन्द हो गई है। डीजल नहीं मिल रहा है और भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है, यह आप भी सोच सकते हैं। दूसरा कोई और साधन

(श्री खेतसिंह राठौड़)

नहीं है। कोई आल्टरनेटिव साधन होता तो लोग पानी पी लेते। इसलिए मैं आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके एस., ई. जो वहाँ पर गुप्ता हैं, को कहिए कि डीजल का प्रबन्ध करें। पहले घण्टे भी घटा दिये थे। कहने लगे कि सर्दियां हैं इसलिए आठ घण्टे की जगह तीन घण्टे कर दिये। उस वक्त तो यह लोगों ने मान लिया था। अब गर्मियां आ गई हैं इसलिए घण्टे भी बढ़ने चाहिए, डीजल की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको डीजल इतना रखना चाहिए जिससे कि योजना कभी बन्द नहीं हो। पीने का पानी बन्द हो हो जायगा तो आप स्वयं ही सोचिये कि क्या हालत होगी। यह मेरा आप दोनों पर चार्ज है। पानी के लिए 5 करोड़ रुपये लैप्स हो गये। इस तरह से पैसा लैप्स हो जायतो, कितना नुकसान होता है। इसलिए खास तौर से कहूंगा कि आप डीजल की व्यवस्था कीजिये। जो योजना चल रही है उससे पानी की व्यवस्था करें। जो अधूरी योजनाएं हैं उनके लिए फण्ड्स की व्यवस्था करके पूरी करवायें ताकि वहां के लोगों को राहत मिले।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट में उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं उनके बारे में सूचना प्राप्त करके निश्चित तौर पर यदि डीजल उपलब्ध नहीं है तो डीजल उपलब्ध कराने की कोशिश की जायगी और किसी स्कीम को खराब नहीं होने दिया जायगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज ही कीजिये, अभी।

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया कि पांच करोड़ रुपया लैप्स हो गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी अकाउण्टेबिलिटी किस की है ? एक तरफ तो कहते हैं कि पैसा नहीं और दूसरी तरफ लैप्स हो गया।

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई पैसा लैप्स नहीं हुआ है। माननीय सदस्य किस प्रकार से यह बात कह रहे हैं ? गैर जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप मालूम कर लीजिये। मैं चैलेन्ज करता हूं कि आपका पैसा लेप्स हुआ है और आप यूटिलाइज नहीं कर सके। यह अलग बात है कि बिजली के लिए दे दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, आप मन्त्री महोदय पर विश्वास कीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दोनों में से कोई तो गलत है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कमजोरी निश्चित रूप से है पैसा लैप्स हुआ है।

श्री किशनसिंह भाटी : प्रिविलेज मोशन आ जायगा अगर आप गलत बोले तो, सोच समझ कर बोलें।

(व्यवधान)

(श्री किशनसिंह भाटी)

मैं किसी इन्दिरा जी का बोण्डेड लेबर नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्योपत सिंह जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह को-ग्रापरेटिव बैंक्स द्वारा वसूल किये जाने वाले कर्जे के बारे में है। सदन में सबसे ज्यादा इस सवाल पर राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण तथा बजट के भाषण के दौरान भी काफी चर्चा हो चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से वह ग्राश्वासन दिलाया गया है कि हमने पहले ही जिलाधीशों को इस तरह के ग्रादेश भेज दिये हैं कि गरीब लोगों पर कुर्कियां ग्रौर वसूलियां नहीं होंगी। मुझे याद है कि इसके बावजूद भी जब सारे राजस्थान में रिकवरी हो रही थी उस वक्त हमने कहा था कि फसल की कटाई का वक्त है, फसल कट रही है, अनाज खलिहानों में जायगा, ग्रनाज निकालने में महीना डेढ़ महीना लग जायगा, इस ग्ररसे में किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहकारिता मन्त्री जी ने कहा था कि कुछ बड़े लोगों से हो रही है। हमने कहा हम उन लोगों की पैरवी नहीं कर रहे हैं जो डिफाल्टर्स हैं या जिन पर पांच दस हजार का बकाया है। मगर उन्होंने इस बात को गलत साबित कराने की कोशिश की। हमने चिन्ता प्रगट की तो उन्होंने कहा रिकवरी बड़े लोगों से हो रही है। खैर, ग्राज भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके मार्फत कहना चाहता हूं हमारे मन्त्रीजी में ग्रौर जनता पार्टी की सरकार में सद्बुद्धि ग्रायेगी। मैंने बार बार कहा है ग्रौर मैं सोच रहा हूं किस तरह से इनको यह बात समझायें ? यह समय किसानों का खेत में काम करने का है। यह वसूली इस समय नहीं होनी चाहिए। ग्राप इस समय किसानों पर वसूली का दबाव डालेंगे तो बड़े लोगों का नुकसान तो नहीं कर सकते, मगर गरीब आदमी सीधा ग्रपना अनाज खलियान से बाजार ले जाएगा तो ग्रनाज सस्ता बिकेगा ग्रापके दबाव के नीचे। यह हमारा को-ग्रापरेटिव मूवमेंट है जिसको हमने इस बात से शुरू किया था कि यह कोग्रापरेटिव मूवमेंट देश में गरीब की इमदाद करेगा लेकिन किस तरह की इमदाद की जा रही है ? सहकारिता मन्त्री ने कहा था कि हम बड़े बड़े लोगों से वसूली कर रहे हैं। मैंने यह सवाल एक पर्टीक्यूलर प्लेस के लिए उठाया है। ग्रामेर तहसील में एक गांव है। जिन लोगों से वसूली की जा रही है उनका कर्जा 1974 में राइट आफ हो गया था। सरकार से उन्होंने कह दिया कि 1968 का कर्जा है। सरकार ने उनको हरिजन गरीब देख कर राइट ग्राफ कर दिया। उनसे भी कह दिया गया कि ग्रापका कर्जा राइट ग्राफ कर दिया गया है। आज 1974 के बाद 1979 में उनकी फसलों की कुर्कियां की जा रही हैं। अगर ग्रापको वसूली करनी है तो एक महीने बाद जाना चाहिए था गरीब के घरों पर। जब फसल निकाल लेते या फसल निकालने की तैयारी कर रहे हों। मगर वे फसल की कटाई शुरू कर रहे हैं, 2-4 बीघा काट चुके हैं, फसल खलियान में जा रही है

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपका रिकवरी स्कवाड अगर वसूली करने किसान के पास जाता है तो वह यह देखे कि किस तरह की मजबूरी है उसकी। हमारी भाषा में यह किसान का 13 वां महीना है। यह ऐसा महीना है जब किसान के पास पैसा नहीं होता। मगर आपके रिकवरी स्कवाड्स लगे हुए हैं वसूली के लिए कि कौन बेरहमी से ज्यादा कुर्कियां करता है, कौन ज्यादा पशु नीलाम करता है। आपके विभाग में एक मूवमेंट चल रहा है, मुकाबला चल रहा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं उस गांव के 3-4 केसेज बता रहा हूं। एक हरिजन परिवार जो जाति का बढ़ई है. पर बैंक के 21 रुपये कर्ज थे, इसका ब्याज 71 रुपये....

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष जी, सहकारिता कानून में ब्याज के बजाय पहले मूलधन जमा हो जाता है और ब्याज बाकी रह जाता है। 6 वर्ष बाद ब्याज की रकम वसूल होती है, कोग्रापरेटिव में कोई रकम लैप्स नहीं होती। इसलिए माननीय सदस्य अगर सहकारिता कानून को पढ़ कर बात करते तो वह जिनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं उनकी ज्यादा मदद कर सकते।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुझे आपकी बुद्धिमता पर रहम आता है। मान लीजिए, 1974 में राइट आफ नहीं किया लेकिन यह समय आपने कैसे चुना? 1974 तक आपने वसूली नहीं की तो उसके बाद में आज आपको यह जोश कैसे आ गया? आप कहते हैं दुगुने से ब्याज ज्यादा नहीं होगा। तो फिर आपमें और सूदखोर बनिए के बीच क्या फर्क रहा? तुम भी उसी तरह से जालिम सूदखोर हो। 21 रुपए मूलधन का ब्याज 72 रुपये और टोटल 92 रुपये। पर नोटिस उसके पास गया सैन्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक जयपुर से....

कई माननीय सदस्य : कितने साल की रकम है?

श्री श्योपत सिंह मकासर : अगर गरीब आदमी था, अब तक वसूल नहीं हुआ, आपको वसूल करना है तो फसल के बाद आप किसान के पास जाओ। आप उस पर रहम कीजिए। आपको यदि किसी खुदा में भरोसा है तो फसल के बाद उसके पास जायं।

दूसरा व्यक्ति है नन्दा धाणिक। मूल 239) ब्याज 450)। तीसरा है मानाराम रैगर। मूल 489) ब्याज 744)। चौथा है कालू बलाई मूल 222, ब्याज 390)।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक नाम पढ़ लिया वही काफी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री यह न कहें कि एक या दो केस लेकर आया हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : पूरी केश बुक ले आए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हजारों की संख्या में ऐसे केसेज हैं, कितने पढ़ेंगे?

श्री श्योपत सिंह मकासर : पांचवा केस है मूल 533) रु०, ब्याज....

श्री गुल मोहम्मद यह कितने सालों का ब्याज है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह तो 1968 का है, चाहे 1950 का हो....

(व्यवधान)

क्या आप उन जालिमों के साथ रहना चाहते हैं ?

मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इन नोटिसों का पोथा लाया हूं, अगर इन गरीबों का कर्जा राइट आफ नहीं करते हैं तो अन्त्योदय का आपको खयाल नहीं हैं। ये हरिजन हैं, आपको उनको अन्त्योदयी मान कर राइट आफ करना चाहिए, कांग्रेस सरकार ने नहीं किया तो कम से कम आपको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनकी कुर्कियां मत कीजिए। फसल के बाद में जब वह फसल निकाल ले उस समय करें। ऐसे लाखों लोग राजस्थान में है।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जोर से बोलने से और जनता पार्टी को गालियां देने से ही वे समझते हैं कि गरीबों की वे बड़ी हिमायत कर रहे हैं....

श्री श्योपत सिंह मकासर : रो जाऊं ?

श्री कैलाश मेघवाल : बैठ जाइए, सुन लीजिए।

मैंने कई बार माननीय सदस्य से कहा है कि यदि कोई अनियमितता हुई हैं तो बतायें, कोई ज्यादती हो रही है तो बतायें। मैं तैयार हूं और इसमें कहीं दिक्कत नहीं। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, राजस्थान में अनुसूचित जाति व जन जाति की जमीन की कुर्की, नीलामी बिना रजिस्ट्रार की स्वीकृति के राजस्थान में नहीं हो सकती। बैंक को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये आदेश इसलिए दिए गए हैं कि हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें नीलाम नहीं हो, उसको सहूलियत मिले लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इनसे पूछा कि कब से यह ब्याज चल रहा है। पहले तो आप स्वयं स्पष्ट नहीं है, एक स्थगन प्रस्ताव ले आए। पहले आपने कहा, राइट आफ कर दिया गया है, फिर कहते हैं कि राइट आफ नहीं किया गया है तो वसूली मत करें। मैं निवेदन करता हूं कि अगर राइट आफ कर दिया गया है तो बतायें। अगर राइट आफ के आदेश हैं तो राइट आफ हुआ ऋण की वसूली करने वाले अधिकारी को मैं तुरन्त निलम्बित करूंगा। लेकिन आपको सही स्थिति मालूम नहीं। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं ? मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन यह जो इस सदन में वातावरण बना रहे हैं उससे तो गरीबों का भला नहीं होगा। मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करने को तैयार हूं, अनियमितता हुई है तो दूर करने को तैयार हूं, ज्यादती हुई है तो कार्यवाही करने को तैयार हूं। इसी तरह से गरीबों को कैसे राहत मिले, आप और हम मिल कर आगस्ट

(श्री कैलाश मेघवाल)

हाउस में बैठ कर राहत देने की बात सोचे। इसलिए. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी माननीय श्योपत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जिन आदमियों के नाम बताये हैं मैं स्वयं उनसे ले लूंगा इसके बारे में नियमित रूप से जो भी राहत हरिजन होने के नाते दी जा सकती है वह दी जायेगी लेकिन नियमों के ग्रन्तर्गत ही काम करना पड़ेगा। वही एक स्थिति है। यही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूरी जानकारी दे दें कि सही स्थिति क्या है ...

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने शायद मेरी बात समझी नहीं या उनकी समझ में नहीं ग्राई। मेरे बस की बात नहीं है। मैंने बहुत साफ बात कही है कि यह जो नोटिस पढ़े हैं मैं देने के लिए लाया था ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने कह दिया कि ग्राप उनको जानकारी दे दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उन्होंने कहा कि मैंने जोर से बोल कर क्यों कहा। तो मैं रोकर नहीं कहूंगा। इससे पहले कह चुका हूं। ग्रापके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लगातार सदन में सवाल उठाने के बाद भी मैंने एक बात चाही है कि गरीबों ने जो इत्तला मुझे दी है और जैसी उनकी समझ है वह मैंने हाउस के सामने रखी है।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पुष्पा जी के क्षेत्र की बात है, यह बात करें तो कुछ समझ में नहीं ग्राता।

श्री श्योपत सिंह मकासर : राजस्थान में कोई जागीर नहीं बांटी हुई है। हर एक आदमी को ग्रधिकार है कि जो इनफोर्मेशन उसके पास है वह बताये....

श्री कैलाश मेघवाल : लेकिन सही तो कहें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मुझे अधिकार है इस बात का। तो मैं कह रहा हूं कि मैं यह उम्मीद तो नहीं करता कि ग्राप मेहरबानी करके, राइट ग्राफ कर देंगे, लेकिन एक बात चाहता हूं कि कम से कम फसल के बाद वसूली करें, यह तो महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ग्राप महसूस नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इनका बेरोजगारी के सम्बन्ध में है। इसके ऊपर एक दिन फिक्स होने वाली बात है इसलिए उस दिन बोल लेंगे।

श्री केदारनाथ : मैं चाहता हूं कि इसके लिए ग्राप कोई दिन फिक्स कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महो-

(श्री मूलचन्द डागा)

दय, मैंने कल भी जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रोग्राम रखा गया था उस समय कहा था कि बहुत टाइट प्रोग्राम है। हमारी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के लिए समय नहीं रखा। फिर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप ध्यान आकर्षण मत रखिए। 119 में आप इसको चर्चा का विषय बनाओ। यह बहुत जनहित का प्रश्न है और देश के लिए अभिशाप है। राजस्थान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सरकार का नियोजन विभाग निकम्मा है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप भाषण मत दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि जब चर्चा होगी तो आपको प्राथमिकता दी जायगी और नियमों में ऐसा प्रावधान भी है।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था 26 तारीख को। मुझे इजाजत दी थी अध्यक्ष महोदय ने कि आप उठा सकते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप काफी देर तक चर्चा उठा चुके हैं फिर भी माननीय अध्यक्ष से मिल कर आप बात कर लें और वह इजाजत दे देंगे तो मैं अनुमति दे दूंगा। आज के फाइनेन्स बिल में सैल्स टैक्स के बारे में कुछ अमेन्डमेन्ट्स हैं और दूसरे प्रावीजन्स हैं उस समय में आप चर्चा उठा सकते हैं।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती मदन कौर

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नमक उद्योग पचपदरा (जिला बाड़मेर) में कार्यरत खारवाल जाति के व्यक्तियों से राज्य सरकार द्वारा सस्ती दर पर नमक की खरीद

श्रीमती मदन कौर (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पचपदरा नमक उद्योग राजस्थान में ही नहीं सारे देश के नमक उद्योगों में एक विशिष्ट स्थान रखता है और वह इसलिए रखता है कि इस नमक स्रोत से जो नमक का उत्पादन होता है उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां तक कि पचपदरा में जो नमक उत्पादन किया जाता है उसमें 97 से लेकर 99 पर्सेन्ट तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। इतनी अधिक प्योरिटी का नमक तैयार करने के लिए जो प्रक्रियायें अपनाई जाती हैं वह काफी मंहगी होती हैं उसमें बड़ा परिश्रम लगता है और बड़ा समय भी लगता है।

(श्रीमती मदन कौर)

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस नमक स्रोत से सैकड़ों वर्षों तक नमक निकाला जाता रहा है। ब्रिटिश शासन काल में भी यहां नमक का उद्योग होता था लेकिन उस समय तो यह उद्योग बहुत ही तरक्की की स्थिति में था और वह सरकार तो इस नमक उद्योग को नो प्राफिट नो लास के आधार पर चलाती थी। उसके बाद में केन्द्रीय सरकार ने और 1962 के बाद राजस्थान की सरकार ने इसे अपनाया और इसी उसूल के आधार पर चलाया। यहां तक कि 1962 के बाद में इस स्रोत से राजस्थान की सरकार को बराबर घाटा होता रहा था। उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों को समझते हुए इस उद्योग को चालू रखा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बात सही है कि पचपदरा नमक उद्योग बहुत ही डिसएडवान्टेजियस स्थिति में है। उसकी वजह यह है कि पचपदरा देश के बहुत ही इन्टीरियर में बसा हुआ है। वहां रेलवे लाइन तो है लेकिन काफी वर्षों तक वहां तक सड़कों का साधन नहीं था। कांग्रेस के शासन में इस नमक उद्योग का विकास करने के लिए यहां के नमक उत्पादकों को राहत देने के लिए, उनको तरक्की पर लाने के लिए इसे सड़कों से जोड़ा। आज पचपदरा साल्ट बाड़मेर से जोधपुर आने वाली मुख्य डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है और पाइप लाइन भी डाली गयी है। यह मुख्य काम उस समय की सरकार ने किये और इस सरकार के आने के बाद वहां कोई विशेष विकास के काम नहीं हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस पचपदरा नमक उद्योग पर, इसकी समस्याओं पर और सुझावों पर बहुत लम्बी बहस की जा सकती है लेकिन आज के मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का विषय केवल नमक उत्पादकों, जो कि खारवाल जाति के हैं, को रेट कम दी जा रही है उसी से संबंधित है इसलिए मैं अपने विचार केवल इस खास प्रश्न तक ही सीमित रखूंगी। उपाध्यक्ष जी, इस नमक स्रोत पर लगभग 250 खारवाल जाति के परिवार आश्रित हैं और नमक निकालने का धंधा उनका पुश्तैनी है। पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं, आज नमक का उत्पादन व्यय उनको वहन करना पड़ रहा है वह 6 रुपया प्रति क्विन्टल आता है। पिछले समय में इन्हीं कुछ समस्याओं को लेकर खारवाल और राजस्थान सरकार के बीच में एक लम्बा विवाद चला और उस लम्बे विवाद का अन्त सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के निर्देश पर किया गया है। उन न्यायाधीश महोदय के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने इन नमक उत्पादकों से एक समझौता किया और उस समझौते में और विभिन्न बातों के अलावा–जो नमक की रेट नमक उत्पादकों को दी जानी चाहिये, उस पर यह निर्णय लिया कि एक कमेटी की स्थापना की जाय। राजस्थान सरकार ने उस समय नमक की रेट तय करने के लिए कमेटी की स्थापना की। उस कमेटी में आधे प्रतिनिधि सरकार के होंगे और आधे प्रतिनिधि खारवाल के होंगे। उसकी अध्यक्षता राजकीय उप मन्त्री करेंगे। इस प्रकार का प्रावधान था।

(श्रीमती मदन कौर)

मेरी पहली आपत्ति तो यह है कि रेट तय करने के लिए 8 मार्च को कमेटी बुलाई गई और उसकी समय पर सूचना खारवाल को नहीं दी गयी। दूसरी आपत्ति इस सम्बन्ध में यह है कि माननीय राजकीय उपक्रम मन्त्री जी ने खारवाल के दृष्टिकोण को इस बैठक में सुना ही नहीं। केवल मात्र यह कहा कि क्योंकि इस स्रोत से आय की बढ़ोतरी हो रही है इसलिए एक रुपया बढ़ा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, उस समझौते के आधार पर राज्य सरकार और खारवाल के बीच जो समझौता हुआ उसके आधार पर नमक की दर तय करने के लिए तीन मुख्य बातें तय की गयीं। पहली बात यह थी कि यातायात की क्या व्यवस्था है, नमक का उत्पादन उस पर्टीक्यूलर ईयर में कितना होगा और तीसरी बात उस पर्टीक्यूलर ईयर में नमक की मार्केट की क्या स्थिति होगी यानि जिस साल के लिये रेट्स तय की जायेंगी उस साल का नमक किस रेट से व्यापारियों को बिकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार से जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, एक रुपया प्रति क्विंटल की दर जो दी जायेगी, वह बढ़ाई जाये। कांग्रेस के शासन में दो रुपया देते थे हम चार रुपया देंगे, मन्त्री जी इस प्रश्न को राजनैतिक न बनायें। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, दो रुपये में खारवालों से नमक खरीदते थे, उस समय बाजार में पौने चार रुपये प्रति क्विंटल की दर से व्यापारियों को देते थे। दो रुपया प्रति क्विंटल दिया जाता था। आज उसी नमक की रेट सरकार व्यापारियों से 12 रुपये से लेकर 16 रुपये तक वसूल करती है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि यह परमानेंट फेज है और यही स्थिति चलती रहेगी। आज ऐसी स्थिति है सांभर साल्ट काम नहीं कर रहा। पचपदरा के नमक की कीमत जब व्यापारियों से ज्यादा मिल रही है तो खारवालों को क्यों नहीं अधिक कीमत देना चाहते हैं? इस तरह की दुहाई न देवें कि कांग्रेस से अच्छी रेट दे रहे हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है, कई बातें है, कई समस्यायें हैं, जिन्हें कांग्रेस ने सही परिपेक्ष में नहीं समझा, आप उन समस्याओं को समझें और सही निर्णय लेकर उसका श्रेय लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

लेकिन इस साल जैसा कि अखबारों में प्रकाशित हुआ है, जैसा कि राजकीय उपक्रम के सालाना प्रतिवेदन में आपने दर्शाया है कि 45 लाख का मुनाफा अकेले पचपदरा नमक से राजस्थान सरकार को होगा। जैसा इसमें बताया 45 लाख, इससे भी ज्यादा आय होने वाली है। इस सब के बावजूद भी राजस्थान सरकार खारवालों को इसका लाभ क्यों नहीं देना चाहती?

माननीय राजकीय उपक्रम मन्त्री, खारवालों का शोषण करके कुछ लाख रुपया कोष में जमा करावें इससे पदक या प्रशंसा-पत्र मिलने वाला है? आप समाजवादी घटक के हैं। डाक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले हैं। क्या मन्त्री बनते ही उन सिद्धांतों को आपने तिलांजली दे दी। आज सरकार श्रमिकों के

(श्रीमती मदन कौर)

कल्याण की बात कर रही है और इधर अपने खुद के उद्योग में अप्रत्याशित लाभ हो रहा है, उसका फायदा नमक उत्पादकों मजदूरों को नहीं देना चाहती। इसकी वजह क्या है ? आप जैसे समाजवादी व्यक्ति के लिये खेदजनक बात है । उन उसूलों को आपने तोड़ दिया....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप गलत कह रही हैं।

श्रीमती मदन कौर : समाजवादी दल की विचारधारा में श्रमिकों की बात करते हैं, उद्योगों में बराबर का हिस्सा देने के हामी हैं तो निश्चित रूप से पचपदरा के नमक उत्पादक के इस साल के मुनाफे का आधा भाग श्रमिकों को देना चाहिये । आपको एक मीटिंग दुबारा बुलानी चाहिये । पिछली मीटिंग में आपने उनका दृष्टिकोण सुना ही नहीं। आपने इतना ही कह दिया, कुछ बढ़ा दिया जाये । यह कोई न्यायसंगत बात नहीं कही । चार प्रतिनिधि खर्चा लगा कर आये, उनकी बात तक नहीं सुनी। आखिर आपके पास इतनी आय है, आपको इतना लाभ हुआ, उसके आधार पर आप उनको क्या देना चाहते हैं ? उन से बात करते, उनको समझते ...

(समय-समाप्ति- सूचक घन्टी)

मेरी पहली मांग तो यह है कि आप मीटिंग दुबारा बुलायें, उनके दृष्टिकोण को सुनें और जो लाभ हो रहा है उसका आधा भाग उन श्रमिकों को दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उद्योग मन्त्री जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। यह हल संगत होता यदि उद्योग मन्त्री जी, राजकीय उपक्रम मन्त्री जी पहले अपना स्टेटमेंट यहां देते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने विधान सभा प्रक्रिया सम्बन्धी जो नियम हैं, उनको नहीं देखा, न सुना। 131 में पहले मन्त्री को स्टेटमेंट देना चाहिये और उसके बाद उनसे सवालात पूछ सकते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : पहले मन्त्री महोदय उत्तर दे देते हैं उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जो कहना चाहते हैं उसकी खुद पालना नहीं करना चाहते हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अपनी मौन स्वीकृति दी यह मानते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपके लिये नहीं कहा है, माननीय सदस्या के लिये कहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं राजकीय उपक्रम मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, सैकड़ों और हजारों मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी से यहां काम कर रहे हैं उनका

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

शोषण बन्द करो। जब मैंने सुना कि राजस्थान पचपदरा के नमक को 12 रुपये क्विंटल में और 16 रुपये क्विंटल में शहर के व्यापारियों को बेच रही है और जो नमक का उत्पादन कर रहे हैं, जो एक वर्ष में तीन, चार महीने ही काम कर सकते हैं खारवालों को केवल 3 रुपया क्विंटल मिलता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। माननीय उद्योग मन्त्री जी, जो केन्द्र में आपके गुरुजी हैं जार्ज फर्नाडीस, वह राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं कि देश के प्राइवेट एन्टरप्राइजेज हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसलिये किया जाये कि प्राइवेट एन्टरप्राइजेज अधिक मुनाफा लेकर अपना माल बेचते हैं। दूसरी ओर उद्योग मन्त्री जी, आपके डिपार्टमेंट में इस प्रकार के भेदभाव की नीति बरती जाये ···

(समय-समाप्ति- सूचक घन्टी)

दूसरी बात, माननीय उद्योग मन्त्री जी, आप एक वकील रहे हैं। यह लॉ का नेचरल प्रिन्सीपल है कि दोनों पार्टीज को सुन लें तब कोई बात तय की जाती है। नमक उत्पादन करने वाले मजदूरों की बात ही नहीं सुनी गई जिनके मतों से आपकी सरकार बनी। माननीय उद्योग मन्त्री जी, आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि आपने उन मजदूरों की बात ही नहीं सुनी। एक पक्षीय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, एक बात कहना चाहता हूं, आप बोलें कम, सुनें ज्यादा। अगर आपने श्रवण किया तो ज्ञान वर्द्धन होता रहेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, ये तो वे पेड़ हैं जितने पत्थर मारेंगे, उतने ही आम गिरेंगे। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (राजकीय उपक्रम मन्त्री) : आप तो ऐसा मत कहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अभी तक सुना गया था कि निजी उद्योगों में लूट है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वर चन्द्र जी।

श्री ईश्वर चन्द्र : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय उत्तर दे लें, उसके बाद आप प्रश्न पूछें।

श्री ईश्वर चन्द्र : आप जानते हैं सरकार किस तरह कतराती है बुनियादी सवालों से। यदि आप कहें तो मैं बाद में कहूं। आप जैसा कहें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : यह जो पचपदरा साल्ट पर 5 लाख 10 हजार का खर्चा

(श्री ईश्वर चन्द्र)

प्रशासन ने 31 मार्च, 1977 तक किया है। आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि 31 मार्च, 1977 तक क्या 5 लाख 10 हजार का सालाना खर्चा प्रशासन कर रहा है ? एक आपने जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है इसमें लिखा है आप वहां एक सर्किट हाउस बनायेंगे और उस सर्किट हाउस के लिए आप 0.47 लाख का खर्चा करेंगे तो, श्रीमान् आप खारवालों के लिए क्या एक धर्मशाला भी बनवायेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि आज इन खारवालों को उचित कीमत नहीं मिल रही है। इनकी जो मशीनरी है, इनके जो आफिसर्स हैं, इनके जो इन्सपेक्टर्स हैं वे सबसे बड़ा शोषण कर रहे हैं। इसलिए एक बात तो यह कि प्रशासन का खर्चा घटायें। दूसरी बात जो नमक की कीमत है वह आप चार रुपये दे रहे हैं। आज घोषणा कर दें कि 8 रु. देंगे तो मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ये तो बेचें 16 रु. क्विंटल और उनको दें चार रुपये क्विंटल। यह किसी प्रकार भी न्यायोचित नहीं है।

दूसरी बात खारवाल लोग जो नमक निकाल कर रखते हैं उस नमक को पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। आप उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह डीडवाना पर भी कुछ व्यवस्था कीजिये। जैसे ही खारवाल लोग नमक निकाल कर रखें उसको उठाने की व्यवस्था कीजिये। एक दूसरा मेरा निवेदन है इस उद्योग में जो बिचौलिये फंसे हुए हैं इनके कारण आज स्थिति यह है कि चार रुपया भी उनको नहीं मिल पाता है। वे उनसे खरीदते हैं और फिर सरकार को बेचते हैं। सेठों, अफसरों और बिचौलियों का एक त्रिगुटा पचपदरा में बना हुआ है तो मेरा निवेदन है कि आप इन 250 परिवारों का कोई सुधार कीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (राजकीय उपक्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्या ने जो विचार व्यक्त किये कि मैंने खारवालों को नहीं सुना, यह मेरे विचार से उनकी जानकारी के के अभाव में गलत है। दरअसल यह मामला एक लम्बे मुकदमे में चल रहा था। जैसा माननीय सदस्या ने कहा 1976 मे एक समझौता हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल जिसमें डीडवाना, देशवा और पचपदरा के खारवाल इन लोगों के बीच में और राजस्थान सरकार के बीच में तय हुआ कि समय समय पर कीमत का परिवर्तन किया जाय। कीमत इनके प्रोडक्शन की प्रति वर्ष निर्धारित की जाय। अब मैं कुछ आंकड़े....

श्रीमती मदन कौर : आपने खारवालों के कर व्यय की जो बात कही, उसमें तो यह प्रावधान है कि यातायात की क्या स्थिति हो, मार्केट में क्या रेट हो और सारे नमक का उत्पादन कितना हुआ ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप ऐसा क्यों समझ रही हैं कि जो कुछ मैंने अभी कहा वह अन्तिम है। आप बहुत गम्भीर सदस्यों में से हैं। आपके लिए मेरे मन में अत्यधिक आस्था है।

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं सदन की जानकारी के लिए। वर्ष 1975-76 में राजस्थान सरकार को केवल 13 हजार का प्रोफिट हुआ इस स्रोत से और कीमत जो मिली थी, माननीय सदस्या ने बताया 1976-77 में 94 हजार का लाभ हुआ। पिछले वर्ष हम लोगों ने विशेष रूप से प्रयत्न करके इन खारवालों की परिस्थिति को सुधारने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से जमानत देकर 40 लाख का ऋण दिलाया, मैं स्वयं उस ऋण वितरण कार्यक्रम में वहां गया और खारवालों को अनेक प्रकार की हमने सुविधायें दीं तो सबसे पहले 12 लाख का प्रोफिट रहा। इससे पहले हमेशा पचपदरा में लोस रहा। जैसे ही प्रोफिट की सम्भावनायें नजर आईं तो कांग्रेस शासन में जैसा माननीय सदस्या ने बताया कि सड़क की सुविधायें दी थीं और हम लोगों ने नहीं दीं। यह तो उनकी मर्जी की बात है वे चाहे जो कुछ कह सकती हैं, उनको कहने का अधिकार है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसे ही इस बात की सम्भावनायें नजर आईं कि इसमें प्रोफिट अधिक हो सकता है, हम लोगों ने एक रुपये 98 पैसे से बढ़ाकर डेढ़ गुना यानि 3 रु. कर दी। पिछली बार जैसे ही हमारे सामने, हमारी एफिशियेन्सी के कारण, हमारी ओनेस्टी के कारण और कुछ मार्केट में परिवर्तन के कारण इस स्रोत से प्रोफिट की सम्भावनायें नजर आई तो इस सरकार ने उसकी कीमत बढ़ा दी और इस वर्ष हमने और अधिक इसके अन्दर कार्य किया।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि पचपदरा के लवण स्रोत में हमने कोई अनुसन्धान करके क्वालिटी को बढ़ाया हो। वही स्रोत हैं, वही खारवाल बनाने वाले हैं वही नमक है लेकिन पिछले 30 वर्षों में परम्परागत रूप से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से दुरुपयोग जो वहां होता था, उस पर सरकार ने रोक लगाई है और उसके परिणामस्वरूप मार्केट में ओपन टैण्डर के अनुसार बेचना प्रारम्भ किया। जो माननीय भटनागर साहब ने आरोप लगाया कि बिचौलिये आ जाते हैं, अफसर आ जाते हैं और मिल जुल कर प्रोफिट खा जाते हैं, यह सारी स्थिति उस जमाने में होगी। अब खुले मार्केट में जो हाइएस्ट टैण्डर आते हैं, उनके अनुसार बेचते हैं इसलिए बिचौलिये वाला मामला अब नहीं रहता है।

आज जैसा माननीय सदस्या ने कहा 45 लाख का अनुमान हमने लगाया है प्रोफिट का, वह तो इस रेट के बढ़ने के कारण 37–38 लाख ही रह जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं नमक वही है, स्रोत वही है, खारवाल वही है और जैसा बताया कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो भी वही है लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी और उसमें जो पिलफिरेज होता था या किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने का ध्येय था उसको हमने अवश्य खतम किया है। अब सीधा नमक खरीद कर उसको बाजार में जो मार्केट रेट मिल सकती है उसमें बेच

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

रहे हैं और इसी कारण इसमें प्रोफिट बढ़ा है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कभी भी इन खारवालों ने कुल मिला कर 5-6-7 लाख से ज्यादा कीमत के रूप में नहीं लिया। यह पहला साल है जिस साल 30 लाख रुपया इन 250 परिवारों को दिया जा रहा है। पहली बार नमक के लिए 30 लाख रुपया दिया जा रहा है।

माननीय सदस्या ने अभी यह आरोप लगाया कि उसके उत्पादन की कीमत छः रुपया प्रति क्विंटल है और हम दे रहे हैं 4 रुपया प्रति क्विंटल। विभागीय रूप से जो नमक के उत्पादन का खर्चा है इस पचपदरा लवण क्षेत्र के अन्दर, खात में, उसकी उत्पादन कीमत, जिसमें मजदूरी शामिल है, केवल 1 रुपया 12 पैसे प्रति क्विंटल आती है।

श्रीमती मदन कौर : गलत है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आपका अनुमान हो सकता है। मैं आपको चैलेंज नहीं करना चाहता क्योंकि आप वहीं की रहने वाली हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब है कि आप इसको स्वीकार करते हैं। फिर बताइये कि क्या स्थिति है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सभ्य तरीका है किसी बात को कहने का। मैं यह नहीं कहना चाहता था कि आप सही नहीं हैं लेकिन विभाग की ओर से जो हमारे पास अधिकृत सूचना है, उसी अधिकृत सूचना के आधार पर मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पचपदरा लवण क्षेत्र के अन्दर जो उत्पादन किया, सरकारी क्षेत्र के अन्दर, मजदूरी देने के पश्चात् और उसमें सुपरवाइजरी चार्जेज भी शामिल करने के बाद उसकी कोस्ट 1.12 रु. आती है तो निश्चित रूप से जो खारवाल अपने परिवार वालों को साथ लेकर नमक का उत्पादन करते हैं उनके नमक के उत्पादन की कीमत जरूर कम होगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : परिवार वाले भी काम तो करते हैं, उनकी लेबर भी तो जोड़नी चाहिए। आप यह क्या कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्या ने ढाई सौ परिवारों में प्रति परिवार अगर पांच व्यक्ति भी मान लें तो भी साढ़े सात सौ लोग हुए, साढ़े सात सौ लोगों को अपनी गांठ से एक पैसा लगाना नहीं पड़ता, कहीं से कोई रा-मैटीरियल कलेक्ट नहीं करते, दूसरे प्रकार का खर्चा नहीं करना पड़ता है, उन साढ़े सात सौ लोगों को तीस लाख रुपया एक वर्ष के अन्दर मजदूरी के

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

रूप में मिल जाय इसके बाद भी अगर इस सदन के अन्दर सरकार पर आरोप लगाया जाय कि यह सरकार शोषण कर रही है तो इसके लिए तो हैट्स आफ टू दोज पीपुल। ढाई सौ परिवारों को अभी तीस लाख रुपये एक साल में मजदूरी के रूप में दे रहे हैं उसके बाद भी आप यदि यह आरोप लगायें कि यह सरकार शोषण कर रही है तो फिर तो इन परिवारों को अमरीका में जाकर बस जाना चाहिये जहां पर प्रति व्यक्ति आय पचास साठ हजार रुपये है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कीमत बढ़ाना बताते हैं माननीय सदस्या की उसके बारे में भी जानकारी गलत है। गलत इस आधार पर है कि मार्केट में जो एवरेज सेल कोस्ट थी वह 7.25 रु. थी केवल सात रुपये पच्चीस पैसे।

श्रीमती मदन कौर : झूठ है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं झूठ बोलने का आदी ही नहीं हूं यह शब्द तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आदी तो नहीं हैं लेकिन बोल रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : महात्मा गांधी ने कहा था कि हर वकील झूठ बोलता है और आप वकील रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं एवरेज कोस्ट बता रहा हूं। आप शायद स्थिति को अच्छी तरह से समझी नहीं हैं, माननीय सदस्या। वैसे मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि आप मेरे कथन पर अविश्वास करें। मैं आपको इसके लिए विश्वास दिलाने को तैयार हूं कि जो नमक की एवरेज कीमत है वह सात रुपये पच्चीस पैसे हैं, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों शामिल हैं। इसी तरह से इस वर्ष नमक की एवरेज कीमत 11.43 लाख रु. है। इसमें आपका यह कहना सही है कि बिहार में जाने वाले नमक की कीमत ज्यादा है। अच्छी क्वालिटी की कीमत 16 रु. क्विटल तक पहुंची है लेकिन उसके अन्दर मिनिमम सात रुपये भी है। 11 रुपये इसकी एवरेज कीमत है। जिस अनुपात में इसकी कीमत बढ़ी, 36 पर्सेन्ट तक कीमत बढ़ी तो उसी के अनुपात में उनकी मजदूरी 33 पर्सेन्ट के अनुपात में बढ़ा दी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि माननीय सदस्या को यह बात अखर क्यों रही है कि जनता पार्टी के शासन में, जब कि कांग्रेस के शासन के अन्दर हमेशा नुकसान रहता था, एक साथ लाभ प्राप्त कैसे हो गया? अगर सरकार के लिए यह भी अभिशाप हो कि स्टेट एण्टरप्राइजेज, जो लोस में चल रहे थे, वे प्रोफिट में क्यों आ गए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा और मैंने जो कुछ बताया उसमें अगर कुछ गलती हो, चाहे आंकड़े गलत हों, चाहे इन्फार्मेशन गलत हो तो मैं अपने आपको कभी भी, किसी भी स्तर पर सुधारने को तैयार हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय मन्त्री जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं पहले खतम कर लूं। मैं इस बात को न्यायोचित समझता हूं कि ढाई सौ परिवारों में तीस लाख रुपया मजदूरी के रूप में वितरित करना, it is more then sufficient. फिर ये इनका साइड प्रोफेशन है।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजकीय उपक्रम मन्त्री को इस बात के लिए तो धन्यवाद देती हूं...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : There will be no debate. This is contained in Rule 131.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही पूछेंगी माननीय सदस्या।

श्रीमती मदन कौर : यह बात सही है कि आपने कुल मिला कर पचपदरा खारवालों को ज्यादा रुपया दिया। मैंने इससे इन्कार नहीं किया। लेकिन आपकी आय बढ़ी है उस स्रोत पर नमक के ज्यादा उत्पादन की वजह से और उस नमक की बाजार में ज्यादा कीमत मिलने की वजह से आय बढ़ रही है। इतना बड़ा मुनाफा राजस्थान सरकार को हुआ है उसका हिस्सा क्या आपने उनको दिया ? यह स्थिति इसलिए बनी है, यह पर्मानेंट फेज नहीं है। अभी कुछ समय से सांभर साल्ट से नमक नहीं निकल रहा है इसलिए यह टेम्प्रेरी फेज है। दो सालों के आप आंकड़े निकालें और देखें कि पिछले साल छः लाख क्विन्टल नमक निकाला और इस साल 8.53 लाख क्विन्टल नमक निकाला है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह हमारी एफिशियेंसी के द्वारा हुआ है। हमारी सावधानी से हुआ है।

श्रीमती मदन कौर : एक तरफ सांभर साल्ट नमक नहीं निकाल रहा है और दूसरी तरफ बाड़मेर जिले में बरसात का भयंकर अभाव है। इस वजह से जो जमीन खारी बनी और उसका कंसेंट्रेशन और बढ़ा। उसकी वजह से ज्यादा काम में आने से उत्पादन बढ़ा है। आपने कुछ नहीं किया है। आप तो उन नमक उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं, यह आपने खुद ने मान लिया है। पहले तो आपने यह कहा कि नमक की रेट काफी मिल रही है और इस बात को भी स्वीकारा है कि इस बार नमक की रेट व्यापारियों से अधिक मिल रही है, उसका वह 11 रुपये 43 पैसे एवरेज है। मैंने भी यही कहा है। मैंने 12 रुपये कहा है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इतनी रेट मिलने के बावजूद भी आप नमक उत्पादकों को केवल 4 रु० देना चाहते हैं जब कि पिछले साल नमक की रेट सात रुपये थी और इस बार 11.43 रु० एवरेज आपने बताई है। जितना रुपया....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 33 पर्सेन्ट मजदूरी बढ़ाई है।

श्रीमती मदन कौर : एक रुपया बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जो नमक के स्रोत हैं क्या सारे स्रोतों का उपयोग हो रहा है या आधे स्रोतों का ही हो रहा है? आधे स्रोत खार के अभी भी बेकार पड़े हैं और अगर उनका उपयोग किया जावे तो आज जो उत्पादन हुआ है और जो प्रोफिट हुआ है वह दुगुने से अधिक हो सकता है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने काफी सन्तोषप्रद और विस्तृत जानकारी दे दी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अगर आपकी अनुमति होगी तो पूछूंगा I am not satisfied.

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ भी लेंगे तो सन्तुष्ट नहीं होंगे।

श्रीमती मदन कौर : ये संतोष दिलाना ही नहीं चाहते।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मन्त्री महोदय की इस बात के लिए तो प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छे अभिभाषक की तरह अपना केस प्लीड किया। परन्तु मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सत्ता सम्भालने के पहले जो मजदूरी आप देते थे और जिस रेट पर आप साल्ट अन्य लोगों को बेचते थे, That was only fifty perscent. पौने चार रुपये में आप सेल करते थे और जो उत्पादन करते थे उसका आधा देते थे। आज वही रेश्यो नहीं है। आज आपको 12 रु० क्विन्टल मिल रहा है एवरेज तो उसका आधा छः रुपया देने में क्या आपत्ति है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नमक के ऊपर राजस्थान की जनता का अधिकार नहीं मानते क्या?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राजस्थान की जनता का पूरा हक है परन्तु ढाई सौ परिवार....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह स्टेट की नोन टैक्स रेवेन्यू है इसको कुछ लोगों में फ्लीटर अवे नहीं किया जा सकता।

श्रीमती मदन कौर : तो आप बढ़ा दें। क्या आप बढ़ायेंगे?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

नोन टैक्स रेवेन्यू किस के पसीने से बढ़ रही है । उन 250 परिवारों के पसीने से नहीं बढ़ रही है जिनको सरकार ने सुविधायें दी है ? हमें एतराज नहीं है परन्तु जिन लोगों ने मेहनत की है उनको जिस रेट पर ग्राप बेच रहे हैं उसका पचास पर्सेन्ट कांग्रेस के जमाने में उनको दि । जाता था, वह रेट ग्राप क्यों नहीं देते हैं ? हम तो यह सोचते थे कि ग्रच्छी सरकार ग्राई है, ग्राप ग्रच्छे नेता हैं तो इन गरीबों के लिए रेट बढ़ा देंगे । इस रेट को इन्क्रीज करने में आपको क्या ग्रापत्ति है ? इन मजदूरों को ग्रधिक पैसा मिले इसमें आपको क्या ग्रापत्ति है ? यह एक मुद्दा है । इस साल 38 लाख रुपयों का लाभ हुग्रा है सरकार को । परन्तु टौंक में जो ग्रापकी टेनरी है, बीकानेर में जो ग्रापकी वूलन मिल है उसमें ग्रापको घाटा हो रहा है । राजस्थान की जो गंगानगर शूगर मिल है उसमें केवल 80 लाख का फायदा हुग्रा है । जहां पर कि राजस्थान का करोड़ों रुपया लगा हुग्रा है वहां केवल 80 लाख का फायदा ग्रौर जहां पर ग्रापका 5 लाख का इन्वेस्टमेण्ट नहीं है वहां पर 38 लाख का फायदा मिल रहा है । तो फिर ग्राप इन मजदूरों को क्यों नहीं देना चाहते हैं ? यह सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उनको 30 लाख रुपया मिला है, यह कह कर प्रश्न को समाप्त नहीं किया जा सकता है·······

श्री ईश्वर चन्द्र : पांच लाख का खर्च है इसमें कितना ग्रापका प्रशासनिक खर्च है·······

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई प्रशासनिक खर्च नहीं है ।

श्री ईश्वर चन्द्र : पांच लाख रुपये के खर्च पर ग्रापको कितना फायदा हुग्रा है ? कितने ग्रापके इन्स्पेक्टर वहां पर लगे हुए हैं । इन गरीबों का एक रुपया भी ग्राप बढ़ा दें तो बहुत भला होगा । उन्होंने ग्रापको यह 38 लाख रुपया कमा कर दिया है । उनको जो 30 लाख रुपया मिला है वह 700 आदमियों में बंटा है । केवल 250 परिवार ही नहीं मानें । उन 250 परिवारों के कुल 700 ग्रादमी वहां पर काम कर रहे हैं । हमने वहां पर जाकर देखा है । ये ग्रादमी दिन-रात वहां पर काम करते हैं । ग्रादमी को नमक की खड्डी में काम करना पड़ता है । यह बहुत ही ग्राडुग्रस नेचर का वर्क है । ग्रादमी एक घण्टे भी वहां पर खड़ा नहीं रह सकता है । वे दिन रात वहां पर काम करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना मेहनत का काम है, उनके पांव फट जाते हैं । उनका कम से कम एक रुपया ग्राप बढ़ा दें । उपाध्यक्ष महोदय, आप कहिए कम से कम एक रुपया तो ग्राप बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय ने ग्रांकड़े यहां पर प्रस्तुत किये हैं कि 250 परिवारों को इस वर्ष, प्रति वर्ष 30 लाख रुपया मिल रहा है । तो प्रति परिवार क्या ग्राय निकलती है ?

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, गणित में तो मैं बहुत कमजोर रहा हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तीस लाख रुपया तो उनका हक बनता है। वह दिया है। इसके अलावा 38 लाख रुपया वे राजस्थान सरकार को कमा कर दे रहे हैं। उसमें से क्या शेयर आप उनको दे रहे हैं ? यह सवाल है। 30 लाख रुपये तो उनकी मजदूरी है। टौंक की टेनरी में आपको घाटा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, बिराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं समझता हूं कि ये समाजवादी मन्त्री हैं। इनसे अपेक्षा अच्छी थी कि ये हमारी बात कहने से पहले ही यह बात मान लेते। कम से कम यह तो कहें कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपनी दिमागी कसरत बन्द करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह दुःख की बात है कि हमारे समाजवादी मन्त्री भी बनिये की तरह सोचते हैं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस नियम 131 की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, क्या आपने उसको पढ़ लिया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पढ़ लिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तो बैठ जाइये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इतना महत्वपूर्ण सवाल है। 700 व्यक्तियों ने 38 लाख रुपया कमा कर दिया है। बिना पूंजी के आप कमा रहे हैं। एक पैसा भी आपने खर्च नहीं किया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वेलफेयर स्टेट में वेस्ट करती है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : State is meant for poor.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आप बिराजिये।

विधायी कार्य। माननीय वित्त मन्त्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : यस, पाइन्ट आफ आर्डर, श्री रामनारायण चौधरी।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में की गई घोषणाओं के अनुरूप वित्त विधेयक में संशोधन

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 (2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर आपको नियम 154, पेज 47 की ओर ले जा रहा हूं।

154, A Finance Bill.—(1) In this rule 'Finance Bill, means the Bill ordinarily in each year to give effect to the financial proposals of the Government of Rajasthan for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period."

मान्यवर, नियम 154 में फाइनेन्स बिल को स्पष्ट किया गया है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने फाइनेन्स बिल इन्ट्रोड्यूज किया है हाउस में और अब उसको विचारार्थ लेने के लिए मन्त्री महोदय प्रस्ताव करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं पाइन्ट आफ आर्डर द्वारा उसका विरोध इस आधार पर करता हूं कि इस बिल के अन्दर वह प्रपोजल्स शामिल नहीं किये गए हैं, जिन्हें बिल में नहीं लाने के लिए विधान सभा के इस फ्लोर पर राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी। जब माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया था, नि:सन्देह उनके बजट भाषण में इस प्रकार के प्रपोजल्स थे, जो कि इस फाइनेन्स बिल में इनकारपोरेट किए गए हैं, लेकिन विधान सभा के अन्दर जब विरोध किया गया और जन आक्रोश प्रदेश में उद्वेलित हो गया, प्रति पक्ष ने हां पक्ष के सदस्यों को प्रभावित किया....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री राम नारायण चौधरी : Let me say. ...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अमेन्डमेन्ड आ गया है ...

श्री राम नारायण चौधरी : मैं यह नहीं कहता ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय राम नारायण जी ने जो आपत्ति रेज की है वह रेलेवन्ट है। मैं खुद ही महसूस कर रहा था कि जो घोषणायें की गई है, जिनको वापस लिया गया है, उसका इनकारपोरेशन अमेन्डमेन्ट के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, अमेन्डमेन्ट नहीं लाए गए हैं। अमेन्डमेन्ट सदन में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, मूव नहीं किए गए है। सक्यूलेट भी नहीं किये गये हैं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सक्यूलेट तो हो गये हैं।

श्री राम नारायण चौधरी : मान्यवर, हमें अभी तक नहीं मिले हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आवाज उठने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की आत्मा भी जागृत हुई कि जो टैक्सेशन किसानों के ऊपर गरीब तबके की कमर तोड़ने के लिए वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तावित किये थे, उसका सदन के अन्दर और बाहर जबर्दस्त विरोध हुआ और विरोध, मान्यवर, इस तरह हुआ कि मन्त्रीगण 16 तारीख के पहले अपने-अपने क्षेत्रों में नहीं जा सके और वे राजधानी से बाहर नहीं निकल सके। यही नहीं, वे जयपुर की सड़कों पर नहीं निकल सके और सचिवालय तक भी उनको पुलिस गार्ड में लाया गया, यह सही है। यह स्थिति राजस्थान में अन्दर बनी है, जनमत के जागृत हो जाने की वजह से बनी है जिसका प्रतिपक्ष ने रोल अदा किया था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। जो पाइन्ट आफ आर्डर आपने उठाया है, उस पाइन्ट आफ आर्डर को आप संक्षेप में, तर्क संगत बात के द्वारा ही कहें। मैं इस बात की जानकारी देना चाहता हूं.......

श्री राम नारायण चौधरी : मैं तो अपने पाइन्ट को एलोबरेट करने के लिए यह बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया जाता है। वह केवल स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। मैं खुद ही, जिस भाषा में आप बोले हैं, समझ गया हूं....

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आसन ने एक क्षण में ही मेरी बात को एप्रिशिएट कर दिया है।

मान्यवर, वह टैक्सेशन प्रपोजल्स, जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में रखे थे, 16 तारीख की सदन में कार्यवाही के अन्दर दर्ज हैं, उनमें मुख्य मंत्री महोदय ने इन्टरवीन किया और इन्टरवीन करके मन्त्री महोदय को आदेश दिया कि वे इनको वापस लें। उन्होंने यह अनुरोध किया था। परन्तु, मान्यवर, इस सदन में ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि मुख्य मन्त्री, लीडर आफ दी हाउस किसी भी टैक्स को वापस लेने के लिए मन्त्री को कहे है। नहीं कहता है। मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूं। परन्तु सदन की जो परम्परा है, वह बता रहा हूं। फाइनेन्स मिनिस्टर को कभी भी पार्लियामेन्ट में प्रधान मन्त्री ने यह नहीं कहा, हाउस आफ कामन्स में फाइनेन्स मिनिस्टर को यह नहीं कहा गया कि आप इस टैक्स को वापस ले लें।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायणजी, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, आपका जो पाइन्ट आफ आर्डर है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह रेलेवेंट है, मान्यवर। 16 तारीख को जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि ये टैक्सेशन प्रपोजल्स उन्होंने वापस ले लिये हैं। इसके बाद, मान्यवर, जो बजट प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में रखे थे, वे प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायण जी, कृपया विराजें।

श्री राम नारायण चौधरी : वे नहीं रखे। इसके बाद फाइनेंस बिल सदन में आया और सदन में इंट्रोड्यूज हुआ। मैं उसी स्टेज पर विरोध करना चाहता था, लेकिन परम्परा रही है कि गवर्नमेंट के बिल का विरोध किया जाय, लेकिन जिनके प्रस्ताव आये अब वे कह रहे हैं कि अमेंडमेंट मूव कर दिया। तो, मान्यवर, इस प्रकार का फाइनेस बिल सदन में विचारार्थ नहीं ला सकते, जिसके बारे में सदन निर्णय कर चुका है। राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी कि टैक्सेशन प्रपोजल्स नहीं होगे उन्हीं प्रस्तावों को इन्कारपोरेट करते हुए उनको शामिल करके विचारार्थ लेना चाहते हैं, यह नियमानुकूल नहीं है, न प्रतिष्ठानुकूल। यह प्रतिष्ठा के खिलाफ है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। जो टैक्सेशन प्रपोजल हैं ही नहीं उनको सदन के विचारार्थ कैसे लिया जायेगा? उनको शामिल करने के बाद फिर अमेण्डमेंट के जरिये अमेंडमेंट लाइये। नहीं तो सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, जो कुछ कहा गया है उसके खिलाफ है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसके विचारार्थ की अनुमति नहीं दी जाय। वित्त मन्त्री जी को आदेश दें कि दूसरा बिल प्रस्तुत करें, जिसमें ये प्रस्ताव न हों। यह फाइनेंस बिल डिफेक्टिव है, बेड इन ला है और पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में ही नहीं है It is bad in law and against all cannons of parliamentary practice.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को और विशेष तौर से वित्त मन्त्री जी को कहना चाहूंगा....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ इन्फारमेशन, सर। कर-प्रस्ताव विथड्रा किये थे उसके पहले यह बिल सक्यूंलेट किया है या बाद में ?

श्री उपाध्यक्ष : जिस तारीख में वित्त मन्त्री जी ने बजट भाषण दिया था उसके तुरन्त बाद ही फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूज कर दिया गया। उसके बाद में उन्होने एक अमेंडमेड 30-3-79 को दिया था। मैंने स्वयं इन सूचनाओं को मार्क किया है। वित्त मन्त्री जी ने टैक्स अनाउन्स किये थे, उनमें से कुछ के तो इन्होंने अमेण्डमेण्ट मूव कर दिये। कुछ ऐसे सैक्शन 177, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट अमेण्डमेंट हैं, इंट्रोड्यूज नहीं किये हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्लैकनेस और नेग्लिजेन्स जो भी इन्चार्ज मिनिस्टर हो सकते हैं उनकी ओर से नहीं होनी चाहिये। इन्हें कम से कम जानकारी होनी चाहिये इस प्रकार का अमेण्डमेंट आवश्यक है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इस संबंध में निवेदन है कि जो असेम्बली स्टाफ है, उससे भी थोड़ी जानकारी आप कर लें। दरअसल यह किसी प्रपोजल को ड्राप करने का प्रोविजन है, रूल्स के अन्तर्गत। That is to be taken as negative by the House.

किस तरीके से नेगेटिव होता है, यह जरूर हमारे और उनके बीच में कंट्रोवर्सी है लेकिन जो टैक्स प्रपोजल हमने सामने रखे और टोटल ड्रा कर रहे हैं वे एक रिक्वेस्ट के आधार पर कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो गवर्नमेंट के सोचने की बात थी, यह तो आपका काम है। क्या कर ड्राप करना है, आप लोगों का कार्य है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इस बात की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम नारायण चौधरी : कैसे नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कोई दुकान नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो टैक्सेशन के प्रस्ताव माननीय वित्त मन्त्री जी ने बजट में रखे उनकी अनुपालना में उन्होंने फाइनेंस बिल यहां प्रस्तुत किया, दूसरा पेसेंजर एण्ड गुड्स अमेण्डमेंट प्रस्तुत किया। दोनों उसी दिन किये। इसके बाद सामान्य बजट भाषण पर वाद विवाद हुआ। बजट भाषण का उत्तर देते हुए वित्त मन्त्री जी ने कुछ घोषणाएं रियायतों की कीं, क्योंकि वे फाइनेंस बिल का पार्ट थीं। अब मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स कह रहे हैं कि नेगेटिव वोटिंग करना चाहते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोविजन में रूल है जो मुझे दिखाया गया।

एक माननीय सदस्य : वह रूल बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं अभी आपको नियम बता देता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह कौन सी बही में है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अभी बता देते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब आपने अनाउन्स किया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अभी मंगवा देते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो कल वाली बात हुई,....

124

श्री परसराम मदेरणा : रूल 65 की ओर ध्यान गया, होगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब इस बिल में कुछ अमेण्डमेंट ले आये अगर वही स्टेज रख रहे हो तो अमेण्डमेंट क्यों लाये ? कुछ आप 65 का सहारा लेना चाहते हैं, ये दोनों बातें कैसे चलेंगी ?

श्री राम नारायण चौधरी : अमेण्डमेंट है ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अमेण्डमेंट इसमें है। इसीलिये आपका स्टेण्ड सैल्फ-कांट्रे-डिक्ट्री है। आपके बीच में विरोधाभास है। यह तो गवर्नमेंट की जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। सरकार एक ही स्टैण्ड लेकर यहां पर आ सकती है। यह तो रात को सोचना चाहिये था। यहां आकर आप कह रहे हो। यह तो मैं समझता हूं कहना नहीं चाहिये। फिर भी आप कुछ भी कह सकते हो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये तो शराब की चर्चा में वैसे ही मस्ती में आ गये।

श्री परसराम मदेरणा : मास्टर जी आज दृढ़ हैं। वह अपना भाषण करेंगे लेकिन मैं कह रहा हूं नेगेटिव वोट करना था तो नेगेटिव वोट करा लेते।

श्री मूलचन्द डागा : आज मुख्य मन्त्री जी स्टेटमेंट देने वाले थे। अखबारों में चर्चा हुई है, मुख्य मन्त्री महोदय भाषण देंगे और पालिसी बतायेंगे। क्या हुआ उसका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा इतना ही नहीं माननीय वित्त मन्त्री जी ने कल कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी घोषणा करेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय वित्त मन्त्री जी बतायें तो सही कि मुख्य मन्त्री जी कहां हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। मुख्य मन्त्री जी आ जायेंगे। वित्त मन्त्री जी उत्तर देंगे तब तक आ जायेंगे। अभी इनके उत्तर देने की स्टेज नहीं आई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने बजे करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये, माननीय सदस्या।

मैं इस मामले में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शायद इस बारे में सचिवालय, असेम्बली सचिवालय से विचार विमर्श हुआ होगा और उनसे यह कहा होगा कि हम डिलीट करवाना चाहते हैं तो असैम्बली सैक्रेटेरियेट ने कहा होगा कि इसको वोट द्वारा कराया जाय। शायद वार्तालाप हुआ होगा, वह सही हो सकता है। लेकिन मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि शकधर की जो किताब है उसमें इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

(श्री उपाध्यक्ष)

वह जानकारी किस किस स्टेज पर लायेंगे, हो सकता है, मन्त्री महोदय इसके बारे में देख लें। क्लाज 5 में है कि जब कोई अमेंडमेंट होता है किसी क्लाज पर, अमेंडमेंट हाउस द्वारा अलाउ हो जाता है, उसके बाद में अमेंडमेंट किसी क्लाज में करना आवश्यक होता है तो उस टाइम पर अमेंडमेंट प्रस्तुत कर दिया जाता है और वोटिंग द्वारा नेगेटिव कर दिया जाता है। यह स्टेज बाद में आती है जब कि बिल पर क्लाज बाई क्लाज कन्सीडरेशन होता है। क्लाज बाई क्लाज कन्सीडरेशन की स्टेज बिल की नहीं आई है। इसपर सैकण्ड रीडिंग होगी और उसके बाद थर्ड रीडिंग होगी। शायद इस भ्रम मे यह व्यवस्था कर दी गई है। इस आधार पर डिलीट नहीं हो सकता है। तो मन्त्री जी इसको देख लें। उसके बाद में उनसे इसके बारे में जानकारी लूंगा और स्वयं अपनी व्यवस्था दूंगा। मैंने प्रोविजनली अपना आशय बताया है। मैंने यह कह दिया है कि इस स्टेज पर अमेंडमेंट मूव करना आवश्यक नहीं है। हाउस नेगेटिव वोट द्वारा ही डिलीट कर सकता है।

श्री मूलचन्द डागा. यह तो कन्फ्यूज्ड है। जनता पार्टी की सरकार किसी बात पर ध्यान नहीं देती है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह खुद तो कुछ नहीं जानते हैं और विधान सभा के सचिवालय को बीच में लपेटते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अब बैठिये, सब जानते हैं कि कितनी गहराई पर हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, अमेंडमेंट कब रखा जाता है यह तो मामूली बात है। सब जानते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हमारा काम नहीं है। हम तो पाइंट आउट कर देते हैं। जो करना हो वह आप करिये। परन्तु झांसेबाजी नहीं करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह विधान सभा के सचिवालय की जिम्मेदारी नहीं है आपकी जिम्मेदारी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा समाप्त करना चाहते हैं। सदन की उपेक्षा करना चाहते हैं। यह कुर्सी छोड़ दें। दूसरे योग्य आदमी मिल जायेंगे जनता पार्टी में।

श्री रामनारायण चौधरी : आप ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मामला नहीं हुआ है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको मन्त्रिमण्डल में कौन सी बुद्धि से लिया है? यह क्या कह रहे हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप आना चाहते हैं?

श्री जयकृष्ण शर्मा : सदन को 10-15 मिनट के लिए स्थगित किया जाकर इस पर विचार कर लें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो मिनट से सदन चुप है। इसमें दूसरी क्या कार्यवाही चलेगी। वह दो मिनट विचार करेंगे तब तक सदन का क्या करेगा ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए रोक दी जाय तब तक वह किताब देख लें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इनके पास कुछ नहीं है और विधान सभा सचिवालय....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : पाइंट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष। इस सदन की हिस्ट्री में इस तरह से सदन के अन्दर बैठकर सचिवालय पर आरोप लगाना, सदन में इस तरह बैठकर सलाह मशवरा करना, सदन में बैठकर इस प्रकार बेबुनियाद जवाब देना, आसन की रूलिंग होने के बाद डिफेण्ड करना, पहली बार हुआ है। इस बात का खयाल करके मेरा यह प्रस्ताव है कि अगर उनके पास किताब नहीं हो, अगर सलाह-मशविरा करना चाहते हैं तो इस सदन की कार्यवाही 15-20 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाय ताकि वह तैयारी करके जवाब दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सब तैयारी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा प्रस्ताव है कि सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो काफी हाउस बना दिया है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में सचिवालय में जरूर चर्चा हुई है। हो सकता है कि सचिवालय में—

श्री श्योपतसिंह मकासर : उसका उत्तर हां भी नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि सचिवालय में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सचिवालय की चर्चा का प्रसंग यहां पर नहीं आना चाहिये। वह सदन में नहीं बतलाया जाता है क्योंकि सचिवालय का यहां पर कोई होता नहीं है इसलिए उसका खण्डन नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह तो जीव हैं उत्तर क्या देंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको शर्म नहीं आई ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्योपतसिंह जी, आपके दुःख दर्द को हम समझ सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री रामनारायण जी ने जो आपत्ति उठाई है उस पाइन्ट आफ आर्डर में कोई सब्सटेन्स नहीं है। सरकार अपने टैक्सेशन के जो बजट प्रपोजल्स हैं उन पर कटिबद्ध है, उन पर कायम है। वह स्टेज जब आयेगी उसके सम्बन्ध में उसके अनुरूप सदन में मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने जो क्लेरिफिकेशन चाहा है उसका जवाब दें।

माननीय उपाध्यक्ष ने जो रूलिंग दी है उसका जवाब दें। उन्होंने जो राय मांगी....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय, उपाध्यक्ष हुक्म देंगे तो जवाब दे दूंगा। आपका हुक्म नहीं मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी ने आपत्ति पेश की है और अपनी राय दी है कि अमेंडमेंट अगर आवश्यक है तो बिल के इन्ट्रोडक्शन के बाद पारित होने के पहले होना चाहिए। मूव हो सकते हैं ऐसे अमेंडमेंट, ऐसा मुझे बताया है। जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रकार के अमेंडमेंट अलाउ होते हैं और अमेंडमेंट प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि इस तरह का अमेंडमेंट आवश्यक नहीं है। आप कदाचित उस सम्बन्ध में कोई रूल रेफर करना चाहें तो करें वरना मैं अपनी तरफ से तो रूलिंग दूंगा। आप हाउस में वोटिंग द्वारा उसको नेगेटिव करा सकते हैं। मुझे अपनी ओर से व्यवस्था तो देनी पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : क्वेश्चन यह है कि रूल 66 के अन्दर इन्होंने इन्ट्रोड्यूज किया इन्ट्रोड्यूस करने के बाद एक ही प्रस्ताव था। Ru'l 66 says : When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to this Bill namely—

(a) that it be taken into consideration; or

(b) that it be refferred to a Select Committee of the House; or

इनको अधिकार है केवल तीन बातों का

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon :

इसके पूर्व लिया तो कोई हुआ नहीं है। आप रेफर कर सकते हैं सलेक्ट कमेटी को We couldn't give our amendments.

(128)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कौन सा नियम बताया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : 66 ।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें जो कुछ भी मोशन्स दिये हैं हमारी तरफ से दिये हैं वह इसके आधार पर दिये हैं। यह इन्ट्रोड्यूज हुआ नहीं। अमेण्डमेंट दिया वह आपने इन्ट्रोड्यूज किया नहीं तो हम किस आधार पर अमेंडमेंट दें ? We can't give any amendment. हम कैसे दे सकते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका ध्यान शकधर की किताब के पृष्ठ 443 के लास्ट पैराग्राफ की तरफ दिलाना चाहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : This is commentary. यह रूल नहीं है। आपने इन्ट्रोड्यूज ही नहीं किया तो हम लोगों का क्या अधिकार है कि हम अमेंडमेंट दें ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरे अधिकार दूंगा।

श्री रघुनन्दन व्यास : मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो बीच में टोका-टोकी नहीं होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : आपने इन्ट्रोड्यूज नहीं किया तो हम लोग अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं ? आप पहले रूल बताइये कि किस रूल में है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं सब कुछ बता दूंगा। जो ज्ञान की कमी आपकी है वह मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है परन्तु आप फिर भी नहीं मानते।

श्री रामनारायण चौधरी : संसदीय परम्पराओं के नाम पर आप हशअप करने की कोशिश मत कीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

एडजोर्नमेण्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप जो पुराने हैं, उनको भी जानकारी नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जानकारी आपको नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : "If the member in charge of the Bill desires to omit a clause from the Bill the normal procedure is to put the clause to the vote of the House and when it is negativated it is not permissible to move withdrawal of the clause, as after a Bill has been introduced the Bill as a whole is before the House."

यह इण्ट्रोड्यूज हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : यह फाइनेंस बिल है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसलिए प्रभारी मन्त्री.......

(व्यावधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह सरकार गिर जाएगी नेगेटिव होते हुए भी। यह फाइनेंस बिल है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : This relates to every Bill.

You want that the Government should withdraw it. We are going to withdraw it.

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : नेगेटिव तो हम लोग करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, हां।

Once the Bill has been introduced the Minister incharge प्रभारी मन्त्री particular provision को drop करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मैं पुन: निवेदन करता हूं Rule 265 is quite clear in this regard. किसी समय भी आपके माध्यम से पर्टीक्यूलर समय में ड्राप करने का निवेदन कर सकते हैं। ड्राप सदन की स्वीकृति से किया जायेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। फाइनेंस बिल में संशोधन करने की घोषणा की है। पहले घोषणा नहीं होती हैं। वह बिल इण्ट्रोड्यूज हुआ है इसका सम्बन्ध फाइनेंस से है इसलिए यह फाइनेंस बिल है। चूंकि घोषणा कर दी हैं, इस लिए संशोधन प्रस्ताव पहलेही आना चाहिए। अब संशोधन प्रस्ताव लाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए यह चर्चा चली है। हमल ोकतन्त्रकी बात कहना चाहतेहैं तो यह कौन से लोकतन्त्र और जनतन्त्र की परम्परा है। विधान सभा की जो हैसियत है, जो गरिमा है, उस सबको समाप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि हम लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस को एडजोर्न करके बिल में एमेंडमेंट करके लायें। भले ही रात के 12 बजे तक बैठना पड़े। इस प्रकार का इस हाउस में नहीं चलना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई उत्तेजना का विषय नहीं है न इससे कोई जनतन्त्र ही समाप्त होता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्यों नहीं समाप्त होता है?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आज जनतंत्र की बात कर रहे हैं.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मन्त्री जी, मूर्खता का प्रदर्शन भी जनतन्त्र में नहीं होता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक रूलिंग है, अगस्त 77 की। पेज 113 पर है। माननीय खेत सिंह जी, चेयर ने रूलिंग दी है।

130

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह फाइनेंस बिल नहीं होगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : किसी भी समय संशोधन पेश कर सकते हैं । इस लिए संशोधन पेश करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह पाइण्ट दूसरा है ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सुन तो लीजिए । डागा साहब की बात तो समझ में आती है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो यही पूछता हूं कि क्या सदन को स्थगित किया जाये ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई आवश्यकता नहीं है । माननीय रामनारायण चौधरी इस चेयर को सुशोभित कर चुके हैं । उनसे यह अपेक्षा की जाती है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको अभी सलाह दे दी है । मगर आपने अभी तक नहीं रखा है ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरे को आपको रिक्वेस्ट करने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

डागा साहब, बैठ जाइये ।

क्योंकि यह बिल पेश किया है और बजट में कंसेशन अलाउ किया गया है । इस लिये यह बात क्लाज 15 से सम्बन्धित है वह सम्पूर्ण ड्राप करना है ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : ड्राप कैसे करेंगे, वह तो बतायें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सुन लीजिए ।

This can be verbally requested and verbally accepted. कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है । माननीय जयकृष्ण जी, नीति के मुद्दे पर अगर कोई ऐसा प्रश्न उठायें जिसको सदन अलाउ करे । इस बात को तो ग्रहण करने की चेष्टा करें । आप ख्वाहमख्वाह बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर कोई बात करे तो वह ख्वाहमख्वाह हो गई ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, समय के इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

मेरा प्रस्ताव है कि सदन की कार्यवाही का समय आज का कार्य समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज का कार्य समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

कार्य समाप्त होने तक के लिए सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया गया।

सदन में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विधेयक में संशोधन

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, 15 पर गंगारामजी ने यह अमेण्डमेंट मूव किया है। असेम्बली सेक्रेटेरियट द्वारा यह कह कर खारिज कर दिया गया है कि संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आपके द्वारा या अध्यक्ष महोदय के द्वारा, असेम्बली सेक्रेटेरियट में माननीय विधि मन्त्री जी ने दिया है। यह पर्टीश्यूजर संशोधन होगा तो इसके जरिये से नहीं होगा। जिस वक्त माननीय वित्त मन्त्री जो घोषित कर चुके हैं, 25% के सम्बन्ध में जो आया है, वह बढ़ाने की राज्य सरकार राय नहीं रखती है। जैसाकि आर्टिकल 265 की ओर विधि मन्त्री जी ने ध्यान आकर्षित किया है। माननीय गंगाराम जी चौधरी ने जो अमेण्डमेंट पेश किया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि वह अगर विधिमन्त्री जी रखें तो भी वही बात होगी। चूंकि वह असेम्बली सचिवालय में रखा है, मैं यही कहूंगा, उसे लेने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लीगल प्रश्न खड़ा हो गया है। इस पर माननीय विधि मन्त्री जी का क्या कहना है। वह भी सुन लिया जाये।

कई माननीय सदस्य : वह बोले थे।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा बोले थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय। He can sit in this House. He can be here. क्योंकि जो भी मैटर है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनकी समझ में नहीं आयेगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : What for do you want the Advocate General ?

श्री मूलचंद डागा : Why not ? We can call him here to take his opinion in this regard.

श्री ईश्वरचन्द्र : आपको उन्हें परेशान ही करना है तो बात अलग है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : आप इस प्रपोजल को मानेंगे या और को मानेंगे ? आपने जो बिल इण्ट्रोड्यूज किया है उस पर चर्चा होगी या किस पर होगी ?

श्री माणकचंद सुराणा : माननीय डागा जी माननीय उपाध्यक्ष जी की व्यवस्था का इन्तजार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स मन्त्रीजी और आयोजना मन्त्रीजी ने जो बातें बताई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : विधि मन्त्रीजी की भी राय होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मन्त्री जी नहीं बोले हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विधि मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी (विधि मन्त्री) : एक बार यह निर्णय हो चुका है।

श्री परसराम मदेरणा : जो हाउस में कन्फ्यूजन क्रियेट किया गया है, विधि मन्त्री जी इसको स्पष्ट कर सकेंगें। उनकी राय आनी चाहिए।

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राय प्रगट की गई है, हमने आपस में बात करके की है। एक बार निर्णय हो चुका है असेम्बली सेक्रेटेरियट से। नेगेटिव वोट का अमेंडमेंट रखने की आवश्यकता है तो दूसरा निर्णय नहीं होगा। इस कारण यह अमेण्डमेंट रखने की आवश्वकता नहीं थी और इसलिए नहीं रखा गया.

श्री वृद्धिचन्द जैन : असेम्बली सचिवालय को क्या अधिकार है नेगेटिव करने का या नहीं करने का ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एतराज किया था। माननीय पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इसको डिफेण्ड करने की कोशिश की है। मैंने शकधर की किताब भी देखी, 265 का आपने हवाला किया है। मेरा एतराज यह है कि क्लाज 16 का डिलीशन किया है लेकिन 2, 3, 4 यह कैसे कर दिया है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : पूरे क्लाज को डिलीट नहीं किया जा सकता है, किसी प्रोविजो को किया जा सकता है। आप इसमें फर्क समझें।

श्री परसराम मदेरणा : फर्क तो मैं समझता हूं आप में और विधि मन्त्री जी में। विधि मन्त्री जी का क्या कहना है इसमें

(व्यवधान)

यह लीगल मैटर है।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, आपने भी दसियों बार वित्त बिल पारित करवाये हैं 62 से 67 के बीच में, इस तरह के अमेंडमेंट, नेगेटिव वोट के अमेण्डमेंट कभी नहीं लाये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : फाइनेन्स बिल में कभी नहीं करवाया। 62 से 67 तक मुझे भी मौका मिला है।

श्री माणकचन्द सुराणा : अधिकतर इसी पीरियड में फाइनेन्स बिल के अमेंडमेंट पारित किये गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास क्या आथोरिटी है ? किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय राम नारायणजी, आप थे या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परसरामजी थे ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : किस आधार पर और किस आथोरिटी पर बोल रहे हैं ? यहां विधान सभा में भाषण हो रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : 62 में तो मैं टैक्सेशन का डिप्टी मिनिस्टर नहीं था, 63 में बना था। मैंने कोई फाइनेन्स बिल पायलट किया तो सोच समझ कर किया कोई हैगलिंग थोड़े ही किया है, बार्गेनिंग नहीं किया है। टैक्सेशन प्रपोजल लाया हूं और नेगेटिव वोट की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह ठीक है कि माननीय सदस्य कोई प्रपोजल लाये हों। जो बिल चल रहा था हाउस में, सदन की परमिशन से अमेण्डमेंट भी सरक्यूलेट किए हैं। आधी बात आपकी रह गई और आधी मेरी रह गई, पांच मिनट में ड्राफ्ट हो गया। फाइनेन्स बिल एक तो मैंने पायलट किया था। नेगेटिव वोट मैंने नहीं करवाया है। सैल्सटैक्स के बहुत से अमेण्डमेंट होते थे। जोहरी बाजार से आये माननीय सदस्य, जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेन्स हैं, व और भी तीन चार माननीय सदस्य ज्यादा अमेंडमेंट लाते थे। इसलिए मेरा उदाहरण तो आप मत दीजिये और देते हैं तो प्रोसीडिंग से दीजिए। माननीय वित्त मन्त्री जी, आप बताइये, आप इसको लाये हैं।

(व्यवधान)

: पूरे सदन को आश्चर्यचकित कर दिया है। बजट स्पीच के परिपालन में आपने 5 मार्च को इण्ट्रोड्यूज किया, आपने घोषणा की है और अमेंडमेंट लाये हैं, दूसरों से नेगेटिव दिलवा रहे हैं। आपको नेगेटिव पं नहीं फंसना चाहिए, आपकी पालिसी तो पाजिटिव होनी चाहिए। आप इसको पीस मील में क्यों लाए ?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा। इसमें माननीय श्री गंगाराम जी चौधरी द्वारा 30-3-79 को संशोधन पेश किया गया जिसमें उनकी प्रार्थना थी, संशोधन की सूचना थी कि The Rajasthan Finance Bill, 1979 Part VI, Clauses 15 & 16. Clauses 15 and 16 be deleted.

उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, इस संशोधन की मंशा नकारात्मक है अतः इसको नियम 265 के अन्तर्गत प्रचारित नहीं किया गया।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय की ओर से जो पेश किया गया, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा, उन्होंने खण्ड 16 में अन्तः स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित नई धारा 177–क में संशोधन किया है :

(क) उप-धारा (i) में,

(i) प्रथम परन्तुक को लोपित कीजिये।

(ii) द्वितीय परन्तुक में, शब्द "परन्तु" के पश्चात् प्रत्युत शब्द 'यह भी कि' लोपित कीजिये, तथा शब्दों 'और यदि नहरी दरें' से प्रारम्भ होकर शब्दों 'यथावर्धित नहरी दरें लागू होंगी' पर समाप्त होने वाली अभिव्यक्ति लोपित कीजिए।

(134)

(श्री उपाध्यक्ष)

(ख) उप-धारा (2) और (3) को लोपित कीजिये।

(ग) उप-धारा (4) में अभिव्यक्ति अथवा उपधारा (2) को लोपित कीजिये।

प्रश्न दरअसल काफी विवादास्पद है, मैंने शकधर की कमेण्ट्री भी पढ़ी, इसके अलावा भी दूसरे जितने भी नियम हैं उनका मैंने अध्ययन किया है। अमेण्डमेंट दो स्टेज पर मूव किए जाते हैं, एक तो इण्ट्रोडक्शन के बाद जब विचारार्थ लिया जाय उस समय अमेण्डमेंट होता है। अमेण्डमेंट किस स्टेज पर किस नियम के अनुसार होता है, उसमें दिया हुआ है। जब तीसरी स्टेज पर बिल आता है, पारित करने की स्टेज पर, उससे पहले क्लाज बाई क्लाज कंसीडरेशन लिया जाता है और उस समय सारे अमेंडमेंट्स जो किये गये हैं, प्रोविजन को डिलीट करने के, प्रोविजन को करेक्ट करने के, किसी प्रोविजन में कांसीकुएंशल अमेंडमेंट करने के, वे सारे कंसीडर होते हैं। जो शकधर कमेंटरी का हवाला दिया गया है, मैं माननीय सदस्यों को, बताना चाहता हूं। वे कमेंट्स किस स्टेज के लिये दिये गये हैं। उद्धरण मैं पढ़ना चाहता हूं।

CLAUSE-BY-CLAUSE CONSIDERATION OF THE BILL

"After the motion that the Bill, or the Bill as reported by the Select or Joint Committee, be taken into consideration has been voted upon and carried, the Bill is taken up for consideration clause by clause. The Speaker may call each clause separately and amendments thereto are allowed to be moved.

The Speaker may, if he thinks fit, postpone consideration of a clause, or direct some part of the ? Bill to be considered and voted separately, before the clause as a whole is put to the vote of the House

Where discussion on a clause of a Bill has concluded, the voting thereon may be postponed under certain circumstances.

In exercise of his inherent powers, the Speaker may not put a clause of a Bill to the vote of the House.

During the clause-by-clause consideration of the Hindu Succession Bill, 1956, it was brought to the notice of the Speaker that clauses 12 and 13 of the Bill were not necessary in view of the clauses 8(c) and 8(d) which had already been adopted by the House Accordingly the Speaker did not put clauses 12 and 13 of the Bill to the vote of the House.

If the member incharge of the Bill desires to omit a clause from Bill, the normal procedure is to

(श्री उपाध्यक्ष)

put the clause to the vote of the House and have it negatived It is not permissible to move for withdrawal of a clause, as after a Bill has been introduced the Bill as a whole is before the House."

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इसमें यह कमेंट्री दी गई है और यह व्यवस्था दी गई है जब बिल क्लाज–बाई–क्लाज कन्सीडरेशन की स्टेज पर पहुंचता है उसके बाद किसी भी क्लाज पर सदन की सहमति किस प्रकार से ली जाए, इसमें व्यवस्था दी गई है लेकिन आयोजना मन्त्री व संसदीय कार्य के मन्त्री ने जो मत व्यक्त किया है उसके अनुसार अगर व्यवस्था दी जाती है तो आज जो अमेंडमेंटस कन्सीडर किए जायेंगे और वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, शायद उन अमेंडमेंट्स को भी उसी आधार पर कन्सीडर नहीं किया जा सकता।

जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं शकधर कमेंट्री में जो व्यवस्था दी गई है और जो नियमों में प्रावधान है, मैं यह मानता हूं कि अमेंडमेंट्स मैम्बर इन चार्ज आफ दी बिल क्लाज व ई क्लाज कन्सीडरेशन से पहले किसी क्लाज को डिलीट करवाने के लिए संशोधन मूव कर सकते हैं। उसमें कहीं बैन नहीं है लेकिन क्लाज बाई क्लाज कन्सीडरेशन की स्टेज के बाद अगर इस तरह का कोई कान्सीक्वेन्शल, अमेंडमेंट किसी क्लाज में करने की जरूरत है, जो सदन ने पहले स्वीकार कर लिया और जिस क्लाज पर मतदान होकर सदन की सहमति ली गई, तो नए अमेंडमेंट के उस क्लाज को कन्सीडर करते समय मूव नहीं किया जा सकता और नेगेटिव वोटिंग करानी पड़ेगी इस आधार पर कि जो सदन ने सहमति व्यक्त की तो कान्सीक्वेंशल जो दूसरे क्लाजेज हैं, जो इनकंसिस्टेंट हैं, सदन के सामने उनको कन्सीडर करने की और व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं रहती। बाई इम्पलीकेशन वह क्लाज सदन के सामने नहीं रखा जाता है या रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह स्टेज इस समय लागू नहीं है। वित्त मन्त्री ने कुछ अमेंडमेंट्स करवाए और प्रस्ताव अमेंडमेंट्स करवाने के लिए उन्होंने रखे हैं। इसलिए जो भी व्यवस्था अब तक मेरी समझ में आई है, मैं मानता हूं कि वित्त मन्त्री, जब क्लाज बाई क्लाज कन्सीडरेशन नहीं किया गया है, वह अमेंडमेंट आज ही मूव कर सकते हैं। मैंने अपनी जानकारी के आधार पर जहां तक मैं नियमों को समझा हूं, अपना मत व्यक्त किया है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मन्त्री ने जो अमेंडमेंट्स मूव किए हैं, वह क्लाज 15 व 16 दोनों में हैं.....

श्री उपाध्यक्ष। मैं तो केवल कार्यसूची में जो वित्त मन्त्री ने अमेंडमेंट का प्रस्ताव किया है वह देखता हूं।

कई माननीय सदस्य : केवल क्लाज 16 है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री ने जो संशोधन रखा है, जो ओरिजिनल अमेंडमेंट है, वह मैंने नहीं पढ़ा। उसमें केवल क्लाज 16 लिखा है, 15 नहीं लिखा है।

136

श्री परसराम मदेरणा : यह लैटर आपको किसने दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो श्री गंगाराम चौधरी द्वारा प्रस्तावित संशोधन है। वित्त मन्त्री, आप जैसा अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं क्लाज 15 को डिलीट करने का उसका प्रस्ताव करें।

श्री परसराम मदेरणा : बिल को रखें।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
राजस्थान वित्त विधेयक 1979

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक 1979 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन
प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय' उपाध्यक्ष जी, मैंने इस बिल को जनमत जानने हेतु अपना प्रस्ताव रखा है उसके मार्फत कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री जी ने बिक्रीकर भाग नं० 2 में जो 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक छूट वाली घोषणा की है, मैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार हमारी जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसके अनुसार भी हमने छूट दी है और हाथ करघा व कुटीर उद्योग है, हम उनका विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि 5 हजार से 10 हजार वाली रकम को 50 हजार करना चाहिए क्योंकि 10 हजार रखने से लघु कुटीर उद्योगों को सहायता नहीं मिल सकती।

इसी प्रकार बेकरी वालों के लिए वित्त मन्त्री जो राशि पहले 30 हजार थी बिक्रीकर में उसको 10 हजार करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि डबल रोटी बनाने वालों को भी महंगा पड़ेगा। इसलिए इस राशि को 10 हजार नहीं 30 हजार करना चाहिए। इसी में एक्सप्लेनेशन 1 जो है इसमें कानूनी असंगति है। आशा है, वित्त मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे। हमने जो अधिकारियों को 4 पर्सेन्ट से 10 पर्सेन्ट तक जुर्माने की छूट दी है, इससे बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरा सुझाव है कि माल खरीदा कर लाए, काम में नहीं लिया, फिर बेच कर जमा करा दें तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। कानून में संशोधन करना चाहिए। बल्कि 4 प्रतिशत जो व्यक्ति ने पर्चेज टैक्स के आधार पर दिया है वह उसे वापस किया जाना चाहिए।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कानूनी भूल से कोई बात रह गई तो उसको आपने जुर्म मान लिया है। वह जुर्म नहीं माना जाना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह टेक्निकल गलती है और इसके ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन है। माननीय वित्त मन्त्री जी को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।

31 मार्च, 1979 तक जिन यूनिट्स ने उत्पादन नहीं किया है और मशीनरी लगा ली है उनको छूट नहीं दी जा रही है। आखिर हमने अपने घोषणा पत्र में कोई बात कही है तो जहां मशीनरी लगती है उनको छूट दी जानी चाहिए। यह भी बिक्रीकर के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं।

इस वित्त विधेयक में यह लाना चाहते हैं कि जो कारखाने अपने यहां पर विद्युत का उत्पादन करना चाहते हैं और जो अपना जनरेटर लगा कर बिजली पैदा करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान में पहले भी विद्युत की कमी है और हम कटौती करने की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप विद्युत दे नहीं सकते और कटौती कर रहे हैं तो जो आदमी अपने यहां जनरेटर लगा कर उद्योग को पनपाने के लिए बिजली पैदा कर रहें हैं उस पर आपको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हमारी विद्युत की व्यवस्था पहले ही गड़बड़ है तो अपनी जो बिजली पैदा करता है आप उस पर टैक्स नहीं लगायें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

आगे मेरा स्टाम्प कर के बारे में निवेदन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता को सस्ता न्याय देना चाहते हैं। पहले 15 से 25 हो गया और अब 25 से 37½ करने जा रहे हैं। जब हमने लोगों को सस्ता न्याय दिलाने की बात कही है तो इस तरह से बढ़े हुए स्टाम्प कर के बारे में वित्त मन्त्री जी विचार करें। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की स्टाम्प कर की दरें हैं उनको भी बढ़ा दिया है। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी को विचार करना चाहिए।

इसके बाद में मोटर गाडियों के ऊपर और ट्रक्स के ऊपर बहुत टैक्स बढ़ाया है। आपने कहा है कि नगरपालिका क्षेत्र में जो ट्रक चलते हैं उनके ऊपर यह भार बढ़ेगा याने छोटा सा टाउन का एरिया है उस में यदि ट्रक चलते है तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा और लम्बे रूट वालों पर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि 40 मील की परीधि में जो ट्रक चलते हैं उनके ऊपर टैक्स का भार बढ़ेगा। मैं यह कहता हूं कि यदि टैक्स लम्बे रूट वालों पर लगाया होता तो ज्यादा न्यायसंगत होता क्योंकि उनकी काफी आमदनी होती है। 40 मील के एरिये में जो ट्रक चलें उन पर आपने टैक्स बढ़ाया है तो यह हमारे किसानों पर होगा। गरीब आदमी जो और इतने छोटे एरिया में ट्रक चला कर अपने पेट का पालन करता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

इसके बाद यह निवेदन है कि आपने राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत कन्ट्रोल करने वाली बात कही है। वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन यहां पर एक अनुरोध यह है कि जिन कृषि उपज मण्डी में

(138)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जो घोटाले हैं ग्रौर धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है बल्कि स्थिति यह है कि जयपुर शहर में ग्राज एक ग्रोर तो अनाज मण्डी है ग्रौर दूसरी ग्रोर फल-सब्जी मन्डी है। फल सब्जी मण्डी में जो छोटी छोटी वस्तुएं है उनके ऊपर भी टैक्स लगता है तो उसके ग्रलावा 5 पर्सेन्ट मण्डी शुल्क ग्रौर लेंगे तो यह किन को देना पड़ता है ? यह किसानों को देना पड़ता है। इसलिए जयपुर शहर में जो मण्डियां हैं उसके बारे में वित्त मन्त्री जी विचार करेंगे ग्रौर मण्डी शुल्क से किसानों को राहत दिलायेंगे।

यह चार ही मेरे सुझाव है। मेरी जनता पार्टी की सरकार है, मैंने जो कुछ कहा है वह उनको ध्यान दिलाने के लिए कहा है। जिस समय वित्त मन्त्री जी ग्राप जवाब दें तो मेरी चारों बातों पर गम्भीरता से विचार कर जवाब दें। यही आप से प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला ग्ररोड़ा

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी जो वित्त विधेयक लेकर ग्राये हैं उसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

"राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

इसमें जो बिक्रीकर का प्रश्न है हमारे घोषणा पत्र में यह बात लाई गयी थी कि हम बिक्रीकर को समाप्त कर देंगे। ग्राज दो वर्ष तो हो गए ग्रौर तीन वर्ष ग्रौर बाकी हैं इसको ग्रौर आगे चलाना कदापि उचित नहीं है। कीमतें बढ़ गयी हैं तो ग्राय तो बढ़ेगी लेकिन वास्तव में सैल नहीं बढ़ेगी। उस ग्राधार पर मैं चाहूंगी कि जो ग्राप बिक्री कर के बारे में संशोधन लाये है यह कदापि उचित नहीं है। छोटे छोटे दुकानदारों को इससे बिल्कुल लाभ मिलने वाला नहीं है।

दूसरे हमने राज्य में एक विद्युत मण्डल बनाया है। दूसरी ग्रोर जो प्राइवेट जनरेटर्स वाले हैं वह बिजली पैदा करते हैं तो आप उनके ऊपर ग्रलग से टैक्स लगाते हैं यह व्यावाहारिक नहीं लगता। जब हम कोई नियम बनाते है तो उसकी व्यावहारिकता का ध्यान रखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी मोटरयान कराधान के बारे में कि उन पर ग्रापने टैक्स लगाये हैं, वह भी उचित नहीं है। नेशनल रूट वाले परमिटों पर ग्राप टैक्स लगाते तो ग्रच्छा होता छोटे रूट वालों पर टैक्स लगाना कदापि उचित नहीं है। जो ग्राप कृषि उपज मण्डी के लिए लाये हैं मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें एक निधि को सुरक्षित करने वाली बात कही है ग्रौर कन्ट्रोल करने वाली बात कही है। पुराने समय का पैसा पड़ा हुग्रा है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उसको किसी नये काम में लगाने वाली बात के लिए भी कुछ नहीं कहा है यहां पर। जो यहां पर आप संशोधन लाये हैं मैं समझती हूं कि यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कदापि उचित नहीं है। सब्जी वालों के लिए बैठने की जगह नहीं है, कहीं भी आपने सुविधायें नहीं दी है और इस तरह से संशोधन लेकर आये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप पहले उन्हें सुविधायें दो और फिर टैक्स बढ़ाओ तो उचित रहेगा।

विक्रीकर के बारे में कहना चाहूंगी कि यह कदापि उचित नहीं है। इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें। इसके लिए ही प्रस्ताव पेश करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री कौशल किशोर जैन।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं : "राजस्थान वित्त विधेयक 1979 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।" उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो पानी की दरें बढ़ाई हैं उसमें सब को एक लाठी से हांका गया है वह न्यायोचित बात नहीं है। मुझे याद है कि अजमेर को पानी बनास से सप्लाई किया जाता है जिसके कारण से भारी तादाद में व्यय भार हमको वहन करना पड़ता है। जहां पानी के स्रोत बिलकुल पास में है वहां पर भी वही दरें और जहां पानी दस और बीस मील से लाना पड़ता है वहां भी वहीं दरें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितना खर्चा पानी को पहुंचाने में लगता है उस आधार पर ही भाव तय किये जाने चाहिए। कोटा नगर में चम्बल बिलकुल शहर से लगी हुई है वहां पर भी वही भाव लगें और मारवाड़ में जहां बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस मील से पानी पहुंचाया गया है वहां भी वही भाव हों, अजमेर के अन्दर बनास से पानी जाता है तो उसमें कितना खर्चा आता है। वहां भी वही दरें और कोटा में जहां नगण्य खर्चा आता है वहां भी वही भाव। मैं निवेदन करूंगा कि इस समानता को समाप्त कर के वित्त मन्त्री जी अपना जवाब दें तब इसका भी जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान वित्त

(श्री परसराम मदेरणा)

विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। यह मेरा प्रस्ताव है। मैंने यह प्रस्ताव इसलिए रखा है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस प्रकार का भारी कन्फ्यूजन ट्रेजरी बैन्चेज में चल रहा था, मैं यह सोचता था कि प्रवर समिति को अगर सौंप दिया जाये तो सभी प्रकार के जो बिल वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण के कार्यान्वयन के लिए लाये गये हैं, उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को सौंपने की आवश्यकता इसलिए है कि जो भी करों का ढांचा आप रखना चाहते हैं, आपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया है, आपके राजस्थान के घोषणा पत्र में है कि हम टैक्सेज का समीकरण करेंगे, और करों में जो हमको आमदनी होनी चाहिए, उसमें बड़ी भारी चोरी होती है इसलिए हम आमूलचूल परिवर्तन लायेंगे। इस प्रकार की बात आपके घोषणा पत्र के पैरा 18 में कही गई है। मैं नजर रखता रहा, इतने महीने सरकार के शासन संभालने के बाद, और तीन बजट प्रस्तुत करने के बाद भी राजथान के करों का जो ढांचा है और जो करने जा रहे हैं। यह कैसे काम्पलीकेटेड बनाने जा रहे है, मैं इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, परसों इस सदन में वित्त मन्त्री जी ने भाषण दिया। उस भाषण के पैरा 97 के अन्तर्गत पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल जब कन्सीडर हो रहा था, वित्त मन्त्री जी, आपने भाषण में जो कहा है और जो फाइनेंस बिल आपने इन्ट्रोड्यूज किया है वह उससे मेल नहीं खाता। आपने जो बात पैरा 97 में कही है रेशनलाइजेशन आफ टैक्सेज की और जो आपने बिल पास करवाया इस सदन में उसमें इस बात का प्रावधान कराया है, पहले 35 पर्सेन्ट था उसको 30 पर्सेन्ट कर दिया। एक तरफ आप 35 पर्सेन्ट बिल में कह रहे हैं। फाइनेन्स मिनिस्टर का जब बजट भाषण होता है, चाहे केन्द्र का फाइनेन्स मिनिस्टर हो, चाहे राज्य सरकार का फाईनेन्स मिनिस्टर हो, पूरी राजस्थान की जनता रेडियो पर कान लगाये रहती है जो कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन आप कह तो रहे हैं 30 पर्सेन्ट लगा रहे हैं, बिल आता है 35 पर्सेन्ट का। वह जो बिल पास करवाया है उसमें भी अलग अलग जोन के लिए कितना होगा, वह नोटिफिकेशन के जरिये नोटिफाई करेंगे। इस प्रकार का बिल आया है। आज भी मैं देख रहा हूं कि वित्त मन्त्री जी के जो प्रपोजल्स हैं उनको फाइनेन्स बिल में ले आये। दूसरा सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिलकुल इन्ट्रोड्यूज किया था। मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट आज करने जा रहे हैं, पेसेन्जर्स का वह कर दिया। एक अमेंडमेंट और लाये हैं। मैं तो प्रारम्भ से ही आपसे पूछना चाहता हूं, जिन प्रस्तावों के संबंध में उस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान आपके पास है, टैक्सेज लगाने के वह तो अमेंडमेंट आप नहीं लाये। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी इन प्रस्तावों के साथ इस सदन में आये थे, पैरा 99 की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मोटर गाड़ी

(श्री परसराम मदेरणा)

करारोपण अधिनियम के अधीन भी इस प्रकार संशोधन प्रस्तावित हैं। मोटर साइकिल (मोटर ट्राईसाइकिल्स एवं मशीन चालित साईकिलों सहित) वर्तमान दर 25 रुपये, प्रस्तावित दर 40 रुपये। "उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव लाये हैं मोटर व्हीकल्स के अन्दर जो सीलिंग की है, मोटर व्हीकल्स गाड़ियों में, व्हीकल्स की सीलिंग में अमेंडमेंट किया है केवल यह अमेंडमेंट लाये हैं, फाइनेंस बिल में। मैं यह कहना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट का जो शिड्यूल है उस शिड्यूल के अन्दर 37।। रुपये की कैटेगरी है। अब वह मैक्जीमम सीलिंग 37।रुपये है, आपने प्रस्तावित किया है 40 रुपये। तो आप यह बतायें कि अमेंडमेंट क्यों नहीं लाये। मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है, फाइनेन्स बिल के अन्दर यह नहीं है, इसलिये यह जो आपका प्रस्ताव है इसके लिये कोई दूसरा अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं क्या? अगर नहीं लाने जा रहे हैं तो आपकी बजट स्पीच की कोई सेंक्टिटी इस सदन के अन्दर नहीं है। आप अपने उत्तर से सदन को जानकारी दें। आप नोटिफिकेशन निकाल नहीं सकते 40 रुपये, मैक्जीमम आप 37।। रुपये तक का निकाल सकते हैं। 25 रुपये आप लगाते थे, 25 से आप 37।। रुपये कर सकते हैं। लेकिन आपने बढ़ाया है 40 रुपये। 40 रुपये एक्ट एम्पावर नहीं करता। इस सदन में जितने भी अमेंडमेंट आये हैं कोई मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन के शिड्यूल के अन्दर नहीं आये हैं....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मंत्री जी आज दिन तक अमेंडमेंट लाये नहीं। बजट स्पीच में इसका उल्लेख कर दिया। वित्त मन्त्री जी, बकरे की बली वाली बात बार-बार कह रहा हूं, दूसरे चतुर लोग हैं, केवल आप गांधीवादी है। एक छत्रराज की बात कर रहे और आप जैसे व्यक्ति रहें कैबिनेट के अन्दर और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। मैंने आपको उस समय भी कहा था लेकिन आप उस समय मौजूद नहीं थे। अगर आप होते तो शायद यह नहीं होता, जैसी दलील उस समय मुख्य मन्त्री जी ने दी, मैं नहीं समझता पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स में मंजा हुआ एक आदमी, जिनकी 25 साल की स्टेण्डिंग है, क्यों बिल्कुल गलत कह गये। मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने आपसे इस फाइनेन्स बिल के क्लाज 16 में अमेंडमेंट करवा दिया। 15 के डिलीशन की बात जब आप करवा रहे हैं तो उन प्रोविजो को भी करा देते, लेकिन वे प्रोविजो अलग हैं 2-3 प्रोविजो पर आ गये। क्लाज टू सैपरेट है, क्लाज 3 सैपरेट है लेकिन वह नहीं करवा कर, वित्त मन्त्री जी, आपसे मोहर लगवाना चाहते हैं। वित्त मन्त्री जी, जो टैक्सेशन प्रपोजल्स आये हैं, इनपर काफी चर्चा पहले हो चुकी है। मैंने निवेदन किया था कि आज जो अमेंडमेंट आप लाये हैं और बहुत से आप लाये नहीं हैं इसलिये नहीं लाये हैं कि आपके पास पावर्स नहीं है। आपने बजट भाषण में कहा है कि पहले

(श्री परसराम मदेररणा)

जो सेल्स टैक्स था, सात से आठ पर्सेन्ट जनरल सेल्स टैक्स कर दिया है। अगर सदन बुलाया जा रहा था तो फरवरी के महीने में प्रथम सप्ताह में टैक्सेशन प्रपोजल्स के जरिये राजस्थान की जनता पर सभी प्रकार की चीजों पर एक पर्सेन्ट की बढ़ोत्तरी का भार क्यों ठोक दिया? इस सदन की अवमानना के लिये? तो फिर खुद के पावर्स की क्या जरूरत थी? सात से आठ पर्सेन्ट करने में आपने सदन की अवमानना की और आज आप प्रस्ताव लाये है। जैसा मैंने उस दिन निवेदन किया था पांच हजार से 6 हजार का जो क्लाज है, सेल्स टैक्स क्लाज 3 में अमेन्डमेंट करने जा रहे हैं। यह मत कीजिये और इसलिये मत कीजिये कि उस दिन जैसा मैंने निवेदन किया कि इस कैटेगरी के लोगों को छूट देने से जिनको आप स्वयं मानते हैं कि पांच हजार और 10 हजार के बीच के माल को लेकर दूसरे लोगों को बेचेंगे और उसमें चोरियां होगी। आपने भाषण में कहा है इसलिये कह रहा हूं, बहुत लोग रिप्रेजेन्टेशन कर रहे हैं। रिप्रेजेन्टेशन के जरिये और ज्यादा टैक्स की चोरी करने का रास्ता आपसे खुलवा रहे हैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, यह जो अमेन्डमेंट लाये हैं, प्रिन्सिपली मैं इसके खिलाफ हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको मत लाइये यहां पर। आपने जो क्लाज में तीन पर्सेन्ट सेल्स टैक्स बढ़ाया है इसके भी जो आपने रीजन्स और आबजेक्ट्स लिखे हैं।

"Not withstanding any thing contained in section 5, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, sale to or purchase by a registered dealer of goods (other than raw material) specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods and required by him for use in the manufacture or processing of goods for sale or in mining or in the generation or distribution of electricity shall, unless the goods are taxable at a lower rate, be, subject to sub-section (2), leviable to tax at 4 per cent."

आप कह रहे है, इसलिये जनरल सेल्स टैक्स लग रहा है चीजों पर। मैन्यूफेक्चर को लिये इन चीजों की आवश्यकता है, उन मैन्यूफेक्चर्ड एण्ड प्रोसेस्ड गुड्स, जिनकी आवश्यकता पड़ती है फैक्ट्री में, पर चार पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगेगा। चार पर्सेन्ट का मतलब होगा जैसे किसी फैक्ट्री ने ट्रक खरीदा। ट्रक पर सेल्स टैक्स ज्यादा है वह खरीद कर बाद में बेच देगा। और रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम करवा देगा इसलिये इसमें टैक्स की चोरी की गुंजाइश है। उस दिन भी मैंने निवेदन किया था और आज भी करना चाहता हूं, आपने अपने बजट भाषण में एक बात कही है कि राजस्थान के जंगल में जो चराई की दरें हैं उनमें भी तरमीम करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं। इसका कोई बिल नहीं आया है क्योंकि फोरेस्ट में आपके पावर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं हैं। वह नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं तो क्या विचार है आपका ? और विचार करके निर्णय करना है तो बजट भाषण में घोषणा नहीं करनी चाहिये थी। अगर घोषणा की है तो इसी सत्र में अमेंडमेंट लाना चाहिए। मैं समझता हूं आपके नोटिस में आ गई होगी बात।

दूसरे इलैक्ट्रिसिटी पर जो ड्यूटी लगाई है जो स्वयं उत्पादन करते हैं बिजली का, उन पर भी आपने दो पैसे यूनिट लगाई है। उत्पादन करने वाले किसी दूसरे कन्जूमर को देते हैं, उस पर आपने 6 पर्सेन्ट लगाया है। जो अभी बिलकुल नहीं लग रहा था, जिनकी कन्सेशनल रेट एक पैसा थी वह दो कर दी। लेकिन जिस बिजली के उत्पादन में आपका योग नहीं है खुद का जनरेटर या टरबाइन लगाता है, वह किसी कन्जूमर को दे रहा है, उस पर लगा दिया 6 पैसे। जो खुद उत्पादन कर रहा है वह अपने लिये इस्तेमाल कर रहा है और उस पर भारी खर्चा कर रहा है। आज आपकी बिजली की हालत क्या है ? बिजली मन्त्री जी से आप पहले ही कना फूंसी कर लेते तो ठीक होता। आपकी स्वयं की बिजली की खस्ता हालत है। कभी आपका एटमिक पावर फेल हो रहा है तो कभी आपका टरबाइन फेल हो रहा है और कभी पिस्टन। मैं कहता हूं आपके ये सब बैठने वाले हैं। इसलिये जो बिजली उत्पादन स्वयं कर रहा है, बिजली में आपकी मदद कर रहा है जो खुद के यूज में लावे, उन पर टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है। मुझ से कोई नहीं मिला है, न कोई हिम्मत करता है, जो यूज करते हैं लेकिन मैं प्रिन्सिपल की बात कह रहा हूं कि जो आपकी बिजली के मामले में मदद कर रहा है, कभी आपकी बिजली बिलकुल गुल हो जाय, बहुत से गांवों में यह हालत रहती है, आज भी बहुत से गांव वाले तो बिजली के नाम से आकाश में देखते हैं, जो चमकती है उसे ही बिजली समझते हैं तो ऐसे वक्त में भी वह आपका मददगार हो सकता है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं जो उन पर टैक्स लगाया है यह गलत टैक्स लगाया है।

मोटर वाहनों पर आपने चार पर्सेन्ट का टैक्स लगाया है। रजिस्ट्रेशन फीस एक टैक्स लगाते हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में फेयर एण्ड फ्रेट फिक्स करते हैं जो कल परसों 25 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट इन्क्रीज किया है, इस पर साथ में सर चार्ज लग रहा है। सर चार्ज में मोटर व्हीकल टैक्सेशन अलग हैं उसमें भी आप अमेन्डमेंट करने जा रहे हैं। इसमें छोटी लिमिट को बढ़ाने जा रहे हैं तो राजस्थान के लोगों को यह धन्धा करने दिया जायगा या नहीं करने दिया जायगा ? आज ट्रक वालों पर भारी बोझ लद रहा है, फिर आपके चार-पांच बोर्डर लग रहे हैं। रात को देख लें इनको पकड़ने के लिये किस प्रकार भागते हैं। पूरे राजस्थान में रात को 8-00 बजे बाद सड़कों पर एक लार्ज नम्बर पकड़ने के लिये दौड़ रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, यह जो बढ़ा रहे हैं, अन्ततोगत्वा जो बोझ पड़ेगा वह कन्जूमर पर पड़ेगा। आपने किया क्या है मेरी समझ में नहीं आता है।

(१४४)

(श्री परसराम मदेरणा)

बजट में एक बात और कही है, शायद पावर्स होंगे या नहीं क्योंकि काफी पेसेन्जर एण्ड गुड्स में आ गया। नीचे कहा है, अन्य तीन पहियों वाली गाड़ियों सहित कान्ट्रेक्ट करेज पर भुगतान योग्य एक मुश्त दरों को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाय। एक मुश्त अलग है, लगभग 25 पर्सेन्ट एक दम इन्क्रीज कर दिया। उसकी सीट का लगा रहे हैं। इन रिक्शाओं से अलग लगायेंगे, टैम्पोज वगैरह पर अलग है। ये तीन-तीन तरह की गाड़ियों पर जो टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप यह नहीं समझते कि रेलवे का फेयर बढ़ा है। जयपुर से कोटा तो पांच सौ किलोमीटर के भीतर है लेकिन मास कंजम्पशन की चीजें जो जयपुर में आ रही हैं, राजस्थान में आ रही है वह मेनली बंगलोर से, बम्बई से, मद्रास से, कानपुर से और कलकत्ता से आ रही हैं जो कि इण्डस्ट्रियल सिटीज हैं। सब पांच सौ किलोमीटर से ऊपर हैं। इधर फिक्स्ड रेट बढ़ाना चाहते हैं, मोटर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं उसका भार भी हम पर पड़ेगा। फिर पैसेंजर का टैक्स बढ़ा रहे हैं उसका भार भी हम पर पड़ेगा, फिर गुड्स का टैक्स बढ़ा रहे हैं उसका भी भार हम पर पड़ेगा और उसके साथ ही इन्सपेक्टरों का भारी भार भी हम पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए आज यह हो क्या रहा है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह इतने टैक्स का बोझ डाला है स्टेज कैरिज पर और पब्लिक कैरियर पर और पेसेंजर एण्ड गुड्स पर, मैं आपको कहता हूं कि एक्सपेरीमेंट के तौर पर 15 दिन के लिए आप सारा टैक्स विथड्रा कर लें तो फिफ्टी पर्सेन्ट सरेंडर कर देंगे गाड़ियों को लोग। उनको मालूम है कि गाड़ियों का धन्धा इकोनोमिकल नहीं है। इतना बड़ा बोझ लादना और फिर आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि इस टैक्स के ढांचे में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या करेंगे आप? जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राष्ट्रीय नेता की ओर से कहा था कि कर के ढांचे को इस तरह से लागू करेंगे कि जिससे आय का पुनर्वितरण हो सके, बचत को प्रोत्साहन मिले और आय का समान वितरण हो सके। लेकिन आप एक ऐसा ढांचा बना रहे हैं कि एक दूसरे को एक्सप्लायट करेंगे। आप जिस तरह का टैक्सेज का ढांचा बना रहे हैं, ऐसे टैक्स लगा रहे हैं बावजूद इसके कि ignoreny thr facility. आप ऐसे ही आय का वितरण करने जा रहे हैं, जिसकी पर्चेजिंग पावर नहीं हैं जिनकी आलरेडी वीक क्रय शक्ति है, जिनकी फिक्स्ड इन्कम है, उन पर भारी कर लादा है। सैंटर ने पहले लाद दिया और उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। वित्त मन्त्री जी ने भारत सरकार का नाम ले लिया। आज मैं भारत सरकार की तीन किताबें पढ़ रहा था। एक तो थी कम्पनीज ला पर, मोनोपोली एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज एक्ट। उसके अन्दर टैक्स के सिम्पलीफिकेशन करने के लिए सजेशन दिए गए हैं जो म्यूटेटिस मुटेंडिस सेल्स टैक्स पर लागू होते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरी किताब टैक्सेशन के सम्बन्ध में, डायरेक्ट टैक्सेशन लाज के सम्बन्ध में है। यह सच्चर साहब की एक कमेटी बनी थी उसकी है। तीसरी प्राइजिंग पोलिसी के बारे में भूतलिंगम की कमेटी थी उसकी है। इनके आधार पर आप टैक्स स्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन करके सदन में आते। आपने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता के सामने वायदा किया था और वायदे तो आप रोज करते आ रहे हैं, बजट स्पीच की आपकी कोई सक्टिटी नहीं। और कहें तो आप तो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूज्ड वर्स्ट कन्फाउण्डेड तो इस साइड में बहुत हैं। तीन-तीन बिल ले आये। एक तो टैक्स बिल आपने कल पास करवा लिया। एक आज आ रहा है, एक इण्ट्रोड्यूज्ड है इस हाउस के अन्दर और चौथा आप और लायेंगे क्योंकि मेन शिड्यूल के अन्दर अमेंडमेंट करने के लिए वित्त मन्त्री जी ने कह दिया कि तीस से चालीस आप करेंगे लेकिन आपको पावर नहीं है कोई।

इस प्रकार से सदन के सामने आपने सारे सदन की अवमानना की है और सारे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, पूरे सदन की प्रोपराइटी को, सदन की मर्यादा की आपने एक तरह अवमानना की है, अवहेलना की है। उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये हैं। सदन में वित्तीय बिल की जो परम्परायें हैं आप उनको तोड़ते जा रहे हैं। यह संसदीय लोकतन्त्र का बहुत बड़ा अपमान है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह वित्त मन्त्री जी कन्फ्यूज्ड हैं, आपके ला मिनिस्टर कन्फ्यूज्ड हैं, यातायात मन्त्री तो हैं ही कन्फ्यूज्ड। हमको कह रहे थे कि हम कन्फ्यूज्ड हैं। इसके बाद में आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कन्फ्यूज्ड हैं। ऐसी सूरत में आप इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें। मास्टर साहब, हम आपको बहुत सजेशन देंगे। सलेक्ट कमेटी में बैठ कर माइण्ड अप्लाई करेंगे, चिंतन करेंगे। क्योंकि एक तो सलेक्ट कमेटी में योजना मन्त्री जी चेयरमैन थे, हमने वहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह पढ़ा और पढ़ कर हमने कहा कि इस पर पार्लियामेंट में विचार हो रहा है। और जब वहां पर पास हो जायेगा तो अपने आप राजस्थान में अडाप्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है। हमने कहा कि इस सैशन में नवम्बर के सेशन में पेश मत करो, दो महीने ठहर जाओ क्योंकि अभी पार्लियामेंट में बिल आ गया है। नतीजा यही हुआ कि पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिए और यहां पर कोई जरूरत नहीं रही। इसी तरह से टिनेंसी बिल लाते हैं, इसके कई कांसीक्यूएन्शल अमेंडमेंट हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ठण्डे दिमाग से सलेक्ट कमेटी में विचार हो जाय। अलग-अलग माननीय सदस्य जो इस सदन के हैं, जो लॉ के सम्बन्ध में, टैक्सेशन के सम्बन्ध में, टैक्स का बोझ कितना बढ़ाया जाय इस सम्बन्ध में और जनता की क्या भावना है इस सम्बन्ध में आपको अवगत करा सकेंगे। इसलिए माननीय वित्त मन्त्री जी, आप मेरे प्रस्ताव पर गौर करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास ।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अपोजीशन के नेता महोदय ने, परसराम जी ने मेरे पर कन्फ्यूजन का आरोप लगाया है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने लगाया था ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आरोप नहीं लगाया ।

श्री हरिसिंह : आरोप तो मैंने नहीं लगाया था बल्कि आप कह रहे हैं कि मास्टर जी कन्फ्यूज्ड हैं। मेरे बारे में भी यही बात कही । मैं तो एक ही बात कहता हूं a confused man always thinks that others are confused जहां तक ट्रांसपोर्ट पर टैक्सेशन का सवाल है, उस बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं ताकि जो कन्फ्यूजन है आपका वह दूर हो जाय····

श्री परसराम मदेरणा : On a point of order. फाइनेन्स बिल के सम्बन्ध में जो प्रभारी मन्त्री हैं वही जवाब देने के अधिकारी हैं उन्हीं को बोलना है। यह ट्रांसपोर्ट का बिल नहीं है कि आप बीच में खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में तो चर्चायें हो रही हैं, सुबह ही रोडवेज की एफीशियेंसी के बारे में आपको सर्टिफिकेट मिल रहा था। मेरा निवेदन यह है कि ये क्या बीच में उत्तर दे रहे हैं। अभी तक मोशन चल रहा है और मोशन का जवाब फाइनेन्स मिनिस्टर देंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को आपने परमिट नहीं किया, अगर ये पर्सनल एक्सप्लेशन देना चाहते हैं, उसके लिए कोई बात कहना चाहते हैं तो भी आपकी परमिशन नहीं ली। हमारे पर आरोप लगा रहे थे। आरोपों की बौछार लगाते रहे और अगर हम भी उसी कोइन में पे करते हैं तो हम तो कन्फ्यूज्ड नहीं हैं, हमारा तो उत्तर आया है कि हम आपसे कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे। आप तो हैं ही, हम बिल्कुल नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा चार्ज लगाने का मोटिव नहीं था लेकिन ये तो कहते रहें और हम सुनते रहें यह कैसे हो सकता है ? हम जो आपसे कह रहे हैं उसके उत्तर में आप दलील देते, आप तर्क देते, आप आर्गूमेंट देते। हमने जो कुछ कहा है, जो हम कह रहे थे वही हुआ है और वही आज भी हो रहा है। इस हाउस की कमेटी बना दी जाय। आप स्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन हैं दिल्ली में जाकर या दूसरे आपकी पार्टी के लोगों से बात कर के आते। वित्त मन्त्री जी एक बात कर रहे हैं और बिल पर विचार दूसरी बात पर हो रहा है। कल जो बिल पारित कराया गया है वह वित्त मन्त्री जी के भाषण के पैरा 97 के विपरीत कराया है। आगे भी ऐसा हो रहा है। दोनों प्रकार की समानता लगा रहे हैं, आपने यह कहा है कि प्रोविजो उसमें लगा देते हैं। आपका बिल तो पास हो गया, अब तो आगे आपका 10-11 तारीख को बिल आने वाला है उस पर आप बोल

(श्री परसराम मदेरणा)

सकते हैं । आज आपको नहीं बल्कि प्रभारी मन्त्री जी, जो कि वित्त मन्त्री हैं, को ही जवाब देने का अधिकार है, फाइनेन्स बिल पर और किसी को नहीं है ।

श्री हरिसिंह : मैं जवाब नहीं दे रहा हूं । मैं जनरल डिबेट में पार्टीसिपेट कर रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से यह इसलिए जरूरी हो गया कि कुछ मुद्दे थे ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन के मामले में । सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी यह जरूरी हो गया है इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि····

श्री परसराम मदेरणा : पहले सबको बोलने दीजिये । ऐसा है कि अभी तो आप यह कन्फ्यूजन हटा देंगे लेकिन अभी तो और भी बोलने वाले हैं । अगर आपको जवाब ही देना है तो आखिर में दीजिये । पहले माननीय सदस्यों को बोलने दें ।

श्री हरिसिंह : उनका भी जवाब दे दूंगा ।

श्री राम नारायण चौधरी : तो क्या बार-बार बोलते रहेंगे ।

श्री हरिसिंह : राजस्थान में जो टैक्स ट्रक्स पर लगाया गया वह बाकी स्टेट्स जो आस-पास की हैं उनसे कम है । मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं कि राजस्थान में मोटर व्हीकल पर चार हजार टोटल टैक्स रूट्स और गुड्स पर होता है जब कि उत्तर प्रदेश में 5447) रु० है और मध्य प्रदेश में····

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर प्रदेश में सरचार्ज है क्या ? गुड्स टैक्स कितना ही हो, मैं कहता हूं कि आपने उस पर टेन पर्सेन्ट सरचार्ज लगा दिया है ।

श्री हरिसिंह : सरचार्ज लगाने के बाद भी कम रहता है । आप जरा सुनिये । मध्यप्रदेश में 4820 है । हमने जो कुछ भी बढ़ाया है वह चार हजार से ज्यादा नहीं बढ़ाया है । एक सवाल रीजन्स का है । जो पत्थर मिट्टी वगैरह ढोने वाले ट्रक्स हैं, जो कन्स्ट्रक्शन के काम में आते हैं उनमें यह सब डिस्पैरिटी मिटाई है और जोन के कान्टेक्स्ट में, रीजन के कन्टेक्स्ट में, जो टैक्स इवेजन होता था उसको मिटाया है । अब सवाल आता है उनको राहत कैसे दी जाए । राज्य सरकार जैसे हाफ बोडी ट्रक्स हैं, जो इस काम में आते हैं उनको राहत देने का इरादा रखती है और उनको राहत दे दी जाएगी । जहां तक छोटे स्कूटर और मोटर साइकिल पर टैक्स का सवाल है, जो 25 रुपये से बढ़ा कर 40 रुपये किया गया है, उसको राज्य सरकार इरादा रखती है, अब 35 रुपया कर दिया जाये । जहां तक कृषकों को राहत देने का सवाल है, ट्रैक्टर ट्रोली पर 50 रुपया का टैक्स बढ़ाया गया था । राज्य सरकार यह इरादा रखती है कि वह वापस ले लिया जाएगा । यह नहीं बढ़ाया जाएगा । अब चूंकि सब मामला स्पष्ट हो गया है····

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। एक तरफ तो सदन में फाइनेन्स बिल पेश हो रहा है, उसको पास कराया जा रहा है, दूसरी ओर कन्सेशन दिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से माननीय मन्त्री जी ने इस प्रकार की जो जानकारी दी है, वह इस आशय से दी है कि डिबेट कम से कम हो और विवादास्पद चर्चा में माननीय सदस्य न भाग लें, उनको सुविधा हो।

श्री रामनारायण चौधरी : इससे तो विवाद बढ़ रहा है।

श्री हरिसिंह : ये सब बातें इसलिए बताई हैं। यह जो टैक्सेशन है उनके मुद्दों को बताया है। अब मेरे ध्यान में सब बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब स्पष्ट हो गया है।

श्री हरिसिंह : जो चीज कन्स्ट्रक्शन के काम में आ रही है, ट्रान्सपोर्टेशन के काम आ रही है, उसी के बारे में निवेदन किया है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि शहरों में जो छोटा माल ढोने के लिए सब्जी, वगैरह लाने ले जाने के लिए मेटाडोर काम में ली जाती है उस पर पहले 800 रुपया था, वह कम कर 500 रुपया कर दिया है। इस प्रकार इस राज्य सरकार ने 300 रुपये की रिबेट दी है। ये जो बातें हैं माननीय सदस्य नहीं बोलते हैं और दूसरी बातें कहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मामले को इस टोटल कान्टेक्स्ट में में देखा जाए, आइसोलेटेड वे में नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे प्रश्न के बीच में खड़े होकर कुछ कन्सेशन आपने अनाउन्स कर दिये हैं। आपने फाइनेन्स मिनिस्टर को पूछा ही नहीं····

श्री रामनारायण चौधरी : What is the sanctity of the Finance Bill ?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी सेंक्टिटी तो आपने परसों ही खराब कर दी थी। आपने यह जो भाषण किया है, इस विधान सभा में मेरी समझ में पिछले 26 साल और 7 महीने का जो इतिहास है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें कन्फ्यूज्ड आप हैं या हम ? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, 1951 के सैक्शन 4 के नीचे जो शिड्यूल है, उस शिड्यूल के नीचे मोटर साइकिल वगैरह पर आपने 25 से 40 रुपया टैक्स किया है। यह वित्त मन्त्री जी ने किया। इसका अभी आपने अनाउन्स किया है कि इसको आप 35 रुपया कर रहे हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 40 रुपया बढ़ाने की बात किसने की थी ? किसने यह वित्त मंत्री महोदय को सुझाया था ? यह ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही कर सकता है। Transport Minister is rcsponsible. मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मैं मिनिस्टर था

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने कभी कमिश्नर या सैक्रेटरी को इसके लिए रेस्पांसबल नहीं ठहराया। आप तो यह बतावें यह पावर आपके पास नहीं था तो आपने 40 रुपये की घोषणा क्यों करवा दी? उस 40 की घोषणा करने के बाद मैंने प्रश्न किया था उस समय वित्त मन्त्री को आपने बोलने नहीं दिया। यह घोषणा वित्त मन्त्री को करनी चाहिए। मुख्य मन्त्री महोदय ने यहां पर घोषणा की थी लैण्ड रेवेन्यू के सिलसिले में तो उन्होंने वित्त मन्त्री महोदय को रिक्वेस्ट कर के कहा था; यह जो 25 पर्सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू इन्क्रीज की गई है, जहां पर सैटेलमेन्ट नहीं हुआ है, उस पर विचार करके वित्त मन्त्री जी आप घोषणा कर दें। आपने तो रिक्वेस्ट भी नहीं की। खुद खड़े होकर योजना मन्त्री के कहने से कह दिया। यह तो आप खुद ही कन्फ्यूज कर रहे हैं। यह बताता है कि आप कितने कन्फ्यूज्ड हैं। आपकी घोषणा के बाद भी उनका भार हल्का नहीं हुआ है। आपने ऐसा करके उनके भाषण की सेंक्टिटी को खतम किया है। यह आपको अनाउन्स नहीं करना चाहिए था।

श्री हरिसिंह : मैंने कहा सरकार इरादा रखती है। इसका मतलब है...

श्री परसराम मदेरणा : यहां फिर कन्फ्यूज्ड हैं। आपने कहा है 35 रुपये कर रहे हैं। 35 रुपये हो गये हैं। यह कोई मिनिस्टर बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है। आपने जो कहा है it is commitment of the government. आपने 35 रुपया करने को कहा है परन्तु अभी आपका अमेन्डमें नहीं है। दूसरा जो बिल है चेरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन का, उस दिन बात करेंगे। यह बाद में आयेगा। 13 तारीख शुक्रवार को लिया है। नान आफिशियल डे नहीं रखा है। आप भागना चाहते हैं। आप रेटीफिकेशन कराने के लिए कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेंट को बीच में डाल दें। बीच में डालने की बात आप नहीं करते हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ट्रेजरी बैन्चेज ने कन्फ्यूजन पिछले दो दिनों में क्रियेट किया है और यह सारा यातायात मन्त्री जी आप कर रहे हैं, यह कन्फ्यूजन आपने किया है। वित्त मन्त्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए थी। सरकार का कोई भी टैक्स हो घोषणा वित्त मंत्री करेंगे। नहीं तो रेवेन्यू मिनिस्टर घोषणा कर सकते थे, परन्तु उन्होंने नहीं की है। इनको पता नहीं है, केबिनेट में जो टैक्सेशन प्रपोजल आते हैं...

श्री हरिसिंह : अब कन्फ्यूजन से मुक्त हो जाइये।

श्री परसराम मदेरणा : आप वित्त मन्त्री महोदय की शान को मत गिराइये। यह बजट सैशन है। सब कुछ वित्त मन्त्री है। ट्रेजरी बैन्चेज की तरह से वित्त विधेयक को पायलट करना, उसका उत्तर देना....

आप सुनिये....

श्री आदित्येन्द्र : यह निवेदन करना है कि मेरे से विचार करने के बाद ही यह घोषणा की गई।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो फाइनेन्स बिल है, उसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का मेरा प्रस्ताव है····

श्री रामनारायण चौधरी : जब यह घोषणा हो गई है तो वित्त मन्त्री महोदय को यहां पर बैठे रहने, इस सीट को शोभायमान करने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस फाइनेन्स बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है। इसका बहुत बड़ा आधार है। पिछले दो घन्टे से इस पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा यह बताती है कि हर स्थिति पर वित्त मन्त्री महोदय ने जो घोषणा की है, वह कई मुद्दों से मेल नहीं खाती है। जो बिक्री कर की बढ़ोतरी का प्रश्न है, सैल्स टैक्स को पांच हजार से 10 हजार किया है, मैंने इस पर अमेन्डमेन्ट दिया है उस सैक्शन में कि इसको 15 हजार रुपया किया जाए क्योंकि 5 हजार से 10 हजार करने का जो प्रपोजल है, जबकि ओरिजिनल सैल्स टैक्स एक्ट में जो धारा है उसके नीचे सोसाइटी को 25 हजार तक की छूट, सुविधा दी गई है। एक सोसाइटी को 25 हजार की छूट देते हैं और बाकी व्यापारी को दस हजार की देते हैं, तो इन दोनों में इतना बड़ा गेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि दस हजार की जगह 15 हजार कर दिया जाए। यह क्यों? क्योंकि छोटे लोग इन ढाबों में जाते हैं। इसका असर छोटे लोगों पर पड़ता है। छोटों की बात होती है। इन सारी बातों को लेने से पूर्व हम लोग विचार करें। मेरा निवेदन है, मैं चाहता हूं कि यह 5 से 10 हजार किया है, यह दस हजार नहीं होकर 15 हजार करना चाहिए। यह क्लीयर नहीं है। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत का प्रश्न है। मैंने यह कोशिश की है, जो विद्युत पर कर 6 पैसा है वह टैक्स कुछ लोगों से लिया जाता था। इसको जो प्राइवेट बिजली जैनरेट करने वाले हैं अब उनसे भी लेंगे। उसमें हमने सीमा डाल दी 100 वाट की, यह बहुत छोटी है, याने छोटे से छोटा व्यक्ति जो बिजली जेनरेट करता है छोटे कामों के लिये, 100 वाट्स उसके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर हम विचार करें और 100 की जगह 200 करें। आज विद्युत की समस्या है। विद्युत मन्त्री जी, राजस्थान का विद्युत बोर्ड सारे के सारे प्रयत्न कर ले लेकिन जो मशीन है वह मशीन है। आदमी भूखा चल सकता है लेकिन मशीन की एक पिन भी खराब हो जाय तो मशीन रुक जाती है। इसका हमें आल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं विद्युत बोर्ड और विद्युत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप छोटे जनरेट करने वाले, सबसे टैक्स लेते हैं लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आपको चंबल से लाभ नहीं मिलने वाला।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

जोधपुर बाड़मेर में डीजल से बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े बिजली घर बनाने पड़ेंगे। ये नहीं बनते तब तक सारे क्षेत्र का विकास रुका रहेगा। हम चले हैं बजट को लेकर टैक्स लगाने के लिए। एप्रोप्रियेशन बिल हमने पास कर दिया। सब कुछ हमने कर दिया और फाइनेंस बिल पर आकर व्यवधान पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि बैठ कर हमने चिन्तन नहीं किया।

स्टाम्प शुल्क के बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मोटर कार के बारे में कहूंगा। आपने ट्रकों पर टैक्स बढ़ा दिया। रेलवे की व्यवस्था नहीं, कोयला मिलता नहीं, सीमेंट का लदान होता नहीं। बड़ी मुश्किल से ट्रकों के माध्यम के सामान ढोते हैं। राजस्थान सरकार ने आल इण्डिया लाइसेंस 100 और देने की कोशिश की होती। कंज्यूमर को रेलवे वैगन नहीं मिलते। चीज नहीं पहुंचती और टूटे फूटे ट्रकों द्वारा पहुंचाते हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया। टूरिस्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा साधन है आपके पास। राजस्थान में टूरिस्ट इंडस्ट्री को पनपाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब 30 हजार जीपें टैक्सियों के रूप में चलती है। उनको इसलिए नहीं छेड़ा गया, कहते हैं कि उनके मॉडल बहुत पुराने हैं और पुराने मॉडल की टेक्सी का परमिट कैसे दें, जब कि ये धन्धा कर रहे हैं। अगर 30 हजार गाड़ियों को परमिट दे दिया जाता तो आय बढ़ती। धन इकट्ठा करने का रास्ता वित्त मन्त्री जी को देखना चाहिए, जिस रास्ते से पैसा आये उस ओर उनकी नजर जानी चाहिये अन्यथा छोटे लोगों पर भार पड़ेगा, बाजार भाव बढ़ेंगे, सीमेंट, कोयले की कीमतें बढ़ेंगी। इन पर टैक्स लगा दिया लेकिन जिन पर लगाना चाहिये उन पर नहीं लगाया। अगर उन पर लगाते तो बड़ी मदद मिलती। दूसरा मेरा निवेदन है कृषि उपज मंडियों का। हमने जो अमेंडमेंट किया बाहर के प्रान्तों से माल लाने जो फैक्ट्रियों वाले जाते हैं वे मद्रास, यू पी, दिल्ली से सामान लाते हैं अपनी फैक्ट्रियों के लिए। हमने 5 से 4 प्रतिशत कर दिया फिर भी लोग बाहर जायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि 4 प्र०श० की जगह 3 प्रतिशत कर दिया जाय तो सुविधा होगी फिर बाहर नहीं जायेंगे माल खरीदने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम इन सारे प्रश्नों पर विचार करें। हमने टैक्सेज के साथ साथ सैल्स टैक्स बढ़ाया है। कई चीजों पर बढ़ाया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जहां रिकवरी का प्रश्न है, असेसमेंट का प्रश्न है, इस मामले में मैं मानता हूं कि करोड़ों की इन्कम बढ़ी है लेकिन उसके बाद भी जालोर, बाड़मेर में सी.टी.ओ. का कोई दफ्तर नहीं है। एक तहसील सिरोही, दूसरी आबू रोड जा रही है तो कहां से पैसा इकट्ठा होगा, कहां से चैकिंग होगी? कई मण्डियां है जिनके नाम नहीं लेना चाहता, जहां करोड़ों का व्यापार होता है, एक की पैसे रिकवरी नहीं होती, वसूली नहीं होती इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सैल्स टैक्स बढ़ाने की, विद्युत कर को बढ़ाने की हमने बात सोची लेकिन उसकी रिकवरी की ओर भी देखें। दोनों ही में करोड़ों रुपये डूबत खाते में पड़े हैं। बड़ा दबाव आ रहा है मन्त्री महोदय पर कि वसूली नहीं की जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि टैक्सियों को टैक्सेज के आइटम में जोड़िये।

152

(श्री रघुनन्दन व्यास)

टूरिस्ट विभाग का डवलपमेंट किया जाय। आपको जैसलमेर, आबू की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

क्रूड आयल का प्रश्न है। जो टैक्स राजस्थान में है, क्या गुजरात में है? जो चीज किसानों को मिलती है। चाहे कह दें चरणसिंह, किसानों के लिये क्रूड आयल के मामले में टैक्स में राजस्थान में कोई कमी नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा इससे खेतों की सिंचाई होती है। मुझे मालूम है एक गेहूं के खेत के लिए 20 ड्रम क्रूड चाहिए। इसके बजाय सिंचाई जो नहरों से होती है उस पर होने वाला खर्चा कई गुना अधिक होता है। इस ओर वित्त मन्त्री जी का ध्यान नहीं गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रूड पर जो 22 और 23 तथा सेंट्रल टैक्स है अलग उसको आप 8 प्रतिशत पर ले आइये तो किसानों का हित होगा।

टूरिस्ट डिपार्टमेंट को पनपायेंगे तो राजस्थान के जो प्रमुख स्थान हैं उनका भी विकास करेंगे।

विद्युत के मामले में भी विचार कीजिए। जिन छोटे लोगों को 100 वाट देते हैं उनको 200 वाट्स कर दिया जाय। उनको राहत मिलेगी।

इसके अलावा दूकानों पर बिक्री कर 5 हजार से 10 हजार किया है उसको भी 15 से 20 हजार कीजिए। जो फर्जी को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको 25 हजार तक की छूट है तो दुकानों को भी समान होनी चाहिए। समान नहीं हो तो कम से कम 15 हजार कर दीजिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर सम्मिति को दो दिन के लिए सौंप दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक, श्री हजारीमल सारण, श्री करतारसिंह, श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हू कि राजस्थान वित्त विधेयक 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए तो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, कर बढ़ेंगे, दरें बढ़ेंगी, लेकिन उनका बंटवारा, उनका वितरण क्या राजस्थान के सभी क्षेत्रों में बराबर होगा या नहीं? यह जो कर बढ़े हैं, जो दरें बढ़ेंगी तेईसवें नम्बर पर बैठा हुआ जालौर जिला भी इसी प्रकार से उनका भुगतान करेगा। भुगतान अगर उसी प्रकार से करे तो देखें कि वितरण सही हो रहा है कि नहीं? आज तक जितने कर इस जालौर जिले ने दिये हैं क्या उतना लाभ उसको मिला? पहले, दूसरे, तीसरे नम्बर पर जो जिले बैठे हैं उन पर जितना खर्चा किया गया क्या चौबीसवें, पच्चीसवें, छब्बीसवें नम्बर पर बैठे हुए जिलों पर किया? अगर नहीं किया गया तो मैं कहता हूं कि यदि इसका वितरण उचित नहीं होता है, अगर वितरण की व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है तो इसको प्रवर सम्मिति को सौंप कर देखा जाए, जिन स्थानों पर कर लगाया है उन स्थानों की दूसरी सहूलियतें बढ़ाई जायें।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

जो 10 हजारों स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र का जिला है उसके अन्दर 438 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। बाकी सड़कें हैं जहां पर बसें चलेंगी, मोटरें चलेंगी, ट्रक्स चलेंगे उन पर किराया लगेगा। इतने बड़े क्षेत्र में वहां के उपभोक्ता को क्या यह चीजें मंहगी नहीं मिलेंगी ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में आपको कहना चाहता हूं कि यह जिला पिछड़ा हुआ है, इसलिए यह कहना चाहता हूं कि करों की बढ़ोत्तरी देखी जाय कि उन जिलों में कर लगाये या नहीं लगाये ?

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर एक पैसा बढ़े, या दो पैसा बढ़े, सेठों पर लगायें या किसी पर लगायें लेकिन जालौर पंचायत समिति के गांवों को बिजली कहां से मिल सकेगी ? उन पैसों से जालौर के गांवों को बिजली मिल सकेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में मुझे कहा गया कि 85 हजार रुपये अगर जमा कराये जा सकते हैं तो ही जालौर के किसी गांव के अन्दर कृषि विषय खोला जा सकता है। कर बराबर उनसे लिये जाते हैं। करों के अन्दर हमारी भागीदारी है, बढ़ी हुई दरों के अन्दर हम भी भागीदार हैं और जालौर के अन्दर कृषि का विषय खोलने की बात आती है तो 85 हजार की जरूरत पड़ती है। तो फिर सोचने का विषय है कि कर जो बढ़ा रहे हैं यह जिला भी दे या न दें ?

उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं की संख्या 1,20,000 है और उस जिले के अन्दर पशु-दवाखाने मात्र हैं एक, दो। कहते हैं कि 32 हजार, 34 हजार और 10 हजार की पशु-संख्या पर एक दवाखाना खोलने जा रहे हैं, परन्तु हमारे वहां 1,20,000 पशु-संख्या पर एक दवाखाना, फिर भी हमें कर बराबर देना पड़े ?

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के मामले में एक उदाहरण दूंगा कि जिले की कितनी दुर्गति हुई है। बहुत से केन्द्र इस तरह के हैं, लेकिन कास्वानी गांव के अन्दर 7 वर्ष हो गए दवाखाने की बिल्डिंग बन गई। यहां पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके द्वारा जबान कर दी गई ; 7 वर्ष से कास्वानी ग्राम के अन्दर 18 20 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा सकता था। उस क्षेत्र के अन्दर 7 वर्ष से नहीं खोला गया है। उस ग्राम को भी कर इतना ही देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी की दृष्टि से वहां सबसे बड़ी प्राब्लम है। कर और बढ़ा दें, लेकिन उन प्यासों को पानी तो दें जहर पी रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के गांवों में। जालौर के अन्दर मेरे क्षेत्र के अन्दर 40 पर्सेन्ट ऐसे गांव हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा आवश्यकता से अधिक है। 0–1 पी. पी. एम. से फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। मेरे यहां बहुत से गांवों में लोग 0–4 पी. पी. एम. वाला पानी पी रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। उन लोगों से कहा जाय कि हंसो तो वह हंस नहीं सकते। उनके दांत पीले पड़ जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, दांत टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। वह चमचमाती

(श्री टीकमचन्द कान्त)

हुई हंसी नहीं हंस सकते। तीस साल से उनकी हंसी छीनी गई है और न मालूम आगे आने वाले कितने पीढ़ियों में वह ठीक होगी। उन गांवों को भी बढ़ा हुआ कर देना पड़ेगा जो कि फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, जिनके शरीर मुड़ रहे हैं, जिनके हाथ-पांव गल रहे हैं। तो इसको प्रवर समिति में इसलिए भेजा जाय कि वहां पर यह देखा जाय कि वितरण उस जिले में बराबर होता है कि नहीं? अगर नहीं होता है तो हमारे जिले के अन्दर, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लोगों के ऊपर यह कर-भार नहीं पड़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा नाम पहले है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव किया है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : काफी बोल लेते हैं आप।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बोलना चाहते हैं क्या? आपका तो आयुर्वेद का विषय आये तब बोल लें।

उपाध्यक्ष महोदय, कितने सारे फैक्ट्स और कितने सारे तथ्य हमने रखे हैं माननीय वित्त मन्त्री जी के समक्ष और पहले भी हमने रखे थे परन्तु आपने 35 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट यात्री एवं मालकर नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष की व्यवस्था होने के बाद और बहुत सी बातें इधर से कही गईं फिर भी आपने हठधर्मी इतनी की कि संशोधन करके 30 पर्सेन्ट नहीं किया और कहा कि बजट के प्रपोजल्स तो वैसे ही होते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो मानें और नहीं चाहे तो न मानें। यह दलील दी गई। अध्यक्ष जी की व्यवस्था हो गई तो फिर उसको 30 पर्सेन्ट मुख्य मन्त्री जी के कहने पर रखा गया।

यह सब हो गया उसके बाद भी माननीय उपाध्यक्ष को व्यवस्था आज फिर देनी पड़ी। जब व्यवस्था दो दिन पूर्व हो चुकी थी और 30 पर्सेन्ट टैक्स दुबारा आपको माननीय सारस्वत साहब का अमेंडमेंट लाकर करना पड़ा। उसके पश्चात् भी यह नौबत क्यों आई कि आज तीन तीन मन्त्रियों को इन्डीकेशन आसन द्वारा दिया गया, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने कहा कि हाउस को थोड़े समय तक एडजोर्न कर दिया जाय तो उन्होंने कहा कि एडजोर्न करने की जरूरत नहीं है। हम पूरे समक्ष हैं और पूरी तैयारी से कहना चाहते हैं। यही जवाब है कि हमारे पास बहुमत है हां, ना करा देंगे। सदस्य लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं इसी का आप फायदा उठा रहे हैं। हमने प्रस्ताव रखा है हां या ना हो जायगी। मगर, माननीय उपाध्यक्ष, दो दिनों की बहस से यह मालूम पड़ रहा है....

श्री किशन सिंह भाटी : सदस्य लोग समझ नहीं रहे हैं, यह लेंग्वेज ठीक नहीं है। you can not say so.

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्री लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने यह सब हो रहा है। अब आप सुन लें। हम मन्त्री जी को आगाह करना चाहते हैं। आप सारी जनता को खिलाफ कर रहे हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : We may agree with you that we may disagree.

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप सुनते नहीं समझते नहीं। हमने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। एक पाइन्ट इसमें पड़ा हुआ है। आप इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, समझने का प्रश्न बड़ा विवादास्पद है।

श्री किशनसिंह भाटी : It is our right to raise objection.

श्री उपाध्यक्ष : समझने का तात्पर्य यह तभी ठीक मानेंगे जब कि इनके कहने के मुताबिक मानेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : सांचौर मेले में, रघुनाथ जी, एक दिन आपका कहना मानेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इतने पाइन्ट आपके सामने आये हैं। आपने कहा कि शराब की इन्कम हम प्रोहिबिशन पर खर्च करेंगे और इस इन्कमस हम दूसरे स्थानों पर रोड्स वगैरह नहीं बनायेंगे, उनके काम में नहीं लेंगे, यह कहकर आपने आबकारी की डिमाण्ड पास कराई थी। वह भी मामला अभी पेंडिंग है। क्या मालूम है कि दो तीन दिन में क्या स्थिति होगी? आपका यह जो बिल है इसकी क्या स्थिति होगी। वह मामला सदन के विचाराधीन है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स के बारे में हाउस में घोषणा यातायात मन्त्री जी ने की थी, श्री केदार जी ने 3 बार पहले की थी। मेरे प्रश्न के जवाब में घोषणा की थी कि टैक्स माफ कर देंगे। मैंने कहा कि कानून में अमेंडमेंट लाइये। घोषणा से पार नहीं पड़ने वाला है। फिर भी पिछले दो साल में किसानों के प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी विधान सभा के सामने और अब भी माननीय डाक्टर हरिसिंह जी लोगों से कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रोली टैक्स माफ कर दूंगा ले 5 पर्सेन्ट का उल्टा एरियर्स का ब्याज बढ़ा है। हजारों रुपये काश्तकारों के इकट्ठे हो गये हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मान नहीं रहा है आपकी और ट्रैक्टर ट्रोली पर विभाग सब काश्तकारों से वसूल कर रहा है। इस सरकार ने 20 बार घोषणा कर दी है। मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि इसके लिए कोई कानून लाना पड़े कोई अमेंडमेंट करना पड़े तो करिये ताकि यह टैक्स काश्तकारों से वसूल न करें। यह आपका आर्डर है उसके बावजूद इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब शायद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप बिल लाते हों तो इस स्थिति का मुझे पता नहीं है। आप किस तरह से थोथी घोषणा कर देते हैं? ऐसी घोषणा कर देते है 40 रुपया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

स्कूटर टैक्स का फिर 35 पर्सेन्ट....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उनसे पूछ कर किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कह दिया तो किस से पूछना चाहते थे ? कहने में क्या दिक्कत आती थी ? जब वित्त मंत्रीजी सामने बैठे हैं तो कहें। ऐसी घोषणा से आप पर किसी एम० एल० ए० का विश्वास नहीं हो सकता है और न लोगों का विश्वास हो सकता है। रोज थोथी घोषणाएं होती हैं।

आप कौन सा अमेंडमेंट ला रहे हैं ? रूलिंग होने के बाद भी आपने फिर अमेंडमेंट बिल रख दिया। फिर कहते हैं कि हमको रखने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में जब आपके सामने आ रहे हैं तो सारी चीजों को क्लेरीफाई करने के लिए भेज देते हैं। तो आपको आगे के लिए कोई परेशानी उत्पन्न होने वाली नहीं है। वह भी बजट में इतनी बहस के बाद में। हाउस ने एक मूड में एतराज किया है, एक आवाज में सबने कहा है उसके बाद भी आप अमेंडमेंट नहीं ला रहे हैं। इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपका लॉ डिपार्टमेंट बैठा है उनसे काम क्यों नहीं लेते ? उनको ड्राफ्ट बना कर पेश करना चाहिए था। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह कण्ट्रोवर्सी है। ट्रक आपरेटर्स स्ट्राइक करने जा रहे हैं। आपने पांच पांच जगह टैक्स लगाया है। अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है। कहीं रोड ही नहीं है। वहां भी उतना ही टैक्स वसूल करेंगे। यह प्रावधान हो गया है। यह सारी स्थिति है। विधायक अपने क्षेत्र में वापस जायेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि क्या करके आए हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : यही कहेंगे कि टैक्स लगा कर आये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका प्रस्ताव है, हमारा भी प्रस्ताव है उसको आप मंजूर कर लें। तो यह सारा मामला है, मैं आपको सही सलाह दूंगा, आपकी इमेज जनता के अन्दर सही हो, जनता यह समझे कि जो बातें कहते हैं, वह होती हैं। इसलिए मैंने जो सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव आपके सामने रखा है, वह आप मन्जूर कर लें। इसी में आपका भला है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आप रिपीट क्यों करते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिपीट कहां करता हूं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए फाइनेंस बिल को चेक अप करने के लिए इस वित्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। सारे आवश्यक अमेंडमेंट करके फिर आप सदन में रखें। तभी यह सही पेश हो सकता है। लोगों को क्या रिलीफ देना है, या नहीं देना है। इसके लिए इसमें आप सोचकर सुधार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री रामनारायण चौधरी)

वित्त मन्त्री जी ने राजस्थान फाइनेंस बिल, 1979 प्रस्तुत किया है। मैंने इसके सम्बन्ध "में यह संशोधन प्रस्त व प्रस्तुत किया है कि: राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, जो वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है, ऐसा शायद पार्लियामेण्ट्री हिस्ट्री के अन्दर एकमात्र खौफनाक बिल विधान सभा में पेश किया गया है। ऐसा बिल कभी नहीं आया। माननीय वित्त मन्त्री जी ने 5 मार्च, 1979 को अपना भाषण पढ़ा। उस पर विचार विमर्श करके, सदन में मुद्दे बने। उस पर सदन में 16 मार्च, को घोषणाएं की हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा जो 16 मार्च, को बजट रिप्लाई में स्वीकार कर लिया, उनको भी वित्त मन्त्री जी ने शामिल कर रखा है। इसके बाद हम से स्वीकार करने को कह रहे हैं। श्रीमान्, प्रस्ताव हैं ही नहीं, 16 तारीख को विथड्रा कर लिए हैं। मुख्य मन्त्री जी ने कहा और आपने वापस ले लिए। मुख्य मन्त्री जी के कहने के बाद एक और आपने विथड्रा कर लिया है। वह कुओं की जमीन चाही बनाने का प्रस्ताव था। उन सब को मिलाकर यह बिल लाये। उसमें आपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में दे रखा है। इसमें यह क्यों दिया है? वह बजट प्रस्ताव ही नहीं है। तो यह क्यों है? तो आगे चल कर आप कहते हैं कि अमेंडमेंट के जरिये से करवायेंगे। उसमें नहीं देंगे। तो फिर डिलीट करेंगे। तो यह जवाब देते हैं। विधान सभा में 16 तारीख को घोषणा कर दी। उसके अनुरूप यह बिल आपका रहना चाहिए था। अक्टूबर-नवम्बर में सदन के अन्दर कृषि उपज मण्डियों का मामला पेश हुआ था उसके अन्दर राजस्थान के अन्दर जो कृषि उपज मण्डियां हैं, उनके टैक्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। हमने उनसे कहा था कि कृषि उपज मण्डियां अकेली हैं। काश्तकारों को अपनी उन मण्डियों का विकास करने का अधिकार है। आज आपने उस आमदनी को समाप्त करने का इस बिल में जोड़ रखा है। जब कि मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि उस रुपये को क्या करवाना चाहते हैं, यह कृषि उपज मण्डियों पर निर्भर करेगा। राजस्थान सरकार उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर उनके काम को करवायेगी। उसमें जो खर्च पड़ेगा वह उनसे ले लेगी और उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज फाइनेंस बिल में राजस्थान की सारी कृषि उपज मण्डियों को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के घोटाले में मुख्य मन्त्री महोदय के आश्वासन के बाद भी आपने कर दिया है। तो विधान सभा में घोषणाओं की सेंक्टिटी के बारे में क्या कहा जाये।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री महोदय ने कर दी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यातायात मन्त्री क्या घोषणा कर रहे हैं। वित्तमन्त्री जी आगे बैठे हैं। फिर भी समर्थन कर रहे हैं। हमने अनुमति दी थी। आपने अनुमति दी थी तो इस प्रकार से ला रहे हैं। आज तक ऐसा पूअर शो किसी भी विधान सभा में नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

हुआ है। मुख्य मन्त्री जी, वित्त मन्त्री जी से कुछ भी डिक्टेट करवा लें क्या हैं, राजस्थान के वित्त मन्त्री ? वह मुख्य मन्त्री के पी. ए. हैं या स्टेनो हैं ? वित्त मन्त्री जी आप कहते हैं, कि मैं राजस्थान का मसीहा बनना चाहता हूं। पूर्ण नशाबन्दी करना चाहता हूं। राजस्थान को आगे ले जायेंगे। मैं आपका आदर करता हूं। इन्सान के नाते, आप में गुणों की कमी नहीं है। वित्त-मन्त्री जी के नाते जो शो आप विधान सभा में दे रहे हैं, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। सन् 1952 से आज तक का रिकार्ड निकलवा कर देख लें, कभी भी मुख्य मन्त्री ने वित्तमन्त्री को यह कहा हो कि यह बिल वापस ले लो। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो टैक्स लगाने वाले हैं और मुख्य मन्त्री जी टैक्स वापस लेने वाले हैं, यह दिखाने के लिए कि मुख्य मन्त्री जी तो उदार हैं और वित्त मन्त्रीजी क्रूर हैं। इस प्रकार का प्रदर्शन, मान्यवर, मैं समझता हूं यह मुख्य मन्त्री जी का भोंडापन है और अगेन्स्ट पार्लियामेन्ट्री कन्वेन्शन है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे हटाना चाहते थे इनको लेकिन हटे नहीं, इनकी छाती पर मूंग दलने के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी : विधान सभा और संसद में इस प्रकार का प्रदर्शन करके लोकप्रियता हांसिल नहीं की जा सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चौधरी साहब आप क्या कहना चाहते है, सुना नहीं।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है,

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, इस प्रकार से विधान सभा और संसद की परम्परा बना नहीं करती, परम्पराएं बनानी पड़ती हैं। माननीय यातायात मन्त्रीजी ने घोषणा कर दी, लेकिन इसमें कहां पर है, विधान सभा में आश्वासन देने के बाद बिल पेश करते तो मैं समझता नहीं तो यह आपका भोंडापन है। मुख्य मन्त्रीजी प्रस्ताव लाये थे 35 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट करने का। माननीय सुराणाजी का मैं आदर करता हूं, वे भी वे संसदीय परम्पराओं का ज्ञान रखते हैं और जानते हैं। वे भी खड़े हो गए और कहा कि 62 में यह हुआ, आखिर किस आधार पर कह रहे हो, किस आथोरिटी से कह रहे हो। 62 से 67 के बीच में राजस्थान फाइनेन्स बिल में कोई अमेण्डमेंट नहीं आया। ऐसे कह रहे हैं जैसे चौपड़ पर भाषण दे रहे हों....

एक माननीय सदस्य : आप कैसे दे रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिए जो परमपराएं और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको तोड़ने की कोशिश मत कीजिये, परम्पराओं में इजाफा कीजिये। आप अगर इजाफा नहीं कर सकते तो ठीक है मांगें पास करवा लीजिये, आसन आपको प्रोटक्शन देगा, बहुमत आपका है, हां पक्ष जीता-हां पक्ष जीता, पांच मिनट में खेल खतम।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

निवेदन यह करना चाहता हूं....

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय यह आसन पर एस्पर्शन है, आसन प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब गलत प्रोटेक्शन देता है - आसन कभी गलत प्रोटेक्शन नहीं देता।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन अपने अधिकार का उपयोग करता है, यह उसका डिस्क्रिशन है, उसका आप फायदा उठाते हैं ...

श्री माधोसिंह कछवाह : क्या जयपुर के पानी में जो कीड़े हैं वे सभी माननीय रामनारायणजी के पेट में चले गये हैं और वहां से उनके मस्तिष्क में पहुंच गए।

श्री रामनारायण चौधरी : इनकी टैक्सेज के बारे में कोई निश्चित राय नहीं बन सकती। इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस वक्त इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है, फाइनेन्स बिल के द्वारा जो टैक्स लगाने जा रहे हैं इससे राजस्थान में 42 करोड़ का टैक्सेज से भार लादा है। कांग्रेस ने पांच सालों में 42 करोड़ के टैक्सेज नहीं लगाये और ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से 31 करोड़ बनते हैं। मैं कहता हूं 31 करोड़ नहीं हैं आप केलकुलेशन करके देख लीजिये। बजट का प्रिपेरेशन किया है इससे और टैक्सेशन से 42 करोड़ की आमदनी होगी और नहीं हुई तो अगर अगले साल आपको यहां आने का सौभाग्य मिला तो हम पूछेंगे कि कितनी आमदनी हुई। आपने राजस्थान के गरीब आदमियों की कमर तोड़ दी, काश्तकारों पर आपने भार लाद दिया, बिजली पर टैक्स लगा दिया, मोटर पर बढ़ा दिया, जिनकी आमदनी कुछ नहीं है, अधिकांश मोटर वाले गरीब कण्डक्टर और ड्राइवर हैं, 60 पर्सेन्ट मोटर व्हीकल्स उनके पास है

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उन पर आपने टैक्स लगाया और मुकाबला करते हैं हरियाणा, पंजाब का और गुजरात का

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी : इनसे राजस्थान का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए, मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि जो सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है इसको स्वीकार किया जाय। उसकी एक सप्ताह में रिपोर्ट आ जायगी। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि वेलफेयर स्टेट में राज्य सरकार को टैक्स इम्पोज करने पड़ेंगे। मैं टैक्सेज इम्पोज करने के कतई खिलाफ नहीं हूं। अगर 56 प्रतिशत

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको ऊंचा उठाना है तो यह निश्चित बात है कि बाकी 44 प्रतिशत पर टैक्सेज इम्पोज करने पड़ेंगे। परन्तु आज इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि और सरकार का ध्यान एक बड़ी भूल की ओर दिलाना चाहूंगा कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अन्दर जो तानाशाही का रूप सामने आ रहा है, उसको समझने की बात है, वह इसलिए कि अगर ठीक समय पर हम नहीं समझे तो निश्चित तौर पर कोई इन्दिरा गांधी का रूप हमें यहां नजर आएगा। इसलिए

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आएगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कि इस सदन के पटल पर 109 विधायकों के दस्तखतों से पिटीशन रखी कि 1 अप्रेल, 1979 से नशाबन्दी की जाय। 200 विधायकों के हाउस में 109 व्यक्तियों, माननीय विधायकों के द्वारा पिटीशन पटल पर रखी गई, किसी भी विधायक ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया कि मेरे दस्तखत नहीं हैं। तो जिस सदन के पटल पर मेजोरिटी आफ दी एम. एल. एज. ने पिटीशन करके रिक्वीजिशन किया कि 1 अप्रेल, 79 से सम्पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा की जाय और उस बहुमत के विधायकों की यह ...

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये वोल्यूम बढ़ा देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो माननीय सदस्य का वोल्यूम ही ऐसा है। कल आपने देखा नहीं क्या हो रहा था, कल ऐसे ही भावुक हो गए थे।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये, बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 109 विधायकों के बहुमत की पिटीशन को नजरअंदाज करके मुख्य मन्त्री ने और उनके जीहुजूरियों की मन्त्रिमन्डल की टीम ने जिस प्रकार से भोलेपन का प्रदर्शन किया है और इन्दिरा गांधी जैसा रूप अख्तियार किया है, मैं उसकी ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री ने अपने साथी वित्त मन्त्री के इरादों को ही भंग नहीं किया परन्तु इस सदन के बहुमत का इस प्रकार अपमान करके, उसकी अवज्ञा करके आज किस मुंह से वित्त विधेयक को पास कराने आए हैं ? है कोई आपके पास तर्क ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल कहा था कि आज वक्तव्य देंगे, आज मुख्य मन्त्री यहां नहीं है। कौन वक्तव्य शराबबन्दी पर देगा बतावें ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरी मान्यता है कि हर दूसरे तीसरे दिन अपने विचार चेंज करने का आपको अधिकार है बशर्ते इसके लिए ग्राऊंड हो। 109 विधायकों ज्ञापन साइन करके दिया कि 1-4-79 से शराबबन्दी होनी चाहिए, उनकी अन्तर आत्मा कहां गई ? या बाद में जसलोक अस्पताल से तार आ गया ? क्या हो

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

गया ? हम पानी पी पीकर इन्दिरा गांधी को कोस रहे हैं ? क्यों ? इसलिए कोस रहे हैं कि उसने प्रजातन्त्र की व्यवस्था का हनन किया ··

श्री रामनारायण चौधरी : इस तरह से मत बोलिए। इन्दिरा गांधी ने प्रजातंत्र का हनन नहीं किया। वह इन्दिरा गांधी ही थी जिनकी वजह से आज आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बिल्कुल सही है।

श्री रामनारायण चौधरी : ये शक्लें ठेकेदारी करती थीं जो आज एम. एल. ए. बन कर बैठे हुए हैं ···

(व्यवधान)

आप लोकतन्त्र का गला घोट रहे हैं। विधान सभा का बहुमत चाहता है कि शराबबन्दी की जाए तो शराबबन्दी न करके····

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने कहा कि अगर इन्दिरा गांधी नहीं होती तो ये भेड़ों की शक्लें यहां नहीं आती। We are not like sheeps who can be driven in any direction by shefered.

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : आज 31 मार्च आ गया है, हम सरकार की ओर से माननीय वित्त मन्त्री से चाहते हैं कि वे इस बात की घोषणा करें। जैसा उन्होंने बजट डिमांड के समय कहा था कि 31 मार्च तक शराबबन्दी के बारे में सूचना जरूर सुनेंगे लेकिन वह सूचना आज तक नहीं आई है। जनता पार्टी के 87 विधायकों ने सामूहिक रूप से प्रस्ताव किया है, लिख कर दिया है कि शराबबन्दी होनी चाहिए, सदन के 109 सदस्यों ने लिख कर दिया है उस पर भी सरकार ने एलान नहीं किया है, वित्त मत्री ने कोई घोषणा नहीं की है। इससे जाहिर होता है कि यहां डेमोक्रेसी किल हो रही है, लोकतन्त्र का नाश हो रहा है....

(व्यवधान)

और 109 विधायकों द्वारा लिख कर देने के बावजूद भी शराबबन्दी का एलान नहीं किया गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री इस बात की घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह (खन्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा चल रही है, उसके लिये सदन के सभी माननीय सदस्यों ने बार बार नेता महोदय से निवेदन किया कि इस सदन की आम राय है कि यदि इस प्रांत को बुराइयों से बचाना है तो जल्दी से जल्दी शराबबन्दी की घोषणा की जाए। वित्त मन्त्री, एक बार नहीं दो बार नहीं, सदन में लगातार तीन बार कह चुके हैं कि आप जल्दी ही कोई अच्छी खबर सुनेंगे एक दो दिन में लेकिन अभी वित्त विधेयक पास हो रहा

(162)

(श्री गोपालसिंह)

है, उस समय तक कुछ नहीं कहा जा रहा है तो हम महसूस करते हैं कि, वित्त मन्त्री अपनी आवाज को साफ नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। जब 83 सदस्यों ने लिखकर दिया है, इरिगेशन पर 50 प्रतिशत चार्ज बढा दिया, आज तक आपने घोषणा नहीं की इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह प्रजातन्त्र नहीं है। आप शीघ्र घोषणा करें ...

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : कल सदन के नेता विराजमान थे।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, यह नशाबन्दी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर ध्यान आकर्षित किया है और वित्त मन्त्री उनको ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ कर भी देखा लेकिन ये दो मन्त्रियों के बीच में है लेफ्ट एण्ड राइट उनको सैंडविच करके बैठे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक चौधरी दूसरा ठाकुर।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आर्डर आफ प्रिसीडेंस में वित्त मन्त्री का दूसरा नम्बर है। मैं भी कभी दूसरे नम्बर पर था लेकिन मुझे कभी इस तरह दो मन्त्रियों ने घेर नहीं रखा था।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : मैंने सदन के नेता की उपस्थिति में निवेदन किया था कि बार बार सदन में सरकार की ओर से कहा गया है कि दो तीन दिन में शराबबन्दी की घोषणा करेंगे। राजस्थान की तीन करोड़ जनता के मन में हमारी सरकार के प्रति संदेह पैदा हो गया है। हम मानते हैं कि इस सदन के 109 विधायकों ने मुख्य मंत्री को लिख कर दिया और मुख्य मंत्री ने उस बात का खण्डन नहीं किया है। वह ज्ञापन मैंने सदन की मेज पर रखा था उससे साबित है कि सदन का बहुमत एक अप्रेल 1979 से शराबबन्दी के पक्ष में है। मैंने कल भी कहा था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन नशाबन्दी का फैसला करेगा। बम्बई में बैठकर मुख्य मन्त्री नहीं कर सकते। अगर मुख्य मन्त्री को घोषणा करनी है तो सदन में करे, सरकार की ओर जय प्रकाश जी के सैक्रेटरी ओर से नहीं। वित्त मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि इस घाटे की पूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। उपाध्यक्ष जी, मुझे तो मुख्य मन्त्री के प्रति संदेह पैदा हो गया है कि वह झूठ बोलते हैं, सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि 31 मार्च के लिए कहा गया था कि मुख्य मन्त्री घोषणा करेंगे लेकिन वह जयपुर में आज उपस्थित नहीं है और बहाना दिया कि दिल्लीजा रहा हूं। इसलिए मुझे सन्देह है। इसलिए या तो वित्त मन्त्री इस बात की घोषणा करें कि एक अप्रेल से राजस्थान में जैसे घोषणा की गई है उसके अनुसार शराबबंदी लागू की जायेगी। एक तारीख कल है इसलिये हमें शंका और सन्देह होना स्वाभाविक

(श्री नवरंगसिंह)

है। जनता विधायक दल के 83 सदस्यों ने बढ़े हुए टैक्सेज को अपोज किया है और सरकार से निवेदन किया है कि बढ़े हुए कर वह वापस ले....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री मन्जूर अली : हमारे सदन के 109 सदस्यों की मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह हमारी डेमोक्रेसी की तोहीन है इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री डूंगर राम पंवार : काश्तकारों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है इसलिए यह काश्तकार विरोधी सरकार है। नशाबन्दी के लिये हम 109 सदस्यों ने लिख कर दिया इसलिये हम चाहते थे कि सरकार कोई घोषणा करती लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए हम इस असेम्बली से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फाइनेन्स बिल पेश किया गया है, इस फाइनेन्स बिल के अन्दर गरीबों के ऊपर टैक्स लगाये गये हैं, किसानों के ऊपर टैक्स लगाये गये हैं और मुनाफे को टैक्स से बाहर निकाला गया है इसलिए सरकार जो यह घोषणा करती है कि समाजवादी सिद्धान्त को अपनाया जायेगा। इसमें गरीबी की रेखा से गरीबों को और नीचे लाया जा रहा है, गरीबों के ऊपर टैक्स लगा कर, किसानों पर टैक्स लगा कर उनको और गरीब किया जा रहा है। सरकार यह घोषणा कर रही है कि 50 पर्सेन्ट टैक्स इर्रिगेशन के ऊपर बढ़ाया जायेगा। यह सब बातें समाजवादी सिद्धांतों के खिलाफ है और जनता पार्टी के घोषणा पत्र के खिलाफ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने बढ़ाये हुए जनता टैक्स वापस लें। सरकार ने जो शराबबन्दी का ऐलान किया था। घोषणा भी की थी और कहा था कि 1 अप्रेल, 1979 से शराबबन्दी की जायेगी और जनता पार्टी के सभी सदस्यों की और हाउस के अन्दर भी और बाहर भी आज देश की जनभावना यह है कि प्राहिबिशन 1-4-79 से लागू किया जाये। इस बात को नकार कर जनता सरकार जन-भावनाओं को नकार रही है और हमारे संविधान की अवहेलना कर रही है इसलिए हम इस प्रोटेस्ट में वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अयूब खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पास होने के बाद 31 मार्च को खासा कोठी में दावत दी जाती है और सारे एम० एल० ए० और मन्त्री और

(164)

(श्री अयूब खां)

बड़े-बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। मैं यह कहता हूं कि राजस्थान में इसका एक नियम है....

मेजर श्री फतह सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और वित्त मन्त्री जी ने 1 अप्रेल से पूर्ण नशाबन्दी हो या नहीं हो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा का एलान किया था लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एलान नहीं किया। सारे राजस्थान में एक डांवाडोल स्थिति बनी हुई है। सरकार इस तरह अनिर्णायक स्थिति में है। इस व्यवहार से सारी जनता पार्टी को और सारी राजस्थान की जनता को असन्तोष है। जो कुछ भी सरकार का निर्णय हो, पूर्ण नशाबन्दी कर रही है तो भी एलान करे और नहीं कर रही है तो भी एलान करे, यह मैं चाहता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बजट पर वाद विवाद में भाग लेते समय अपने भाषण में कहा था कि सारी लड़ाई किस्सा कुर्सी की है, मान्यताओं और सिद्धान्त की नहीं है। और उस समय मैंने यह भी कहा था कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस सम्बन्ध में दृढ़ कदम उठाये। जैसा कि वह हमेशा कहते आये हैं और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम समझते हैं उनमें कोई न कोई कमजोरी है, इसलिए, श्रीमान्, मैं भी एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शित करने के लिए बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अयूब खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस मामले में कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको भी मालूम था कि जनता पार्टी के 109 विधायकों ने आपके समक्ष दस्तखत करके यह कहा कि शराबबन्दी होनी चाहिये 1 अप्रैल से। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई गई है। नेता महोदय का ठिकाना नहीं है। नेता महोदय कहां हैं, कोई पता नहीं और वित्त मन्त्री जी चारों तरफ से दबे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की नीति है और किस प्रकार का लोकतन्त्र है। इस प्रकार लोकतन्त्र नहीं चलने वाला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी का खून कहां गया? क्या उनकी रगों में खून पानी हो गया है? क्या आज यह घोषणा नहीं कर सकते हैं? माननीय वित्त मन्त्री जी क्या आप किसी के मोहताज हैं? आपने जनतन्त्र की हत्या कर दी है। आप चाहें तो 1 अप्रेल से शराब बन्द कर सकते हैं। आपमें वह शक्ति है। आप अपनी शक्ति का इजहार कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस तरह से लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है और हम यह हत्या नहीं होने देंगे। 109 विधायकों ने जब इस सदन में लिख कर दिया है कि शराब बन्दी 1 अप्रेल से लागू होनी चाहिए और इस पर आप स्पष्ट घोषणा नहीं करते हैं तो मान-

(श्री गुल मोहम्मद)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अयूब खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। यह हराम का खाना है और हमारी खासा कोठी में खाया जाता है। मन्त्री मन्त्री की दावत करता है और अधिकारी-अधिकारी की करता है। यह पैसा राजस्थान की गरीब जनता का है। गरीब जनता के साथ धोखा है, अन्याय है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

मैंने पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा था...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आज आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है। मेरा भाषण तो सुन लें।

श्री अयूब खां : यह सरकार शराबबन्दी तो क्या करेगी अनियमिततायें तक नहीं रोक सकती है, इसलिए मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री ओंकारलाल चौहान : व्यवस्था का प्रश्न है। यह दावत करते हैं, यह हराम की करते हैं मुझे डाउट है कि whether this word is parliamentary or unparliamentary. It should be deleted.

श्री उपाध्यक्ष : अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मैं इसको आवश्यक नहीं मानता।

(व्यवधान)

श्री मेघराज पंवार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सरकार किसानों को कोई राहत नहीं दे पाई है और शराबबन्दी पूर्ण रूप से करने की भी घोषणा नहीं कर रही है इसलिए मैं इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं उपाध्यक्ष जी निवेदन कर रहा हूं, अब कोई बहिर्गमन तो नहीं कर रहा है। माननीय वित्त मन्त्री जी सत्तारूढ़ पार्टियों के सदस्यों ने वाक आउट करके आप की स्थिति ऐसी कर दी जैसी कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण की हो गई थी जबकि दोनों पांडव और कौरव लड़ाई के मैदान में आ गए थे...

श्री कौशल किशोर जैन : हम सब वित्त मन्त्री जी के साथ हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और श्रीकृष्ण ने गीता में उपदेश यही दिया था कि अगर

(श्री परसराम मदेरणा)

तुम लड़ाई नहीं करोगे तो लोग तुम्हें नपुंसक कहेंगे। यह अर्जुन को उपदेश दिया था और अब आपको ऐसे शब्द कहेंगे कि तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। अब आपकी पोजीशन सबसे खराब हो रही है और आप निर्णय कीजिये। आज आपके लोग वाक आउट कर गये हैं। मैं समझता हूं कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें नहीं तो वित्त मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आपकी पोजीशन बड़ी एग्रेसिव होने वाली है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह समय फिर हाथ में नहीं आयेगा ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक चन्द सुराणा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहूंगा वित्त मन्त्री जी ने सफेद बाल धूप में सफेद नहीं किये हैं। बड़े समझदार हैं, कोई जवाब देने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता अभी अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाये हैं, अगर कर चुके हैं तो वे बता दें ..

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : नहीं किया है।

श्री माणकचन्द सुराणा : अभी उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। इसी बीच में पाइंट आफ आर्डर के द्वारा शराब-बन्दी के प्रश्न पर राज्य सरकार कुछ नीति नहीं घोषित कर रही है, इस बात को उठाया गया है और कुछ माननीय सदस्य बहिर्गमन कर रहे हैं और विरोधी दल के माननीय नेता को बड़ी चिन्ता है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करे। श्री रामकृष्ण दास जी अपना भाषण यहीं समाप्त कर दें, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में घोषणा करेगी ..

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे मेरे विचार कहने दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं बहिर्गमन नहीं कर रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, उनको अपना भाषण समाप्त करने दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस महत्व-पूर्ण सवाल पर....

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदार पुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह कछवाह : अभी विरोधी दल के नेता माननीय परसराम जी ने कहा था कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कहा है। मैं गीता पढ़ता हूं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। ऐसा नपुंसक शब्द नहीं कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति के प्रति विरोधी दल के नेता गलत उदाहरण न दें और यह नपुंसक शब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : गीता किसने पढ़ी है

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने पढ़ी है। आपने इन्दिरा गांधी की गीता पढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण दास जी चर्चा जारी रखें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष जी, आपका एकमात्र अनुशासित विधायक बोल रहा था ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्ण दास जी, आपका जो असर हुआ है, ज्यादा बोलकर उस असर को समाप्त न करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं यह कह रहा था ...

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरे एतराज पर क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री माधोसिंह कछवाह : यह हाउस से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है, अगर कोई गलत कोट करे तो आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माइथोलाजीकली, हिस्टारिकली क्या ट्रू य है क्या नहीं है, बड़ी विवादास्पद स्थिति है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं आपके सामने यह तर्क दे रहा था कि जिस प्रकार से हमारे भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने, उन्होंने शाह कमीशन की रिपोर्ट में कहा है। यह सबूत है कि इन्दिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा अपने मन्त्रि-मण्डल की स्वीकृति के बिना करवाई, जो माननीय राम नारायण जी ने कहा वह तानाशाह नहीं थीं, वह इस बात का द्योतक है। इन्दिरा गांधी ने जिस प्रकार आपातकाल की घोषणा कराई, उसी प्रकार यह सारा मन्त्रिमण्डल कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी के बजाय इन्डीविजुअल लाईकिंग्ज, डिस लाईकिंग्ज पर काम कर रहा है। मुझे मालूम है कि हमारे आयोजना मन्त्री जी ने यह कहा है कि रामकृष्ण बैठ जायें तो शराबबन्दी की घोषणा की जायेगी। वह क्या

168

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

है ? एक अप्रेल, 1979 से 7 जिलों में, 2 अक्टूबर, 1979 से 3 जिलों में और बाकी के 3 जिलों में 1 अप्रेल, 1980 से शराबबन्दी की घोषणा की जायेगी। अगर यह शराब बन्दी की नीति नहीं है ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार चली गई तो कैसे करेंगे, यह चिन्ता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, अब चर्चा समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आपके जाने वाले हैं उनको भी बदले....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 30 साल तक वह अमृत था ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार का अधिकार है कि शराब बन्दी करे या न करे और करे तो कब से करे और यह जरूरी भी नहीं है कि अप्रेल, 79 से शराब बन्दी की जाये। जैसा राजस्थान की जनता ने 30 साल इन्तजार किया है, साल, दो साल और कर सकती है, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि शराब बन्दी की जानकारी मुझ जैसे तुच्छ विधायक को मालूम है, सारे बम्बई को मालूम है, अखबारों में आ चुकी, यह नीति घोषणा राज्य सरकार ने कब की ? मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि मन्त्रिमण्डल ने शराब बन्दी की नीति नहीं बनाई है, अभी विचार कर रहा है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा उन्होंने रेडियो को न्यूज नहीं दी है। तो किस सोर्स से किन व्यक्तियों ने किस आधार पर सारे जन मानस पर शराब बन्दी पहले से आउट की है ? यह इस बात का प्रतीक है कि यह मन्त्रिमण्डल कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से काम न करके इन्डीविजुअल लाईकिंग से काम कर रहा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसी न किसी ने इस बात को लीक आऊट इसलिए किया है। सारे मन्त्रिमण्डल के मुंह पर थप्पड़ मारा है। आप लोगों को पंगु कर दिया है। आप लोग पंगु हो। सारे राजस्थान और भारत में प्रजातन्त्र की हत्या नहीं करने देंगे। सवाल प्रजातांत्रिक व्यवस्था का है। रामकृष्ण आयेगा, जायेगा, मुख्य मन्त्री आयेगा, जायेगा परन्तु देश में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम रहेगी। 109 विधायकों की आपने परवाह नहीं की। जनता पार्टी के 89 विधायकों की आपने परवाह नहीं की। जनता पार्टी के 150 विधायकों में से 89 विधायकों ने यह मांग की है कि पूर्ण नशाबन्दी की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जाये। यह दूसरा नमूना है कि आपने विधायकों का ध्यान नहीं रखा। इसलिए

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

इस गवर्नमेंट को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। अगर आप अपनी नीतियों के प्रति निष्ठावान नहीं हैं तो सरकार में नहीं रहना चाहिये। मगर इस प्रकार जनतन्त्र में तानाशाही तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सारे राज्य में वित्त मन्त्री जी मजाक के पुतले बने हुए हैं। शर्म नहीं आती मन्त्रिमण्डल को····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी चर्चा समाप्त करें।

माननीय गुप्ता जी विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इतना ध्यान नहीं रहता कि एक मिनट कितना होता है·······

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, आवाज से कान के पर्दे फटते हैं बहुत ही कठोर आवाज है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी, आपको इतनी आवाज कटु लगती है तो इसमें मुझे एतराज नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 89 विधायकों ने आपको ज्ञापन दिया है। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से भारत सरकार के सामने राजस्थान सरकार की इकानोमी कतई मायने नहीं रखती हैं। आज भारत सरकार के इशारे पर हमारी सरकार नाचती है।

इसी प्रकार मार्केटिंग सोसायटियों की गतिविधियों में सरकार ने इन्टरफियरेन्स करने के अधिकार को लेकर जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात किया है। क्या यही आपकी प्रजातांत्रिक स्प्रिट है? आज उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इनकी तानाशाही को एक्सपोज करना है। अगर समय पर इस सरकार के विचारों को एक्सपोज नहीं किया तो यह सरकार पूरी तानाशाह हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री और विधायक अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। यह विशाल देश है और मैं अखिल भारत के पुजारियों और राष्ट्र भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी किसी एक व्यक्ति की तानाशाही को नहीं चलने दें। हम जनतान्त्रिक तरीके से काम करते हैं और यहां पर आपके मन्त्री उस जनतन्त्र के प्रति निष्ठावान नहीं हैं। आज सारे मन्त्री मुख्य मन्त्री के पीछे भागने वाले बन रहे हैं। उनके हाथ के खिलौने बन गये हैं। आपकी क्या स्थिति होगी जब राजस्थान के सामने यह बात आयेगी और जब इसका इतिहास बनेगा तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी कि हमारे मन्त्री इस प्रकार के थे।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह क्या पढ़ना शुरू कर दिया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अनुमति दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की दरों में बढ़ोतरी के विषय में सामान्य ब स के समय बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई बातें उठाई थीं। उस दृष्टि से सिंचाई मन्त्री के नाते मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में सिंचाई की दरों में मार्च. 1976 में अन्तिम संशोधन किया गया था। उससे पूर्व नवम्बर, 1974 में सिंचाई की दरों में परिवर्तन किया गया था। समय-समय पर इन संशोधनों का मन्तव्य यह था कि बढ़ती हुई कीमतों के साथ सिंचाई कार्यों पर जो संधारण व्यय बढ़ रहा था उसे पूरा किया जाय। साथ ही कृषि विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम लेकर सरकार जो व्यय कर रही है उसमे कृषि सेक्टर का भी कुछ योगदान हो।

राज्य में सिंचाई विभाग द्वारा संधारित कार्यों से वर्ष 1977-78 में 36-77 लाख एकड़ में सिंचाई हुई और वर्ष 1978-79 में इससे कहीं अधिक सिंचाई होने के समाचार हैं किन्तु सिंचाई शुल्क से केवल 8 64 करोड़ की प्राप्ति हुई है जबकि संधारण का व्यय 11.17 करोड़ रुपये था। इस प्रकार केवल संधारण में ही 2.53 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : संधारण मीन्स ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेन्टीनेन्स। इससे सिंचाई कार्यों पर ह्रास अथवा उन पर लगी ब्याज की राशि जोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम न लाभ न हानि का बात करें तो प्रति एकड़ सिंचाई व्यय निम्न प्रकार आता है जबकि प्रति एकड़ पूंजीगत लागत चार हजार रुपया पड़ती है। आज पूंजी पर 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाय तो ब्याज 400 रुपया और ह्रास व्यय एक पर्सेन्ट अर्थात् 40 रुपये और इसके साथ ही संधारण व्यय 33) रु.। इस प्रकार 473) रु. और यदि ब्याज 5 पर्सेन्ट आता है तो 200) रु. और ह्रास एक पर्सेन्ट से 40) रु. और संधारण पर 33) रु. इस प्रकार कुल 273) रु. आता है। यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि राज्य सरकार 10 प्रतिशत ब्याज पूंजी पर दें तो 440) रु. और 5 प्रतिशत ब्याज पर दें तो 240) रु. प्रति एकड़ परोक्ष अनुदान के रूप में दे रही है।

वर्ष 1976 से 1979 की अवधि में संधारण सामग्री यथा सीमेन्ट, लोहा आदि का मूल्य बढ़ा है। कर्मचारियों के वेतनों में भी वृद्धि हुई है। निरन्तर अपर्याप्त संधारण प्रावधान के कारण संधारण व्यय में वृद्धि

(171)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हुई है। वर्तमान में संधारण व्यय 33) रु. प्रति एकड़ आता है।

इस संधारण व्यय के गैप को भरा जाना आवश्यक है क्योंकि राज्य निरन्तर इस घाटे को वहन नहीं कर सकता है। अत: इस घाटे की पूर्ति पर विचार करना आवश्यक हो गया। इस आधार पर इस कमी को पूरा करने हेतु सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव इस सुविधा के साथ किया गया था कि जो कृषक समय पर भुगतान कर देंगे उन्हें 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इससे समय पर भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुत: उसे औसतन 27.50 प्रतिशत ही अधिक देना होगा। इस वृद्धि के औचित्य के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य निवेदन करना चाहूंगा :—

1) सातवें वित्त आयोग ने सिंचाई दरों को पूंजी नियोजन पर 1 प्रतिशत ब्याज तथा वार्षिक अनुरक्षण एवं कार्य संचालन की लागत के आधार पर बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अनुसार औसत दर 70) रु. प्रति एकड़ पड़ती है।

2) केन्द्रीय सरकार द्वारा निजलिंगप्पा समिति ने सिफारिश की है कि सिंचित फसलों से किसानों को प्राप्त सकल आय के यथोचित प्रतिशत पर जल दर निश्चित की जानी चाहिये जो 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बीच में हो। इस सिफारिश के अनुसरण में किसानों द्वारा कम से कम 48 प्रति एकड़ देय होता है।

3) एक एकड़ की फसल पकने हेतु लगभग एक लाख घन फीट पानी खर्च होता है जिसके लिये किसान अभी तक 22) रु. देता है जबकि शहरी क्षेत्रों में इतना ही पानी सप्लाई करने के लिये लगभग 1700) रु. देने पड़ते हैं।

4) सिंचाई योजनाओं पर लागत लगभग चार हजार रुपया प्रति एकड़ आती है, सिंचाई के बाद उपज का सकल मूल्य लगभग 800) रु. प्रति एकड़ बढ़ जाता है। इस प्रकार सिंचाई से होने वाले लाभ की तुलना में वृद्धि लगभग 2.25 प्रतिशत होती है।

5) कुओं, ट्यूब वेलों आदि के मामले में कृषक को 200 से 300 रुपया प्रति एकड़ व्यय करना पड़ता है जबकि उपज का सकल मूल्य उसे लगभग नहीं मिलता है जो नहर से सिंचाई करने पर मिलता। इस प्रकार उसे सिंचाई पर होने वाला व्यय लगभग 30 प्रतिशत वहन करना पड़ता है।

6) वृद्धि के बाद भी राजस्थान में सिंचाई शुल्क की दरें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम हैं। जैसा कि गेहूं की दर बढ़ोतरी के बाद 26-78 रुपये प्रति एकड़ है जबकि यह दर उत्तर प्रदेश में 40 रुपये प्रति एकड़, गुजरात में 42 रुपये प्रति एकड़ है। गन्ने की सिंचाई दर राजस्थान में बढ़ोतरी के बाद 51) रु. प्रति एकड़ होगी जबकि यह दर उत्तर प्रदेश में 66 रु. प्रति एकड़ एवं गुजरात में 237) रु. प्रति एकड़ प्रति वर्ष है।

यह पड़ोसी राज्य····

(172)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पंजाब और हरियाणा में क्या है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पानी के मामले में राजस्थान से अच्छी स्थिति में हैं, माननीय सदस्यों ने पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा का जिक्र किया लेकिन क्योंकि इन राज्यों में बारहमासी नदियां बहती हैं एवं सिंचाई साधन उपलब्ध कराने में राजस्थान के मुकाबले कम व्यय करना पड़ता है जहां कि दूर-दूर से पानी लाकर सिंचाई करनी पड़ती है। उपरोक्त आधार पर यह सुस्पष्ट है कि जो सिंचाई दर में वृद्धि प्रस्तावित की गई थी वह अनुचित नहीं थी। किन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा सामान्य बजट पर बहस के दौरान हुई और माननीय सदस्यों ने जो उद्विग्नता बताई, उन सारी बातों को देखते हुए और सदन की भावनाओं का आदर करते हुए एवं कृषि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने यह निर्णय किया है कि 50 पर्सेन्ट वृद्धि एवं उसके साथ 15 पर्सेन्ट छूट के प्रावधान के स्थान पर अब सिंचाई दर की वृद्धि को हटा कर 15 पर्सेन्ट रख दिया जाय। यद्यपि इससे हमारे संधारण व्यय की भी पूर्ति नहीं होती तथापि हम प्रयत्न करेंगे कि व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हो एवं सिंचाई विभाग जनता जनार्दन की निरन्तर अच्छी सेवा करता रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नाथूराम (बानीडोरा) : पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर छोटी-छोटी लिफ्ट योजनायें हैं, आपने बड़ी योजनाओं के लिए तो कर दिया लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर आपने यह बात रखी है कि एक पानी का अलाटी को 22) रुपया और 30) रु. पर पानी पर बीघा देना पड़ता है और एक एकड़ पर साढ़े आठ सौ रुपयों का खर्चा आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो छोटी-छोटी योजनायें हैं उसमें और राजस्थान कैनाल की योजना में क्या अन्तर रखा है ? आप यह बतावें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि 22) रुपया प्रति बीघा खर्चा आता है कुछ लिफ्ट योजनाओं में। किन्तु मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि एक हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जावे जो इस प्रकार के सारे पेचीदा मामले हैं उन पर विचार कर किसानों को राहत किस प्रकार दी जावे, उसकी व्यवस्था करेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सिंचाई मंत्री जी जो आपने जवाब दिया कि हमारी मौजूदा सिंचाई दरों से जो कम हैं, रख रखाव में अधिक पैसा खर्चा आता है आपने बैटरमेंट चार्जेज सिंचाई क्षेत्र में 280 रु. प्रति एकड़ चम्बल और भाखरा में तथा 500 रुपया बैटरमेंट लेवी का चार्ज करते हैं। आर.सी. पी. क्षेत्र में उसका क्या रीजन है, यह क्यों नहीं बताया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सामान्य रूप से बैटरमेंट लेवी दूसरे प्रदेशों में प्रवस्थित है फिर भी इसे भी हाई पावर कमेटी को रेफर कर देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने मिस गाइड किया है, आपने अपना एक पक्ष रखा है। उस किसान से जो पांच सौ रुपये ले रहे हैं उसका जिक्र क्यों नहीं किया ? आपने उस क्षेत्र के गरीब किसान को लाखों एकड़ जमीन बेची है। आज वहां पर नहर आ गई तो हमसे जमीन बेच कर लिया जा रहा है। जहां पर जैसलमेर में उसी जमीन की कीमत दो रुपया बीघा है और जब नहर आ गई तो 31 हजार रुपये लिए जा रहे हैं बटरमेंट टैक्स लिया जा रहा है। आपने पानी का इन्तजाम क्या कर दिया कि लोगों को लूट रहे हो ? पानी आपका नहीं है, दरिया का पानी है कुदरत की देन है। आपने किसानों पर 15 पर्सेन्ट टैक्स बढ़ा करके बड़ी कृपा कर दी। आप अपने एक्सपेन्सेज कम नहीं कर सकते थे। तुम्हारे आफिसर के लिए पचास हजार की जीप जरूरी है, आप अपने खर्चे में कमी क्यों नहीं करते ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री महोदय ने सिंचाई की दरें कम करने की घोषणा तो कर दी है लेकिन जयपुर जिले में जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं....

(व्यवधान)

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि गंगानगर में और दूसरी जगहों पर इन योजनाओं से जो सिंचाई होती है उनकी दरें तो कम हैं लेकिन जयपुर जिले में कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं. किसान कुएं खोद कर सिंचाई करते हैं वहां पर सिंचाई की दरें सबसे ज्यादा ली जाती है इस विषय में सिंचाई मन्त्रीजी उत्तर दें कि जयपुर जिले के बारे में क्या करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब दीजिये, स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंहजी, माननीय परसरामजी मदेरणा खड़े हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, सिंचाई मन्त्रीजी ने बैटरमेंट लेवी का उल्लेख नहीं किया है और 50 पर्सेन्ट सिंचाई की दरों में 35 पर्सेन्ट की कमी की है और 15 पर्सेन्ट का बोझ उस सिंचित एरिया पर रखा है। सिंचाई मन्त्रीजी अगर वह किसान गन्ना पैदा नहीं करे तो जिस तरह से आप गामा शेर बन रहे हैं, एक दिन में ऐसे हो जाय यह आपको पता नहीं है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप और मैं एक सरीखे ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको पता नहीं है कि भारत सरकार ने जहां दो हजार टन का आउट-ले रखा है और सात हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फूड ग्रेन्स के

(174)

(श्री परसराम मदेरणा)

गोडाउन भर रखे हैं वे कहां से आए हैं। अगर यह नहीं होता तो आप जगह जगह पर जाकर हाथ फैलाते रहते। आप यह जानकारी रखिये कि सालाना फूड ग्रेन्स पर सब्सिडी देने के लिए भारत के उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री ने इस बजट भाषण में प्रोविजन रखा है। वह किस के लिए रखा है? इसलिए रखा है कि वह गन्ना उपजाता है, किसान अन्न उपजाता है उसको राहत दी जाय। आज किसान उदासीन है इसलिए आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते और आपके ऐशो आराम के लिए जीपें जरूरी हैं आने जाने के खर्चे में कमी करिये, स्टाफ रखते हैं उसके अन्दर कमी कर दीजिये लेकिन आपसे खर्चे में कमी नहीं की गई। 15 पर्सेन्ट भी किसान पर सिचाई दर रखने का कोई औचित्य नहीं है, न्याय-संगत नहीं है। इसके ऊपर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आप अगर पुनर्विचार नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि खेती तो वह करता है और मजे आप लेते हैं। क्योंकि आज वह आर्गेनाइज्ड नहीं है। आपने दो साल में भारतीय मजदूर संघ को तो आर्गेनाइज कर दिया लेकिन किसानों को आर्गेनाइज नहीं करना चाहते। अगर वह ओर्गेनाइज हो जावें तो यह जो बैठे हैं सिचाई मन्त्री किसान विरोधी, जब वह ललकारें तो आपकी हालत यह हो जावेगी कि जब शेर दहाड़ता है तो शेर के दहाड़ने के बाद लंगूर की हालत होती है। वह आर्गेनाइज नहीं हो सका इसलिए आपने यह किया है, आप इस पर पुनर्विचार करिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : आज तक सिंचाई की दरें किसने बढ़ाई थीं। अब तक जिन्होंने 31 हजार रुपये पर एकड़ लिये वे किसान विरोधी नहीं थे?

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की दरों की बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं है। जो औचित्य माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने रखने की कोशिश की है और ऐसा झूंठा स्टेटमेंट, किसानों को धोखे में डालने वाला स्टेटमेंट दिया है उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। इतना झूंठा स्टेट-मेंट देकर आपने किसानों को खूब गुमराह किया है। आज तक कभी किसानों को इस तरह से गुमराह नहीं किया गया। जैसा आज किया गया है आप कह रहे हैं कि नहरें लाने के लिए, किसानों के लिए इतना खर्चा करने के बाद इतना पैदा होगा। यह कहने से माननीय सिंचाई मन्त्री सही बात नहीं छुप सकती। आप यह बता दें कि इतना ज्यादा पैदा होने के बावजूद भी उस किसान के तन पर कपड़ा क्यों नहीं है? उसके पेट में अनाज क्यों नहीं है? कभी महसूस किया है आपने?

(व्यवधान)

क्यों आज किसान अनाज पैदा करता है, उस अनाज को किसान क्या अकेला खाता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लालचन्दजी, आप भाषण नहीं करें····

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : इस तरह से झूंठ बोला जा रहा है····

श्री परसराम मदेरणा : आप अन्त्योदय की बात करते हैं, खाने वाले तो मजे में हैं और जो पैदा करता है वह मर रहा है।

श्री लालचन्द : आप किस तरह से झूंठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा झूंठ किसी ने नहीं बोला। कहते हैं कि सिंचाई का पानी मिल रहा है लेकिन कितना मंहगा पानी मिल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री लालचन्द : यह टैक्स बढ़ाया गया है, यह कभी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिए इस राजस्थान के किसान हमेशा लड़ेंगे और नहीं बढ़ाने देंगे।

श्री डूंगर राम पंवार : हमरा कृषि प्रधान देश है और····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माणक चन्द जी सुराणा बोलना चाहते हैं, कृपया आप बिराजें।

श्री डूंगरराम पंवार : काश्तकारों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष

श्री डूंगर राम पंवार : किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है। काश्तकार खेत जोतता है ···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण बन्द करें। आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री डूंगर राम पंवार : देश में अगर कोई कमजोर हुआ है तो वह काश्तकार कमजोर हुआ है ···

दुकानदार कमजोर होगा तो शासन कमजोर होगा। काश्तकार अन्नदाता है, देश में अन्न पैदा करने वाला है। उसके ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाकर उसको हैरान किया जाए, उसके प्रोडक्शन की कीमत पूरी नहीं दी जाए····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री डूंगर राम पंवार : वह टैक्स देता है। इस तरह से काश्तकारों के हाथ काटते हैं। काश्तकार को छूट मिलनी चाहिए। आज टैक्स लगा कर उसको कमजोर किया जा रहा है। जो खेती करने वाले हैं पहले 30,000 रुपये में ट्रैक्टर मिलता था, वही ट्रैक्टर 80,000 रुपये में मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

(176)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री मन्जूर अली : There is no point of order.

विशेषाधिकार हनन प्रश्न
सत्रावधि में सदनेतर घोषणा

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक विचार है, चाहे श्री माणक चन्द सुराणा शराबबन्दी के बारे में राजस्थान सरकार की नीति की घोषणा करना चाहें, इसलिए आप उन्हें अनुमति दें, उसके पहले मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन दो तरह से है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना व्यवस्था का प्रश्न करें। अन्य चर्चा मत करिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नेसेसरी फैक्ट्स सप्लाई करूंगा अपने व्यवस्था के सवाल पर जिन पर आपको व्यवस्था देनी होगी। सीधा क्वेश्चन पोज करने से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी के प्रश्न पर घोषणा सदन में आज, अभी हो रही है लेकिन कल ही एक अखबार में एक समाचार निकला है। यह समाचार छपा है कि आबकारी आयुक्त ने 4 से 11 अप्रेल तक का समय घोषित किया है। जिन जिलों में शराब की दुकानों की नीलामी आबकारी आयुक्त करेंगे। निश्चित ही आबकारी आयुक्त को यह इन्स्ट्रक्शंस दी गई हैं कि शराब की दुकानों की नीलामी कर दी जाए। यह जो हिदायत दी गई है तो यह निश्चित है कि इतने जिलों में शराबबन्दी नहीं हो रही है। विधानसभा का सत्र चल रहा है। यह सदन जब अपना काम कर रहा है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह मैंने बता दिया है। I have told. There is a point of order.

श्री मंजूर अली : There cannot be any point of order.

श्री बजरंग लाल शर्मा : आप सुनिये तो सही।

यह जो समाचार प्रकाशित हुआ है। वह मैं पढ़कर सुना देता हूं : "जयपुर, 30 मार्च। राजस्थान सरकार के आबकारी आयुक्त ने यह विज्ञापित किया है कि राज्य सरकार की ओर से कुछ जिलों के अन्दर शराब के ठेके दिनांक 4 अप्रेल से 11 अप्रेल तक नीलाम कर दिए जाएंगे...."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैं इसको समाप्त कर लूं। मैं कोई इर्रेलेवेंट बात नहीं कहूंगा।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार की नीति की घोषणा चाहे वह पूर्ण नशाबंदी की हो, या कुछ जिलों में लागू करने की हो, उस बीच में यदि सरकार, इस सदन में यह चर्चा छिड़ी हो, सदन में अपनी नीति को उद्घाटित नहीं करती है, डिसक्लोज नहीं करती है और उसके पहले ही अपने अधिकारियों को कोई इन्स्ट्रक्शन देती है, कार्यवाही करती है तो निश्चित तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की अवमानना है।

नम्बर दो, यह बात श्रीमन् के सामने आई है, सत्र चल रहा है। मुख्य मन्त्री ने एक समझौता किया। वे एक पार्टी बने और दूसरी पार्टी श्री गोकुल भाई थे। यह मामला दादा धर्माधिकारी को सौंप दिया गया कि शराब बन्दी के बारे में राजस्थान सरकार की क्या नीति हो ? मेरा निवेदन यह है कि सदन चल रहा है, सदन के भीतर चर्चा चल रही है, उस पर सदस्यों के विचार आ रहे हैं, उस समय किसी आउट साइडर को यह जिम्मा दिया जाए इस प्रश्न का फैसला करवाने के लिए तो यह भी सदन की अवमानना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न के ऊपर अवमानना सरकार करे तो निश्चित तौर से सरकार की ओर से पहले खेद प्रकट किया जाए, सरकार खेद प्रकट करे, या जब तक उचित तरीके से सरकार को सजा प्राप्त न हो, जब तक, कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस, सदन की अवमानना को स्वीकार न करे एक्सेप्ट न करे, उस समय तक सरकार को इस प्रश्न के ऊपर कोई बयान देने की अनुमति देना सदन की अवमानना है, अपमान है। मेरा निवेदन है कि इस कन्टेम्प्ट को करने वाले को हिदायत दें कि वे अवमानना के दोषी हैं और इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देने की अनुमति न दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है……

श्री मावजी भाई (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी हैं, जो आदिवासियों में रहता है, उसकी भी बात सुनी जाए। आदिवासी तालाब को बांधते हैं। सारे दिन काम करते हैं। कई आदिवासी काश्तकार तो ऐसे हैं जो दिन भर अपनी चार बीघा जमीन को हांकते हैं। वे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बीज बोते हैं फिर भी उनके तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को पूरा अनाज नहीं है, वे भूखे मरते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं उनका कोई धणी है। यहां पर यह पूंजीपतियों की ही बात होती है। यहां पर गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं। कोई पूंजीपति गरीब आदमी नहीं बना है। क्यों गरीब आदमियों, आदिवासियों को पीस रहे हैं ? मैं जानता हूं आप इन गरीब, आदिवासियों के बल पर राज कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी तीस साल तक इन लोगों को बहकाकर राज किया है। परन्तु ये लोग अब जागृत हो गये हैं। वे अब ज्यादा दबे नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि काश्तकारों के लिए थोड़ी बहुत रियायत करो। इन पूंजीपतियों को लूटो। कोई इनके हाथ नहीं लगाता है। कर्मचारियों को भी आप बढ़ा रहे हैं। ये किसान, आदिवासी अब आपकी जमीन को छीन लेंगे। मैं आपको कहता हूं, यह आपको ध्यान में रखता है। तीस साल हम चुप रहे, हमने दिक्कतें उठायी हैं……

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीस महीने में ही इनका घाटा साफ है।

श्री मावजी भाई : साठ साल राज करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें, शान्ति रखें।

माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल शर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। कोई भी माननीय सदस्य ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाना चाहे तो नियमों में यह प्रावधान है। चैप्टर 14 का रूल 157, इसमें रूल 158 दिया है कि किस तरह से ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया जा सकता है। A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document.

ग्रापने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज का मामला है तो इस रूल के तहत जिसको कि मैंने कोट किया है, ग्राप लिखित में इस ग्रवमानना के प्रश्न को जो आप बताते हैं, उसकी ताईद में कोई डाकूमेंट ग्राप पेश करना चाहते हैं तो सैक्रेटरी महोदय को सीटिंग प्रारम्भ होने के पहले प्रस्तुत कर दें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना है कि जहां थर्ड पार्टी इन्वाल्ड हो, वहां इस तरह की प्रक्रिया काम में ग्राती है, इण्डिवीजुग्रली इस प्रश्न की सिचुएशन में बिल्कुल ही फर्क है। ऐसा ग्रादमी ग्रवमानना कर सकता है जो सदन में एक्ट करने नहीं ग्राएगा, वह इन्डिवीजुग्रल सदन की ग्रवमानना करता है, परन्तु जहां पर पूरी की पूरी सरकार सदन की ग्रवमानना करती है, वहां पर दूसरी प्रक्रिया होगी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के बिना यह सदन नहीं चल सकता है। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सरकार जारी है ग्रौर वही सरकार यदि बार-बार कन्टेम्प्ट ग्राफ दी हाउस करती जाती है तो निश्चित रूप से यह रूल उस पर ग्रप्लाई नहीं करेगा। सदन की जो ग्रवमानना की गई है, इस सरकार के वक्तव्य देने के पहले ग्रापको यह निर्णय करना जरूरी है कि ग्राया सरकार सदन की ग्रवमानना की दोषी है या नहीं? प्राइमा-फेसी तरीके से दोषी पाई जाती है तो जब तक अपने शिन को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक इस विषय पर वक्तव्य देने की ग्रनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ने एक शब्द इस्तमाल किया। उसपर एतराज हुग्रा और एतराज होने पर मालूम हुग्रा कि शब्द ग्रसंसदीय है ग्रौर इसका इस्तेमाल होने से सदन का कंटेम्प्ट हुग्रा है तो तुरन्त ग्रध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया ग्रौर माननीय सदस्य ने खेद प्रकट किया। इसलिए मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके सामने ग्रवमानना हो रही है, ग्रासन को पूरी तरह से जानकारी है, मेरा निवेदन है सरकार ग्रवमानना की दोषी है ग्रौर जब

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

तक खेद प्रकट न कर दे, निराकरण न कर दे, उसे कोई वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें ब्रीच आफ प्रिविलेज माननीय सदस्यों के नालेज में होता है और उसमें न तो किसी कार्यवाही की आवश्यकता होती है और न रेफर की आवश्यकता होती है लेकिन प्रस्तुत मामला उस परव्यू में नहीं आता है और माननीय सदस्य, मैं अपनी राय देना चाहूंगा आपका प्रश्न ऐसा है जिसके लिये आपको लिखित में इस नियम के तहत भी आपको प्रस्तुत करना चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, ब्रीच आफ प्रिविलेज का क्वेश्चन टेक्निकली नहीं है लेकिन यह हाउस की अवमानना है तीन दिन पूर्व भी प्रश्न आया था और कहा गया कि मद्य निषेध नीति में सदन को कान्फिडेंस में लिया जायेगा लेकिन जैसा कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि राज्य सरकार ने नीचे के आबकारी अधिकारियों को निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन के आदेश दिये हैं । यह पार्लियामेंट्री की जितनी मर्यादाएं हैं उनके विपरित है, यह सदन की अवमानना है । मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया । आखिर यह क्या है, सरकार का अश्वासन है या किसी और का आश्वासन है ? इसलिए अगर यह बात सही है कि इन्होंने सरकार के आदेश नीचे के अधिकारियों को अनुपालन में या उसके क्रियान्वयन में कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं तो इससे बड़ी बात, उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स के संबंध में तो ठीक हैं, टेक्निकली ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता है लेकिन कलेक्टिवली कंटेम्प्ट हुआ है । जो एक्शन सरकार ने इस प्रकार का किया है वह सदन की अवमानना की है, कटेम्प्ट किया है, सदन की गरिमा को गिराया है और इस प्रकार का एक्शन कंडेमिनेशन कहलायेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने रूल कोट किया है उसमें 160 में जो प्रोविजो है: "Provided further that the speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

यह प्रोविजो है । आपने व्यवस्था फर्माई है वह तो जनरली रूप से जैसी ही है कि माननीय सदस्य को अध्यक्ष ने डाइरेक्शन दी है दरख्वास्त डाक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर सचिव महोदय को प्रस्तुत कर दें लेकिन यहां पर मैटर है । परसों भी हंगामा हुआ था । अखबारों में ऐसी पालिसी छप गई थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कहा कि हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है और मैंने किसी अखबार वाले को कोई वक्तव्य नहीं दिया है । ये अखबार वाले रोज आपसे संपर्क रखते हैं, वर्ना ये कैसे बोलते ? उन्होंने कहा अखबार वालों ने मन से ही लिखा है मैंने कोई नीति की घोषणा नहीं की है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी, मुझे इसकी जानकारी है, कृपया रेलवेंट पाइन्ट पर बात करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मेटर आफ अरजेंसी कल भी पेश हुआ है डेढ़ घंटे तक कल बहस चली थी। उस समय मुख्य मन्त्री जी मौजूद थे, उन्होंने कहा था आज घोषणा होने वाली है लेकिन आज बजरंग लाल जी ने फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मानकचन्द जी सुराणा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने व्यवस्था फर्माई, माननीय रघुनाथ जी ने प्रोविजो पढ़ा जिसमें कहा गया है कि हाउस की सीटिंग के दौरान कोई ऐसा मामला लाया जाता है ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नियमों को पढ़ लिया है ...

श्री बजरंगलाल शर्मा: इससे सदन का····

श्री रामनारामण चौधरी ; जो प्रोविजो पढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुराणा जी को दे दी है।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा जी। माननीय राम नारायण जी, कृपया विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कृपया एक मिनट सुनिये। मैं उनसे पहले खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको पहले अनुमति दी है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है········

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रोविजो········

श्री उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था नहीं दी ·······

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यदि आप प्रिविलेज मोशन पर जो माननीय सदस्य ने उठाया उस पर कहा········

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर अन्डर रूल 160 प्रोविजो········

श्री माणकचन्द सुराणा : जो रूल को कोट किया है, प्रोविजों को। मैंने देख लिया है और विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा········

श्री उपाध्यक्ष : वह सदन की जानकारी में है। वे कह चुके कि ब्रीच आफ प्रिविलेज टेक्निकली नहीं बनता।

श्री रामनारायण चौधरी : विश्नोई साहब ने पहले जो व्यवस्था की बात कही थी वह उस पर लागू होती है। सुनिये मेरी बात·······

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं उसी पर निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री माणक चन्द सुराणा)

जिस बात पर ग्राप ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने ग्रधिकारियों को ऐसे ग्रादेश दिए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस फर्माइश को मानने का कोई ग्राधार नहीं है। राज्य सरकार ने कोई ग्रादेश ग्रधिकारियों को नहीं दिये हैं। जो बजट घोषणा हुई है उसमें एक सीमित राशि ग्राबकारी ग्रामदनी के द्वारा दिखाई गई है। इसको ग्रापने विनियोग विधेयक के द्वारा स्वीकार किया है। इसके प्रतिकूल कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्राज तो 31 मार्च है, इस दिन सरकार ने कहा था कि घोषणा करेंगे। राज्य सरकार को खूब ग्रधिकार है। टेण्डर नोटिसेज ग्रभी तो ग्राये ही नहीं, ग्रा भी जायं तो उनको निरस्त करने का भी ग्रधिकार है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कोई ऐसे ग्रादेश अधिकारियों को नहीं दिये हैं। इसमें फर्माइश की कोई चीज नहीं है। सरकार स्वीकार नही करती है ग्रौर खण्डन करती है। यह मैं निवेदन ग्रापके सामने करना चाहता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह ग्रापके मन को जानते हैं।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है कि मामला विचाराधीन है, वह कब तक....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, विराजिए।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्राप व्यवस्था दें कि कब तक कुछ हो सकता है? इस तरह टालने से काम नहीं चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस व्यवस्था के प्रश्न से जो सम्बन्धित नियम हैं रूल 157 से लेकर रूल 168 तक पढ़ लिए हैं। माननीय श्री रघुनाथ जी विश्नोई का यह कहना कि रूल 160 के सेकण्ड प्रोविजो में माननीय ग्रध्यक्ष या ग्रासन की ग्रोर से भी ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज के किसी मामले को विचारने की इजाजत दी जा सकती है जो बड़ा ग्रर्जेन्ट हो, उनका यह भी कहना है कि उसके लिए लिखित प्रावधान की ग्रावश्यकता नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि रूल 160 जो इन नियमों में दिया हुग्रा है उसका जो मूल पहला भाग है—"(1) The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto :

Provided that whether the Speaker has refused his consent under rule 157 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may,

(182)

(श्री उपाध्यक्ष)

if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order :

Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow the question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions.

तो जो सेकण्ड प्रोविजो है वह तो उस कान्टेक्स्ट में लागू होता है जब क्वेश्चन ग्रावर खतम हो चुका हो, उसके बाद विषय की ग्रहमियत की बात पर ग्रलाउ किया जा सकता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन पर प्रिविलेज हाउस के सामने ग्रगर लाया जाता है तो उसके लिए ग्रध्यक्ष महोदय या ग्रासन की ग्रोर से यह व्यवस्था दी जाती है कि वह अनुमति प्रदान नहीं करते हैं या क्वेश्चन ग्राफ प्रिविलेज आर्डर में नहीं है तो वह जो नोटिस का क्वेश्चन है उसको पढ़ना पड़ेगा, ग्रौर वह पढ़ना होगा कि कहां किस क्वेश्चन पर ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज हुआ है। तो पढ़ने के लिए शक्ति दी गई है। पढ़ने की शक्ति गई है उसका मतलब यह है कि एक प्रति लिखित में ग्रासन के सम्मुख हो या माननीय ग्रध्यक्ष के सामने हो। जहां तक माननीय बजरंग लाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं मानता हूं कि उस व्यवस्था के प्रश्न में बहुत कमियां हैं ग्रौर खामियां हैं। केवल ग्रखबारों के आधार पर यह कह देना कि क्वेश्चन ग्राफ ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज उत्पन्न हो जाय, उठाया नहीं जा सकता। जिस तरह से खबरें पढ़कर सुनाई हैं उसके ग्राधार पर यह कयास नहीं किया जा सकता है कि ग्रब तक जो जिले ड्राई चले आ रहे हैं उन जिलों में या भू-भागों में ग्राक्शन के लिए पब्लिश किया गया या सभी जिलों में जो पहले से ड्राई चले ग्रा रहे हैं। उसके बारे में नोटिफिकेशन घोषणा That is subject to the decision of the government और गवर्नमेंट जिन जिलों को ड्राई नहीं रखा है उन जिलों में इस प्रकार की घोषणा से इस प्रकार से ग्राक्शन किया जा रहा है तो यह गवर्नमेंट के ग्राप्शन पर है। वह सारी बातें की तरफ चर्चा के दौरान उठी हैं यह क्वेश्चन ग्राफ प्रिविलेज नहीं है जिसको किसी भी नियम के ग्राधार पर इस सदन में विचार करने की अनुमति दी जाय।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ...

व्यवस्था का प्रश्न

प्रभारी मन्त्री द्वारा घोषणा

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय आबकारी मन्त्री बैठे हैं। कोई घोषणा करनी हो तो उन्हें ही करनी चाहिये। वह नहीं कर सकते हैं अगर आबकारी मन्त्री उपस्थित हों तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, क्या कहना चाहती हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो ठीक कर रही थीं। जो कुछ भी घोषणा करनी हो तो दूसरे मन्त्री जी जो बोल रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए जब कि फाइनेन्स मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर और प्रोहीबिशन मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह प्लानिंग का मैटर है We are planning for future.

एक माननीय सदस्य : वह डिप्टी लीडर हैं इसलिए बोल सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस सम्बन्ध में बजट के सम्बन्ध में, आबकारी के सम्बन्ध में अगर कोई घोषणा करनी है तो, वित्त मन्त्री, जो बैठे हुए हैं; करें इनकी एब्सेन्स में जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है, वित्त मन्त्री जी इन आर्डर आफ प्रिसीडेण्ट नम्बर दो पर है मुख्य मन्त्री जी के बाद, तो जो घोषणा करनी है आबकारी मन्त्री जी आप कर दें। पोर्टफोलियो अगर आपने छोड़ दिया हो तो उसकी जानकारी तो मिले।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि क्या आबकारी मन्त्री जी ने मौन व्रत ले रखा है कि बोल नहीं सकते ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है जैसा कि सवाल उठाया गया है प्रभारी मन्त्री नाम का शब्द है, वह अपने आप में स्पष्ट है। जिस विषय के लिए जो प्रभारी मन्त्री है वह जब सदन में मौजूद हैं तो उनका भार वहन एक्स्ट्रा या एडीशनल आदमी नहीं कर सकता है। या तो प्रभारी मन्त्री या प्रभारी मन्त्री का कोई सहयोगी मन्त्री है जो कि उस विभाग के लिए है तो वह उस विभाग के बारे में घोषणा कर सकता है। या तो मुख्य मन्त्री ही कर सकते हैं या सम्बन्धित मन्त्री यदि उपस्थित हैं तो प्रभारी मन्त्री ही उसका भार वहन कर सकता है। अगर शराबबन्दी के बारे में घोषणा है, प्रोहीबिशन के बारे में है तो उसकी घोषणा प्रभारी मन्त्री जी के रहते हुए अन्य मन्त्री को करने का अधिकार नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल 290 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें 'पब्लिक इम्पार्टेन्स' की बात कही है जहां कोई भी मन्त्री महोदय स्टेटमेंट दे सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का नहीं है।

(184)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आवश्यक भी नहीं है।

श्री शोपतसिंह मकासर : यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का सवाल अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको कहने दें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावना है जब प्रभारी मन्त्री जी हैं तो अन्य मन्त्री को अधिकार नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि करीब डेढ़ घण्टे से यह तर्क दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार अपनी नीति घोषित करे। जिसके लिए मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी अपने भाषण में सब कुछ कह देते, लेकिन इसके बावजूद हमारे इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो अधीरता प्रकट की है और जिसको बड़ी गम्भीरता के द्वारा प्रकट किया गया है, उन सब परिस्थितियों को मैं समझता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जिस वक्त वित्त मन्त्री जी ··

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने जो हवाला दिया है, यह 290 में है। "किसी मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य। लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा।" मन्त्री द्वारा का अर्थ है, प्रभारी मन्त्री। वह भी अध्यक्ष की सम्मति से।

किसी भी मन्त्री को यह अधिकार होगा कि लोक महत्व के प्रश्न पर वह वक्तव्य दे। एनी मिनिस्टर का इसमें नहीं है। है। वह मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए एनी मिनिस्टर वाली बात इस विषय से सम्बन्धित है। कोई मन्त्री दे सकता है। यह रूल290 है। उसका यह अर्थ इन्क्लूड है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 290 स्पष्ट है। लोक महत्व के विषय पर····

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : माननीय वित्त मन्त्री जी उपस्थित हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी की आत्मा यह नहीं कहना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री माणक चन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल नं० 2 में फाइनेन्स मिनिस्टर की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें फाइनेन्स मिनिस्टर इन्क्लूडस एनी मिनिस्टर है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ऐसा मालूम पड़ता है कि योजना मन्त्री जी अभी से मुख्य मन्त्री बनने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय वित्त मन्त्री जी, आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। फिर भाषण करें।

(व्यवधान)

इन्होंने ही कहा था। वित्त मन्त्री जी ने कहा था।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस के रूल 2 में मिनिस्टर की डेफीनेशन दी है।—

"Minister "means a member of the Counciil of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary."

उपाध्यक्ष महोदय, यह इसका इण्टरप्रिटेशन है। निश्चित तौर से यह सब जो पालिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं वह मिनिस्टर इन्चार्ज हैं। आर्टिकल 161 कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया के आधार पर मिनिस्टर काम कर सकता है। मिनिस्टर का मतलब है, डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इन्चार्ज। इस लिए जो वित्त मन्त्री जी और यातायात मन्त्री जी को अलाउ करने के लिए आपने कहा है कि हमने अनुमति दे दी है। दोनों में यह हमारे प्रोफेसर साहब रिसर्च पेपर ले आये हैं।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां पर वित्त मन्त्री जी बैठे हैं, तो उनसे स्टेटमेण्ट लें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उनका इण्टेंशन यह है कि लोग बाग विचलित हो गये हैं, एक्साइज पालिसी के सम्बन्ध में अगर मिनिस्टर सदन में बैठे हों। तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। या तो कह दीजिये मास्टर साहब कि हमारा हार्ट फेल हो रहा है। यह इतने बीमार हैं। नहीं तो दूसरा मिनिस्टर कैसे जवाब दे सकता है?—It is against rule 290's spirit. Matter of public importance raised by a minister....

श्री माणक चन्द सुराणा : मिनिस्टर का मतलब ही यही है। वह स्वयं मेरे लिए कह सकते हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : माननीय योजना मन्त्री जी ने यह बुद्धिमानी का काम किया है।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री आदित्येन्द्र)

निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, कि जो योजना मन्त्री जी मद्यनिषेध के सम्बन्ध में घोषणा करना चाहते हैं वह घोषणा मन्त्रिमण्डल की है। उसे आप कम से कम सुन तो लीजिये कि आखिर वह क्या है। मैं घोषणा क्यों नहीं कर रहा हूं? क्यों चुप हूं? यह कारण आप जानते हैं। वह घोषणा करवा रहे हैं, तो घोषणा सुनने में आपको क्या आपत्ति है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्रिमण्डल की घोषणा क्या आपकी घोषणा नहीं है? क्या आप मन्त्री नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही हैं, उसका जवाब आज नहीं, कल प्रश्न मुझसे पूछें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप से ही पूछूंगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। उजला जी, आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वित्त मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला बहुमत का है। यह अल्पमत में हैं। चूंकि मन्त्रिमण्डल के अन्दर क्राइसिस है तो यह बताया जाये कि यह मन्त्रिमण्डल का फैसला कितने मतों से है।

श्री माणक चन्द सुराणा : यह नहीं बताया जाता है।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना मन्त्री को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये। सारी केबिनेट को विश्वास में लेकर यह होना चाहिये। वित्त मन्त्री जी नहीं बोलना चाहते हैं। क्या योजना मन्त्री का कहना जनता पार्टी के 200 विधायकों की आवाज है?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां, हां।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : आप आठ, दस लोग हैं, सबको गुमराह मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम : वित्त मन्त्री जी के होते हुए····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शराबबन्दी के काम को ये दस आदमी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, दस आदमी शराबबन्दी के काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : इसको गन्दी राजनीति में डाल रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो दस लोग बहिर्गमन कर गये थे, उनको यहां से निकाला जाय।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। माननीय रामनारायणजी, आप भी बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप बोलिये, क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय रामनारायणजी, बिराजिये।

माननीय बजरंगलालजी, बिराजिये। माननीया उजलाजी, बिराजिये।

माननीय सदस्यगण, आप व्यवस्था चाहते हैं तो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए मुझे सहयोग दीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको आपत्ति करने का अधिकार है, आपने आपत्तियां की हैं, लेकिन किस सीमा तक और कितने समय तक आप इसको जारी रखना चाहते हैं? आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, माननीय वित्त मन्त्रीजी के स्थान पर माननीय आयोजना मन्त्रीजी घोषणा करना चाहते हैं। आपने इस पर भी चर्चा की, मैं इस बारे में भी व्यवस्था देना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न कहां तक सुना जाय, यह आसन की इच्छा और विवेक पर निर्भर है। मैं इस प्रश्न की चर्चा सुनने के बाद निश्चित कर सकता हूं। माननीय सदस्य, मैंने इस पर बहुत चर्चा सुन ली। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे सहयोग दिया, जानकारी दी, कृपया अब मेरी भी सुनिये।

188

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय आयोजना मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, माननीय वित्त मन्त्री महोदय भी बिराजे हुए हैं, शराबबन्दी को, प्रोहिबिशन को चालू रखने का सवाल है। माननीय वित्त मन्त्रीजी की सहमति से, फाइनेन्स और एक्साइज को अलग किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय, वित्त मन्त्रीजी और एक्साइज मन्त्रीजी के साथ सब मन्त्री नहीं आते हैं। प्रभारी मन्त्रीजी मास्टर आदित्येन्द्रजी यहां पर हैं और एक्साइज के काम काज के लिए इस सदन में जब तक राज्यपाल महोदय का

(8.15 रात्रि)

(लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की अवमानना

दर्शक दीर्घा से कुछ दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो लगभग दिन के सवा बारह बजे कुछ व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और सदन में पर्चे फेंके। नारे इस प्रकार के थे—"पुलिस यूनियन-जिन्दाबाद" इस प्रकार की कार्यवाही से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची। सामान्यतया जब कभी ऐसी घटना सदन की बैठक के दौरान होती है तो तुरन्त ही प्रहरियों द्वारा दोषी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और तत्पश्चात् मेरे द्वारा आवश्यक पूछताछ करने के बाद मामला सदन के विचारार्थ एवं निर्णय के लिए पेश किया जाता है। मुझे इस विषयक सार्जेन्ट-एट-आर्म्स की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जो तथ्य इस रिपोर्ट में बताए गए हैं उनके अनुसार तथ्य यह है कि जब व्यक्तियों द्वारा नारे लगाए जाकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली गई थी, उनको प्रहरियों द्वारा तुरन्त ही हिरासत में नहीं लिया जा सका क्योंकि ये व्यक्ति इन प्रहारियों की उपस्थिति के उपरान्त भी किसी न किसी प्रकार विधान सभा सदन के बाहर चले गए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भाग गए।

श्री अध्यक्ष : चले गए, भाग गए। चले गए उचित समझता हूं कहना। हिरासत में नहीं लिये जा सके। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय स्थिति है कि दोषी व्यक्ति प्रहारियों द्वारा हिरासत में नहीं लिए जा सके और वे इस सदन को परिसीमा से बाहर निकलने में सफल हो गए। मैं इसे उन प्रहरियों द्वारा बरती गई गम्भीर त्रुटि मानता हूं जो अपने कर्त्तव्य पालन में जागरूक नहीं रहे। इस प्रकार की गफलत के कारण मैं माननीय सदस्यों को सही जानकारी देने में असमर्थ हूं। मैं इस अवसर पर सदन को यही विश्वास दिलाता हूं कि इस गम्भीर लापरवाही के लिये जो भी प्रहरी जिम्मेदार पाये जायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी। ऐसे मामले में सदन ही सक्षम हैं जो उचित समझें, कार्यवाही

(श्री अध्यक्ष)

करने के लिए मुझे और संकेत कर सकता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कितने लोग थे जो नारे लगा रहे थे? अगर उनकी संख्या अधिक थी तो फिर प्रहरियों के बस में नहीं हो सकते। प्रहरियों की ड्यूटी अलग-अलग दरवाजों पर विधान सभा के सारे क्षेत्र में लगी हुई है। सब लोग ड्यूटी पर थे। उन लोगों की गिनती ज्यादा हो तो मेरे खयाल से उसमें देखना चाहिए कि क्या उनकी इन्टेंशन भगाने की थी? अगर थी तो जरूर सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सचिव ने मुझे सूचना दी है कि नारे लगाने वाले तीन व्यक्ति थे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उस समय मैं यहीं बैठा हुआ था आप भी सदन में बिराजमान थे। नारे लगाने के बाद, जो प्रहरी अब खड़ा है, उस जगह वे लोग बैठे हुए थे फर्स्ट रो में। उस समय भी मुझे ऐसा दीख रहा था कि उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही थी। मेरे पास मथुरादासजी माथुर बैठे थे। मैंने उनसे भी कहा कि प्रहरी उनको पकड़ नहीं रहे हैं, वे जा रहे हैं। आज इस सदन की परिसीमा में सार्जेन्ट-एट-आर्म्स आपके मातहत हैं और दूसरा वाच एण्ड वार्ड फोर्स, जो पुलिस फोर्स है, डेपूटेशन पर है, वे सब जगह तैनात कर दिए गए थे। तीन व्यक्तियों के लिए भागना असंभव है। वे उस गैलरी से बाहर निकल कर नीचे आए, उसके बाद पूरे के पूरे कोरीडोर से चल कर नीचे चले गए, उनको पकड़ा नहीं गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी मिली भगत है। इसकी जांच करानी चाहिए नहीं तो आज पुलिस कर्मचारी हो या दूसरे लोग हैं। मान लीजिए वे पुलिस वाले थे या नहीं। यदि पकड़े जाते तो निश्चित तौर से आइडेंटीफाई किया जा सकता था। क्या मालूम किसी ने उनको भेज दिया हो पुलिस के नाम पर। लेकिन वाच एण्ड वार्ड की जो इसमें गफलत हुई है, वह सदन के लिए लज्जाजनक बात है। इससे सदन का कान्टेम्प्ट हुआ है। उसके बाद में सदन जिस हैल्पलैस स्थिति में आया है, इस घटना के बाद, यह सबसे लड़ी लज्जा-जनक स्थिति है।

मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अधिकारी दीर्घा में आई. जी., डी. आई. जी. और उनके साथ एक दो एस. पी. बैठे हुए थे। नारे लगने के शायद आधे मिनट के अन्दर आई. जी. पी. इशारा कर रहे थे कि भागे जा रहे हैं, जल्दी अरेस्ट करो। आई. जी. व डी. आई. जी. अमर सिंह जी थे, एक दो एस.पी. थे। इतने बड़े अधिकारी बैठे थे। इसके अलावा प्रहरियों की संख्या कम से कम 50-60 होगी, तीन आदमी ऊपर गैलरी से बाहर तक चले गए और पकड़े नहीं गए, यह समझ में नहीं आता। कल गैलरी से किसी माननीय सदस्य को पत्थर मारेंगे, पकड़े नहीं जायेंगे, कभी दूसरी तरह की हरकत कर सकते हैं। उनका आइडेंटीफाई न होना, पकड़ा नहीं जाना, यह आपके लिए सोचने का गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लेकिन वाच एण्ड वार्ड पर जुरिस्डिक्शन वैसे टैक्निकल अध्यक्ष का है अन्यथा अनुशासन वगैरह जो कुछ है गृह विभाग का है।

श्री अब्दुल अजीज : क्या यह हकूमत के खिलाफ बगावत है ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : (संसदीय कार्य मन्त्री): विपक्ष के नेता ने जो तथ्य सामने रखे हैं, जो हमारी जानकारी में लाए और जिस प्रकार से ···

श्री बजरंग लाल शर्मा : यदि मन्त्री महोदय सरकार की तरफ से बयान दे रहे हैं तो और माननीय सदस्यों की राय सुन कर मुकम्मल उत्तर दें। यह प्रश्न बहुत गंभीर है। चूंकि पुलिस वालों के द्वारा नारे लगाए गए, सामने तम्बू लगा हुआ है जिसमें अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का उपवास चल रहा है। इस राज्य में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी यूनियन के नाम से एक संगठन बना हुआ है उनका सरकार से जद्दोजिहाद चल रहा है कि मान्यता दे। एक संसद सदस्य उसका उद्घाटन करके चले गए हैं और सरकार उनको मान्यता देने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए यह रास्ता अख्तियार किया। चूंकि पुलिस से संबंद्ध मामला है, यदि वाच एण्ड वार्ड, जैसा आपने फर्माया, वर्चूएली गृह विभाग के तहत है, सिर्फ टेक्निकल कन्ट्रोल अध्यक्ष का है तो पुलिस की उनसे सहानुभूति रखने के लिए निश्चित तौर से अगर टेक्निकली कहा जाए तो डीफैक्टो विद्रोह है. वाच एण्ड वार्ड का अपनी ड्यूटी के प्रति और इस व्यवस्था के प्रति। यू. पी. में पी. ए सी. के विद्रोह को आधार बना कर वहां की सरकार को जाना पड़ा तो मैं समझता हूं विश्वविद्यालय से ज्यादा पवित्र यह सदन है, इस सदन की गरिमा है। कल कोई भी सरकार आकर सदन को अपमानित कराना चाहे तो आए दिन कार्यवाही करवा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शायद आज तक किसी सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ जहां अपराधी अपराध करके चला जाए।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर खाली कर्सरी व सरसरी तरीके से विचार नहीं किया जाए। यदि आज सदन में कोई आकर इस तरह से कार्यवाही कर सकते हैं तो कल कोई आकर पत्थर फेंक सकते हैं, दूसरी कार्यवाही कर सकते हैं, कल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मंत्रियों के चेम्बर में प्रवेश कर सकते हैं। अभी शुरूआत इस तरह से हुई है। क्या-क्या प्रपोर्शन्स यह विरोध ग्रहण कर सकता है, यह तो आगे की बात है। इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है। निश्चित तौर से जबकि आप फर्मा रहे हैं कि वाच एण्ड वार्ड पर इफेक्टिव कन्ट्रोल गृह विभाग का है तो गृह मन्त्री को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इस घोर अपराध के सिलसिले में यदि गृह मन्त्री त्यागपत्र दें तभी ही स्थिति का निराकरण हो सकता है, पूरी तरह से खमियाजा हो सकता है। अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो कल कोई सदस्य या सदन की कार्यवाही सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए इस प्रश्न को गहराई से लीजिए, इसके महत्व को घटा कर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

नहीं देखा जाए, रीपर्कशन्स ठीक तरह से समझे जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे एक सूचना इस संबंध में अध्यक्ष महोदय आपको देनी है। जिस समय यह घटना घटी मैं नीचे थी, तुरंत मुझे मालूम पड़ा कि ऊपर यह घटना घटी है। कई सदस्य जो वहां उपस्थित थे उन्होंने कहा कि कुछ प्रहरियों को उन लोगों को पकड़ने के दौरान चोटें भी आई हैं। कृपया जब आप जांच करें तो आप यह भी देखें कि उन प्रहरियों ने उनको पकड़ने का कितना प्रयास किया था। बाकी यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी व्यक्तियों को आप जरूर सज़ा दिलायें।

श्री परसराम मदेरणा : अभी माननीय सदस्या ने तथ्य पेश किया है कि प्रहरी उन व्यक्तियों को पकड़ रहे थे। मैं यहां बैठा हुआ था, घटना ऊपर सामने हुई, मैं सब कुछ यहां से देख रहा था। आप तो नीचे थीं, आपको क्या पता ?

श्री अध्यक्ष : मैं सदन का सेन्स जानना चाहता हूं। सदन का जो सेन्स होगा, उसी तरह से मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री सूर्य नारायण चौधरी (संसदीय कार्य मंत्री) : मेरा निवेदन सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट के लिए कह दूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस समस्या की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया, गम्भीर है। विरोधी दल के नेता और माननीय बजरंग लाल जी ने जो विचार रखे वह निश्चित तौर से इस गम्भीर स्थिति की गम्भीरता को बताते हैं। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को यहां न कर सदन के नेता आपसे आपके चेम्बर में आकर विचार विमर्श कर लें और सदन की प्रतिष्ठा और लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखने के लिए जो भी उचित कार्यवाही होनी चाहिए मैं समझता हूं कि उस मीटिंग में इसका हल निकाल सकते है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है। इसलिए कृपया मुझे इजाजत दें बोलने के लिए।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मन्त्री जी को इस बात की पूरी आशंका हो गयी थी तो कांग्रेस वाले पक्ष से बात करके उनको तो एबसेन्ट करा दिया। तो उनका तो कोई पक्ष है नहीं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आपके सिवाय आपके वाले भी सब गायब है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन आज चर्चा कर रहा है, अध्यक्ष महोदय के इस वक्तव्य के बाद यह सदन कोर्ट में कन्वर्ट हो

(श्री परसराम मदेरणा)

जाता है। जब कोर्ट में कन्वर्ट होता है तो एक्यूज्ड हमारे सामने नहीं हैं। वह गये। अदरवाइज कन्टैम्प्ट हाउस का होने के बाद यह आफेन्स है। कोर्ट में कन्वर्ट हो कर यहां सुनवाई करते हैं। एक्यूज्ड नहीं हैं इसलिए सभी पार्टी के लोग अपने विचार रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अब्दुल अजीज : मुझे माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। आज तक यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आप से अनुरोध करूंगा और सदन से भी अनुरोध करूंगा ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपस में बात नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे अनुरोध करूंगा और सदन से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में हम अपने विचार सदन में व्यक्त करें उससे पहले हम चाहेंगे कि इस सारे मामले पर विचार करने के लिए विधान सभा की एक सीक्रेट बैठक का कल आयोजन करें या आज करें। अगर इस मामले को महत्व देते हैं तो आज ही करें। उसमें हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। हमारे पास कुछ विचार हैं। अगर हम एक्सपोज करेंगे सीक्रेसी को तो उसका दुरुपयोग होने की सम्भावना भी है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपकी भी पोजीशन एब्रेसिंग होगी और गवर्नमेंट की भी होगी यदि यहां पर विचार खुले रूप से रखे गये तो। इसीलिए सीक्रेट सैशन की व्यवस्था की जाये ताकि हम अपने विचार व्यक्त करें। आप एप्रीशियेट करेंगे कि क्या स्थिति हुई, क्यों हुई और क्या हो रहा है सदन के बाहर। यह विचार हम व्यक्त करेंगे और यह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप यह व्यवस्था नहीं करते कि गेलरी को क्लियर कर दे और सीक्रेट सैशन की व्यवस्था कर दें। तब तक मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में चर्चा मत कीजिए। अगर करवायेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे और न जाने हमसे कैसी बातें निकल जायें। वह यह सारी बातें सुनकर आपको आश्चर्य होगा।

(व्यवधान)

यह बहुत सीरियस मामला है। मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि विचार व्यक्त करके इसको नान-सीरियस मत कीजिए। सीक्रेट सैशन के लिए बात कीजिए स्पीकर से, पार्टी मेम्बर्स से और विरोधी दल से डिस्कस कीजिए और उसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचिए। आप इसको मामूली समझ रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि

(श्री अब्दुल अजीज)

पुलिस विभाग के तथा कथित नारे किसी भी सदस्य के सुनने में नहीं आये। आपने जो आपको इल्म था अभी उससे इस सदन को अवगत कराया उसमें खास बात यह है कि इस सदन की इज्जत, इसकी हिफ़ाजत और इसकी अखलाखन बात कि वह लोग जो यह समझते हैं उनको यहां तक दखल करने का और आवाज पैदा करने का हक नहीं है, किसी भी माध्यम से यहां आकर हमें कोई बात कहते हैं और इस सदन को अपमानित करते हैं तो एक बात तो हमारे सामने साफ है कि इस सदन की बेइज्जती की गयी। अब वह कितने सच्चे हैं इस मुद्दे में यह तमाम बातें अलग से विचार करने की हैं। मैं भी यह मांग करता हूं कि सीक्रेट सेशन इसके लिए बुलाया जाये।

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : अयूब खां।

माननीय सदस्य मेरे चैम्बर में भी बात हो सकती है आज। यह, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। नाजुक है।

श्री अयूब खां।

श्री अयूब खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह घटना घटी थी उसके कुछ देर बाद मैं बाहर गया था। यह योजना बद्ध तरीके से कार्य हुआ है। इसमें मैंने देखा कि एक प्रहरी बाहर लेटा हुआ था। मुझे मालूम नहीं कि उसको कितनी चोट आई कितनी नहीं लेकिन मैं वहां जा कर चुपके से खड़ा हो गया। इसके बाद कुछ प्रहरी उसके चारों तरफ इकट्ठे हुए और एक उच्च अधिकारी, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ने सबको हटाया और हटाने के बाद दो प्रहरियों को आर्डर दिया कि इसको उठा कर डाक्टर के पास ले जाओ। तो थोड़ा सा उसको टहलाया। वह खड़ा हो गया। यह भी नाटक कर लिया। मैंने अच्छी तरह से देखा। मैं उस उच्च अधिकारी को भी जानता हूं अच्छी तरह से। इसकी जानकारी सदन को जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा श्री राम नारायण जी ने सुझाव दिया मैं समझता हूं कि इसके लिए हाउस की सीक्रेट मीटिंग हो। जिस तरह से हम इसको बड़ी गम्भीर बता रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधि के ऊपर कोई भी गुस्सा निकालने का यह कोई पहला मौका नहीं है। बंगाल असेम्बली पर पुलिस प्रदर्शनकारियों ने अधिकार कर लिया। एक सिपाही मारा गया था। पुलिस के प्रदर्शनकारी है उसके अन्दर घुस गए थे। मुकर्जी मुख्य मन्त्री थे। हम बहुत सुप्रीम नहीं है, सदन में भी जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, जवाब नहीं दे सकते। कई लोग अलग वे मतलब निकालते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है उस परिपेक्ष में सोचना चाहिये, यह मैं चाहता हूं। समर्थन करता हूं इस सारी बात । यह कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इस तरह पहले भी वाकयात हुए हैं, पकड़े जाते रहे हैं, इसलिए यह इफेन्स निकाले यह एक्ट जानबूझ कर किया है। बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने स्वयं बताया यह ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि यह ऐसा मामला है कि ओपन हाउस में कम से कम चर्चा हो उतना ही अच्छा है। पुलिस यूनियन का प्रश्न है और यदि पुलिस फोर्स हाथ से निकल जाती है तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन हाथ से निकल जाता है। मेरा निवेदन है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ सारी बात सोचनी पड़ेगी। इसलिए मेरा खास तौर से पार्लियामेंट्री अफेअर्स मिनिस्टर से यह निवेदन है कि अच्छा यह हो कि जब सदन के नेता यहां हों, तब मुख्य मन्त्री जी विरोधी दल के नेता और पार्टियों के नेता बैठ कर विचार करें उसके बाद यदि आप आवश्यक समझें तो सारे के सारे हाउस को आप एक सीक्रेट सेशन के तौर पर बुला कर इस सारे सारे विषय पर विचार कर लें तब जाकर कहीं सही समाधान निकाला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरी विधान सभाओं के लिए उदाहरण बनेगा। ऐसा उदाहरण हमारे सामने कभी आया नहीं। मैं इसीलिए जो उचित समझे, इस वजह से सोच समझ कर बहस का इन्तजाम करें बहस, कैसे की जाये। सबसे सलाह करके इन्तजाम करें और फिर फैसला सुनावें ताकि विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके।

विधि मन्त्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने आप द्वारा दी गई सूचना पर जो विचार व्यक्त किये हैं और जो दूसरे माननीय सदस्यों ने कमोवेश इन्हीं शब्दों के अन्दर एन्डोर्स किया है, राज्य सरकार भी बड़ी गम्भीरता से लेती है और जो ओफेन्स कमिट हुआ, ओफेन्स अपनी जगह कायम है। ओफेन्डर्स चले गये हैं। इस सदन के हाथ काफी लम्बे हैं। प्रशासन पूर्णतः सदन को, माननीय अध्यक्ष महोदय को जो सहयोग इस सम्बन्ध में चाहिये वह देगा। राज्य सरकार, प्रशासन जो घटना है इससे सम्बन्धित विषयों पर काफी गम्भीरता से चिन्तन भी करेगी। जो विपक्ष के माननीय नेता ने कहा, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी के आने पर आपके कक्ष में उनकी मौजूदगी में विचार विमर्श करके कोई निर्णय लिया जायेगा। इस दौरान में मैं निवेदन करूंगा आज इस सदन का कान्टेम्प्ट करके जो लोग चले गये हैं उनके सम्बन्ध में जो कानूनी स्थिति है, उसका अध्ययन करके कार्यवाही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में अगर यहां का सचिवालय तब तक कुछ कार्यवाही कर ले

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

तो मैं समझता हूं ज्यादा ठीक हो जायेगा। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार को अधिक क्षोभ है। राज्य सरकार इस सदन की मर्यादा रखने के लिए आतुर है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उतर दें।

शासकीय व्यवस्था

राजस्थान में मद्य निषेध

श्री माणकचन्द सुराणा : राज्य सरकार की नीति इस बारे में क्या है, काफी आग्रह किया गया है। राजस्थान में पूर्णतः मद्य निषेध के सम्बन्ध में सरकार ने निर्णय लिया है कि सन् 79-80 में कार्य तीन चरणों में सम्पादित किया जाये। राजस्थान के सात जिलों में 1-4-79 से लागू किया जाये। इनके नाम है—झुन्झुनूं, सीकर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर।

अन्य तीन जिले, अर्थात अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 79 से लागू किया जाये। शेष राजस्थान जिनमें सिर्फ तीन जिले रह जायेंगे, जयपुर, उययपुर और गंगानगर, में 1-4-80 लागू कर दिया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने क्या गुनाह कर दिया, साहब ?

श्री माणकचन्द सुराणा : गंगानगर के मामले में आपको मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया है।

इधर मद्य निषेध क्रमिक लागू करने के लिये विभाग का पुनर्गठन करना चाहते हैं ताकि नया प्रशासनिक ढांचा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अधिक सक्षम बन सके। आशा है बस घोषणा के साथ ही इस विषय पर अब तक उत्पन्न हुई सारी भ्रांतियां शांत हो जायेंगी। राज्य सरकार का अनुरोध एवं प्रार्थना है कि आप विधान सभा के माननीय सदस्य, इस पुनीत कार्य की सफलता के लिए सहयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री माणकचन्द सुराणा : On a point of order. अभी बहस चल रही है।

श्री अध्यक्ष : वित्त विधेयक पर मन्त्री महोदय बोलना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कन्सीडरेशन की स्टेज है। कन्सीडरेशन का मूव कर दिया है, उस पर बहस हो रही है। माननीय सदस्यों ने जो विचार रखें हैं, उनका वित्त मन्त्री जी को उत्तर देना है।

राजस्थान वित्त विधेयक 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने तथा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त विधेयक,जो सदन के सामने रखा गया है, पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। वैसे तो जिस समय प्रस्तुत किया था और जब कर प्रस्ताव प्रस्तावित किये थे लगभग सभी माननीय सदस्यों ने उन कर प्रस्तावों का विरोध किया था। यह एक आश्चर्य की बात है कि एक ओर जहां हम चाहते हैं कि विकास की गति तीव्र हो, विकास पर अधिक से अधिक व्यय हो, वहां जब प्रश्न टैक्सेज का आता है उनका उतना ही अधिक विरोध होता है। यह आप सब जानते हैं कि आज का वातावरण ऐसा है कि हमने जनता को आशायें दिलाई है और जनता की बड़ी भारी आकांक्षायें हैं इसलिए स्वाभाविक है कि जनता यह चाहती है कि जो भी समस्यायें हैं, उन समस्याओं का हल शीघ्र से शीघ्र हो परन्तु जब विकास पर व्यय होता है तो उसके लिए आय भी चाहिये। यदि आय-व्यय में सन्तुलन नहीं रहता है तो फिर सारीकी सारी व्यवस्था ही समाप्त होजाती है। मैं यह मानता हूं कि टैक्स लगाना हमेशा दुखदायी होता है, उसे कोई पसन्द नहीं करता है परन्तु मैं इतना जरूर माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब ये कर प्रस्ताव तैयार किये गये थे तब इन पर विचार किया गया था। काफी गम्भीरता से ही विचार किया गया था और यह सोचा था कि कौन-कौन से ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां पर कर बढ़ाये जायं। यदि अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते हैं तो अप्रत्यक्ष कर लगाने से और भी ज्यादा महगाई होती, इसलिए यह सोचा गया कि जहां लगाये जा सकते हैं वहां ही लगाये जाने चाहिये। पिछले सालों में भूतपूर्व सरकार ने भी इस पर विचार किया है लेकिन जैसे ही कर प्रस्तावित होते हैं उनका विरोध होता है.......

श्री खेतसिंह राटौड़ : हम तो मान गये।

श्री आदित्येन्द्र : इसीलिये मेरा यह कहना है कि पहले विचार किया गया है उनमें से खास तौर से वे कर जो भू-राजस्व सम्बन्धी थे उनको तो वापस ले लिया गया और वे लेने भी चाहिये थी। सिंचाई की दरों का जहां तक सम्बन्ध है, सिंचाई मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने पढ़ कर सुनाया है। मैं मानता हूं कि सिंचाई की दर ऐसी होनी चाहिये जिससे जो ज्यादा पैदा करते हैं उन पर ज्यादा हो और जो कम उत्पादन करते हैं, उनके ऊपर कम सिंचाई की दर हो। शिक्षा मन्त्री जी ने यह भी लान कर दिया कि इसके लिये उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है।

अभी हमारे विरोधी दल के नेता महोदय श्री मदेरणा साहब ने यह कहा कि जो लोग या तो आयात करते हैं या बाहर से मंगवाते ऐसे जो मैन्युफैक्चर्स हैं उनकी सीमा जो अब तक पांच हजार के टर्न ओवर की थी उसको 10 हजार रुपया बढ़ा कर गलती की है यह भी यह उनके लिये रियायत है इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

(श्री आदित्येन्द्र)

लेकिन दूसरी तरफ काफी यहभी कहा जाता है कि इस सैल्स टैक्स को खतम करना चाहिये। इस सैल्स टैक्स से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अब मेरा ऐसा मानना है कि जिनका टर्न ओवर पांच हजार या इसके लगभग है ऐसे लोगों को दूसरे जो सरकारी अधिकारी हैं, इन्सपेक्टर हैं वे परेशान करते हैं। वे हिसाब किताब भी नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यह पांच हजार की सीमा आज से 15 साल पहले की है करीब सन् 62 की है। उस समय की प्राइसेज में और आज की प्राइसेज में बड़ा भारी अन्तरहै। तो,यदि पांच हजार से 10 हजार कर दिया तो मैं समझता हूं उनके साथ ऐसी बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक किया है।

श्री आदित्येन्द्र : एडवाइजरी कमेटी, जो सैल्स टैक्स की सन् 76 से कायम है और जिसकी समय-समय पर बैठकें होती हैं, की बैठकों में भी यह बताया कि इससे परेशानी होती है। इस कारण पांच हजार की सीमा से 10 हजार की सीमा कर दी गई।

दूसरे, सैल्स टैक्स की धारा 5 में जो संशोधन किया गया है वह इसीलिए किया गया है कि यह जो मामला है यद्यपि जो रजिस्टर्ड होते है कच्चा माल जब वे खरीदते हैं तो रियायती दर पर 1 पर्सेन्ट पर कच्चा माल देते हैं लेकिन कच्चे माल के अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो राज्य के बाहर से ले आते हैं तो वहां पर चार पर्सेन्ट सेन्ट्रल सैल्स टैक्स के अन्तर्गत उनको देना पड़ताहै। जब वहां रिआयत मिल जाती है तो वे उसका फायदा लेतेहैं। जब वही माल यहां पर खरीदते हैं तो उनको ज्यादा देना पड़ता है इसलिये इससे दो फायदे होंगे। एक तरफ तो राज्य की आमदनी को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके अलावा हमारे एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि यह 10 हजार की सीमा कम है और 15 हजार की सीमा होनी चाहिये, लेकिन हम आस पास के पड़ोसी राज्यों को देखें तो वहां पर किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। दूसरा,जो विधेयक का पार्ट है वह इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी का है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिये इसीलिये सोचा गया कि शायद हमें कुछ आमदनी हो सकती है। इससे जो लोग खुद बिजली पैदा करते हैं उन्हीं पर यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई गई है। पैदा करने वाले कोई मामूली आदमी तो होते नहीं हैं। जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रयां हैं जैसे किशनगढ़ की आदित्य मिल है, सीमेंट फैक्ट्री है और भी दूसरी फैक्ट्रियां हैं वे बिजली स्वयं उत्पादित करती हैं। अभी तक उन पर कोई टैक्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो बिजली आर एस. ई. बी. की ओर से सप्लाई होती थी उस पर अब एक पैसा है तो उसको बढ़ाकर दो पैसे कर दिया और जहां ड्यूटी नहीं थी खुद जनरेट करते हैं, उन पर भी दो पैसा कर दिया लेकिन दूसरे लोगोंको वे सप्लाई करते हैं उन पर वह ड्यूटी 6 पैसा कर दिया क्योंकि आम आदमी पर यह 6 पैसा ही है।

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

स्टाम्प ड्यूटी में भी यह बात जरूर है कि कुछ वृद्धि की गई है। यह वृद्धि उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगी जैसे मान ले कोई ग्रनुबन्ध होता है इस तरह की चीजों के लिये वह बढ़ाई है। ग्रापको यह मालूम है कि इन टैक्सों पर काफी विचार हुग्रा है ग्रौर उसके बाद ही लगाये गये हैं। सिचाई की दरों पर काफी विचार हुग्रा ग्रौर उसको विथड्रा भी कुछ सीमा तक किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता नहीं हूं इस संबंध मे लेकिन यह ठीक है, जो ग्रर्ज किया गया है इसके लिए जो क्लोज रखा गया हैं उसको विलोपित करने के लिए मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। जो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है इनके सम्बन्ध में मेरा इतना ही कहना है, जैसा कि मोटर व्हिकल का जो टैक्स लगाया है उसके बारे में हमारे यातायात मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है और उसकी घोषणा कर दी है इन शब्दों के साथ...

घोषणा

राजस्थान सरकार की मद्यनिषेध नीति के विरोध में ग्रनिश्चित काल के लिये अनशन करने की श्रीमती उजला अरोड़ा व श्री बाल कृष्ण यानवी की घोषणा

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय ग्राबकारी मन्त्री बोल रहे थे इसलिए बीच मैंने बोलना उचित नहीं समझा था। राजस्थान की यह ग्रात्मा इस तरह से उद्वेलित रखी गई पिछले तीन महीनों से। मैं उसके प्रायश्चित स्वरूप ग्रनिश्चित काल के लिए सदन में ग्रनशन करने की घोषणा करती हूं। मैं सदन के बाहर नहीं जाऊंगी। जब तक कि मेरी ग्रात्मा प्रायश्चित करने के लिए समुचित ग्रादेश नहीं दे देती, मैं ग्रनिश्चित काल तक हाउस में ग्रनशन करने की घोषणा करती हूं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : ग्राप यहीं पर बिराजेंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मेरी गलती थी, राजस्थान की जनता को इतने दिन तक उद्वेलित रखा उसके प्रायश्चित स्वरूप, उनकी ग्रात्मा की शुद्धि के लिए, ग्रनशन करूंगी। भगवान उनकी ग्रात्मा को बदल दे कि वे शराबबन्दी कर सकें। ग्राप लोग बहुत खुश हैं कि आज शराबबन्दी नहीं हो रही है। लेकिन जब तक मुझे यह नहीं कह दे कि ग्राप ग्रपना ग्रनशन तोड़ दें तब तक के लिए मैं ग्रनिश्चित काल का ग्रनशन करने की घोषणा करती हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या, मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि ग्राप ऐसा कोई कदम उठाने से पहले पुनविचार करें आपने जो कुछ भी ग्रभी सुझाव दिया है उस पर पुर्नविचार करेंगी, मुझे पूर्ण ग्राशा है।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री, जो कि ग्राबकारी मन्त्री भी हैं, की ग्रात्मा से उनके स्वर से वे शब्द नहीं निकले जो उनको कहने चाहिये थे खड़े होकर। उनकी ग्रात्मा में बल है इससे ग्रपनी वाणी से सदन को ग्रवगत करना चाहिए था। भैंरोंसिह जी जो हमारे नेता हैं वे इससे बच

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर देहली चले गए हैं। इससे मेरी आत्मा को जितनी पीड़ा है मैंने आपको भली प्रकार अवगत कराया था। मैं विवश हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देती हूं, आभार प्रकट करती हूं कि आपने मेरे प्रति सद्भावना व्यक्त की लेकिन मैं राजस्थान की जनता की ओर से निवेदन करती हूं कि मुझे अनुमति दी जावे। मैं अपने निर्णय पर पूर्ण रूप से अडमेंट हूं।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी घोषणा की थी कि 1 अप्रेल, 79 से राजस्थान भर में शराबबन्दी नहीं की गई तो मैं आमरण अनशन करूंगा। मैं भी अपने विचारों पर दृढ़ हूं और मैं 1 अप्रेल से आमरण अनशन अपने स्थान पर करूंगा।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए जो कुछ मैं कहूं उसे ध्यान से सुनें।

अभी अभी आयोजना मंत्री जी ने मंत्रि मण्डल का निर्णय मद्यनिषेध के सम्बन्ध में में सुनाया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें आपका निर्णय शामिल नहीं था।

श्री आदित्येन्द्र : सुनिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप तो चाहती हैं कि ठाकरा इस्तीफा दे। दे क्यों दे दे?

श्री आदित्येन्द्र : मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आत्मा बहुत प्रबल है, मेरे में कोई कमजोरी नहीं है और न मैंने ऐसा कोई काम किया है। मैंने जो भी किया है वह एक कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत, एक सीमा के अन्तर्गत किया है। अभी तक मैं मन्त्रि मण्डल का सदस्य हूं और जो मन्त्रीमण्डल निर्णय करता है उसको जब तक मैं मन्त्रि मण्डल में हूं तब तक उसका मुझे आदर करना चाहिए। मुझे आप यह कहती हैं कि मेरे विचारों से प्राणों से अधिक क्या है। मैं ऐसा मानता हूं कि मद्यनिषेध का प्रश्न विशुद्ध नैतिक, सामाजिक और आर्थिक है। इसको राजनैतिक जो रूप पहले से दे दिया गया और इस राजनैतिक रूप की आज परिणति देख ली।

(व्यवधान)

सुनिये। मुझे बहुत दुःख है, मैं ऐसा नहीं समझता था कि इसकी यह स्थिति होगी और यहां तक इस चीज को ले जायेंगे यह पूर्ण मद्यनिषेध का प्रश्न केवल एक पार्टी का नहीं है, पूरे राजस्थान का है। यदि वास्तव में हम इसको ठीक समझते हैं तो सभी का सहयोग होना चाहिए।

श्री खेतसिंह : ढाई करोड़ जनता का।

श्री आदित्येन्द्र राठौर : यह जो कुछ भी निर्णय हुआ है वह निर्णय हो चुका है। निर्णय सर्व सम्मति से भी होते हैं और निर्णय बहुमत से भी होते हैं। यह भी चीज है लेकिन जब निर्णय एक बार हो गया तो अब निर्णय मन्त्रिमण्डल का

(श्री आदित्येन्द्र)

निर्णय है। तो मन्त्रिमण्डल के निर्णय के बाद मेरा क्या रीएक्शन है, क्या नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरी जैसी मान्यता है, मेरा प्रयास यही है और यह चीज मैंने कही है कि पहली अप्रैल 79 से होना ठीक है, लेकिन मन्त्रिमण्डल के निर्णय का जहां तक सवाल है, मैं उचित समझता हूं। आज मैं माननीय सदस्या अपनी उजला अरोड़ा और अपने दूसरे जो माननीय सदस्य थानवी साहब हैं, उनसे यह निवेदन करूंगा और बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वे कोई भी कदम ऐसा न उठावें। पहले जो जिस तरह का कदम उठाया था वह कदम उस समय भी मैं अच्छा नहीं समझता था, ठीक नहीं समझता था क्योंकि आमरण अनशन का यह प्रश्न फास्ट अप टू डैथ, यह जो कुछ भी अगर मान लिया जाय कि कदम है तो यह कदम अन्तिम है। इससे पहले हम जनता को जागृत करें। अगर जनता की जागृति करने का यही एक तरीका है कि मैं आमरण अनशन करूं तो आमरण अनशन करने के लिए केवल गांधीजी ही एक तरह से थे, वे ही कर सकते थे। क्योंकि वे जानते थे कि आमरण अनशन करते समय जो भी आमरण अनशन करता है उसके दिल में किसी प्रकार का हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। यदि वास्तव में यह समझते हैं तो नाराजगी से आमरण अनशन नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत से ऐसे उपाय हैं, ऐसी कोशिश भी हम कर सकते हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वह इच्छा की पूर्ति हो सकती है। अगर मान लिया, जाय इसके दौरान में, इस काल में पहले ही मैंने निवेदन कर दिया था कि मुख्य मन्त्री महोदय मौजूद रहते और दूसरा अगर मान लिया जाय कि इसका एलान वे ही करते और उसके बाद में स्पष्टीकरण भी वे ही करते तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं। अब हो गया तो अब इस चीज को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। इसको और आगे ले जाकर इस तरह से ज्यादा पेचीदगी पैदा करेंगे तो जो असली उद्देश्य है और वह उद्देश्य मद्य-निषेध का है, मद्यनिषेध का प्रश्न ठीक तरह से हल नहीं हो सकेगा। ऐसे बहुत से मामले हैं जिन मामलों में हम अपनी बात के लिए अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं और चीजें भी कर सकते हैं राजनीति में लेकिन कम से कम कृपा करके इस प्रश्न को आप ज्यादा न उलझायें। इसको करने दें और मेरा विश्वास है कि अगर हमने सभी ने मिल कर सच्चे दिल से किया तो हमारी इच्छा की पूर्ति होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मास्टर साहब ने जो बात कही, मैं कहना चाहती हूं, मैं निवेदन करूं कि कल भी और कई बार पहले भी कहा है, मेरे दिल पर बहुत आघात लगा है। मैं जानती हूं कि पूर्ण मद्यनिषेध की तैयारी मन्त्रिमण्डल की बहुत दिनों से थी। मैंने कई बार निवेदन किया कि जो आपके मन में हो कह दीजिए। तीन महीने तक पूरा जन मानस उद्वेलित रहा। सदन भी एक महीने से चल रहा है। यहां पर भी अनेक बार चर्चा हुई है। आप घोषणा कर देते जो आपके मन में है। बाबा साहब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बम्बई, दिल्ली घुमाये गये। अन्त तक 26 तारीख तक जयपुर आये थे। उस समझौते के अनुसार आपने आन्दोलन, रैली को वापस लिया। इसको राजनीतिक प्रश्न बनाया गया। मुख्य मन्त्री जी द्वारा घोषणा करने में देरी की गई। उन्होंने कोई समझौता दादा धर्माधिकारी से किया, उनके सामने किया, उसको केबिनेट से एप्रूव कराएं, उससे सदन को अवगत कराएं परन्तु ऐसा नहीं किया गया। निरन्तर इसमें देरी की गई। इससे मेरी आत्मा को चोट पहुंची है। सदन को भी दुखी किया गया। सदन का काफी समय नष्ट किया गया। बाबा से गलती हुई। अनिश्चित कालीन आमरण अनशन का मैंने नहीं कहा, वह थानवी साहब ने कहा है। परन्तु जब तक मेरी आत्मा नहीं मानती, टाइम निश्चित नहीं हुआ है, तब तक मैं अपना अनशन समाप्त नहीं करूंगी। यह घोषणा की है। सबने इसको सुना है। मैं इसको अपने ऊपर लेती हूं। आपके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह आपकी आत्मा को बदले। आप अपना निश्चय करें। राजस्थान का कल्याण हो। अपनी आत्मा को शान्ति मिले इसलिए मैंने घोषणा की है। मैं चाहती हूं कि अनशन के लिए सदन की अनुमति मिले, मैं बैठूं। सदन को मेरी प्रार्थना है, अनुमति दे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य श्री थानवी ने आमरण अनशन की घोषणा की है, इस सदन में की है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रायश्चित करना चाहते हैं ...

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं प्रायश्चित नहीं कर रहा हूं। आमरण अनशन की मैंने घोषणा की है। यह पहले से की है।

श्री परस राम मदेरणा : माननीय सदस्य आप बहुत ही गंभीर कदम उठाने जा रहे हैं। जब वित्त मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है, गांधी दर्शन से इस सदन को बोध कराया है, अपनी मजबूरियों की भी जानकारी दी है, उसके बाद में कोई इस प्रकार के अनशन, से प्रेशर लाने की बात है तो स्वयं आप नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।

श्री बाल कृष्ण थानवी : मेरी घोषणा पहले की है। यह सवाल तो पैदा तब होता जब मैं घोषणा अभी करता।

श्री परसराम मदेरणा : गांधी जी ने घोषणा कर दी थी परन्तु उन्होंने बाद में चम्पारण आन्दोलन को वापस ले लिया था। माननीय सदस्यों की यह सलाह है, जब यह सदन सैशन में है, यह पूरे राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इस सदन के सभी माननीय सदस्य, सभी पक्ष के सदस्य आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप यह कदम न उठावें, तो नहीं उठाना चाहिए। अनशन से आपको शान्ति मिलेगी, आपका मनोबल मजबूत होगा। हो सकता है कि इससे आप मजबूत हों लेकिन इस सदन में

202

(श्री परसराम मदेरणा)

हम ऐसा महसूस करते हैं कि आपको कोई न कोई ठेस लगी है, उस ठेस लगने से, किसी भी तरह से किसी प्रकार का कोई एक्शन हो जिसकी प्रतिक्रिया आपके दिल और दिमाग पर हुई है, आप पुर्नविचार करें। यह सदन हमेशा आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि इस प्रश्न को आगे भी लिया जा सकता है। एक वातावरण बनाया जा सकता है। जनमत भी तैयार किया जा सकता है। हम आपके साथ में रहेंगे। लेकिन दोनों माननीय सदस्य एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ने आपको रिक्वेस्ट की है, उसमें मैं भी उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं। हम दोनों आपसे यह प्रार्थना करते हैं, वित्त मन्त्री महादन ने भी आपसे प्रार्थना की है, उनकी बात भी न मानेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर आपको आत्म बल क्या मिलेगा ? मास्टर जी हमारे गांधीवादी हैं। सभी प्रक्रियाओं के ऊपर समय-समय पर जो डवलपमेंट हुए हैं, वह सारे उन्होंने बताये हैं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं मुख्य मन्त्री और मास्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पौने दो साल में तेरह जिलों में शराब बन्दी की और 6 जिलों में और शराब बन्दी करने जा रहे हैं। अब बाकी दो जिले और रहते हैं कृपया इन जिलों को भी 1979 में ही ले लें तो बड़ा अच्छा होगा। आपने यह जो घोषणा की है उसमें मेरा यह निवेदन है कि इसका इम्पलीमेन्टेशन आप ठीक नहीं करेंगे तो करना न करना बराबर होगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इम्पलीमेन्ट करने में आप सख्ती लाइये। इसके लिए आपको कानून में परिवर्तन करना पड़े तो वह भी करिये। राज्य के अधिकारी, कर्मचारी शराब पीते हैं, वे न पीवें। इसी तरह से जो एम. एल. ए. शराब पीते हैं, वे भी न पीवें। मैं एक बार और मेरे अनन्य साथी, जिन्होंने सारा जीवन त्याग में लगाया है, से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अनशन पर न बैठें। बहिन उजला से भी कहना चाहता हूं कि वे अनशन पर न बैठें। वे उपवास पर न बैठें। रहा सवाल गोकुलभाई का, गोकुलभाई ने वह काम किया है जो गांधी के पग पर चलने वाला करता है। गांधी को भी कई बार सत्याग्रह वापस लेना पड़ा था। आप इस पर गम्भीरता से चिन्तन करिये। मैं एक बार फिर मुख्य मन्त्री जी, मास्टर साहब को धन्यवाद देता हूं साथ ही गोकुलभाई का आभार मानता हूं। शराबबन्दी के लिए एक बड़ा अच्छा वातावरण बन रहा है और सच्चे मायने में राजस्थान शराबबन्दी में सब से आगे हो, यही मेरी प्रार्थना है।

(व्यवधान)

कृपा कर के इसको राजनीति में न घसीटें।

राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने तथा प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित····

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

प्रश्न• यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक····

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य वापिस लेना चाहते हैं, कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 1979

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को सुपुर्द करने का मेरा प्रस्ताव था, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि जो माननीय सदस्यों संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष : पहले जरा आधे मिनट फार्मेलिटी पूरी कर लूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव जिन सदस्यों ने वापस नहीं लिया है उनका संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कियाजाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव जिन सदस्यों ने वापस नहीं लिया है उनका संशोधन प्रस्ताव स्वीकिया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

प्रश्न यह कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 2 से 14 तक में संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 14 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 14 तक स्वीकार किये गये।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 के खण्ड 15 को विलोपित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि प्रभारी मन्त्री जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

बस खतम हुआ मामला।

अनुरोध

श्रीमती उजला अरोड़ा व श्री बालकृष्ण थानवी को अनशन न करने का अनुरोध

मैं माननीय उजला जी को पुनः करबद्ध पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि संसदीय परम्परा, इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वे अपने कठोर निर्णय पर पुनर्विचार मेरे अनुरोध के फलस्वरूप करेंगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम सभी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सारे सदन की भावना है, माननीय सदस्या, कृपा करें। बालकृष्ण जी थानवी, आपको उजला जी से भी अधिक इतने इतने हाथ जोड़ता हूं। हमारी विधान सभा में कभी ऐसा दृश्य नहीं हुआ। आपको जो कुछ कहना हो वित्त मन्त्री जी को, माननीय मन्त्रीगण को जो कुछ कहना हो कह दीजिये और अलग से कहिये। सदन में इस तरह की परम्परा, मैं समझता हूं, गरिमा के विपरीत है। थानवी जी कृपा करें मेरे पर।

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं आमरण अनशन अपने स्थान पर करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं और मिलूंगा। हम चर्चा करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय, वित्त मन्त्री जी, माननीय सदस्यगण, आपने जो मुझे आदेश दिया मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उसको स्वीकार करती हूं। मैं बहुत बहुत कष्टकर स्थिति में आपके आदेश की पालना कर रही हूं। मैं मेरा निर्णय वापस लेती हूं। लेकिन एक बात जरूर चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को किसी भी निर्णय को इतने दिन तक उलझाये रखने के लिये निश्चित रूप से कहेंगे और....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको साथ ही ले जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा जो संभव है वह हो सकता है। Politics is art of possible. वह पालिटिक्स है Politics is not art of impossible.

जो संभव है वह सभव प्रयास करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करूंगी बालकृष्ण जी थानवी को, निश्चित रूप से जनतांत्रिक परम्परा में कदम उठाने की आवश्यकता है, वे निश्चित रूप से अपना अनशन वापस लेंगे सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। सदन हमारे साथ रहेगा, और हम और आप, अक्टूबर से हमारी सरकार मान जाय इसके लिए हर सम्भव चेष्टा करेंगे। मैं माननीय थानवी जी से निवेदन करूंगी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूं, वे अपने आमरण अनशन को वापस ले लें।

श्री सैयद मंजूर अली : मैं भी थानवी साहब तक अप्रोच करना चाहता हूं और....

श्री खेतसिंह राठौड़ : भाई, वह जोधपुर का पानी है, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। हम कहेंगे तब होगा।

राजस्थान वित्त विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री आदित्येन्द्र : खण्ड 2 में ...

श्री अब्दुल अजीज : मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने एक प्रश्न दिया था इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आपको दो मिनट दे सकता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : थर्ड रीडिंग पर हम बोलना चाहेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी ने इस बिल में एक बहुत बड़ी कमी रखी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब यह लास्ट स्टेज में आता है। जब मैं आपको कहूं तो एक मिनट में कह दें।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक का खण्ड 16 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक, यथा संशोधित, के पारण का प्रस्ताव

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान रूल 85(2) की ओर दिलाना चाहता हूं।स

(श्री रामनारायण चौधरी)

"Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded."

श्री रघुनन्दन व्यास : इसमें आगे लिखा है "....unless the Speaker allows the motion to be made."

श्री रामनारायण चौधरी : यह बिल गम्भीर अमेंडमेंट के साथ प्रस्तुत हुआ है, तो जिस दिन, मान्यवर, अमेंडमेंट स्वीकार हों उसी दिन अमेंडमेंट बिल को पारित करने का प्रस्ताव सदन के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी आपत्ति हाइपोथेटिकल है। अभी मन्त्रीजी को रखने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : हाइपोथेटिकल?

श्री अध्यक्ष: "Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved...."

So the motion has to be moved first.

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो हो गया है। यह मोशन प्लेस किया गया है।

श्री अध्यक्ष : He has not made the motion.

श्री रामनारायण चौधरी : He has made.

श्री अध्यक्ष : He has not.

श्री रामनारायण चौधरी : Sir, I raise an objection. That he cannot make the motion today. Rule 85 (2) says, "Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the cousideration of the Bill is concluded."

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी ने जो आपत्ति उठाई है 85(2) के अन्दर "Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

The Speaker allows the motion to be made.

श्री रामनारायण चौधरी : Before the Hon'ble Speaker allows, he will hear us also.

राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 पर खण्डशः विचार

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मन्त्री जी क्लाज 16 में अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : What is that ?

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता ने नहीं सुना। माननीय वित्त मन्त्री जी फिर कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : वह क्या 16 पर कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : Taken as moved.

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्षजी, मैं क्लाज 16 को संशोधित रूप में मूव करता हूं—

In new section 177 A proposed to be inserted –

(a) in sub section (1)

(i) delete the first proviso;

(ii) in the second proviso, after the word 'provided', delete the word 'further' and delete the expression beginning with the words 'and if the nahari rates' and ending the words 'that proviso shall apply'.

(b) delete sub sections (2) and (3)

(c) in sub-section (4) delete the expression 'or sub-section (2)'.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज 16 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज 16, यथा संशोधित, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज 16, यथा संशोधित, स्वीकार किया गया।

क्लाज 17 और क्लाज 1 हैं, इनमें किसी का संशोधन नहीं है। किसी को आपत्ति है।

माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें क्लाज जो सेल्स टैक्स की....

श्री परसराम मदेरणा : आप थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह तो थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे। अभी तो क्लाज पर आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई अमेंडमेंट मूव नहीं किया है। थर्ड रीडिंग पर इनको बोलना है तो बोल लें।

श्री अध्यक्ष : विधेयक को पारित करने का मोशन मूव करें या मैं ही बोल दूं ?

श्री आदित्येन्द्र : 17 वां क्लाज और है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज 17 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लाज 17 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रिएम्बल, टाइटल, इनेक्टिंग फार्मूला पारित किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, प्रिएम्बल, टाइटल, इनेक्टिंग फार्मूला स्वीकार किये गये।

विधेयक का प्रारण

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक, यथा संशोधित, के पारण का प्रस्ताव

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष, मुझे आपत्ति है। मैं आपका ध्यान रूल 85(2) की ओर आकर्षित करता हूं–

"Where a Bill has undergone amendments, the motion thnt the Bill as omended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded."

श्री रघुनन्दन व्यास : आगे भी है, पढ़िये।

श्री रामनारायण चौधरी : आगे यह है कि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिसके कारण वह अपनी विशेष अनुमति दें। विशेष अनुमति देकर अध्यक्ष महोदय इसके कन्सीडरेशन को आज ही करवा सकते हैं, अन्यथा यह आज पेश नहीं हो सकता है। कदाचित अध्यक्ष महोदय यह मानते हैं और वह इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यदि अनुमति दी जाय तो मैं इसका विरोध करता हूं। यह क्यों दी जाय ? उपाध्यक्ष महोदय ने, मान्यवर, इसकी इजाजत दे दी अन्यथा आज यह पेश नहीं हो सकता था। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है और इसमें गम्भीर अमेंडमेंट्स हुए हैं तो अमेंडमेंट हो जाने के बाद यह रुटीन वे के अन्दर जब तक कि आपकी विशेष अनुमति न हो और अनुमति के साथ साथ कोई विशेष कारण न हो तब तक, मान्यवर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यह है कि यह बिल उसी दिन पेश नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपका जो विशेष अधिकार है, आपका जो डिस्क्रिशन है, आपका जो प्रोरोगेटिव है उसका आप इस्तेमाल न करें और इसको अपने तरीके से पेश होने दें। इस बिल का कन्सीडरेशन कल के लिए पोस्टपोन

(श्री रामनारायण चौधरी)

होना चाहिए । उसके लिए यह प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो हमको बोलने के लिए अनुमति दी जाय और यह कल लिया जाय। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज कोई विशेष परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जिसके आधार पर आप रूल को रिलेक्स करें। इसकी रिक्वेस्ट अभी तक इनकी नहीं है कोई प्रस्ताव है नहीं ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से कि इसको पास किया जाय और आप उन्हें अनुमति दें। अगर वह प्रार्थना करेंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक व्यवस्था दी गई है कि यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है। जो व्यवस्था पहले दी गई है उस पर पुनर्विचार करने के लिए मैं कोई कारण नहीं देखता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या वजह है कि आज ही कर रहे हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : You can not challange.

विधेयक का पारण

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रिमण्डल का ध्यान इस बिल के अन्दर जो भूल गये हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। आज दिन रात के 12 बजे खतम हो जाएगा। इससे समस्त राजस्थान के लघु उद्योगों को, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, सभी को 10% के आधार पर देना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या राज्य सरकार यह समझती है कि राजस्थान में इतने उद्योग हो गये हैं कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसका राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पर बहुत खराब असर पड़ेगा। जो सेक्शन 5 है, उसकी ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें। मैंने इस बारे में अलग से भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखा है। माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें कृपया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मुद्दों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो सिंचाई मन्त्री जी ने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दिया। यह खर्चा इतना आयेगा, यह खर्चा उतना आयेगा। वह एक चीज छुपा गये हैं। जो भी सिंचित क्षेत्र हैं, चाहे वह भाखरा का सिंचित क्षेत्र ही हो चाहे राजस्थान कैनाल का हो, राजस्थान सरकार ने खुशहाली टैक्स के रूप में रुपया वसूल किया हैं। उसको किस खाते में डालेंगे। आपने तो बता दिया कि हमने 15% सब पर बढ़ा दिया। मुख्य मन्त्री ने कहा कि ग्रेडेड सिस्टम लगायेंगे।

एक माननीय सदस्य : श्योपतसिंह जी, प्रेस वाले तो गये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं प्रेस के लिहाज से नहीं कहूंगा। मैं हरिसिंह जी को कहूंगा।

(व्यवधान)

(210)

श्री माधोसिंह कछवाहा : प्रेस वाले चले गये है, श्योपतसिंह जी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने इतना बड़ा तमाशा किया शराबबन्दी के नाम पर। सदन का इतना समय खराब किया है। आप मुख्य मन्त्री के बन्धक मजदूरों की तरह बैठे हो।

(व्यवधान)

सारे प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। बुजुर्ग वित्त मन्त्री ने त्यागपत्र न देकर समझदारी दिखाई है, वरना आप तो उनकी जयप्रकाश नारायण की तरह जिन्दा की हत्या कर देते। जो चरित्र दिखाया है जनता पार्टी ने इससे पहले किसी भी पार्टी ने ऐसा चरित्र नहीं दिखाया है।

(व्यवधान)

आपने यह शराबबन्दी के नाम पर ड्रामा दिखाया है। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्यों को श्योपतसिंह जी ने बन्धक मजदूर कहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उससे भी ज्यादा हो।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय सदस्य ने बन्धक मजदूर कहा है। अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये। और इनसे माफी मंगवाई जाये।

श्री रामनारायण चौधरी : ये भैरोंसिह शेखावत के 106 बोण्डेड लेबर बैठे हैं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इनको शर्म नहीं आती है। 15% इरिगेशन पर बढ़ाना एक साथ अन्याय है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : 15% पहले नहीं था?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : बैठ जाइये।

श्री रामनारायण चौधरी : तुम तो यह भी नहीं जानते कि क्या पास करवा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हम तो हां करने के लिए बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : इससे पहले लागू हुआ था तो उस वक्त हां क्यों की थी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप खामोश हो जायें ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री अध्यक्ष : यह विपक्ष के लिए आखरी मौका है। उनका अधिकार है। मैं उनके मुंह पर ताला नहीं लगाऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यातायात मन्त्री ने कहा था कि प्रेस वाले चले गये हैं। मैं प्रेस को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं अपनों को सुनाने के लिए कह सकता हूं। यह नौकरों की पलटन बैठी है। इनकी तो समझ में आयेगा।

एक माननीय सदस्य : यह बात ठीक है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप मन्त्री की कुर्सी पर बैठते ही सब भूल गये। एक साल पहले विधान सभा पर किसानों का जुलूस लेकर आये थे। लम्बा चौड़ा भाषण किया था। अब गद्दारी करने लगे। अब किसानों की दोस्ती भूल गये। 15% टैक्स बढ़ाया है। दो, तीन बीघा, दस बीघा पर माफ नहीं कर रहे हैं। जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी पर आपने 15% लगाया है। मैंने आपका समर्थन किया है कि जिसके पास एक मुरब्बा जमीन है, उसके ऊपर डबल कर दो। पर आपकी हिम्मत नहीं है। उन्हीं की रक्षा करते हो, जो लोग खाते पीते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कौन से वर्ग के हैं? आप भी उसी वर्ग के हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे से ज्यादा आप चोर हैं। इसीलिए नहीं लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब है, आप भी चोर हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं कि जो गरीबों का शोषण करता था। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। पर आप चोर होकर भी अपनी चोरी को कबूल नहीं करते हो। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं उस वर्ग का हूं जिसने शोषण किया है।

(व्यवधान)

अरे, तुम तो सारे के सारे लंगूर आ गये हो इस सदन में।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं और ये बोलने नहीं देते हैं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी संस्कृति है। अपने पुरखों को चोर बता रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, जो ये कह रहे हैं, यह उसी काण्टेक्स्ट में कह रहे हैं जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस चर्चा में कहा था कि

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार इरिगेशन चार्जेज हैं, जो छोटे किसान हैं, उन पर इरिगेशन रेट्स नहीं बढ़ायेंगे। बड़े किसान हैं, उन पर इन्क्रीज होंगे। छोटों पर नहीं होंगे। मैं दुबारा जनता पार्टी के विधायकों से आग्रह करता हूं कि हमें सदन में दिये गये वचनों का पालन कराना चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था, उसका पालन करना चाहिए। अभी आपका बहुमत है, हम नतमस्तक होंगे उसके आगे, क्योंकि हमको प्रजातन्त्र को कायम रखना है। आप अपने अन्तर में देखें कि इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा की गई घोषणा को क्या यह सरकार पुनः चेन्ज कर सकती है। अगर मुख्य मन्त्री जी इससे पीछे हटेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इस सदन में की गई कार्यवाही पर विश्वास नहीं करेगी और उसकी जो आस्था है वह टूटेगी। मैं भी यह मांग करता हूं कि इरिगेशन चार्जेज गरीबों पर और अनइकानामिक होल्डिंग पर नहीं बढ़ाने चाहिए, निश्चित रूप से उनको कम किया जाना चाहिए और जिनके पास बड़ी-होल्डिंग है उन पर इरिगेशन की दरें इन्क्रीज की जानी चाहिए। छोटे काश्तकारों को उनकी उपज का पूरा मूल्य भी नहीं मिलता, उनके खेतों का क्या होगा जहां पर पानी की कमी है, पानी पहुंचता नहीं है। 70 पर्सेन्ट राजस्थान कैनाल एरिया में आप पानी दे रहे हैं, उसमें भाखरा का भी है, गंग कैनाल का भी है,

(व्यवधान)

इरिगेशन रेट्स को इन्क्रीज करना किसान के प्रति अन्याय और अविश्वास है। बजट की बहस के दौरान आपने कहा कि हमारा बजट ग्रामोन्मुखी है लेकिन आप इस तरह से 70 पर्सेन्ट गांवों के किसानों को छुरा भोंक रहे हैं, आप सोचिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं शोषण करने वाले परिवार में पैदा हुआ। मुझे यह हिचक नहीं है कि मेरे बुजुर्गों ने गरीबों का शोषण किया। इस बात का मुझे फक्र है कि मैं गरीबों के मत लेकर आया हूं और मैं अब उनके बदले उतारूंगा। मेरे बुजुर्गों ने शोषण किया, मैं उन गरीबों की सेवा कर रहा हूं, यह मेरे लिए फक्र की बात है। यह बात शायद आप लोगों की समझ में नहीं आए। इसलिए मैं यह कह रहा था कि जिसमें थोड़ी बहुत भी गैरत होती है, मैं सिंचाई मन्त्री जी से पूछता हूं, 15 या बीस बीघा वाले कितने किसान हैं? 75 पर्सेन्ट किसान ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है। आपको करना ही था तो मुरब्बे से ऊपर-ऊपर 50 पर्सेन्ट कर देते। मगर आप यह नहीं चाहते। उस वर्ग पर आप चोट नहीं करना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द वे ही लोग बैठे हैं। डाक्टर साहब, ट्रेक्टर वालों की तो आप बात करेंगे। आपने उनका टैक्स तो कम कर दिया। तुम्हारी दोस्ती ट्रेक्टर वालों से है। आपकी जमीदारों के साथ दोस्ती है। जागीरदारों के साथ मेल मिलाप है। क्यों नहीं आपने ट्रेक्टर वालों पर 500 रुपया टैक्स लगाया, क्या दिक्कत थी? तुम चार बीघा, पांच बीघा और दस बीघा पर लगाते हो....

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय,

(श्री माधोसिंह कछवाह)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? माननीय सदस्य एक बार बोल चुके हैं, अब दुबारा नहीं बोल सकते ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको समझाओ। आपको परेशानी हो रही है। आपके दिमाग में नहीं आयेगा। आपको मालूम नहीं है। सत्ता में आने पर हर एक पागल हो जाता है और तुम भी हो रहे हो। इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। वे भी पागल थे सत्ता में। उनको भी दूसरों की बात सुनना अच्छा नहीं लगता था और यहां भी यही बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था राजस्थान कैनाल में सरकार पांच अरब रुपया वसूल करेगी। ए6 अरब भाखरा से वसूल किया है। खुशहाली टैक्स नाम से 6 अरब रुपया आप वसूल कर रहे हैं और उससे बता रहे हैं कि व्याज भी पूरा नहीं होता। वह आपने किसके लिये लिया, किस खाते में डाला उसको ?

इसके साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में नदियां बहुत नजदीक हैं इसलिए वाटर टैक्स कम लगाया है। बैटरमेन्ट टैक्स माफ कर दिया पंजाब की सरकार ने और वाटर रेट हमसे कम लेते हैं। वहां पर दो फसल होती है, पंजाब के किसान की हालत ठीक है, यहां की फसलें कमजोर होती है, जमीन रेतीली हैं, उसमें पानी अच्छी तरह नहीं लगता। बीस बीघा जमीन है, तो दस बीघा में पानी लगता है। पंजाब का किसान खुशहाल है, कमजोर नहीं है। वहां टैक्स नहीं लगता तो आप क्यों लगाते हो ? शायद मालूम नहीं है मन्त्रियों को, लोगों की किश्तें वसूल नहीं हो रही है, लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, बहुत से गरीब लोग जमीनें बेच चुके हैं। आप इस बात पर विचार करें और सदन को धोखा नहीं दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ, आपको....

श्री रघुनन्दन व्यास : किसान के घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही किसान की बात कर सकता है। जो शासक रहा हो वह वाहियात बातें करता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं गरीबों की पैरवी करता हूं तुम सेठ की पैरवी कर रहे हो।

(व्यवधान)

शर्म की बात है....

(व्यवधान)

वकालात करते हैं गरीब की,....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : 70 मुरब्बे के मालिक,....

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस आदमी से ...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : तुम ऐसी बातें करते हो, ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक बात और सोच रहा था—

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : शोषण करते हो....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बड़े अफसोस की बात है कि जब कभी भी किसान की बात माननीय सदस्य कहते हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं होते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : चोर की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि यह चोर है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनका कोई दोष नहीं। गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपनी शक्ल तो देखिये आइने में।

श्री रामनारायण चौधरी : शक्ल के भाई, बैठो। शट अप।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : कब आयेगी तुम्हारी सरकार ?

श्री रामनारायण चौधरी : अरे छोड़ो, हमारी सरकार की बात।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय वित्त मन्त्री जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष, मैं अभी अपनी बात कह ही रहा था। अगर यही मामला रहा तो हम भी सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : हम कल के बाद कार्यवाही चलने नहीं देंगे....

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह प्याज बेचने वाले यहां आ गये....

श्री रघुनन्दन व्यास : आप बेचने वाले होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें कूंजड़ा कहने का श्योपतसिंह जी को कोई अधिकार नहीं है। यह बहुत ही अपमानजनक शब्द है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। विपक्ष को अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं इस स्टेज पर कोई लिमिट नहीं कर सकता।

श्री रघुनन्दन व्यास : हमारे लिये कूंजड़े शब्द कहा है। यह अपमानजनक शब्द है, इस पर आप व्यवस्था दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कूंजड़ा तो बहुत बड़ा होता है, आप कूंजड़े से भी कम हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : खुद चोर हैं, हमको कूंजड़ा कहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शासन पक्ष को अधिकार है बहुमत के आधार पर अपनी बात कहने का, लेकिन विपक्ष को अधिकार है कि अपनी बात कहे और उससे शासन पक्ष को अपनी तरफ बदल ले।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जब गीदड़ की मौत आती है, तो गांव की तरफ दौड़ता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो बात कह रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि आप कोई शासन पक्ष को अपनी तरफ मोड़ लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सत्ता का नशा, अध्यक्ष महोदय, आदमी को पशु बना देता है।

(व्यवधान)

यह हमने देखा है और आपने भी देखा है विरोधी पक्ष में रह कर। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने वाला होता है तो अकल खराब हो जाती है। तो यह जो सत्ता पक्ष की हरकतें हम देख रहे हैं, यह विनाश की नजदीकी बता रही है। इनका संतुलन बिगड़ गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं अपने प्रदेश के किसानों की बात कहना चाहता हूं, जिसका मुझे अधिकार है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। आप अपने बहुमत की ताकत से मेरी बात को नामन्जूर कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। आप सत्ता में बैठे हैं, 150 की तादाद में बैठे हैं, आप मेरी बात नामन्जूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी बात कहने तो दीजिये। अगर मैं किसान की समस्याओं की बात यहां नहीं कहूंगा तो कहां जाकर कहूंगा? आप तो जिन लोगों से वोट लेकर आये हैं, उनसे गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरा फर्ज है उनकी समस्याएं आपके सामने रखने का। तुम्हारी तो वफादारी किसी से नहीं है, किसी सिद्धांत से नहीं है। अगर आपका कोई सिद्धान्त होता, तो इस तरह से 70 साल के वृद्ध आदमी को दारुबन्दी के नाम पर जलील नहीं करते और इस तरह से ड्रामा नहीं करते। यह उसी तरह का ड्रामा है जिस तरह से रामलीला में एक रावण बनता है और दूसरा रामचन्द्र जी बन कर उसका वध करता है, लेकिन बाद में दूसरे दिन दोनों ही बैठ कर साथ में चाय पीते हैं,

(व्यवधान)

मैं अब मेरी बात कहना चाहूंगा। आपने बिजली की फ्लेट रेट लागू की लेकिन 10 हार्स पावर तक। इसी बात को पिछले साल हरिसिंह जी ने उठाया था। अब कहां गया वह फ्लेट रेट? भूल गये सारा का सारा? उन लोगों के साथ जा बैठे हो जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, किसान के खून से रंगे हुए हैं, उन ही लोगों से दोस्ती करते हो। यह मिनिस्ट्री का टुकड़ा सब ईमान खरीद लेता है।

एक माननीय सदस्य : आपके लिये भी आ रहा है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं आपकी तरह नहीं लूंगा। लड़ कर लूंगा। मैं सोच रहा था कि हरिसिंह जी मंत्रिमंडल में आये हैं, किसान के प्रतिनिधि आये हैं, फ्लेट रेट के बारे में जरूर कुछ न कुछ होगा। गांवों में इसकी बहुत चर्चा थी, लेकिन क्या हुआ? फ्लेट रेट आप लाये लेकिन 10 हार्स पावर तक और वह भी गारन्टी से कम नहीं होगा। गारन्टी के बराबर रखा है। अगर गारन्टी से कम रखते तो बात कुछ समझ में आती।

श्री टीकम चन्द कान्त : नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई बीमारी है क्या आपको ? कोई इलाज नहीं आपकी बीमारी का।

(व्यवधान)

पैर की दिक्कत ही नहीं, और भी कोई बीमारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सिंचाई क्षेत्र के अन्दर जो किसानों ने ट्यूब वैल्स लगाये हैं, उससे देश का प्रोडक्शन बढ़ा है। देश की पैदावार बढ़ाने के लिए वह ट्यूब वैल्स लगाये हैं, पर नहरी क्षेत्र में यह ट्यूब वैल्स हमेशा काम में नहीं आते। जब पानी कम हो जाता है, जब वर्षा मौके पर न हो तब इमर्जेन्सी में ही यह ट्यूब वैल्स काम में लेते हैं। इसलिए नहरी क्षेत्र में आपको गारन्टी का सिस्टम हटाना चाहिये था। जितनी बिजली जले, उतने ही पैसे चार्ज करें आप। मैं सोच रहा था हरिसिंह जी, आप कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन आप भूल गये।

अब इसके बाद में कृषि उपज मण्डियों की बात कहना चाहूंगा। कृषि उपज मण्डी एक अलग संस्था थी किसानों की। पिछले साल आपने कहा कि पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर कुछ पैसा रखेंगे। हमने आपकी बात मान ली। अब कृषि उपज मण्डी में जो पैसा है वह सब खजाने में जमा होगा। यह बहुत ही गलत बात कर रहे हैं। मेरा सुझाव है आप मन्जूर करें तो अच्छी बात है और अगर मन्जूर नहीं करें तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिये कि आप कोई बहुत अच्छे पत्थर के नहीं बने हुये हैं, आपने कोई कवच नहीं लगा हुआ है। जब गुजरात में जनता मन्त्रियों व विधायकों के इस्तीफा ले सकती है। आप भी उस समय नारा लगाया करते थे कि जनता आ रही है आसन खाली रखो, अब खुद तुम ऐसे काम कर रहे हो तो तुम सोचते हो कि शायद जनता तुम्हें माफ कर देगी। मेरा निश्चित मत है कि बुरे दिन आपको भी देखने पड़ेंगे।

आखिर में यही बात कहता हूं कि भगवान आपको समझ दे, सद्बुद्धि दे। यह गांव और शहर का सवाल नहीं है। आप तो पूंजीपतियों, जमींदारों और जागीरदारों के पुजारी हो। उनकी सेवा कर रहे हो। आपने गांव के गरीबों को, किसानों को परेशान किया। आपने शहर के गरीबों को भी माफ

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

नहीं किया। येही कहते हुए कि आपमें सद्बुद्धि आए और आप अच्छे काम करो अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिसिंह (यातायात मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा। माननीय श्री श्योपतसिंह जी ने जो बात कही, खास तौर से मेरे बारे में कुछ मुद्दों को लेकर कही। मैं सदन के सदस्यों को और राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिन्दगी में आज तक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई की है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे लिए और कोई भी कुर्बानी इससे बड़ी नहीं होगी लेकिन माननीय श्योपतसिंह जी ने जो नाटक रचा है उसका मुझे दुःख है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम तो दोस्तों को छोड़ गए। जिन्होंने आपके लिए मन्त्रिमण्डल छोड़ा उनको धोखा दिया। दमे के बेचारे उस मरीज को मार दिया। तुमसे गया गुजरा आदमी कौन हो सकता है। आप गरीबों की बात करेंगे? तुम दोनों गरीबों को कतल करके यहां मन्त्रिमण्डल में आ गए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट सदन के लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय जो बिल माननीय वित्त मन्त्री महोदय सदन से पास करवाने जा रहे हैं वह, मान्यवर, बड़ा खतरनाक बिल है। राजस्थान के 83 पर्सेन्ट गांव की जनता के खिलाफ है। 42 करोड़ रुपये का टैक्स राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर थोपा गया है। वह टैक्स राजस्थान के 83 पर्सेन्ट लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। सरकार यह कहती है कि हम ग्रामों का विकास करना चाहते हैं। इस विकास के नाम पर आज 42 करोड़ का टैक्स लगा कर; 15 पर्सेन्ट सिंचाई की दरें एक साथ बढ़ा कर इस सरकार ने किसानों की और गरीबों की कमर तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं इस बिल को काला कानून बताता हूं और इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। मैं इसकी निन्दा करता हूं और इसका घोर विरोध करता हूं। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय वित्त मन्त्री जी दो शब्द कहेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मन्त्री जी तो क्या कहेंगे मैं दो शब्द कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय अभी पौने दो घन्टे बाकी रह गये हैं उसके बाद नया वित्त वर्ष शुरू होगा। नये वित्त वर्ष में 1095 करोड़ की राशि को एप्रोप्रियेट करने का हमारे वित्त मन्त्री महोदय को अधिकार मिलेगा। इतनी बड़ी धनराशि का अधिकार मिलेगा। इतनी बड़ी धनराशि को

(श्री परसराम मदेरणा)

एप्रोप्रियेट करने का किसी भी वित्त मन्त्री को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि वित्त मन्त्री जी भी कह रहे थे। आपकी योजना का आकार बढ़ा, खर्च का आकार बढ़ा। जब बजट पर आम बहस हो रही थी उस समय भी मैंने प्रश्न वित्त मन्त्री जी से पूछा था कि डवलपिंग सैक्टर में जो प्रावधान है उसके अनुपात में आपकी भौतिक उपलब्धियां क्या हैं ? आप उस पर चुप रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। हां, आप कुछ मसलों में जरूर बढ़े हैं मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता। एक तो आपने बेरोजगारी की फौज पिछले 21 महीनों में और बढ़ाई है, दूसरे आपने जो बढ़ोतरी की है सबसे पहले मुख्य मन्त्री बनने के बाद, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि विरोध में बैठा हूं लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों को और मन्त्रि मण्डल के सदस्यों को 31 मार्च को आगाह करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने 21 और 22 जून को चौपड़ पर भ्रष्टाचार को खतम करने की बात कही थी किन्तु कहीं किसी दिशा में हम ज्यादा बढ़े हैं तो इस राज्य के जनजीवन के अन्दर भ्रष्टाचार जबर्दस्त तरीके से बढ़ा है। सेक्रेटेरियट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी भ्रष्टाचार है। आपको मालूम नहीं हो लेकिन मैं आपको सूचना दे रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ सूचना दे रहा हूं कि सेक्रेटेरियट के अन्दर भ्रष्टाचार है। यह चीज और आगे बढ़ गयी है। राजस्थान के विकास के नाम पर लोगों पर बोझ डाल रहे हैं और गरीब आदमियों की कमर तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है आपको भी वही दिन देखने पड़ेंगे जिनका अभी आपने उल्लेख किया। अभी कोई कह रहे थे कि शीशे में मुंह नहीं दिख रहा है। तो अपने अपने गुसलखाने में जाओ तो शीशे में मुंह देख लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मेरी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा दायित्व है। इस स्टेट की विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी अड़चन भ्रष्टाचार है। मेरा अनुरोध है कि आप चाहे पैसा खर्च कम करने की बात करें लेकिन सबसे पहली चीज इसमें विचार करने की यह है कि यदि आपने भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए नहीं रोका तो यह आपकी योजनाओं को तितर बितर कर देगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जो कुछ भी पैसा एक तरफ ला रहे हैं और दूसरी तरफ जितना टैक्स लगाते हैं एक के बाद इसमें जैसा मैंने पैसेंजर कर की बात कही, गाड़ियों के मालिक तो यह बात मानते है कि अगर पैसेंजर उन्हें टैक्स नहीं दें तो उनकी गाड़ियां चल ही नहीं सकतीं। क्योंकि गाड़ियाँ टैक्स की चोरी से चलती हैं। आप कृपा करके जो एक एक पैसा वसूल करते हैं उसका सदुपयोग राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने में करे। जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं आप 56 से 13 पर्सेन्ट तक तो नीचे लाये। अब आप लाये या दांडेकर लाये। कोई भी लाया हो ले आये। फिर आपने 1 पर्सेन्ट सिंचित एरिया को बढ़ाया इतने लम्बे समय में। आगे बहुत थोड़े से महीने रह गये हैं। आपके पास अब सिर्फ 40 महीने और रहे हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 8 पर्सेन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : ....और 12 महीने पहले आपको खलबली मच जायेगी। समय आपके पास इस तरह से 20 महीने का और है। इन महीनों में नहीं बढ़ाया तो, सिंचाई मन्त्री जी....

श्री माणक चंद सुराणा : पिछली साल से 1 पर्सेन्ट ज्यादा बढ़ा है सिंचित एरिया।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मन्त्री से सारी बातें छिपा रहे हैं। उनसे तो 1 पर्सेन्ट कहलवा दिया।

श्री माणक चंद सुराणा : गत वर्ष से 1 पर्सेन्ट इन्क्रीज है। यह वित्त मन्त्री जी ने कहा।

श्री परसराम मदेरणा : आयोजना मंत्री जी तो सच बोलने वाले हैं, इसलिए आपकी जो योजना है, 78-79 उसके आंकड़ों का उल्लेख किया था, यह सभी लोग छुपा रहे थे, सिवाय आपके। आपने सही आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा। आज हमको दो डिपार्टमेंट्स के, कृषि मन्त्री जी बैठे हुए हैं, निष्पादन बजट 79–80के मिले हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आपके डिपार्टमेंट का, यह दो निष्पादन बजट मिले हैं और किसी विभाग का नहीं आया है। कृषि मन्त्री जी अगले साल का दे सकते हैं तो दूसरे माननीय मन्त्रियों से निवेदन करता हूं कि वे भी अपने डिपार्टमेंट्स का निष्पादन बजट वितरित कर दें....

एक माननीय सदस्य : सबके मिल गए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ये 1979-80 के वितरित किए हैं। अगर आप दूसरे विभागों के भी वितरण कर दें तो निश्चित रूप से एक साल तक पढ़ कर आपकी क्या उपलब्धि रहती है उस पर निगरानी रहेगी और ठोस सुझाव दे सकते हैं। कृषि मन्त्री जी की जो जागरूकता है मुझे खुशी है। सदन के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं। कई डिपार्टमेंट्स की तो अभी भी नहीं मिली है। डिमाण्ड्ज हैं। एक दो डिपार्टमेंट्स की तो कल शाम को आई थी पिछले साल की जो साल समाप्त हो रहा था। इस प्रकार का विवरण माननीय सदस्यों को वितरण होता है तो बहस में सम्मिलित होते वक्त ठोस सुझाव दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही तारीख 2 अप्रेल, 1979 सोमवार प्रात 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10 22 बजे सोमवार दिनांक 2 अप्रेल, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 736 के आदेश की प्रति

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

स्थायी आदेश

आबू संगोष्ठी में निर्णयानुसार निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं :....

1. कक्षा 4 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जावेगा। स्वरूप यह होगा कि परीक्षा यथावत प्रति वर्ष होगी व कक्षा विभाजन भी यथावत रहेगा। किन्तु परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी छात्र छात्रा को अनुत्तीर्ण घोषित कर रोका नहीं जावे व उसे अगली कक्षा में आने दिया जावे। जिस विषय में छात्र कमजोर हो उसमें अगली कक्षा में विशेष ध्यान देकर व विशेष प्रयत्न करके कमजोरी दूर करवाई जावे।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह०
(एम. डी. कोरानी)
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक-शिविरा।प्राथ।म।19813।9।78-79 दिनांक 16 अक्टूबर, 78

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :—

(1) सचिव, शिक्षा मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
(2) सचिव, शिक्षा आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
(3) समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पुरुष व महिला)
(4) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र/छात्रा संस्थाएं
(5) समस्त अतिरिक्त/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी
(6) समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र-छात्रा शिक्षा संस्थाएं
(7) उप जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान नहर परियोजना

उपरोक्त अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं को तथा समस्त विकास अधिकारियों, शिक्षा प्रसार अधिकारियों को इसकी जानकारी करवा दें। पत्र प्राप्ति सूचना भी लौटती डाक से भिजवावें।

(8) निदेशक, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर। कृपया समस्त विकास अधिकारियों को उक्त आदेशों की जानकारी करवाते हुए इनकी अनुपालना के निर्देश दें।

(9) निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

(10) सम्पादक, शिविरा पत्रिका (पांच प्रतियों)। शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(11) निदेशालय के समस्त अनुभाग।

शान्ती भण्डारी,
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी परीक्षाओं के केन्द्र

738. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित सैकण्डरी और हायर सैकण्ड्री परिक्षाओं के केन्द्र कहां कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस वर्ष कौन कौन से विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र आये थे और उनमें कौन कौन से विद्यालयों में इस वर्ष नये केन्द्र खोले गए हैं ? जिन विद्यालयों में केन्द्र खोलने की इजाजत नहीं दी गई है वे कौन कौन से हैं ?

(3) क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जेंजूसर (झुन्झुनूं) केन्द्र खोलने के लिए सभी शर्तों की पूर्ति करता था और काफी संख्या में लड़कियां सैकन्डरी परीक्षा में यहां बैठेगी जिनको अन्यत्र जाने में कठिनाई पैदा होती है ? यदि हां, तो कब तक इस विद्यालय को केन्द्र बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) नये परीक्षा केन्द्र खोलने का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्वायत्तशासी संस्था है। परीक्षा केन्द्र उपसमिति की अनुशंसा पर करता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

क्रय विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा के घोटालों पर कार्यवाही

739. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति, भीलवाड़ा के घोटाले बाबत गत विधान सभा में चर्चा हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है राज्य सरकार ने घोटाले को स्वीकार किया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि घोटाला स्वीकार करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई ? अगर हां तो क्यों नहीं हुई ? अगर हुई, तो क्या हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सहकारिता मन्त्री)

(2) समिति के धन के दुरुपयोग के लिए संचालक मण्डल के कुछ सदस्यों को दोषी पाया गया है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अनियमितताओं के बारे में कार्यवाही नहीं हुई। जिन मामलों में अनियमितताएँ पायी गई है उनमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 196: की धारा 74 के अन्तर्गत मामले चल रहे हैं। इन मामलों में सुनवाई हेतु आगामी तारीख 9-4-1979 निश्चित है। समिति के द्वारा न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा में पांच इस्तगासे प्रस्तुत किये हैं उनमें पुलिस तफ्सीस कर रही है।

नियोजन कार्यालयों के निरीक्षण की व्यवस्था

741. **श्री नाथूराम** (बागीदोरा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नियोजन कार्यालयों के निरीक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या व्यवस्था प्रतिपादित की है तथा राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्देश दिए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निरीक्षण नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं और नियोजन कार्यालयों में गड़बड़ियां हो रही हैं, जिन पर काबू नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा उपनिदेशक के पद की क्या उपादेयता है ? यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में किस किस कार्यालय का कब कब व किसने निरीक्षण किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। नियोजन कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायतें उक्त अवधि में कहां कहां से प्राप्त हुई तथा उनकी जांच के क्या परिणाम रहे ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या निदेशक को वर्ष में एक बार प्रत्येक नियोजन कार्यालय का दौरा करने का प्रावधान है ? लेकिन राजस्थान में इसका पालन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो विगत 5 वर्षों में निदेशक ने किन किन नियोजन कार्यालयों का कब कब दौरा किया तथा बांसवाडा अन्तिम बार कब गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नियोजन कार्यालय के निरीक्षण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम पुस्तक खण्ड । के भाग एक के अनुच्छेद 17.1 से 17.8 तक व्यवस्था प्रतिपादित की गई है (प्रति संलग्न है)। राज्य सरकार ने प्रत्येक नियोजन कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार हो ऐसे आदेश प्रसारित किए हैं (प्रति संलग्न है)।

(2) जी नहीं। विगत तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों एवं विजीट्स की सूची संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में जो आपतियां बताई गई। उनका विवरण जिलेवार संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान में इसकी पालना यथा सम्भव हुई है। विगत 5 वर्षों में निदेशक द्वारा किए गए दौरों का विवरण सलग्न है। विगत 5 वर्षों में पूर्ण कालिक निदेशक अक्टूबर, 75 से 24-2-78 तक ही रहे इस कारण बांसवाड़ा नियोजन कार्यालय नहीं गये।

17.1 समय-समय पर रोजगार कार्यालय के काम की जांच दो उद्देश्यों से की जानी चाहिये :

(क) यह सुविख्यात करने के लिये कि स्वीकृत नीतियां क्रियान्वित की जा रही हैं, स्तर बनाये रखा जा रहा है तथा कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है और

(ख) रोजगार कार्यालयों के काम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने जिससे कि आवश्यक सुधारों के लिये समुचित कार्यवाही की जा सके।

जहां तक ऊपर (क) का सम्बन्ध है वह केन्द्रीय सरकार का दायित्व है कि राष्ट्रीय कार्यों में एकरूपता हो तथा स्वीकृति नीतियां और प्रक्रियायें राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जायें। इसलिये केन्द्रीय प्रधान कार्यालय के तथा सम्बद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रत्येक राज्य में रोजगार कार्यालयों के कार्य का तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिये और संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।

ऊपर के उद्देश्य (ख) की पूर्ति के लिये रोजगार कार्यालयों के विस्तृत और व्यापक निरीक्षण का दायित्व राज्य सरकार पर होता है जिसके अधीन रोजगार कार्यालयों का दैनिक काम चलता है। इसलिये निरीक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश राज्य सरकार ही जारी करेगी। परन्तु इस विषय में कुछ सामान्य मार्गदर्शन जो इस प्रकार के आदेशों का आधार हो सकता है, नीचे के पैराओं में प्रस्तुत किया जाता है :

निरीक्षण के निर्देशक बिन्दु

17.2 निरीक्षण का उद्देश्य-नियोजन कार्यालयों के निरीक्षण का उद्देश्य कुशलता का उच्च स्तर बनाये रखना एवं सेवा का समुचित रूप से विकास करना होना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण द्वारा जिन बातों को पूरा करने का यत्न करना चाहिये :

(क) जनता की सेवा का उच्च स्तर।

(ख) क्रियाविधि का समुचित प्रयोग और उसमें पूर्णता लाना।

(ग) लालफीताशाही तथा अन्य ऐसी व्यावहारिक क्रियाओं को समाप्त करना जिसके कारण पंजीकृत लोगों तथा विशेषताओं को तत्काल सहायता होने में विलम्ब होता है ।

(घ) कर्मचारियों के काम के परिणाम में वृद्धि तथा उनमें पहल करने की प्रवृत्ति का विकास ।

(ङ) रोजगार कार्यालयों में कोई क्रियाविधि परीक्षण के रूप में अमलमें आ रही है तो उसका मूल्यांकन करना ।

सिद्धान्त और आदेश-निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को नीचे लिखे सिद्धान्त और आदेश सदा ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिये और जब भी आवश्यक हो उन समस्त सम्बद्ध लोगों को बताना चाहिये—

(1) सत्यनिष्ठा और विनम्रता के लिए नियोजन कार्यालयकी ख्याति का सर्वाधिक महत्व है । कर्मचारियों द्वारा कोईऐसा काम या किसी ऐसे व्यवहार क्रिया-विधि की प्रणाली को अमल में लाना जिसके कारण इस ख्याति को खतरा हो उसे दूर करना चाहिये ।

(2) क्रियाविधि सम्बन्धी तथा संगठन की ऐसी कमजोरियों को जिनके कारण जनता की सेवा करने के काम पर बुरा प्रभाव पड़े उन्हें यथासम्भव शीघ्रता से दूर करना चाहिये ।

(3) प्रत्येक कार्यालय को इस बात की उन्नति होनी चाहिये कि सम्पूर्ण सेवा की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि कुशलता तथा तत्परताका ऊँचा स्तर बनाये रखना चाहिये ।

(4) प्रत्येक कर्मचारी को यह अनुभूति होनी चाहिये कि वह एक सरकारी कर्म-चारी है जिसे केवल इस काम के लिए बेकरी में रखा गया है कि वह नियोक्ताओं और रोजगार इच्छुकों की सामाजिक स्थिति को दृष्टि में रखे बिना प्रत्येक की भ्राता, सहानुभूति तथा तत्परता से सेवा करे ।

(5) कर्मचारी मण्डल के सभी सदस्यों को और विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को, जिन पर इस सेवा को उचित रूप से विकसित करने का दायित्व है, निरन्तर जन शक्ति आयोजन, रोजगारी, बेकारी तथा श्रम शक्ति के सम्बन्ध

226

में साहित्य का अध्ययन करते रहना चाहिये जिससे कि वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास क्रम से बराबर परिचित बने रहें ।

(6) प्रत्येक रोजगार अधिकारी को चाहिये कि सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और क्रियाविधि का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमानी के साथ अर्थ लगावे, और

(7) कर्मचारी मण्डल का मनोबल सदा ऊँचा रहे और मण्डल के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करें और जनता के प्रति अपने कर्तव्य के सामने अपने व्यक्तिगत हितों और भावनाओं को पीछे रखें ।

निरीक्षण अधिकारियों की स्थिति

17.3 निरीक्षण अधिकारियों की स्थिति एक ऐसे मित्र, विचारक तथा मार्गदर्शक की होनी चाहिये जो नियोजन अधिकारियों की समस्यायें हल करने में उनकी सहायता करना चाहते हैं । उनका काम इतने तक ही सीमित नहीं होना चाहिये कि वे चालू आदेशों का वैसी पालन देखलें । कार्य की जांच और मूल्यांकन इस दृष्टि से करना चाहिये कि क्या कुल मिलाकर नियोजन कार्यालय राष्ट्रीय नियोजन सेवा के एक एक रूप में ठीक ढंग से कुशलता के साथ काम कर रहा है । निरीक्षण का उद्देश्य छिद्रान्वेषण नहीं होना चाहिये । बल्कि उद्देश्य यह होना चाहिये कि रचनात्मक आलोचना की जाए यह उल्लेखनीय है कि निर्धारित क्रियाविधि से बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा उपयोगी विचलनों की प्रशंसा करनी चाहिए यदि इस प्रकार के विचलनों से मूलभूत सिद्धान्त को हानि पहुंचे बिना अच्छे परिणाम प्राप्त हों । निरीक्षण अधिकारियों को चालू क्रियाविधि में सुधारों का सुझाव देना चाहिये । ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रेय देना चाहिये जो सूझबूझ और पहल से काम करें । क्रियाविधि की अज्ञानता या आदेशों की जानबूझ कर उपेक्षा नियोजन अधिकारियों की जानकारी में लाने चाहिये । सुधार के उपाय सुझाते समय अवसर से लाभ उठाकर कर्मचारियों को मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण उपलब्ध करना चाहिये ।

निरीक्षण का प्रकार और बारम्बारता की अवधि

17.4 सामान्य निरीक्षण—इस प्रकार के निरीक्षण राज्य निदेशालय के वे अधिकारी कर सकते हैं जिन्हें राज्य निदेशक विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपे । इन निरीक्षणों की बारम्बरता की अवधि राज्य निदेशक तय कर सकता है । परन्तु यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक रोजगार कार्यालय का सामान्य निरीक्षण कम से कम 6 मास में

एक बार होना चाहिये और वर्ष में कम-कम एक बार राज्य निदेशक को स्वयं प्रत्येक रोजगार कार्यालय का दौरा करना चाहिये।

रोजगार अधिकारियों की विचार गोष्ठी

• प्रत्येक निरीक्षण के बाद एक विचारगोष्ठी होनी चाहिये जिसमें रोजगार अधिकारियों को भाग लेना चाहिये और निरीक्षण के परिणामों पर विचार विमर्श करना तथा सुधार के लिए सुझाव देना चाहिए। गोष्ठी में जिन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हो उन्हें निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन में उल्लिखित कर देना चाहिये तथा राज्य निदेशक चाहे तो उसको और अधिक प्रचारित करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

तदर्थ आकस्मिक निरीक्षण

इस प्रकार के निरीक्षण राज्य निदेशक के विशिष्ट आदेश पर राज्य निदेशालय के अधिकारी कर सकते हैं।

आन्तरिक निरीक्षण

(क) रोजगार कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को तिमाही में कम से कम एक बार अपने निचले संगठन (जिला रोजगार कार्यालयों या उप कार्यालयों का) का जो उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में हों, निरीक्षणों की तरह से होने चाहिए।

(ख) यह सिफारिश की जाती है कि प्रभारी रोजगार अधिकारियों को अपने कार्यालय का प्रतिमास आन्तरिक निरीक्षण करना चाहिये। बड़े-बड़े रोज़-गार कार्यालयों में जहां काम विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित हैं तथा एक से अधिक रोजगार अधिकारी काम करते हैं वहां रोजगार कार्यालय के प्रत्येक अनुभाग के काम का प्रतिमास अनुभाग अधिकारी को निरीक्षण करना चाहिये।

(ग) रोजगार कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि महत्वपूर्ण कामों की विशेष रूप से पंजीकरण, रिक्तियों तथा सम्प्रेक्षणों सम्बन्धी कामों की परीक्षा के तौर पर प्रति सप्ताह जांच किया करें। इस प्रकार की परीक्षा जांच के समय यह सिफारिश की जाती है कि उस दिन किये गये काम के कम से कम 10 प्रतिशत की छानबीन करनी चाहिये सिवाय 'पंजीकरण' के जिसमें अधिक से अधिक उस दिन के 20 सूचक कार्डों की जांच करनी चाहिए।

(घ) रोजगार कार्यालय के प्रभारी अधिकारी या अनुभाग के अधिकारी को आन्तरिक निरीक्षण का विवरण रखना चाहिये । परीक्षा जांच के समय जो टीका टिप्पणी की गई हो उसे भी इस ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना चाहिये । जिस रूप में ब्यौरा रजिस्टर को रखना चाहिए उसे खण्ड 2 परिशिष्ट 1 (27) में दिया गया है ।

निरिक्षण रिपोर्ट

17.5 निरीक्षण रिपोर्ट सामान्यत: दो भागों में होनी चाहिये-पहले भाग में नीतियों और क्रियाविधि का उल्लेख होना चाहिये और दूसरे भाग में प्रशासन और लेखा संबंधी मामलों का । रो० प्र० म० नि० को पहले भाग की ही प्रतिलिपि भेजनी चाहिये । यह भी सुझाव दिया जाता है कि निरीक्षण समाप्त होने के तीन दिन के अन्दर राज्य निदेशन को उसकी रिपोर्ट भेज देनी चाहिये ।

सामान्य निरीक्षण के समय छानबीन की मदें

17.6 रोजगार कार्यालयों के कार्यकलाप से सम्बन्ध बड़ी बड़ी मदे (निरीक्षण रिपोर्ट का पहला भाग) जिनकी निरीक्षण के समय छानबीन की सिफारिश की गई है वे खंड 2. परिशिष्ट । (28) में दी गईहैं । इसमें नीति और क्रियाविधि से सम्बन्द्ध मदे ही दी गई है । प्रशासन और लेखा सम्वन्धी मदे राज्य निदेशक द्वारा निर्धारित की जाएंगी ।

निरीक्षण के प्रारम्भ में ऐसे टिप्पणी पत्रों को काम चलाऊ पत्रों के रूप में लाना चाहिये जैसा नमूना खण्ड 2. परिक्षण 1 (29) में दिया गया है । अब टिप्पणी पत्रों पर रोजगार अधिकारी अपने विचार अंकित कर दें तो कर्मचारियों को उस पर रोजगार अधिकारी के साथ विचार बिमर्श करके सुधार के उपाय सुझाने चाहिये ।

17.7 निरीक्षण रिपोर्ट, पर कार्यवाही-निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद चार सप्ताह के अन्दर रोजगार अधिकारी के अनुसार आवश्यकी कार्यवाह पूरी हो जाने की सूचना राज्य निदेशक को निम्न प्रकार देनी चाहिये :—

मद (विवरण)	क्या कार्यवाही की गई	कार्यवाही वहां की गई तो कारण
(1)	(2)	(3)

राज्य निदेशक कार्य पूर्ति की इस रिपोर्ट को इस दृष्टि से जाँच करेगा कि यदि आवश्यक हो तो आगे कार्यवाही की जाए ।

तकनीकी मूल्यांकन

17.8 रोजगार कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं क्रियाविधि, संगठन संबंधी संरचना, पर्यवेक्षण के प्रकार तथा इस सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावशीलता आदि का समय-समय पर मूल्यांकन करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । इसलिए केन्द्रीय प्रधान कार्यालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन इस दृष्टि से करना चाहिये कि यह सुनिश्चित हो सके स्वीकृत क्रियाविधियों और नीतियों का पालन किया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तरों में एक- रूपता रखी जा रही है तथा कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है । संक्षेप में मूल्यांकन द्वारा राज्य में नियोजन सेवा के क्रियान्वयन का पूर्ण संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत हो जाता है ।

तकनीकी मूल्यांकन केन्द्रीय प्रधान कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा । केन्द्रीय प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के दौरे की तारीखें राज्य निदेशक से पहले से तय कर लेनी चाहिये । इन दौरों की इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिये कि उनके द्वारा राज्य में नियोजन सेवा का आड़ी काट चित्र प्रस्तुत करें अर्थात् बड़े माध्यम तथा छोटे सभी रोजगार कार्यालयों का कार्यकलाप प्रदर्शित हो सके ।

रोजगार कार्यालयों का दौरा समाप्त करने के बाद प्रधान कार्यालय के प्रतिनिधि को राज्य निदेशक के साथ चर्चा करनी चाहिये और जो टीका टिप्पणी की गई है उससे उसे अवगत करना चाहिये । मूल्यांकन द्वारा जो मुख्य बातें सामने आई हो इसके सम्बन्ध में एक संक्षिप्त विवरण केन्द्रीय प्रधान कार्यालय के प्रतिनिधि अधिकारी या राज्य निदेशक द्वारा मनोनित अधिकारी को संयुक्त रूप से तैयार करके राज्य के नियोजन निदेशक को प्रस्तुत करना चाहिये जिससे कि महत्वपूर्ण सिफारिशों पर तुरन्त विचार किया जा सके ।

राज्य निदेशक के साथ चर्चा हो जाने के बाद एक विचार गोष्ठी होनी चाहिये जिसमें राज्य निदेशालय के सभी अधिकारियों तथा जिला कार्यालयों का मूल्यांकन किया गया है उनके वरिष्ठतम अधिकारियों को भाग लेना चाहिये । यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार के सचिव को इस विचार गोष्ठी की व्यवस्था करने के लिये आमंत्रित करना चाहिये इस गोष्ठी के द्वारा राज्य में नियोजन सेवा की प्रणाली की प्रमुख कमजोरियाँ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा और इन कमियों को दूर करने के लिये रचनात्मक सुझाव और सुधार के उपायों को आमंत्रित करने या प्रस्तुत करने का भी अवसर प्राप्त होगा ।

230

केन्द्रीय प्रधान कार्यालय को प्रत्येक राज्य में नियोजन सेवा के कार्यकलाप का कम से कम वर्ष में एक बार मूल्यांकन करना चाहिये । मूल्यांकन की संयुक्त रिपोर्ट को भारत सरकार को राज्य सरकार के पास घोषित करना चाहिये और रिपोर्ट की दो प्रतियां राज्य के नियोजन निदेशक को भेजनी चाहिये जिससे कि यह सिफारिशों पर कार्यवाही प्रारम्भ करा सके ।

राजस्थान पुलिस सेवा में सीधी भर्ती व पदोन्नति के मापदण्ड

742. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा में कितने कितने प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा कितने-कितने प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु प्रतिवर्ष डी. पी. सी. बैठती है तथा चयनित उम्मीदवारों को डी. पी. सी. के सम्मुख जाना पड़ता है तथा प्रतिवर्ष ही वरिष्ठता सूचि बनाई जाती है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति बाबत केवल एक बार ही डी. पी. सी. बैठती है तथा सलेक्शन के पश्चात् पुनः डी. पी. सी. के सामने नहीं जाना पड़ता है तथा वरिष्ठता सूची भी एक ही बार बनती है ? यदि हाँ, तो एक ही प्रकार की सेवाओं हेतु यह भेद क्यों हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इन सेवाओं में एक समानता लाने के वास्ते शीघ्र ही कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक संभव है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती केवल वेतन श्रृंखला में होती है भारतीय पुलिस सेवा के केडर शिड्यूल के आईटम 1 में उल्लिखित पद $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं राजस्थान पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से 50% पदोन्नति से भरे जाते हैं। वरिष्ठ व चयन वेतन श्रृंखला के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं।

(2) जी नहीं। एक बार आर० पी० एस० के लिए चयनीयत व्यक्ति के द्वारा जैसे डी० पी० सी० के द्वारा चयन की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय पुलिस सेवा में एक बार वरिष्ठता निर्धारित होती है वही बनी रहती है। राजस्थान पुलिस सेवा में स्केल वार वरिष्ठता सूची होती है। अतः यदि कोई अधिकारी उच्च स्केल हेतु चयनित नहीं होता तो उसकी पूर्ण वरिष्ठता बनी रहती है। भारतीय पुलिस सेवा के नियम भारत सरकार द्वारा बनाये जाते हैं अतः उसमें व राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में अन्तर हो सकता है।

(3) राजस्थान पुलिस सेवा के दो वरिष्ठता एवं पदोन्नति के प्रावधान राज्य की अन्य सेवाओं के समान ही हैं।

राजस्थान नहर की प्रस्तावित लिफ्ट कैनाल्स

743. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):-क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

क्या राज्य सरकार राजस्थान नहर की प्रस्तावित लिफ्ट कैनाल्स बनाने का विचार रखती है ?

(नहर मन्त्री)

उत्तर

राजस्थान नहर की प्रस्तावित लिफ्ट योजनाएँ राजस्थान सरकार के विचाराधीन हैं।

नैनवा कण्ड की जांच रिपोर्ट

744. श्री माणक लाल ठाकोर :- क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नैनवा कांड की माननीय सुरेश माथुर की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष कब प्रस्तुत कर रही है।

(2) क्या राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उन अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज नैनवा के नागरिकों पर किया था ? राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। अभी रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस पर निर्णय होने पर इसकी प्रति सदन के समक्ष रखने के बारे में विचार किया जायेगा।

(2) अभी रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। यह बात सही नहीं है। रिपोर्ट पर निर्णय होने के पश्चात् ही इस विषय में विचार किया जायेगा।

मोरीजा में लोहे का कारखाना

745. श्री आर. डी. यादव (चौमू) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमू के समीपस्थ मोरीजा व बन्दोल में प्रचुर लोह सम्पदा मौजूद है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि मोरीजा की लोहे की खानों का ठेका राज्य सरकार ने किसी को दे रखा है ? यदि हां, तो ठेके की पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार मोरीजा में लोहे का कारखाना स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मोरीजा व बनोल क्षेत्र में लोह अयस्क के सीमित भण्डार हैं। खान एवं

(खनिज मन्त्री)

विज्ञान विभाग द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 5½ लाख टन ही लोह अयस्क के भण्डार पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण द्वारा सिद्ध किये गये हैं।

(2) जी हां। पत्रावली की प्रति नहीं रखी जाती है, फिर भी आदेशों की प्रति संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में कारखाना स्थापित करने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। क्योंकि इन भण्डारों में सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार लोहे की औसतन मात्रा पर्याप्त नहीं है।

234

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प-4(23) खान/ग्रुप-3/75 जयपुर दिनांक नवम्बर, 77

आदेश

चूंकि श्री नन्दलाल अग्रवाल पोस्ट मावन्डा (सीकर) से प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज आयरन ओर खनन पट्टा निकट ग्राम मोरीजा तहसील आमेर जिला जयपुर के अनुदान के लिए आवेदन किया है, और चूंकि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि आवेदन राज्य में प्रवर्तमान सम्बन्ध नियम के उक्त रियायत के अनुदान के लिये उपयुक्त पक्ष (पार्टी) है।

और चूंकि यह क्षेत्र जिसमें आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए मुक्त है।

अतः अब सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 जो कि समय समय पर संशोधित हुए हैं में उल्लिखित नियमानों एवं प्रतिबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित निम्बधनों पर और प्रतिबन्धों पर आवेदन को खनन पट्टा का अनुदान करती है :—

1. खनिज :- आयरन ओर

2. क्षेत्र :- 129-50 हैक्टर निकट ग्राम मोरीजा तहसील आमेर जिला जयपुर में विवरण पत्र के अनुसार क्षेत्र की उपलब्ध भूमि पर वास्तविक सीमांकन पर निर्धारित होगा।

3. अवधि :- संविदा पंजीयन की तिथि से 20 वर्ष।

4. स्थिर भाटक :-

(1) प्रथम वर्ष	निल
(2) 2 वर्ष से 5 वर्ष तक	रु. 12·50 प्रति हैक्टर प्रति वर्ष
(3) 6 से 10 वर्ष तक	रु. 25·00 प्रति हैक्टर प्रति वर्ष
(4) 11 वर्ष से आगे तक	रु. 37-50 प्रति हैक्टर प्रति वर्ष

5. प्रतिभूति :- रु. 1000/- (अक्षरे एक हजार रुपया मात्र)

6. अधिशुल्क :- और कन्टेनिंग मोर देन 62% आफ

(i) ए-एफ ई रु. 2-00 प्रति टन
बी-कन्टेनिंग आफ दी 62% रु. 1-50 प्रति टनी आफ एफ ई

(ii) और फाइन्स इन साईजेज लैस देन इन्सीडेन्स टू रु. 0-35 प्रति टनी माइनिंग एण्ड साइजिंग आफ ओर

(iii) रेड आक्साइड रु. 2-00 प्रति टनी
एम. एम. आर. डी. एक्ट, 1957 एवं समय समय पर संशोधनानुसार हो उसके अनुसार।

7. भूतल भाटक :- जैसा कि राजस्व अधिकारी नियुक्त करें।

8. अन्य कर :- राजकीय नियमानुसार।

9. अन्य शर्तें :- प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 एवं समय समय पर संधीन हो उसके अनुसार।

नोट 1—यदि अनुदानी इस आदेश की तिथि से 6 माह के भीतर समुचित इकरार नामा निष्पादित नहीं करेगा तो यह आदेश बिना सूचना की ही प्रति संहृत कर दिया जायेगा।

2—जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं करेगा तब तक क्षेत्र में कोई कार्य आरम्भ नहीं करेगा, सिवाय उस यम के जबकि यह इकरारनामा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी विशेष आज्ञा के ऐसा करने के लिए अनुमत नहीं कर दिया गया हो।

आदेश से
ह०
(जगदम्बी लाल)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि :—

1. निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र संख्या निदे/जेपी/प-1(1)6/75/2161 दिनांक 10-10-75 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि :—

(क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का तुरन्त सीमा निर्धारण कर ली जाय और हर हालत में प्रार्थी संविदा निष्पादन कर सके ।

(ख) इस क्षेत्र के सभी निर्धारण व संविदा निष्पादन के दिनांक की सूचना यथा शीघ्र इस विभाग को उस आदेश के दिनांक के बाद 6 महीने से अधिक का समय इसमें नहीं लगना चाहिये ।

2. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर
3. अधीक्षक खान अभियन्ता, जयपुर
4. जिलाधीश, जयपुर एक अतिरिक्त प्रति के
5. खान अभियन्ता, जयपुर
6. संचालक, इन्डियन ब्यूरो आफ माइन्स नागपुर ।
7. श्री नन्दलाल अग्रवाल पोस्ट मावन्डा (सीकर)
8. गार्ड पत्रावली ।

ह०
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

(खान ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक पु० 4 (84) खान/ग्रुप–3/75 जयपुर, दिनांक 10 मई, 77

आदेश

चूंकि श्री नन्दलाल अग्रवाल निवासी सीकर ने खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत खनिज आइरन ओर के खनन पट्टा निकट ग्राम मोरीजा तहसील आमेर जिला जयपुर के अनुदान के लिए आवेदन किया है और चूंकि राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि आवेदन राज्य में प्रवर्तमान सम्बन्ध नियमों के उक्त रियायत के अनुदान के लिए उपयुक्त पक्ष (पार्टी) है।

और चूंकि वह क्षेत्र जिसके लिए आवेदन द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए मुक्त है।

अतः अब सरकार केन्द्रीय सरकार की सहमति से खनिज रियायत नियम, 1960 जो कि समय समय पर संशोधित हुए हैं, में उल्लिखित निबन्धनों और प्रतिबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबन्धनों प्रतिबन्ध पद आवेदन की खनन पट्टा का अनुदान करती है :—

1. पार्टी का नाम— श्री नन्दलाल अग्रवाल

2. खनिज— आइरन ओर

3. अवधि— 20 वर्ष एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की तिथि से

4. क्षेत्र— 216-03 हैक्टर्स निकट ग्राम मोरीजा तहसील आमेर जिला जयपुर में विवरण पत्र के अनुसार क्षेत्र की उपलब्ध भूमि पर वास्तविक सीमांकन पर निर्धारित है।

5. स्थिर घाटक— (1) प्रथम वर्ष निल
(2) 2 वर्ष से 5 वर्ष तक रु. 12.50 प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष
(3) 6 से 10 वर्ष तक रु. 25.00 " "
(4) 11 वर्ष से अधिक तक रु. 37.50 " "

238

6. प्रतिभूति—	रु. 1000/- और रुपये एक हजार मात्र
7. अधिशुल्क—	और (ए)क्लेकिटंग मोर देन 62% आफ एफ. ई. 2/- प्रति टन (बी) कन्टेनिंग अप टू 62 प्रतिशत आफ एफ. ई. 1.50 प्रति टन (11) और फाइन्स इनसाइज लैस देन 1.25 सेन्टी मीटर्स प्र. क्यू. इन्सीडटल टू माईनिंग एडसाइजिग आफ और रु. 0.35 प्रति टन ।
8. भूतल घाटक—	111) रेड आक्साईड 2/- प्रति टन जैसा कि राजस्व अधिकारी निश्चित करें ।
9. अन्य कर—	राजकीय नियमानुसार ।
10. अन्य शर्तें—	प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 एवं रूम एम. आर. डी. एक्ट, 1957 तथा समय-समय पर संशोधन हो उसके अनुसार ।

नोट—1. यदि अनुदानी आदेश की तिथि में 6 माह के भीतर समुचित इकरारनामा निर्धारित नहीं करेगा तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रति हृत कर दिया जायेगा ।

नोट—2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा, सिवाय उस समय के जबकि वह सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश से ऐसा करने के लिए अनुमत नहीं कर दिया गया हो ।

आदेश से,
ह०
(जगदम्बा लाल)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, भारत सरकार इस्पात एवं खान मन्त्रालय नई दिल्ली को उनके पत्र सं. 5/24/76 दिनांक 30 मार्च, 1977 के सदर्भ में ।

2. निर्देश के, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र संख्या निदे/जीपी/प. 1 (1) 75/2159 दिनांक 10-10-75 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि—

(क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का तुरन्त सीमा निर्धारण करा लिया जाय और हर हालत में इस आदेश से 45 दिन की अवधि समाप्त होने तक ताकि निश्चित अवधि में प्रार्थी संविदा निष्पादन कर सके।

(ख) इस क्षेत्र के सीमा निर्धारण व संविदा निष्पादन के दिनांक की सूचना यथास्थित इस विभाग को इस आदेश के दिनांक के बाद 6 महीने से अधिक का समय इसमें नहीं लगना चाहिये।

3. महालेखाकार राजस्थान जयपुर
4. जिलाधीश जयपुर
5. अधीक्षक खनिज अभियन्ता, जयपुर।
6. खनिज अभियन्ता, जयपुर।
7. संचालक इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स, नागपुर।
8. श्री नन्दलाल अग्रवाल पी. ओ. माउण्डा जिला सीकर।

ह०
शासन सहायक सचिव

भारत-पाक सीमा पर तस्करी

746. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारत-पाक सीमा पर (जैसलमेर-बाड़मेर) पिछले डेढ़ वर्ष में तस्करी की गतिविधियों मे कितनी वृद्धि हुई है ?

(2) राज्य सरकार ने तस्करी रोकने के क्या नये प्रबन्ध किये हैं ? क्या तस्करों के मुकाबले पुलिस को भी स्वचालित राइफलें, रिवाल्वर, जोंगा जीप आदि की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत-पाक सीमा पर गत डेढ़ वर्ष में तस्करी की गतिविधियों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

(2) तस्करी रोकने का कार्य सीमा पर मुख्यत: सीमा सुरक्षा दल का है, जिसके पास सभी आधुनिक हथियार व वाहन आदि उपलब्ध हैं । विस्तृत विवरण जनहित में देना उचित नहीं है । जिला अधिकारियों द्वारा भी सूचना मिलने पर आवश्यक कार्यवाही व दबिश, नाकाबन्दी, आदि की जाती है ।

सवाई माधोपुर की खानों का अलाटमेंट

747. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :- -

(1) सवाई माधोपुर में कितनी खाने हैं एवं उसमें से कितनी का एलाटमेंट कब से कब तक किन व्यक्तियों को किया गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बेरोजगार नवयुवकों को एलाटमेंट करने का प्रावधान रखती है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को एलाटमेंट कर दिया है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर खण्ड के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्रों का डेलीनेटेड प्लान बना हुआ नहीं होने से यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है कि इस खण्ड में कितनी खाने हैं। राजस्थान खाद्यान्न खनिज रियासत नियम; 1977 के नियमानुसार जिन जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र रिक्त क्षेत्रों के लिए प्राप्त होते हैं, उनको नियमों के अनुकूल स्वीकृत कर दिया जाता है । वर्ष 78-79 में 29 खानों के पट्टे इस वर्ष के लिये स्वीकृत किये हैं ।

(2) राजस्थान खाद्यान खनिज रियासत नियम, 1977 के नियम 7(3) में वर्णित श्रेणियों के व्यक्तियों को ही खनिज पट्टा दिये जाने का प्राधिकरण के आधार पर ही केवल मात्र प्रावधान है जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अधिक सुलभ कराने के उद्देश्य से शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति ग्रामीण कारीगर, दस्तकार, भूमिहीन, श्रमिक, एवं भूतपूर्व सैनिक इत्यादि के लिए भी पट्टे दिये जाने में प्राथमिकता निर्धारित की है । इस नियम के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 3 एवं जन जाति के व्यक्तियों को 5 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं ।

चूरू नगर परिषद् को कालोनी के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

748. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू नगर परिषद् क्षेत्र में इमर्जेंसी के समय क्या कोई धनराशि इन्द्रा कालोनी बसाने तथा उसे सडक से जोडने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कितनी धन राशि और किस किस कार्य के लिये ?

(2) इस राशि का उपयोग कहां और किस कार्य में किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू शहर में इन्द्रा कालोनी नाम की कोई बस्ती अब तक नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद वह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पुरानी हरिजन बस्ती योजना का नाम बदल कर दिनांक 28-3-76 को इन्द्रा कालोनी नाम रखा गया था।

सिरोही की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

749. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां है ?

(2) एक ग्राम सेवा में कुल कितनी पंचायतें सम्मिलित हैं ?

(3) क्या इनके चुनाव दस वर्षों से नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इनके चुनाव कब करवाए जायेंगे और इनका पुनर्गठन पंचायत अनुसार कब किया जाएगा ?

उत्तर

(1) सिरोही में कुल 63 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं।

(2) 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एक-एक पंचायत क्षेत्र है, 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दो-दो पंचायत क्षेत्र हैं तथा 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में तीन-तीन पंचायत क्षेत्र हैं।

(3) जी नहीं। चुनाव वर्ष 74-75 में हुए थे। अब चुनाव शीघ्र कराने का प्रयास है समितियों को सक्षम इकाई बनाने की दृष्टि से पुनर्गठन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

आदिवासी क्षेत्र में नये स्कूल खोलने का आधार

750. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा एक आदिवासी क्षेत्र है तथा कोटड़ा तहसील में केवल एक सैकण्डरी स्कूल है ?

(श्री भूरालाल)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलने की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में आदिवासी अलग अलग बिखरे हुए है? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में जनसख्या को आधार नहीं मानकर उक्त क्षेत्र के बिकरणी, बास, बगडूण्दा और करदा आदि स्थानों में स्कूल खोले जा रहे हैं या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गतवर्ष मुख्यतः यह नीति अपनाई गई थी।

(3) आदिवासी क्षेत्र में भी आधार तो जनसंख्या का ही रखा गया था। लेकिन क्षेत्र के विकास की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में जनसंख्या की मात्रा कम रखी गयी थी।

विभिन्न अकादमियों को सरकार से मिलने वाला अनुदान

751. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) **श्री बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्षों से संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी को मिलने वाले अनुदान का 70% इनके प्रस्थापन पर व्यय होता है और राज्य सरकार इन तीनों अकादमियों के कार्यों से असंतुष्ट है ?

(2) क्या इस आशय का समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। जिसका सरकारी स्तर पर कोई खण्डन नहीं किया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार इनके पुनर्गठन की क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार अकादमियों के कार्य को देखने के लिए किसी पृथक विभाग या मंत्रालय के गठन का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) कितने समय से राज्य सरकार ने संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी के अध्यक्ष मनोनीत नहीं किये हैं ? राज्य सरकार यह काम अब कब तक पूरा करेगी ? क्या यह सही है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त वरिष्ठ आई. ए. एस हैं जिनकी साहित्य के क्षेत्र में कोई ख्याति नहीं है तथा जयपुर में 7 मार्च के कुख्यात गोलीकाण्ड के समय जो कलेक्टर रहे थे ?

(5) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण पद पर किसी सक्रिय साहित्यकार को रखना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अकादमियों के कार्य कलापों के बारे में समाचार पत्रों में समाचार एवं लेख कई बार छपते रहते हैं। इनमें की

(शिक्षा मन्त्री)

गई आलोचना एवं सुझावों पर सरकार गम्भीरता से विचार करती है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में संगीत नाटक अकादमियों के अध्यक्ष पद का कार्य शिक्षा आयुक्त देख रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर पूर्णकालीन नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(4) ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पद पर श्री शंकरराज लोढा को आज्ञा दिनांक 10-7-78 द्वारा मनोनीत किया गया था, परन्तु उनके इस पद पर कार्य करने की अनिच्छा जाहिर करने के कारण पद नहीं भरा जा सका। अब इसे भरने का मामला भी राज्य सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(5) यह सही है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष एक अवकाश प्राप्त आई०ए०एस० अधिकारी हैं लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि उनका साहित्य के क्षेत्र में कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 19-2-80 को समाप्त हो रहा है, अतः फिलहाल उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को लगाने का सरकार का विचार नहीं है।

जयपुर शहर के विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था

752. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में कितने राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय है ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कई बालक/बालिका विद्यालयों में शौचालयों व मूत्रालयों की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(3) राज्य सरकार कब तक इन विद्यालयों में शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर में इस समय 111 प्राथमिक, 33 उच्च प्राथमिक, 14 माध्यमिक एवं 11 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।

(2) जी हां।

(3) जन सहयोग से ही यह सम्भव हो सकेगा।

जालौर जिले में प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

753 **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जालौर जिले में प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण कार्य जनवरी, 1979

(श्री सूरजपाल सिंह)

में पूर्ण हो गया परन्तु अभी तक उसे क्रियान्वित करने हेतु किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई ? क्या सामग्री के के अभाव में इस कार्यक्रम को चला पाना सम्भव है ? अगर हां, तो कैसे ? अगर नहीं, तो सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां। सामग्री का वितरण चालू है। शीघ्र ही सब केन्द्रों पर पहुंचा दी जायेगी।

वैद्यों के रिक्त पद

754. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनूं): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद विभाग निकट भविष्य में 35 रिक्त पदों पर द्वितीय श्रेणी वैद्यों की नियुक्ति का विचार कर रहा है।

(2) इस समय राजस्थान में कुल कितने आयुर्वेद स्नातक बेरोजगार हैं। तथा कुल कितने वैद्यों के पद रिक्त हैं। इस नियुक्ति का क्या आधार व योग्यता होगी ?

(3) क्या राजस्थान के स्नातकों को इसमें प्राथमिकता प्राप्त हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञापन निकाल कर पत्र आमन्त्रित किये जा चुके हैं।

(2) विज्ञापन के बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर विश्वविद्यालयों के आयुर्वेद स्नातकों में राजस्थान विश्वद्यालय के 89 तथा 16 अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक राजस्थान में बेरोजगार हैं। नियुक्तियों का आधार कुल प्राप्तांक का मैरिट क्रम है। वैद्य पद पर नियुक्ति हेतु भिषगाचार्य (राजस्थान) या आयुर्वेदाचार्य (राजस्थान विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा या आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की आयुर्वेद उपाधि को मान्यता दी हुई है। आगामी वर्ष 79-80 में 66 नवीन औषधालय खोले जा रहे हैं 36 चिकित्सक रिटायर्ड होंगे एवं कुछ पद पदोन्नति से रिक्त होने की सम्भावना है। अतः राजस्थान में 1979-80 में आयुर्वेद स्नातक बेरोजगार नहीं रहेंगे।

(3) नियमानुसार नियुक्तियां दी जावेंगी।

प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था

755. **श्री बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशी लाल मीणा)

(1) राज्य की प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या के किस अनुपात में अध्यापक रखे जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि छात्र संख्या अधिक और अध्यापक की व्यवस्था छात्रों के अनुपात में कम होने के कारण शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था हो रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्रांक एफ-5 (बी) (184) शिक्षा-सी (2)/62 दिनांक 27-6-1962 के अनुसार राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों का अनुपात निम्न प्रकार है:—

छात्र संख्या	अनुपात
1 से 49 तक	1
50 से 89 तक	2
90 से 129 तक	3
130 से 169 तक	4
170 से 210 तक	5

(2) खण्ड 1 में उल्लेखित नार्म्स के अनुसार कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों का अनुपात कम हो सकता है परन्तु विभाग का यह प्रयास है कि नार्म्स के अनुसार नये पद सृजित होते रहें।

राज्य में निशुल्क प्राथमिक शिक्षा

756. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सही है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों से फीस ली जाती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

जी नहीं। प्राथमिक स्तर पर कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

रानीवाड़ा में नया बस स्टैण्ड

757. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा में अभी नया बस स्टेण्ड कायम नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अभी जहां मौजूदा बसें खड़ी रहती हैं वहां पर लोगों का आना जाना रहता है और आम रास्ता भी है जिससे भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है इसलिए ऐक्सीडेन्ट होने का पूरा खतरा रहता है ? यदि हां, तो उपयुक्त स्थान पर बस स्टेशन कब तक कायम कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बस स्टेण्ड निर्माण हेतु नगरपालिका रानीवाड़ा को लिखा गया है।

(2) जी हां। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस हेतु नगर पालिका रानीवाड़ा से सुझाव मागे जा रहे हैं।

बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसन्स के चुनाव

758. **श्री नवलराय बच्चाणी** (अजमेर, पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन्स राजस्थान के चुनाव कब हुए थे तथा पिछली बैठक कब हुई थी ?

(2) नये चुनाव कब होंगे तथा उन चुनावों में कितना खर्चा होगा ?

उत्तर

(1) चुनाव जून, 1971 में तथा पिछली बैठक दिनांक 14-7-77 को हुई थी।

(2) नये चुनाव कराने का मामला सरकार के विचाराधीन है। चुनाव में साठ हजार रुपये (60,000) का खर्चा होने की सम्भावना है।

पिड़ावा से डग व भवानी मण्डी मार्ग पर बसों की व्यवस्था

759. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पिड़ावा-भवानी-मन्डी व पिड़ावा डग मार्ग पर मार्च, 1979 तक राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वाहन चलाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक रोडवेज के वाहन चलाना प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां। पिड़ावा-भवानी मन्डी मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 13-1-77 को प्रकाशित की जा चुकी है। किन्तु इस मार्ग का एक भाग डग-पिड़ावा कच्चा व वाहन संचालन के योग्य नहीं होने के कारण इस योजना के अन्तर्गत आने वाले मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। डग-पिड़ावा मार्ग पर सड़क व पुल निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है।

जैसे ही कार्य पूर्ण हो जायेंगे। योजनान्तर्गत मार्गों पर वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

निगम के बस स्टेन्डों पर सफाई की व्यवस्था

760. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(1) क्या यह सही है कि मुख्य बस स्टेशनों पर संडास और पेशाब घर बेहद गंदे होते हैं और सफाई की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सुधार के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

(2) आवश्यकता से कम संख्या में संडास और पेशाबघर होने पर क्या उनकी संख्या बढ़ाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । निगम के मुख्य बस स्टेन्डों पर सफाई हेतु पूर्णकालिका तथा दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है ।

(2) जी हां । निगम के वित्तीय साधन के अनुसार इन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा ।

विजयनगर जल प्रदाय योजना

761. **श्री नूरा (मसूदा)** : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विजयनगर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर की जल प्रदाय योजना के लिए पानी की सप्लाई करने के लिए कुए खारी नदी पंचायत समिति, हुंडा में ग्राम पंचायत गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा के क्षेत्र में हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन कुओं से केवल मात्र विजयनगर जल प्रदाय योजना को ही पानी सप्लाई किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यालय गुलाबपुरा एवं गंगापुर जिला भीलवाड़ा में स्थित हैं ?

(4) क्या यह सही है कि विजयनगर, अजमेर जिले में होने और इस कस्बे की जल प्रदाय योजना का प्रशासनिक कार्यालय भीलवाड़ा जिले में स्थित होने से जनता को बहुत कठिनाईयां सहन करनी पड़ रही हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जिला योजना समिति अजमेर ने यह सुझाव दिया था कि इस जल प्रदाय योजना को अजमेर जिले के इसी विभाग के प्रशासनिक अधिकार में सौंप दिया जाय ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि इस जल प्रदाय योजना के लिए निर्मित टंकी बहुत छोटी है तथा पाइप लाइन भी बहुत छोटी है जो कि इस कस्बे को नाकाफी है ? क्या सरकार टंकी और पाइप लाईन को बड़ी बनाने का निर्णय करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इन कुओं से विजय-नगर के अलावा हुरडा तथा गुलाबपुरा ग्रामों को भी पेय जल उपलब्ध कराया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। प्राथमिक दृष्टिकोण से यह उचित नहीं समझा गया।

(6) पानी की समस्या के समाधान हेतु एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना जिसकी लागत 5.02 लाख रु० हैं, स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 2 नये कुए एक मैसनरी सी० डब्लू० आर० व पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा सकेगा।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की अपर्याप्त बसें

762. **श्री मूलचन्द सामरियाँ** (दौसा) **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय), **श्री हरसहाय मीणा** (लोलसोट) :क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की बसों की संख्या को क्या सरकार पर्याप्त समझती है ?

(2) क्या सरकार यात्रियों को होने वाली परेशानियों से परिचित है ? यदि हां, तो इसका समाधान किस प्रकार हो सकेगा ?

(3) क्या सरकार निजी बस मालिकों से बसें आनकान्ट्रेक्ट लेकर इन मार्गों पर बसों की कमी को पूरा करने को प्रयत्न-शील है ?

(4) सरकार की निजी बस मालिकों से बस आनकान्ट्रेक्ट पर लेने हेतु परिवहन निगम की क्या नीति निर्धारित हैं ?

(5) परिवहन निगम दौसा-जयपुर मार्ग पर और कितनी बसें बढ़ाना उपयुक्त समझता है ?

उत्तर

(1) जिन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री भार अधिक है उन मार्गों पर अधिक बस सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) जी हां। जिन मार्गों पर अधिक भीड़ है उन मार्गों पर अधिक बस सेवाएं उपलब्ध करा कर इसका समाधान किया जा रहा है।

(यातायात मन्त्री)

(3) जी हां। निगम द्वारा पहले ही निजी वाहन मालिकों की बसें अनुबन्ध पर ली हुई है।

(4) निगम के पास समुचित वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण निगम द्वारा निजी वाहनें अनुबन्ध पर लेने की नीति अपनाई गई है।

(5) ग्रीष्मकालीन समय सारणी में उक्त मार्ग पर 4 परिचक्रों की वृद्धि प्रस्तावित है।

250

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 888 का विवरण)

सरदारशहर तहसील को चालू जल प्रदाय योजनाओं में निम्नलिखित शिकायतें की गई है :—

जल योजना बिल्लू के अन्तर्गत ग्राम निमरासर रातूसर, रायपुरा, भाउबाला एवं मेहरासर में पानी की शिकायत ग्राम वासियों एवं विधायक श्री हजारीमल सारण द्वारा की गई थी, शिकायत का प्रकाशन राष्ट्रदूत समाचार पत्र दिनांक 21-1-78 में हुआ। उक्त शिकायत को प्रति जिलाधीश चुरू द्वारा अपने पत्र दिनांक सी०/पी० ए०/78/38 दिनांक 21-1-78 द्वारा अवगत कराया गया। उक्त गांवों को पानी देने के लिए पूरी योजना बिल्लू जोगेरा में दो ट्यूब वैल बने हुए हैं। एक अन्य ट्यूब-वैल बनाने के लिए राजस्थान भू-मण्डल बीकानेर को दिनांक 9-10-78 को रु. 92,250/- जमा कराये जा चुके हैं। ट्यूब वैल का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उक्त गांवों को पानी पर्याप्त मात्रा में वितरण करना संभव हो सकेगा।

सरदारशहर हरिजन बस्ती में पानी की कमी की शिकायत प्राप्त हुई थी। हरिजन बस्ती सरदारशहर में आधा इंच एवं एक इंच की जो सारी पाइप लाइनें डाली हुई थी वे लाइनें खराब हो जाने के कारण पानी की सप्लाई में व्यवधान पैदा हो गया था। धन की उपलब्ध के अनुसार ये लाइन बदली जा सकेगी।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सरदारशहर ने अपने तार दिनांक 29-4-78 द्वारा सरदारशहर में पानी की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं होने बाबत शिकायत की थी। वर्तमान में जनता को पानी पूर्ण मात्रा में वितरित किया जा रहा है।

ग्राम छाजूसर में पानी की समस्या बाबत :—श्री शेरसिंह उप सरपंच ग्राम पंचायत काकलासर तहसील सरदारशहर एवं अन्य ग्रामवासियों ने एक शिकायत पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 5-6-75 द्वारा की थी। बिजली की अव्यवस्था के कारण पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जा सका। परन्तु अब पानी की सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं है।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न सं. 890 की सूचना)

दिनांक 1 फरवरी, 79 को निगम के साथ अनुबन्धित निजी वाहनों की मार्ग वार संख्या की सूचना

क्र. सं.	मार्ग	वाहनों की संख्या
1	2	3
1.	अलवर-जयपुर-वाया शाहपुरा	2
2.	अलवर-महुआ	2
3.	अलवर-जयपुर वाया बांदीकुई	1
4.	जयपुर-मकराना	1
5.	जयपुर- चूरू	1
6.	जयपुर-मण्डावा	1
7.	जयपुर-बयाना	1
8.	जयपुर-सवाई माधोपुर वाया दौसा	1
9.	जयपुर अजमेर	3
10.	जयपुर-कूदन	1
11.	जयपुर-बीकानेर वाया रतनगढ़	2
12.	टौंक-जयपुर	3
13.	भरतपुर-जयपुर	1
14.	भरतपुर-कामां-जयपुर	1
15.	टौंक-अजमेर	2
16.	टौंक-दूनी	1
17.	सालासर-सीकर	2
18.	लोसल-सीकर	2
19.	जोधपुर-जयपुर (रात्रि सेवा)	2

1	2	3
20.	बीकानेर-अजमेर	1
21.	गंगानगर-सूरतगढ़	4
22.	गंगानगर-देहली	1
23.	जोधपुर-बीकानेर	1
24.	जोधपुर-नाकोडा	1
25.	चांदपोल-जयपुर	5
26.	चांदपोल-चौमूं-कालाडेरा	3
27.	चांदपोल-बगरू	5
28.	चांदपोल-सिरसी	1
29.	लालनिवास-चाकसू वाया पदमपुरा	2
30.	लालनिवास-वाटिका	1
31.	लालनिवास-गोनेर	1
32.	लालनिवास-गोटलावदा	2
32.	चांदी की टकसाल-भानपुर-ताला	2
34.	घाटगेट-बस्सी-लवाण	2
35.	घाटगेट-दौसा-लवाण	2
36.	घाटगेट-बस्सी-सिकन्दरा	1
37.	घाटगेट-बस्सी-महुवा	1
38.	घाटगेट-सिकन्दरा-महुग्रा	1
39.	घाटगेट-नायला-बासंखों	2
40.	घाटगेट-लवाण	1
41.	जयपुर-टोडा	2.
42·	जयपुर-केकड़ी	13
43.	जयपुर-फागी	2
44.	जयपुर-अलवर	1

1	2	3
45.	बांसवाड़ा-जयपुर	2
46.	हनुमानगढ़-गंगानगर	2
47.	गंगानगर-जोधपुर	1
48.	गंगानगर-बीकानेर	1
		94 (चौरानवे)

परिशिष्ट सं –5

(अतारांकित प्रश्न सं. 894 का विवरण)

खर्चे का विवरण

वर्ष	नहर की केवल लील निकालना व सफाई पर	नहर की मरम्मत पुलिया एवं नहर को ऊंचा करना व पुर्न-निर्माण पर खर्चे
1971-72	52,309.15	23,378.00
1972-73	75,284.95	5,848 00
1973-74	22,674.25	2,40,971.63
1974-75	33,838.80	1,695.00
1975-76	2,68,000.25	61,994.00
1976-77	42,441.90	7,09,442.00
1977-78	1,21,670.50	5 50,670.00
1978-79	1,09,747.00	1,92,670.00
	7,25,966.70	17,86,668.63
	कुल योग :—	25,12,635.33

परिशिष्ट सं.–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 895 की सूचना)

बिना टिकिट यात्रियों की सूची एवं दण्डित किये गये यात्रियों का विवरण

माह	चैक की गई वाहनों की संख्या	बिना टिकिट यात्रियों की संख्या	अधिभार राशि वसूल की गई	न्यायिक दण्डनायकों द्वारा दण्ड्त किये यात्रियों की संख्या
1	2	3	4	5
जून, 1977	10112	2707	2802-00	1
जुलाई, 77	10070	2742	2810-50	17
अगस्त, 77	9537	2604	1680-90	28
सितम्बर, 77	7644	2151	1094-90	53
अक्टूबर, 77	9898	2402	1281-70	25
नवम्बर, 77	9094	2794	1492-30	17
दिसम्बर, 77	9279	2813	2102-80	41
जनवरी, 1978	14643	4293	3766-20	19
फरवरी, 78	12848	2101	2512-20	101
मार्च, 78	14640	4407	3225-10	30
अप्रेल, 78	4907	1651	1477-15	52
मई, 78	5560	3781	3609-20	25
जून, 78	5387	3229	2853-50	25
जुलाई, 78	3326	3029	2555-60	45
अगस्त, 78	7066	3962	3987-40	21
सितम्बर, 78	6109	3086	5642-80	52
अक्टूबर, 78	6513	3325	4144-60	80

1	2	3	4	5
नवम्बर, 78	2235	2771	3027-70	43
दिसम्बर, 78	4216	2473	7177-10	17
जनवरी, 1979	1990	2157	2531-60	38
कुल योग:—	1,55,074	58478	59775-25	730

नोट:—माह फरवरी,79 के आंकड़े संकलित नहीं हो पाये हैं ।

परिशिष्ट सं.–7

(अतारांकित प्रश्न सं. 903 का राज्यादेश)

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप–6) विभाग

सं. व. 10 (67) वि.भ/ग्रुप-6/78 दिनांक 13 दिसम्बर, 1978

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः -निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा अनुदान रोके जाने पर सुगम शिक्षा समिति जयपुर द्वारा अपील ।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि मन्त्री सुगम शिक्षा समिति जयपुर द्वारा अनुदान रोके जाने की अपील पर संस्था के प्रतिनिधियों को दिनांक 7/11/78 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया । संस्था ने यह अपील अनुदान नियमों के नियम 10 के अन्तर्गत की है । संस्था का कथन है कि अनुदान रोके जाने से पूर्व नियमानुसार संस्था को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिये था जो निदेशक संस्कृत विभाग द्वारा नहीं दिया गया ।

निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा संस्था को दिनांक 1-3-78 को कारण बताओ नोटिस दिया था किन्तु यह नोटिस अनुदान बन्द करने का नहीं है मान्यता निलम्बित करने के बारे में है । किन्तु इस कारण बताओ नोटिस में बताई गई अनियमितताऐं गम्भीर हैं । इन अनियमितताओं को पूरा करने के बारे में संस्था ने कोई सहयोग नहीं दिया ।

अतः संस्था की अपील इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि निदेशालय के पत्र दिनांक 1-3-78 में वर्णित व अनियमितताओं को संतोषप्रद तरीके से दूर करने पर ही संस्था को अनुदान दिये जाने की कार्यवाही करें ।

भवदीय
ह०/-
(के. के. भटनागर)
विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि अध्यक्ष सुगम शिक्षा समिति, सिविल लाइन्स, जयपुर को उनकी अपील दिनांक 20-5-78 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

ह०
लेखाधिकारी

सुगम विद्या समिति, सिविल लाइन्स, जयपुर

(निरीक्षण प्रतिवेदन)

संस्था का नाम	सुगम जिला समिति, जयपुर।
स्तर	पूर्व वेशिका
प्रधानाध्यापक	श्री श्रीराम शर्मा, बी. ए., पी. टी. सी.
पूर्व निरक्षण	1 जनवरी, 78 (जांच के सम्बन्ध में) द्वारा श्री मोतीलाल जोशी, प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर।
वर्तमान निरीक्षण	30-8-78 व 14-10-78
निरीक्षण अधिकारी	रघुवीर चतुर्वेदी, प्राचार्य, राज. सं. वि. प्र. विद्यालय, महापुरा।

सामान्य :—

निदेशक संस्कृत विद्या राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या नि. सं. वि. । संघ ग्रुप–1/78 ।36463-745 दिनांक 16-9-78 की पालना में दिनांक 30-9-78 व 4-10-78 को सुगम शिक्षा समिति, जयपुर का निरीक्षण किया गया। संस्था सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत इसी नाम से क्रमांक 73।66-67 पर रजिस्टर्ड है और इसी के अधीन यह विद्यालय संचालित है। संस्था को प्रदत्त मान्यता विभाग के आदेश संख्या नि. सं. वि. 9391 दिनांक 16-5-67 द्वारा बिना किसी अवधि के अधीन किये अस्थाई रूप से दी गई थी। पूर्व में केवल कक्षा 6 तक मान्यता दी गई थी। इसके अतिरिक्त कक्षा 7, 8 के लिये कोई अलग से आदेश उपलब्ध नहीं हुए हैं। विभाग द्वारा वर्ष 77-78 की सूची में यह पूर्व प्रवेशिका स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रारम्भ में जिन वर्षों पर मान्यता दी गई थी, उनकी पूर्ति की जा चुकी है। वर्तमान में 393 छात्र कक्षा 3 से 6 तक लगभग इतने ही छात्र शिशु कक्षा से कक्षा 3 तक हैं यह विचित्र बात है कि शिशु कक्षा से कक्षा 3 तक का संबंध विभाग से नहीं बनाया गया है। यह बालवाड़ी अलग से चलाई जा रही है। मन्त्री जी का कहना है कि इन कक्षाओं के लिये न तो उन्हें विभाग से अनुदान मिला है और न ही कहीं अन्यत्र से। लेकिन संस्था में ही एक स्वतंत्र संस्था चलाने का कोई स्वतंत्र उद्देश्य सामने नहीं आया। इन कक्षाओं को अविकल इकाई के रूप में

चलाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । यह सही है कि इन पर अध्यापक नहीं दिये, हैं लेकिन कालान्तर में यदि स्ट्रेन्थ वृद्धि होती है तो संस्थापक अवश्य यह कहना चाहेंगे । विभाग को इन कक्षाओं के आंकड़े भेजने चाहिये ।

स्टाक :—

विभाग की ओर से कुल 7 तृतीय और एक द्वितीय वेतन शृंखला व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत है मन्त्री जी का कहना है कि एक अध्यापक की अनुदान राशि कार्यालय से भी मार्च में सभी संस्थाओं को मिली है, उन्हें प्राप्त नहीं हुई है ।

इस समय निम्न अध्यापक कार्यरत पाये गये हैं :—

1.	श्री श्रीराम शर्मा प्रधानाध्यापक	बी. ए. पी. टी. सी.	1-4-68 से	650) पी.एम.	48) प्रा.प.
2.	श्री दामोदर जांगिड़	उपाध्याय	16-7-	335)	—
3.	श्री लक्ष्मीनारायण	बी. ए.	3-7-75	300)	—
4.	श्री सत्यपालसिंह यादव	एम. ए. बी. एड.	1-778	375)	—
5.	श्रीमती सरीन पाठक	हा. सेक. एस. टी. सी.	,,	355)	
6.	,, राधा अग्रवाल	एम. ए.	,,	300)	
7.	श्री रमण कुमार	टी. डी. सी. I ईयर	,,	300)	
8.	श्री राम निवास	बी. ए. बी. एड.	,,	375)	
9.	सुश्री जसवंत कौर	इंटर एस. टी.सी.	,,	355)	
10.	श्री सत्यनारायण	दाधीच आचार्य	,,	375)	

(260)

11. श्री राजेन्द्र प्रसाद	बी. एस. सी. बी. एड	1-9-78	375)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. प्रभातीलाल	—	1-7-76	246)

उपरोक्त स्टाफ में उपाध्याय योगयता के अध्यापक सहित 4 अध्यापक अप्रशिक्षित हैं। विभाग से 6 पद स्वीकृत हैं किन्तु तीन अध्यापक अधिक कार्यरत हैं। अधिकतर स्टाफ जुलाई, 78 में नियुक्त किया गया है। शीघ्र परिवर्तन संस्था के लिये हानिकारक है। मन्त्री जी का कहना है कि पूर्व स्टाफ के छोड़ जाने के कारण नई भर्ती करनी पड़ी है। चयन दो बार हुए हैं। चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधी नहीं हैं। भविष्य में विभागीय प्रतिनिधी की उपस्थित में ही चयन किये जाने चाहिये। प्रशिक्षित व्यक्तियों के मिलते हुए अप्रशिक्षितों की नियुक्ति करना (चाहे उन पर अनुदान न भी लिया जाता हो) उचित नहीं है। अध्यापकों का सेवा अभिलेख सही पाया गया। वेतन अगस्त, 78 तक सभी को दिया जा चुका है। वेतन संबंधी कोई शिकायत निरीक्षण के समय सामने नहीं आई। टीचर्स डायरियां नियमित भरी जाती हैं और इनकी जांच भी होती है। यह प्रसंशनीय है।

भवन :—

भवन श्री श्रीराम शर्मा का है और यह सिविल लाइंस में स्थित है। संस्था को 500) रु माहवार किराये पर है। इसका रजिस्ट्रेशन मूल्यांकन पत्र नहीं दिखाया गया। नगर में चल रही कुछ संस्थाओं की तुलना में मकान सुन्दर और संतोषजनक है। कुल 13-14 कमरे हैं। छात्र संख्या की दृष्टि से जितनी जगह होनी चाहिये उतनी नहीं है अतः छात्र संख्या चाहे कम रखें लेकिन उन्हें बैठने का पूरा स्थान मिले। कक्षा ग्रुप शिशु से 3 तक कम स्थान है। फिर भी भवन की स्थति संतोषप्रद है। सभी कक्ष मेप्स, चार्ट्स से सुसज्जित हैं। विद्यालय में एक विज्ञान संस्था के अनुरूप वातावरण है और ऐसा प्रतीत होता है संचालक इसको बनाने में काफी रुचि लेते हैं। दो कक्षाएं बड़े हाल में आस पास बैठती हैं उनकी आवाज न टकराये, कुछ ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है। प्रायः सभी कमरों में पंखों की व्यवस्था है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय :—

एक बड़े कमरे में स्थापित है। कुल 1566 पुस्तकें विद्यालय में बताई गई हैं। छात्र और अध्यापक इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। रिकार्ड सही प्रकार रखा

जाता है। पुस्तकें आदि तथा रजिस्टर व्यस्थित हैं। वाचनालय में पत्रिका भारती, कर्मज्योति, मुक्तदूत, पाती आदि पत्र पत्रिकाएं आती हैं। बच्चों की रुचि की एक भी पत्रिका देखने को नहीं मिली। भविष्य में बच्चोपयोगी पत्रिका मंगानी चाहिये। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जावे।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक विद्या :—

यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र बहुत ही सचेत, उत्साही मिले हैं। प्रत्येक कक्षा में मानीटर है, यहां तक कि उसे अपनी कक्षा की छात्र संख्या, दैनिक उपस्थिति, छात्रों तथा गैर हाजिर छात्रों के बारे में भी जानकारी रहती है। खेल कूद पास के मैदान में कराये जाते हैं। खेल सामग्री उपलब्ध है। समय विश्राम चक्र में तथा पीरियड इसके लिये निर्धारित है। सभी अध्यापक यह पीरियड लेते हैं। छात्र छात्राएं स्वस्थ एवं साफ पाये गये। छोटी कक्षाओं के कुछ बच्चे नहा कर नहीं आते। इन बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण हो, यह सर्व प्रथम ध्यान दिया जाना चाहिये।

फर्नीचर एवं उपकरण :—

पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री आदि की दृष्टि से संस्था सम्पन्न है। छोटी कक्षाओं में छात्र अधिक सुविधा से नहीं बैठ पाते। अगर उन्हें दरी पट्टियों पर बिठाया जाय तो ज्यादा उचित है। या फिर उनके सामने बैंचों की व्यवस्था होनी चाहिये।

उपस्थिति :—

दिनांक 4-10-78 का निरीक्षण के समय छात्र संख्या निम्न प्रकार पाई गई :—

कक्षा	कुल छात्र	उपस्थिति
1	2	3
8	48	46
7 ए	35	51
7 बी	36	38
6	59	40

1	2	3
5 ए	36	27
5 बी	44	38
4	54	48
3 ए	28	21
3 बी	55	46

शिशु कक्षा से कक्षा 2 तक उपस्थिति नहीं दी गई है, जो लगभग 290 है। छात्र उपस्थिति प्रतिशत अच्छा है। इस बात का ध्यान रखा जाय कि कोई भी सेक्शन विभागीय अनुमति के बगैर न खोला जाय। वास्तविकता यह है कि इस भवन की स्थिति को देखते हुए किसी सेक्शन में नई भर्ती की गुंजाइश नहीं है। कुछ कक्षाओं में छात्र संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है और इस अधिकता के कारण विषय स्तर प्रभावित हो सकता है।

पाठ्यक्रम :—

संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। नगर स्थित गैर सरकारी विद्यालय कोई ऐसा नहीं है जहां अंग्रेजी प्रारंभ से न पढ़ाई जाती हो। यहां भी यही स्थिति है। पाठ्य पुस्तकें विभाग द्वारा निर्धारित। अंग्रेजी विषय में कुछ निजी प्रकाशन भी निर्धारित हैं। यह अनुदान है और इसका प्रयोग बन्द किया जाना चाहिये।

अनुशासन :—

विद्यालय में अनुशासन प्रसंशनीय है। छात्र साफ सुथरे और योग्य पाये गये।

शैक्षणिक स्तर :—

प्रायः सभी कक्षाओं को देखने का अवसर मिला है। कक्षा 8 को श्री रमण कुमार अंग्रेजी आदि का अर्थ बता रहे हैं। छात्र सभी विषयों में ठीक हैं। कक्षा 8 को

श्री राजेन्द्र प्रसाद गणित पढ़ा रहे हैं। शिक्षण पद्धति उचित थी। छात्रों से संस्कृत तथा अंग्रेजी विषय में प्रश्न पूछे गये। उत्तर संतोषप्रद था। श्री राम निवास कक्षा 5 ए को सामाजिक ज्ञान, 5 बी को श्री सत्यनारायण शर्मा तद्लंकार (वर्तमान) का ज्ञान करा रहे थे। सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम ठीक प्रकार चल रहा है। अध्यापक रुचिपूर्वक पढ़ाते हैं और कक्षा कार्य को देखते हैं। उनकी विषय संतोषप्रद पाई गई है।

सामान्यतया इस विद्यालय का शिक्षण स्तर, अनुशासन, लिखित कार्य, उनकी जांच की प्रणाली अच्छी है। यह और भी अच्छा है कि यह सभी कार्य विद्यालय के नियमित दिनचर्या के अंग हैं। विद्यालय में काफी मात्रा में सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, इनकी कक्षा अध्यापन में उचित प्रकार से उपयोग होना चाहिये। श्याम पट्टों की व्यवस्था सभी कक्षाओं में है और प्रत्येक अध्यापक इसका उपयोग करता है, यह अच्छा है। लिखित कार्य की जांच में कक्षा 5, 7 में अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है। समय विभाग चक्र में सुझावानुसार परिवर्तन किये जावें।

कार्यालय :—

विद्यालय का रेकार्ड व्यवस्थित और साफ सुथरा पाया है। सभी आवश्यक रजिस्टर रखे जाते हैं और उन्हें पूर्ण रखा जाता है। टी. सी., प्रवेश रजिस्टर, प्रवेश फार्म, फीस रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर आदि पूर्ण पाये गये हैं। कैश बुक उपलब्ध नहीं हो सकी। छात्रों को नियमित फीसों की रसीदें दी जाती हैं। संस्था का रेकार्ड संतोषप्रद पाया गया। अध्यापकों की सर्विस बुकें तैयार कराई जावें।

प्रोविडेण्ट फण्ड :—

पी. एफ. केवल श्री श्रीराम का 48) रु. माहवार कटता है। आश्चर्य है कि खाता बैंक में खोला हुआ है। यह तत्काल नियमानुसार पोस्ट आफिस में खोला जाना जरूरी है। जब अध्यापकों को साक्षात्कार के बाद नियुक्त किया जाता है तो उन्हें प्रोवेजन रखा जाना उचित है ताकि इनको भी पी. एफ. का लाभ मिल सके।

फीस :—

संस्था में कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। केवल सहायता ली जाती है। यह नई परम्परा प्रायः सभी विद्यालय अपनाते जा रहे हैं। फीस की दृष्टि से पुराने छात्रों से 1`) रु. व नये छात्रों से 20 रु. वार्षिक लिये जाते हैं। फीस का हिसाब ठीक प्रकार से रखा जाता है। आडिट के समय यह बिन्दु और देखा जाना उचित होगा।

264

कार्यकारिणी :—

संस्था का नियमित कार्यकारिणी है। सूची संलग्न है। गत वर्ष अध्यापकों के संघर्ष के कारण जिसकी जांच विभागीय स्तर पर अलग से हुई है कार्यकारिणी की बैठकें जरूरत से ज्यादा हुई हैं। 1977 में कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, जो विधान की पालना में है। कार्यकारिणी में अनुदान नियमों फीस के अनुसार छात्र प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये।

सामान्य :—

संस्था के शिक्षण स्तर, साज सज्जा को देख कर प्रसन्नता हुई है। छात्र संख्या अधिक न बढ़े यह ध्यान रखा जाना जरूरी है। अंग्रेजी विषय पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय संस्कृत और राष्ट्रभाषा पर जोर दिया जावे।

डा. रघुवीर चतुर्वेदी,
प्रधानाचार्य,
राजकीय संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय
महापुरा—जयपुर।

परिशिष्ट सं.-8

(अतारांकित प्रश्न सं० 910 की सूची)

विद्यालय का नाम - श्री वैदिक कन्या माध्यमिक विद्यालय, आबूरोड

संस्था का नाम—श्री वैदिक माध्यमिक विद्यालय, आबूरोड

क्र सं.	कार्यरत कर्मचारी	नाम	नियुक्ति तिथि	वेतन शृंखला	वेतन	महंगाई भत्ता आकस्मिर हत आदि कुल मिलाकर दी जाने वाली राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रधानाध्यापिका	(1) श्रीमती शकुन्तला बाजपेय	16-7-75	300—800	350=00	683 = 25	स्थाई
2.	द्वितिय श्रेणी 7	(2) श्रीमती यशोदा चतुर्वेदी	7-7-59		215=00	511 = 80	,,
		(3) श्री ब्रह्मस्वरुप भटनागर	1-7-61	160—360	285 = 00	600—70	,,
		(4) श्री चन्द्रशेखर दीक्षित	1-7-78	,, ,,	130 = 00	361—80	अस्थाई
		(5) सुश्री अन्जना भंडारी	1-7-78	,, ,,	130 = 00	361—80	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		(6) श्री धर्माराम जी रावल	1-7-78	160—360	130=00	361—80	स्थायी
		(7) सुश्री तुलसी सामतानी	18-7-78	,, ,,	110=00	334—60	द्वितीय वेतन
		(8) श्रीमती मिथलेश शुक्ला	1-9-78	,, ,,	110=00	334—60	श्रृंखला के स्थान पर
3.	तृतीय श्रेणी 6	(1) श्रीमती नर्बदा देवी	1-7-50	110—230	184—00	452—00	स्थाई
		(2) ,, विमला मिश्रा	2-1-66	,, ,,	155—00	423—00	,,
		(3) ,, आशालता	18-7-78	,, ,,	110—00	344—00	अस्थाई
		(4) सुश्री राधा राठौर	18-7-78	,, ,,	105—00	281—50	,,
		(5) ,, वीना गोयल	2-12-78	,, ,,	105—00	281—50	,,
		(6) श्रीमती रेखा जैन	16-1-79	,, ,,	300—00	300—00	,,
4.	तृतीय श्रेणी प्राथमिक विभाग 9	(1) श्रीमती प्रकाश देवी	5-12-61	,, ,,	145—00	382—00	स्थाई
		(2) ,, चन्द्रवती जैन	15-3-63	,, ,,	160—00	392—00	,,
		(3) ,, पदमा कपील	9-7-63	,, ,,	105—00	281—90	,,
		(4) ,, विशना वैजल	3-7-70	,, ,,	105—00	281—00	,,
		(5) ,, कमलेश भटनागर	16-7-69	,, ,,	120—00	348—00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		(6) श्रीमती सुमित्रा जैन	9-1-79	110—230	110—00	334—00	स्थाई
		(7) सुश्री पुष्पा शर्मा	1-7-78	,, ,,	110—00	334—00	,,
		(8) ,, सुधा राठौर	11-11-78	,, ,,	105—00	281—50	,,
		(9) ,, लता भटनागर	1-2-79	,, ,,	105—00	281—50	,,

समस्त कर्मचारियों का नवीन वेतनमान में स्थिरीकरण पूर्ण होने के कारण नहीं दिया जाता है स्थिरीकरण होने के पश्चात् नवीन वेतनमान लागू किया जा रहा है ।

क. सं.	कार्यरत कर्मचारी	नाम	नियुक्ति तिथि	वेतन श्रृंखला	वेतन	मंहगाई अन्तरिम राहत भत्ता कुल दी जाने वाली राशि	विवरण
1.	लिपिक वर्ग						
	1. वरिष्ठ लिपिक	(1) श्रीमती पार्वती शर्मा	1-12-68	130-300	180-00	448.00	स्थाई
	2. कनिष्ठ लिपिक	(2) श्रीमती मिथलेश व्यास	1-9-74	110-230	300-00	361-80	"
		(2) सुश्री किरण शिशोदिया	10-1-79	" "	130-00	300-00	अस्थाई
	3. पुस्तकालयाध्यक्ष	(1) श्रीमती सुमन जैन	1-7-70	" "	150-00	389-00	स्थाई
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(1) श्रीमती गौरी बाई	14-7-59	60-85	75-00	238-00	स्थाई
		(2) श्री गिरधारी लाल	6-11-68	" "	75-00	238-00	"
		(3) श्री मानसिंह	1-4-77	" "	60-00	223-00	अस्थाई
		(4) सुश्री मंजुला सैनी	1-8-78	" "	60-00	223-00	"
		(5) श्री अमरसिंह	8-9-77	" "	60-00	223-00	"
		(6) श्री पूनाराम	1-1-79	" "	60-00	223-00	"
	अंशकालीन स्वीपर	(1) श्रीमती शान्ति	—	—	45-00	45-00	स्थाई

समस्त कर्मचारियों व नवीन वेतनमान में स्थिरीकरण पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं दिया गया है। स्थिरीकरण होने के बाद नवीन वेतनमान लागू किया जा रहा है।

परिशिष्ट—सं. 9

अतारांकित प्रश्न सं. 912 की सूची व परिपत्र

जालौर जिले में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एवं केन्द्रों पर प्रौढ़ों की संख्या

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	प्रौढ़ों की संख्या	क्र. सं.	केन्द्र का नाम	प्रौढ़ों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	मोरपुरा	18	2.	छाजला	22
3.	बिराबाड़ी	8	4.	नयापुरा	14
5.	धामावास	10	6.	बिजतिया	14
7.	सोनड वास	6	8.	कुडा थवेचा	9
9.	बाटेरा	15	10.	अरनु	15
11.	लूनावास	12	12.	मिण्डावास	22
13.	बैसावास	20	14.	काकेरी	23
15.	दायम	30	16.	जेतु	20
17.	कामतरा	30	18.	किरवासा	28
19.	निवोड़ा	15	20	निम्बावास	13
21.	निम्बावास 2	17	22.	बुनाला 2	8
23.	पुनासा 2	अनउपलब्ध	24.	पुनासा 3	12
25.	पुनासा 4	25	26.	बागोतरा	अनउपलब्ध
27.	जुम्रानी	10	28.	जूजानी 2	10
29.	जेरप	अनउपलब्ध	30.	सेथड़ी	30
31.	राह	अनउपलब्ध	32.	नरलाना	38
33.	घुम्बडिया	28	34.	घुम्बडिया 2	30
35.	डूगला	19	36.	दुगला-2	28
37.	गावडीगांव	12	38.	गावड़ी ढाणी	18
39.	लाखनी	15	40.	मालनी	अनउपलब्ध
41.	भालनी	24	42.	मेडा	12

1	2	3	4	5	6
43.	कूका	18	44.	बाली	10
45.	भोरमीन	12	46.	बाली	14
47.	पाली 2	22	48.	मोरसील-2	12
49.	भोरभीम 3	21	50.	मोरसील-4	अनउपलब्ध
51.	घासेडी	28	52.	कोटकास्ता	11
43.	कोटकास्ता-2	10	54.	लेबरमेट	15
55.	भीमपुर	8	56.	बोरटा	10
57.	बोरटा-2	8	58.	बोरटा-3	6
59.	खेड़ा	9	60.	भागल भीम	अनउपलब्ध
61.	भीनमाल-1	7	62.	भीनमाल-2	20
63.	भीनमाल	18	64.	कुशालपुरा	15
65.	बरला	20	66.	नरता-2	8
67.	बरला-3	18	68.	भागल सेप्टा	6
69.	भागलसेप्टा-3	12	70.	नासोली	13
71.	सरथला	15	72.	रूचियार	10
73.	दासपा	10	74.	दासपा-2	25
75.	दासपा-3	9	76	दासपा-4	अनउपलब्ध
77.	कोरा-1	12	78.	कोरा-2	6
79.	नोहरा	20	80.	भानोडा	18
81.	बागोडा	10	82.	कोरीथवेचा	15
83.	राजता	20	84.	चैनपुरा	15
85.	मादिगा	18	86.	मावडी	16
87.	जोगाऊ	19	88.	हाबू की ढाणी	16
89.	मेडावृहथ	18	90.	अरणु	10

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—5

क्रमांक—एफ.7(45) प्र. सु. 15.78(1) जयपुर. दिनांक....11 सितम्बर, 1978।

आज्ञा

राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978-84) के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड (राजस्थान स्टेट एडल्ट्स बोर्ड) गठित करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	शिक्षा मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर	अध्यक्ष।
2.	राज्य शिक्षा मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
4.	कुलपति' राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य
5.	शिक्षा आयुक्त एवं शासन सचिव, राज. जयपुर।	सदस्य
6.	विकास आयुक्त एवं शासन सचिव, राज. जयपुर।	सदस्य
7.	विशिष्ट सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
8.	विशिष्ट सचिव, कृषि एवं सहकारिता, राज. जयपुर।	सदस्य
9.	विशिष्ट सचिव, सामुदायिक विकास विभाग, राज. जयपुर।	सदस्य
10.	शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर।	सदस्य
12.	निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर!	सदस्य
13.	अध्यक्ष, समाज कल्याण बोर्ड, राज. जयपुर।	सदस्य
14.	राज्य के एक अधिस्नातक कालेज का प्राचार्य	सदस्य
15.	राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
16.	राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के दो प्रतिनिधि	सदस्य
17.		
18.	निदेशक, राजस्थान राज्य संघर्ष केन्द्र (प्रौढ़ शिक्षा)	सदस्य
19.	श्रीमती आशा दीक्षित, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य
20.	श्री महेश शर्मा, भारती भवन, गोपालजी का रास्ता, जयपुर।	सदस्य
21.	श्री विजय कृष्ण नाहर, उदयपुर।	सदस्य
22.	श्री सोहन लाल मोदी, समग्र सेवा संघ, किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।	सदस्य

(272)

23 श्री भंवर लाल कोठारी, अध्यक्ष, बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, बीकानेर। सदस्य

24. निदेशक, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जयपुर। सदस्य-सचिव।

बोर्ड का कार्यक्षेत्र —

राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा :—

1, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के निर्माण, क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की विशेषकर निम्न क्षेत्रों में सलाह देना :—

क) विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा एवं विद्यार्थी संगठनों, कर्मचारियों एवं श्रमिक संगठनों का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में योगदान के सम्बन्ध में।

ख) राज्य में वृहद् प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु व्यापक अनुकूल वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में।

ग) प्रौढ़ों के लिए उपर्युक्त शिक्षा अधिगमन सामग्री। साहित्य का निर्माण करने एवं विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

घ) महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को विशेष रूप से प्रभावी एवं व्यापक बनाने हेतु विशेष उपायों के सम्बन्ध में।

ङ) नव साक्षरों के हितार्थ उपर्युक्त अधिसाक्षरता कार्यक्रम बनाना, साहित्य का निर्माण एवं वितरण करने, अनवर्तन केन्द्रों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में।

2. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के मध्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संचालन एवं प्रसार हेतु उचित समन्वय स्थापित करना।

3. राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की तैयारी, क्रियान्वित, संचालन एवं प्रगति का समय-समय पर परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करना।

सहवरण—

बोर्ड के अध्यक्ष को किसी भी शिक्षाविद् अथवा अन्य विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता आदि को बोर्ड की मीटिंग में सहचरित करने का अधिकार होगा।

बोर्ड का कार्यकाल —

राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल प्रारम्भ में पांच वर्ष होगा जिसे राज्य सरकार आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा सकती है।

आज्ञा से

ह/-

(मनोहर सिंह)

शासन उपसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :—

1. समस्त सदस्य ।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मन्त्री । राज्य मन्त्री शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव मुख्य सचिव ।
6. निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, राज. जयपुर ।
7. समस्त जिलाधीश ।
8. समस्त जिला शिक्षाधिकारी ।
9. शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग की उनकी टीम संख्या—एम. आर. संख्या—1647। शिक्षा—1।78 दिनांक—31-8-1978 के सन्दर्भ में ।
10. प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-7) की दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
11. रक्षित पत्रावली ।

ह./-
अनुभागाधिकारी

परिशिष्ट सं०-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 919 की सूची)

प्रश्न के भाग 1 में वर्णित सूची

क्र. सं.	पुलिस विभाग की शाखा का नाम जहाँ के सिपाहियों को क० लि० बनाया गया है।	संख्या जिनको कनिष्ठ लिपिक बनाया गया है।
1.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला जयपुर	4
2.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोटा	1
3.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय जोधपुर	1
4.	भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान जयपुर	1
5.	उप-महानिरीक्षक पुलिस आर. ए. सी. कार्यालय जोधपुर	1
6.	उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर	1
7.	कमान्डेन्ट आर. ए. सी. द्वितीय बटालियन जयपुर	2
8.	पुलिस वायरलैस विभाग, राजस्थान जयपुर	3
9.	अपर महानिरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षण) कार्यालय राजस्थान जयपुर	1

परिशिष्ट सं०-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 920 की सूचना)

नक्शा चोरी थाना खाटू श्यामजी, जिला सीकर (दिनांक 1-1-78 से 31-12-78 तक)

क्रम संख्या	शीर्षक	कुल दर्ज मुकदमात	अदम वकु	अदम पता	अदम सबूत	जेरे तफतीश	चालान	माल मसरूका	माल बाजयाफ्ता
1.	चोरी	24	3	11	—	1	9	13530/-	9200/-

276

परिशिष्ट सं०-12

अतारांकित प्रश्न सं० 921 की सूची

सूची मुकदमात काबिल दस्तन्दाजी पुलिस थाना केशोरायपाटन, जिला बून्दी ।

क्र. सं. 1	मुकदमा नं. 2	रपट नं./दिनांक 3	किसके द्वारा 4	किसके विरुद्ध 5
1.	140/78	50/2-12-78	श्री गौरीलाल पुत्र हजारीलाल कोली निवासी अरनेठा ।	श्री भवानी शंकर पुत्र राम रतन गूजर, निवासी अरनेठा ।
2	141/78	76/3-12-78	श्री रमेशचन्द्र पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण, पाटना	श्री नारायण पुत्र घीसूलाल अरोठा खत्री निवासी डिग्गी हाल के० पाटन ।
3.	142/78	232/8-12-78	श्री गोपीलाल पुत्र श्रीपर जी मीना नि. खेडली कवडिया थाना कैथून जिला कोटा ।	श्री गोपाल पुत्र टुण्डा मीणा नि. माधोराजपुरा व तसल्ली सिंह, हर भजन सिंह पुत्र नि. माव के. पाटन की कांपडिया ।
4.	143/78	302/10-12-78	श्री रतनलाल पुत्र शंकरलाल मीना नि. देहून्दा ।	श्री भंवरलाल, प्रभूलाल, अग्गनदीलाल, परमा, राधेश्याम, रावनाथ, देबून्दा ।

1	2	3	4	5
5.	144/78	330/11-12-78	श्री बृजमोहन पुत्र शंकर धाकड़, नि. रगपुरिया ।	श्री जगदीश पुत्र धवका धाकड़, नि. रगपुरिया ।
6.	145/78	331/11-12-78	श्री माग्या पुत्र घासी डीखड नि. ईसरदा ।	श्री भैरूलाल पुत्र रामनारायण ब्राह्मण 2–बाबूलाल पुत्र भैरूलाल रूघनाथ ।
7.	146/78	453/15-12-78	श्री द्वारका लाल पुत्र गिरधारी लाल कोम चित्तोड़ा नि. के. पाटन ।	अज्ञात
8.	147/78	463/15-12-78	सरकार जर्ये श्री नारायणसेट एल. सी. 516 थाना के. पाटन ।	श्री किशन पुत्र हरनाम सिंह राजपूत नि. बून्दी रोड़ ।
9.	148/78	720/22-12-78	श्री किशनलाल पुत्र ग्यारसीलाल कोम बैरवा नि. ईश्वरनगर ।	श्री गोपाल पुत्र रामचन्द्र बैरवा 2–रामचन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल बैरवा नि. ईश्वरनगर ।
10.	149/78	751/23-12-78	श्री देवा पुत्र रामा कोम मेघवाल सा. ईसरदा ।	श्री माग्या पुत्र खोवडिया कोम बलाई नि. ईसरदा ।

1	2	3	4	5
11.	150/78	779/24-12-78-	श्री माधोसिह पुत्र पाबूसिह कोम राजपूत नि. समदपुरिया । –	श्री रामरतन पुत्र रामकिशन 2-बिरछिया पुत्र ग्यारस्या कुम्हार सकनाय समदपुरिया ।
12.	151/78	1002/30-12-78	श्री गबूरिया पुत्र जगन्नाथ मीणा	1. कल्याण, 2. बरध्या, 3. जगन्नाथ, 4. रामरतन, 5. मदन, 6. घन्ना, 7. राम नारायण पुत्र मीनगार सा. चन्दनहेली ।

सूची मुकदमात नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस माह दिसम्बर, 1978 थाना केशोरायपाटन, जिला बून्दी

क्र. सं. 1	रपट नं०/दिनांक 2	नाम फरियादी 3	नाम मुलजिमान 4
1.	17/1-12-78	श्री ग्यारसीलाल वल्द माधोलाल धाकड़ ।	श्री मुस्तबा दिनाजी गुन्धा ।
2.	18/ ,,	श्री किशनलाल वल्द ग्यारसीलाल बैरवा, ईसरनगर ।	श्री गोपाल बैरवा ।
3.	75/3-12-78	मथुरा वल्द खाना मीना बाजड़ ।	रूघा, जगन्नाथ, रामदेवा ।
4.	103/4-12-78	भगवान वल्द भंवरलाल मीना ।	बरधा मीना, निहाला ।
5.	174/6-12-78	बी० एम० शर्मा	बटान वल्द अब्दुल गफूर ।
6.	251/8-12-78	फीतरिया वल्द वागफिना भील ।	बरधा धाकड़, खालू ।
7.	266/9-12-78	रामकल्याण वल्द रामेश्वर ।	लाला वल्द जगन्नाथ मीना ।
8.	267/ ,,	बृजमोहन वल्द शंकर धाकड़ ।	जगदीश वल्द अलका धाकड़ रंगपुरिया ।
9.	270 ,,	विजय सिंह वल्द राजकिशोर दुबे ग्रा० काप्रेन ।	चौकीदार रेल्वे ।
10.	272 ,,	गोपाल वल्द अमर लाल कोर ।	हीरा कोर की औरत ।
11.	300/10-12-78	दुर्गालाल माली	सकरमा धाकड़ा ।
12.	371/12-12-78	भंवरलाल माली	जगन्नाथ, बदरीलाल, किसना धाकड़ ।

1	2	3	4
13.	387/13-12-78	किशन गोपाल ।	रामचन्द्र गूजर ।
14.	529/17-10-78	भंवरलाल माली ।	चरतभुज, किशना, बद्री, जगन्नाथ ।
15.	536/17-12-78	जगन्नाथ कजोड़ मीना नि. निमोदा ।	मदन, धनश्याम मीनगान ।
16.	545/17-12-78	अब्दुल शकूर पुत्र मदबूब जी मुसलमान सा. के. पाटन ।	गोपाल मेघवाल ।
17.	596/18-12-78	श्री माधो पुत्र रामचन्द्र कौम मीना निवासी रंगराजपुरा ।	उद्दा पुत्र भंवरा, बजरंगा, गिरधारी ।
18.	598/19-12-78	श्री हरीशंकर पुत्र भागीरथ महाजन नि. लाडपुर ।	नन्दा मीना, चन्दा पुत्र गणेश माली ।
19.	629/20-12-78	श्रीमती भूरकंवर बाई पत्नी स्वर्गीय श्री भंवरलाल ।	भदिया पुत्र नारायणा जाट ।
20.	630 ,,	मुसमात वरघो पत्नो केसरा माली सा. लेसरदा ।	दुर्गा माली नि. लेसरदा ।
21.	667/21-12-78	श्री किशन सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत गुढली ।	छांटूसिंह पुत्र भंवर सिंह राजपुर गुढली ।
22.	670 ,,	रतनालाल पुत्र लटूर माली, अरनेठा ।	हजारा पुत्र नन्दा गूजर ।
23	671/21-12-78	श्री हरिशंकर पुत्र भागीरथ महाजन लाठपुर ।	श्री कान्हा पुत्र सुगना मीना लाडपुर ।
24.	674/ ,,	श्री कुन्जविहारी पुत्र मांगीलाल ब्रा० सा० निमोड़ा ।	श्री ऊकार पुत्र प्रभू गूजर, निवोडा ।
25.	718/22-12-78	देथा पुत्र रामा मेघवाल नि० लेसरदा ।	मांगिया पुत्र सोवडिया बलाई, लेसरदा ।
26.	750/23-12-78	रामगोपाल पुत्र हजारा गूजर अरनेठा ।	धन्नालाल पुत्र किशोर ब्रा० अरनेठा ।
27.	780/24-12-78	भैरूलाल पुत्र कन्हैयालाल ब्रा० देहीन ।	बाबूलाल पुत्र सावला मीना देहीत ।

1	2	3	4
28.	792/24-12-78	गोपाल पुत्र गणेश कोम मेघवाल ग्रा० पाटन ।	रामा पुत्र कालू कोम मेघवाल पाटन ।
29.	819/25-12-78	चरणसिंह पुत्र हरदीपसिंह मिलज लाडपुरा ।	धारीसिंह, लखसिंह, हरबंस सिंह, प्रीमत सिंह सिख ।
30.	845/26-12-78	दुर्गालाल पुत्र मन्ना माली रंगपुरिया ।	छिलिया, कजोड़, रोडिया धाकड़ नि० रंगपुरिया ।
31.	896/27-12-78	रामानन्द पुत्र धन्नालाल ब्रा० के० पाटन ।	ट्रक ड्राईवर आर० जे० जी० 438 ।
32.	1000/30-12-78	प्रभू पुत्र सूरजमल मीना नि० कमोलर ।	पुष्पलाल मीना, रतनलाल बैरवा, कमोलर ।
33.	1005/ ,,	बद्रीलाल पुत्र घासी मीना लाखेरी ।	नन्दा, रामनारायण, शिवनारायण मीनगान, नि० पाटन ।
34.	1009/ ,,	छोटा पुत्र गुलाबचन्द खटीक के० पाटन ।	चतरा पुत्र भंवरलाल खटीक पाटन ।
35.	1035/31-12-78	सूरजमल पुत्र नेनछा बैरवा केसवनगर ।	बृजमोहन पुत्र रामरतन ब्रा० पाटन ।
36.	1036/ ,,	गणेश पुत्र फन्दीलाल बैरवा विनायका ।	धन्ना चमार व दो अन्य व्यक्ति ।

परिशिष्ट सं०-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 922 की सूची)

सूची मुकदमात फसल एवं एजिन मोटर व पार्टस् चोरी वर्ष 1978

जिला बूंदी

क्र सं.	नाम थाना	अपराध किस्म	कुल मुकदमें	चालान	माल म.स.	माल बा.ज.
1.	सदर, बूंदी	1 फसल चोरी	1	1	2500/-	900/-
2.	गेंडोली	1 फसल चोरी	1	1	900/-	900/-
3.	लाजेरी	1 फसल चोरी	5	2	6600/-	4800/-
4.	पाटन	1 फसल चोरी	4	2	12300/-	12100/-
5	नेनवा	1 फसल चोरी	3	1	580/-	410/-
6.	देई	1 फसल चोरी	6	2	1500/-	950/-
		2 मोटर एंजिन व पार्टस्	2	2	2100/-	2100/-
7.	दबलाना	1 फसल चोरी	2	1	1200/-	725/-
8.	हिण्डोली	1 फसल चोरी	3	1	710/-	650/-
		2 एंजिन मोटर व पार्टस्	1	—	5000/-	—

नोट :—केवल थाना हिण्डोली एवं देई में सन् 1978 में एंजिन मोटर व पार्टस् को चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं।

जिला बून्दी में वर्ष 1976, 1977 एवं 1978 में दर्ज चोरी

क्रम संख्या	नाम थाना	वर्ष 1976				
		शीर्षक	कुल बुक	चालान	माल ग्रसलका	माल बाजयाफ्ता
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोतवाली, बून्दी	चोरी	34	17	88269/-	41370/-
		नकबजनी	45	17	14104/-	1964/-
		डकैती	—	—	—	—
2.	सदर बून्दी	चोरी	12	2	4650/-	1850/-
		नकबजनी	13	2	1050/-	205/-
		डकैती	—	—	—	—
3.	थाना तालेड़ा	चोरी	13	7	38082/-	36750/-
		नकबजनी	12	4	27781/-	4390/-
		डकैती	—	—	—	—
4.	थाना मेडोली	चोरी	18	12	9480/-	2180/-
		नकबजनी	13	5	8225/-	8075/-
		डकैती	—	—	—	—
5.	थाना लाखेरी	चोरी	12	6	11845/-	10795/-
		नकबजनी	11	6	5859/-	3015/-
		डकैती	—	—	—	—
6.	थाना कापरेन	चोरी	2	2	1800/-	1800/-
		नकबजनी	3	1	1800/-	—
		डकैती	—	—	—	—
7.	थाना पाटन	चोरी	30	10	72467/-	72267/-
		नकबजनी	27	11	12945/-	8460/-
		डकैती	—	—	—	—
8.	थाना जवाहरनगर डेम	चोरी	5	3	2038/-	1888/-
		नकबजनी	6	3	418/-	237/-
		डकैती	—	—	—	—

284

नकबजनी एवं डकैती के अपराधों की सूची ।

वर्ष 1977				वर्ष 1978			
कुल मुक०	चालान	माल मसरका	माल बाज याफ्ता	कुल मुक०	चालान	माल मसरका	माल बाजयाफ्ता
8	9	10	11	12	13	14	15
26	11	23003/-	16454/-	27	23	31169/-	19662-55
27	10	28450/-	12990/-	27	9	3617-50	27450/-
—	—	—	—	—	—	—	—
16	5	17100/-	23535/-	28	10	13175/-	8850/-
20	7	9088/-	2136/-	22	12	10357/-	3485/-
2	2	2125/-	915/-	—	—	—	—
13	2	11970/-	6860/-	9	3	3075/-	1450/-
9	3	2110/-	570/-	20	12	15040/-	8242/-
—	—	—	—	—	—	—	—
11	3	5778/-	5400/-	4	1	950/-	472/-
12	2	12993/-	3555/-	13	3	6200/-	3900/-
—	—	—	—	1	1	5000/-	2500/-
15	11	16599/-	14939/-	20	8	86100/-	81300/-
18	10	7840/-	3392/-	29	8	47810/-	7100/-
—	—	—	—	—	—	—	—
4	1	1700/-	1700/-	4	1	1000/-	1000/-
4	2	2500/-	400/-	9	3	7558/-	1034/-
—	—	—	—	3	—	2337/-	—
13	5	5920/-	1010/-	41	13	4620/-	3300/-
18	13	16995/-	3800/-	16	7	14635/-	8335/-
1	—	3000/-	—	—	—	—	—
11	4	12810/-	9100/-	4	1	1350/-	350/-
8	1	292/-	—	0	2	8700/-	1180/-
—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
9.	थाना बेश्रवा	चोरी	17	9	13300/-	12300/-
		नकबजनी	12	2	1050/-	—
		डकैती	—	—	—	—
10.	थाना देई	चोरी	20	8	21040/-	20240/-
		नकबजनी	22	12	9600/-	6394/-
		डकैती	—	—	—	—
11.	थाना दबलाना	चोरी	6	4	655/-	486/-
		नकबजनी	22	9	1540/-	380/-
		डकैती	—	—	—	—
12.	थाना हिण्डोली	चोरी	10	2	10650/-	10150/-
		नकबजनी	17	4	14596/-	5875/-
		डकैती	—	—	—	—
13.	थाना शिल्या	चोरी	6	3	3743/-	3618/-
		नकबजनी	—	—	—	—
		डकैती	—	—	—	—

8	9	10	11	12	13	14	15
23	14	5883/-	1073/-	22	11	4225/-	2400/-
19	5	9228/-	780/-	17	9	13323/-	4100/-
—	—	—	—	—	—	—	
25	3	11721/-	3145/-	26	17	28875/-	15275/-
22	7	17125/-	1307/-	14	3	15753/-	6200/-
—	—	—	—	—	—	—	—
23	10	5700/-	3110/-	24	16	15180/-	13050/-
24	4	43436/-	—	27	9	11200/-	3725/-
—	—	—	—	—	—	—	—
22	18	40920/-	27465/-	25	8	4700/-	2375/-
21	2	13750/-	9912/-	22	10	10055/-	312/-
—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	225/-	125/-	2	2	1350/-	1300/-
3	—	13575/-	—	4	1	9157/-	100/-
—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट सं०-14

(तारांकित प्रश्न सख्या 165 की सूचना)

(वर्ष 1978 में जिला झालावाड़ में चोरी की 278 निम्नलिखित वारदातें हुई, इनमें से 142 अपराधों में बरामदगी की जा चुकी है)।

क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल	क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल
1.	रायपुरा	देवडी	24.		सुनेल
2.		डावल	25.		सिरपोई
3.		वोरबन्द	26.		नफलेडा
4.		रायपुरा	27.		सुनेल
5.		मंगीसर	28.		सागरिया
6.		देवलखेड़ा	29.		इडमत्या
7.		रामपुरिया	30.	बकानी	रटलाई
8.		डाका	31.		नानार
9.		ओझा	32.		रिछवाकामाल
10.		आठिया	33.		दोलपतपुरा
11.		रामपुरिया	34		सावलखेडा
12.	पिड़ावा	पिडावा	35.		केसखमीजा-
13.		डायलाभेज			देवर
14.		अलीपुर	36.		रीछवा
15.		सेवलीचौहान	37.		उम्मेदपुरा
16.		घरोनिया			का माल
17.		पिठावा	38.		बकानी
18.		बासखेड़ा	39.		रीछवा
19.		पिड़ावा	41.	बकानी	देवलीकामाल
20.		कोटला	42.		दलिया
21.		सुनेल	43.		डोगली
22.		समिया	44.		रछोरी
23.		सेमजा	45.		दीवरी

क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल	क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल
46.		प्रेमपुरा	79.		चोमेला
47.		वास	80.		
48.	मनोहरथाना	हरिपुरा	81.	थाना गंगधार	चो[illegible]
49.		हरिपुरा	82.		
50.		घावरखेडा	83.		चोमेला
51.		देवपुरा	84.		उमेल
52.		महेशपुरा	85.		चोमेला
53.		हरिपुरा	86.		सरवर
54.		रामपुरिया	87.		रामपुरा
55.		भोगियाबेरु	88.		शवाब
56.		सोमलीशट	89.		मस्सी
57.		महेशपुरा	90.		कोलवी
58.		मनोहरथाना	91.	थाना सरोला	बरेण
59.		सनी	92.		चोपाजुर्द
60.		जोरपुरा	93.		चांदपुरा
61.		मनोहरथाना	94.		सरीलाबांध
62.		बठगांव	95.		लोलाडा
63.		मनपसर	96.		बरेण
64.		धानपुरा	97.		दोलाडा
65.		टोकडीकलां	98.	भालता	सरेण
66.		लक्ष्मीपुरा	99.		उलावदा
67.	थाना गंगधार	चीमेरा	100.		आसलपुरा
68		वर्मात्रेठी	101.		गणेशपुरा
69.		विंठिया	102.		पंचागखेडी
70		तेजनेडी	103;		जंगलसालवा
71.		घोमेला	104.		पेचानखेडी
72.		उनेल	105.		बहडीखुर्द
73.		रनारा	106.		कस्वाभालता
74.		जोरखेडा	107.		कोटडा
75.		टगरिया	108.		बुखनपुरा
76.		रोमेला	109.		डोरियाखेडी
77.		गराडिया	110.		भालता
78.		बरिडया	111.		चारोली

क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल	क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल
112.		गुलखेडी	141.		सेनाफलपण्डी
113.		पापडीखेडा	142.		कस्बा झाला-वाड
114.		उमरिया	143.		
115.		छोरबन्द	144.		
116.		गाघिया	145.		
117.		पाटली	146.		
118.	थाना पगडिया	आवखेडी	147.		
119.		सिलेगढ	148.		उतखेडो
120.		भवानीपुरा	149.		झालावाड
121.		खोजरिया	150.		किशनपुरा
122.		सिमरेली	151.		झालावाड
123.		आवर	152.		
124.		ठोकरिया	153.		
125.		आड़खेडी	154.		
126.		सीलापुर	155.		सलोकिया
127.	थाना डग	सादडी का खेडा	156.		दोपर
128.		बराखेडा	157.		पृथ्वीनियास
129.		झर	158.		झालावाड
130.		उदमपुर	159.		
131.		सिसाई	160.		
132.		कस्बा डग	161.		
133.		ददलिया	162.	असनावर	भोजापुरा
134.		डेग	163.		डूंगरगांव
135.		मेंसाझर	164.		असनावर
136.		कस्बा डग	165.		डूंगरगांव
137.		मालपुरा	166.		बारांगठी
138.		लुहारिया	167.		डूंगरगढ
139.	कोतवाली झालावाड	शफाखाना झालावाड	168.		रातयादेई
140.		कस्बा झाला-वाड	169.		मण्डावर की घाटी
			170.		बरूतासा
			171.		असनावर

क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल
172.	असनावर	स्परिया
173.		चूनाखेडा
174.		भानकनी
		धारी
175.	थाना पाटन	पाटन
176.		कस्बा पाटन
177.		पाटन
178.		बंजरी
179.		पाटन
180.		
181.		
182.		मंगती
183.		कंजवाड़ा
184.		पाटन
185.		
186.		पोलिया
187.		चागांव
188.		झुमकी
189.		सालपुर
190.		झोदा
191.		संगी
192.		छीतबीडा
193.		कस्बा पाटन
194.		गांव कलां
195.		पाटन
196.	थाना भवानी मण्डी	भवानीमंडी
197.		पचपहा
198.		
199.		स्यामला
200.		मालीपुरा
201.		हनुतिया
202.		मारन

क्र० सं०	नाम थाना	घटनास्थल
203.		पीपलिया
204.		[illegible]
205.		[illegible]मंडी
206.		
207.		घोरल्या
208.		भवानी मंडी
209.		गंगापुर
210.		
211.	थाना खानपुर	सुमर
212.		घोलाना
213.		सुपालिया
214.		खानपुर
215.		बागोर
216.	श्री खानपुर	जीमलखेडी
217.		दलीखेडा
218.		सलेट
219.		सूमर
220.		भगवानपुरा
221.		नवानिया
222.		पिंगलिया
223.		लांगपुरा
224.		गुजाना
225.		भटखेड़ी
226.		जरगा
227.		हरिगढ़
228.		कूंजरी
229.		रामपुरिया
230.		बाकोरनी
231.		जतावा
232.		जसुलाई
233.		मौजा जगवादा

क्र० स०	नाम थाना	घटनास्थल	क्र० स०	नाम थाना	घटनास्थल
234.		खेजदिया	260.		मही का मेल
235.		सोगोनी	261.		असनावर
236.		डांगा	262.		जुना जेड़ा
237.		बासजेडी	263.		पतासा का बास
238.		बासजेडी	264.		कस्बा असनावर
239.	अकलेरा	अकलेरा कस्बा	265.		मोजा लैलियाजेडी
240.		देवलीजुर्द	266.		माल असनावर
241.		ऊनी	267.		मोजा लवासार
242.		मानपुरा	268.		मोजा सीजोडिया
243.		कस्बा अकलेरा	269.		" लेलिया खेड़ी
244.		पोली	270.		" असनावर
245.		बरेडीकलां	271.		मोजा लेलियाखेली
246.		मदनपुरिया	272.	सारोला	चाया खुर्द
247.		कस्बा अकलेरा	273.		सारोला बांध
248.		मोजादेवरी	274.		दोलारा
249.		डूंगरगांव	275.		कस्बा सारोला
250.		घनावदा	276.	कोतवाली झालावड़	कस्बा झालावाड़
251.		गोतुजेडी	277.	भवानी मण्डी	कस्बा भवानीमंडी
252.		कस्बा अकलेरा	278.	खानपुर	कस्बा खानपुर
253.		"			
254.		"			
255.		जोरखेडी			
256.		बोडिया			
257.	असनावर	मोजा बड़ी जेड़ा			
258.		मोजा जूनी जेड़ा			
259.		" मेघसर			